सप्तम माला, खंड 29, अंक 2, शुक्रवार, 9 जुलाई, 1982/18 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(नौवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 2, शुक्रवार, 9 जुलाई, 1982/18 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—26
* तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 25	2—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—213
तारांकित प्रश्न संख्या : 26 से 34, 36 से 38 तथा 40	26—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 211 से 270. 272 से 299, 301 से 354, 356 से 359 तथा 361 से 440	35—213
सभा पटल पर रखे गए पत्र	213—219
विधेयकों पर अनुमति	219
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	220—236
बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की निरन्तर चली आ रही हड़ताल और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	220
श्री रामावतार शास्त्री	220
श्री भागवत झा आजाद	224
श्री एम० एम० लारेंस	226
श्री चन्द्रपाल शैलानी	229
श्री जैनल बशर	231
श्री आनन्द पाठक	233
छावनी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	236—237
सभा का कार्य	237—243
नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980	243—249
विचार करने का प्रस्ताव	252—254
डा० सरदीश राय	244
श्री मूलचन्द डागा	244
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	245

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री जेवियर अराकल	246
श्री ईरा मोहन	248
श्री गिरधारी लाल व्यास	249
लेबनान की स्थिति के बारे में वक्तव्य	249—252
श्रीमती इन्दिरा गांधी	249
विधेयक—पुरःस्थापित	254
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 का संशोधन)	254
श्री जी० एम० बनातवाला	255
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक	255
(अनुच्छेद 338 आदि के स्थान पर नये अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन)	255
श्री जी० एम० बनातवाला	255
(तीन) बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण (दिल्ली संशोधन) विधेयक	256
श्री चित्त बसु	256
(चार) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (धारा 14 आदि का संशोधन)	256
श्री जी० एम० बनातवाला	
(पांच) मृत्यु दण्ड (तोड़फोड़ और विमान अपहरण के लिए) विधेयक	256—257
श्री बी० बी० देसाई	
(छः) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (अन्तंजातीय तथा अन्तधर्मीय विवहित व्यक्तियों की संतानों के लिए) विधेयक	257
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये भाग 10क का अन्तःस्थापन)	257
श्री आनन्द पाठक	
(आठ) लोकपाल विधेयक	258
श्री राम जेठमलानी	
(नौ) जातिरहित तथा धर्मरहित समाज का निर्माण विधेयक	258
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	
(दस) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 378 का संशोधन)	258—259
श्री रामनाथ दुबे	

विषय	पृष्ठ
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक	259—294
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	259
श्री मूल चन्द डागा	266
श्री सुशील भट्टाचार्य	268
श्री जेवियर अराकल	269
श्री एस० मुरुगैयन	271
श्री जगपाल सिंह	272
श्री पी० नामग्याल	274
श्री राम जेठमलानी	275
श्री हरीश कुमार गंगवार	279
श्री राम सिंह यादव	281
श्री हरिकेश बहादुर	285
श्री हरीश रावत	287
श्री कमला मिश्र मधुकर	291
श्री गिरधारी लाल व्यास	292
कार्य-मंत्रणा समिति	294
31वां प्रतिवेदन	
12 जुलाई, 1982 को सभा की बैठक रद्द करने तथा 7 अगस्त, 1982 को सभा की बैठक रखने के बारे में	

लोक सभा

शुक्रवार, 9 जुलाई, 1982/18 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 388 के अन्तर्गत आपसे अनुमति ली है और अनुमति लेकर तो मैं बोल सकता हूं। बेरूत के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उससे विश्व शान्ति को खतरा है और विश्व युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। रूस ने चेतावनी दी है। इसके अलावा अमेरिका की फौजे वहां जाने के लिए तैयार खड़ी है। यह एक बहुत अदम मसला है। **(व्यवधान)**····इस तरीके से आप न करिए।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है मैंने।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या सरकार इस समूची स्थिति के बारे में कोई वक्तव्य देना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर बैठक में भी चर्चा की है और हमें उन नीतियों का भी पता है जिनका यह राष्ट्र अनुसरण कर रहा है। ये नीतियां हैं महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू की नीतियां, गुट-निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियां।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस सारी स्थिति पर चर्चा की जानी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। हमें सारी स्थिति के बारे में चर्चा करनी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : तनाव बढ़ रहा है और हो सकता है इससे विश्व युद्ध हो जाए। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यह नहीं चाहते कि अमेरिका की सेना बेरूत में प्रवेश करा लें तब इस पर चर्चा की जाए। हम यह चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा की जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति की गंभीरता को जानता हूं। इसलिए ही हमने इस पर चर्चा की है। हमें राष्ट्र द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों को जानते हैं तथा यह भी जानते है कि महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू ने गुट-निरपेक्षता तथा सह-अस्तित्व के बारे में क्या-क्या कार्य किए थे। हमें किसी विशेष उद्देश्य की रक्षा करनी है। और जहां तक मेरा विचार है। प्रधान मंत्री जी आज ही दोपहर पश्चात् वक्तव्य देने वाली हैं। इसके पश्चात् हम निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

अब प्रश्न संख्या 21. प्रो० रूपचन्द पाल।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में "विदेशी बैंकों" के कार्यालय खोला जाना

*21. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक विदेशी बैंकों ने भारत में अपने कार्यालय खोलने हेतु लाइसेंस के लिए सरकार को आवेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन बैंकों द्वारा क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जो कि इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, उसे चार विदेशी बैंकों से भारत में एक-एक शाखा खोलने के वास्ते औपचारिक आवेदन प्राप्त हुए हैं । इन बैंकों द्वारा कोई शर्तें एवं निबन्धन नहीं रखे गए हैं । सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने के विषय पर पहले भी इस सदन में कई बार वित्त मंत्रियों द्वारा यह बताया गया था कि यह आदान-प्रदान नीति तथा आपसी सहयोग के रूप में किया जाता है । वर्ष 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् तथा इन विदेशी बैंकों के कार्यकरण के कटु अनुभव के पश्चात् भी विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में हमारे प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ बार-बार बताया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वर्ष 1969 से भारत में विदेशी बैंकों द्वारा जुटाई की गई कुल कितनी धनराशि तथा उनको कुल लाभ और प्रेरित की गई धनराशि क्या है और उसी के अनुरूप हमारे बैंकों द्वारा विदेशों में कुल कितनी धनराशि जुटाई गई तथा उनको कितना लाभ हुआ और उनकी कितनी देनदारियां हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक जमा की गई धनराशियों में वृद्धि तथा लाभों का सम्बन्ध है, इसकी जानकारी देने के लिए मुझे नोटिस दिया जाए, मैं उसके बाद ही जानकारी दे सकता हूं।

प्रो० रूपचन्द पाल : 18 जुलाई, 1980 को एक प्रश्न के उत्तर में एक विवरण दिया गया था जिसमें जमा की गई धनराशि अग्रिम लाभ तथा भेजी गई रकम के बारे में विदेशी बैंकों के विकास की स्थिति बतायी गयी थी । यह कितनी विचित्र बात है कि भेजी गई धनराशि के बारे में उस समय भी सदन को जानकारी नहीं दी गई थी और अब भी जब मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह पूछ रहा हूं कि कुल लाभों तथा भेजी गई रकम की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तब भी मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पृथक् रूप से नोटिस दिया जाए । जैसा कि सारे विश्व में यह समाचार व्याप्त है और हाल ही में एथनी सेम्पसन द्वारा लिखी गई "मनी लेण्डर" नामक पुस्तक में भी बताया गया है कि विदेशी बहु-राष्ट्रीय बैंक तृतीय विश्व के देशों में उन देशों की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक प्रभुसम्पन्नता को बिगाड़ने को लिए कार्य कर रहे हैं ।

वर्ष 1980 से विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकिंग सेक्टर को उनसे कुछ स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कदाचित वे विदेशी बैंकों से स्पर्धा का सामना करते भी रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से यह घोषित करेगी कि विदेशी बैंकों को और आगे कोई लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे तथा अपने देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की कार्य प्रणाली के बारे में जांच की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब रिजर्व बैंक किसी विदेशी बैंक को कोई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जारी करता है, तब वह सभी पहलुओं को तथा सरकार के आर्थिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है। यह माननीय सदस्य को वर्ष 1969 से विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए कुल लाइसेंसों के बारे में जानकारी प्राप्त है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम इन्हें कम करते जा रहे हैं। यद्यपि हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम इनमें कमी करते जा रहे हैं। 14 बैंकों के तथा उसके पश्चात् 6 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंक का 92 प्रतिशत सरकार के नियन्त्रण में हैं। भारत में विदेशी बैंकों की कुल लगभग 131 शाखाएं हैं। अतः मैं यह नहीं मानता कि इन विदेशी बैंकों के कार्य करने से हमारे देश को कोई बहुत अधिक क्षति होगी वास्तव में हमने बंगला देश के बैंक सोनाली बैंक, को वर्ष 1974 में पहला लाइसेंस दिया। उसके पश्चात् हमने यूरोपियन एशियन बैंक, पश्चिमी जर्मनी को वर्ष 1980 में अमीरात कार्मशियिल बैंक, आबू धाबी को वर्ष 1980 में, बैंक ऑफ ओमन, दुबई को वर्ष 1980 में तथा बैंक डी० एल० इण्डो-चाइना एल० डी० स्वेज (इण्डोस्वेज) फ्रांस को वर्ष 1981 में लाइसेंस दिए।

इस अवधि के दौरान दो विदेशी बैंकों अर्थात् ग्रिण्डलेज बैंक तथा बैंक ऑफ अमेरिका को जो पहले से ही भारत में कार्य कर रहे थे, कलकत्ता तथा बम्बई में क्रमशः एक अतिरिक्त शाखा खोलने के लिए नवम्बर, 1969 तथा सितम्बर, 1977 में अनुमति दी गई। अतः राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सात नई विदेशी बैंकों की शाखायें कार्य कर रही हैं। माननीय सदस्य इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे कि यह बहुत अधिक संख्या नहीं है क्योंकि हमारे यहां पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 38,000 से अधिक शाखाएं मौजूद हैं।

प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में जहां तक आंकड़ों को प्रस्तुत न करने का सम्बन्ध है, यदि आप प्रश्न का ब्यौरा देखे तो आप यह मानेंगे कि इस प्रश्न से इस प्रकार का अनुकूल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन आंकड़ों को प्रस्तुत करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा बताया गया है जानकारी को एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा और तब हम उसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा सकेंगे।

विदेशों में खरीद के लिए भेजे गए सरकारी प्रतिनिधिमंडल

22. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल बार-बार विदेशों में भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष ऐसे कितने प्रतिनिधिमण्डल भेजे गए और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) देश में वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों से आयात की आवश्यकता पूरी न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार की अव्यवहारिक क्रय नीति के कारण बहुत से विकसित देश भारतीय व्यापार मेलों की ओर कोई ध्यान नहीं देते; और

(ङ) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख देश भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लें तथा इन मेलों में सामान खरीदा जाए ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) जी नहीं। गत एक वर्ष के दौरान वाणिज्य मंत्रालय से कोई भी सरकारी प्रतिनिधिमण्डल किसी भी देश को खरीददारी मिशन के रूप में कार्य करने के लिए नहीं भेजा गया है।

(ग) अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आयात, आयात नीति के अनुसार किए जाते हैं जिसकी घोषणा प्रति वर्ष की जाती है। निर्यातक देश की छवि प्रदर्शित करने और व्यापार बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आम तौर पर मुख्य रूप से वह स्थल पर खरीदारियां करने के लिए नहीं होती किन्तु ऐसे व्यापार मेलों में नमूनों के आधार पर संविदाएं सम्पन्न की जाती हैं। हमारी निर्यात आवश्यकताओं की संरचना और मात्रा को देखते हुए हमारी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में आयोजित वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों के उपयोग के बारे में बड़े प्रतिबन्ध हैं। यह कहना सही नहीं है कि सरकार की अयथार्थवादी खरीद नीति के कारण अनेक देशों ने प्रदर्शनियों की उपेक्षा की है।

(घ) समस्त विश्व से अनेक वाणिज्यिक उद्यमियों के अलावा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1981 में 39 देशों ने भाग लिया। इन देशों में विकसित देश भी शामिल हैं।

(ङ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, जिसे भारत तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है; अन्य सरकारी और निजी कम्पनियों द्वारा भाग लेना आकर्षित करने हेतु मेलों का अधिक प्रचार करता है। जो तैयारियां की जाती हैं उनमें अग्रिम प्रचार भी शामिल है ताकि भाग लेने वाले अधिक से अधिक हों।

स्थल पर बिक्री हेतु मेले कोटे को लागू करके विदेशी निर्यातकों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की स्पष्ट मंशा थी कि अपनी आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या यह सही है कि भारत-सरकार की ओर से, प्राइवेट कम्पनीज की ओर से, विभिन्न मंत्रालयों की ओर से, पब्लिक सेक्टर्स की ओर से; गवर्नमेंट एजेंसीज की ओर से, खरीद करने के लिए प्रतिनिधिमण्डल देश के बाहर जाते हैं, जिन पर काफी खर्चा होता है। इसका उत्तर मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि कामर्स मिनीस्ट्री से कोई डैलीगेशन नहीं भेजा गया। मैं समझता हूं कि इस तरह के उत्तर से प्रश्न की गंभीरता को कम किया गया है। यह स्पष्ट है कि आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिनिधिमण्डल परचेजेज के लिए बाहर जाते हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, मिस-यूज के, टी० ए० डी० ए० अनाप-शनाप कमाने के। जब ट्रेड फेयर एथारिटी ऑफ इण्डिया प्रति वर्ष ट्रेड फेयर अरेंज करती है तो क्यों नहीं भारत सरकार यह अनिवार्य करती कि अपनी आयात की पूर्ति के लिए जो भी खरीददारियां होंगी, वे ट्रेड फेयर से ही होंगी। इसके सम्बन्ध में क्या यह सही है कि कई विकसित देश, जिसमें विशेष कर पश्चिमी जर्मनी है, उसने यह अनिवार्य किया हुआ है कि वे देश परचेजेज ट्रेड फेयर के माध्यम से ही करेंगे। जो देश ट्रेड फेयर में शामिल होंगे, उन्हीं से खरीददारी की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। क्या भारत सरकार इसी प्रकार की अनिवार्य लागू करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया आपका प्रश्न।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमारी इस कमजोरी को देखते हुए यू० के० और यू० एस० ए० हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अन्दर भाग नहीं लेते—क्या यह सही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम जो चीजें बाहर से लेते हैं वे किस प्रकार की होती हैं इसको आप देखें कि वे चीजें ट्रेड फेयर एथारिटी के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं या नहीं। हमारी जो खरीद होती है उसमें पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट, आयल, स्टील, इस प्रकार की चीजें हैं और इन्हीं चीजों की ज्यादातर खरीदी होती है। 65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक इनकी खरीद होती है और ट्रेड फेयर में मशीनें, कंज्यूमर गुड्स इस तरह की चीजें जहां पर आती हैं, जिनकी खरीद हम बाहर के देशों से बहुत कम करते हैं। इस तरह की चीजें ट्रेड फेयर एथारिटी के माध्यम से खरीदी भी जा सकती हैं और एथारिटी की एग्जीबीशंस से कुछ पैमाने पर खरीद भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं, जो बल्क होती हैं, ट्रेड फेयर में नहीं आ सकतीं।

जहां तक यू० के० और यू० एस० ए० का सवाल है, यू० के० के लोग हमारे पास आते जा रहे हैं, यू० एस० ए० के लोग अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हमारी खरीद का सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है। चीजों की कीमतें कम ज्यादा होने की वजह से सिर्फ ट्रेड फेयर में आने के बाद ही खरीद की जाए, इससे नुकसान हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही जवाब दिया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर दिया गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खरीद की जाती है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी जो 35 परसेंट चीजें खरीदी जाती हैं, क्या उनके लिए बन्धन नहीं लगाया जा सकता और इन आरोपों से नहीं बचा जा सकता था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्या यह सही है कि ट्रेड फेयर एथारिटी

ऑफ इण्डिया के चेयरमैन ने भारत सरकार से मांग की थी कि आने वाले एशियन गेम्स के लिए जो स्पोर्टस के लिए सामान खरीदना है उसके लिए पांच प्रमुख देशों की देश के अन्दर आने के लिए बाध्य किया जा सकता है बशर्ते कि बाहर करोड़ का सामान हम उन से खरीद करें। क्या यह सही है कि भारत सरकार ने ट्रेड फेयर एथारिटी के इस आग्रह का, इस निवेदन को ठुकरा दिया है और एशियन गेम्ज के लिए जितना सामान खरीदा गया है उसके लिए डैलीगेशन देश से बाहर भेजा गया है जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ है और सारी पार्चेजिज़ बाहर से की गई हैं ? क्या यह सही है कि सरकार की इस नीति की ट्रेड फेयर एथारिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने आलोचना भी की है जिस के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए। जो सामान की खरीद होती है वह दूसरी मिनिस्ट्री की ओर से होती है। ट्रेड फेयर एथारिटी ने उससे मालूम किया है या नहीं किया है, मुझे मालूम नहीं है।

कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को रक्षा मंत्रालय की ओर से टेंडर

23. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने 30,20,300 मीटर कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 8 दिसम्बर, 1981 को टेंडर संख्या बी०/8918/डी० जी० आई० स्टार-4-पालिएस्टर काटन ओलिवग्रीन जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम यह कपड़ा सप्लाई कर रहा है और क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ने उन्हें तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को सिफारिश की है कि यह टेंडर किसी दूसरे मिल को, अन्तरित कर दिया जाए और यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कितने करोड़ रुपये की हानि होगी और प्राइवेट मिल का कितना लाभ होगा; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर स्वीकार किए जाने के बाद कपड़ा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और क्या तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रक्षा मंत्रालय ने सेना यूनिटों के लिए 3.02 मिलियन मीटर पोलिएस्टर कपड़े की सप्लाई के लिए खुली निविदा पूछताछ जारी की। चूंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन० टी० सी०) के लिए कपड़ों की समस्त मात्रा की सप्लाई करना व्यवहार्य समझा गया। अतः एन० टी० सी० ने उस मंत्रालय से एन० टी० सी० को आर्डर देने को अनुरोध किया। दो किस्तों में समस्त आर्डर एन० टी० सी० को दिया गया। एन० टी० सी० को आशा थी कि आर्डर के बड़े भाग का उत्पादन व सप्लाई इसकी बम्बई स्थित मिलों द्वारा कर दी जाएगी। तथापि, चूंकि समस्त बम्बई मिल उद्योग हड़ताल पर रहा है और सप्लाइयां सतत रूप में करने में अप्रत्याशित समस्याओं के कारण एन०

टी० सी० रक्षा विभाग को सप्लाई कार्यक्रम के अनुसार माल सप्लाई नहीं कर पाया है, एन० टी० सी० द्वारा रक्षा विभाग को सविदाबद्ध मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय और एन० टी० सी० निरन्तर बातचीत करते रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे : अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था लेकिन मंत्री महोदय ने उसका गोलमटोल उत्तर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उन्होंने उत्तर दिया है कि बम्बई में स्ट्राइक चल रही है इस वजह से हम रक्षा मंत्रालय को कपड़े की सप्लाई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि एन० टी० सी० को दो किश्तों में कपड़े की सप्लाई रक्षा मंत्रालय को करनी थी। जवाब दिया गया है कि अभी तक एक भी मीटर कपड़ा सप्लाई नहीं हुआ है इस वास्ते क्योंकि बम्बई में स्ट्राइक चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक रक्षा मंत्रालय को इस कपड़े की सप्लाई कर दी जाएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : बड़ा अजब सवाल हाउस में पैदा हो गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टरी में था जब यह आर्डर एन० टी० सी० को दिया गया था और यहां आ कर वह कपड़ा सप्लाई करने का काम भी हमी को करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : तब ख्याल नहीं था कि आप यहां आ जाएंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह कपड़ा गवर्नमेंट के कब्जे में जो मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं उनसे लेने के लिए हमने दिया था। बहुत सा आर्डर बम्बई की मिलों को दिया गया, एक तिहाई हिस्सा हमारे आर्डर का बम्बई की मिलों में बनना जरूरी था। लेकिन बम्बई की मिलों में स्टाइक होने की वजह से एक तिहाई कपड़ा बनाने में हमें दिक्कत हुई। कमअज कम अठारह लाख मीटर कपड़ा अभी तक बन चुका है। उसमें से सात लाख मीटर कपड़े में रंग देने का जो काम है वह बम्बई में हो चुका है। इंस्पैकशन का काम डिफेंस मिनिस्टरी की तरफ से होता है। जब इंस्पैकशन होता है तो कभी-कभी वे कह देते हैं कि कपड़ा दुरुस्त नहीं है, रंग दुरुस्त नहीं है। यह देखना जरूरी होता है कि जो उनकी मांग है वह हम पूरी तरह से मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको देखना जरूरी होता है। अगर उस प्रकार का कपड़ा नहीं बन रहा है तो दूसरा बना कर देना पड़ेगा। जिस प्रकार का कपड़ा उनको चाहिए उस प्रकार का कपड़ा बना कर देना जरूरी है। यह सही है कि जिस प्रकार से आर्डर की पूर्ति होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हुई है। कुछ दिक्कतें हमारे सामने जरूर आई हैं और उनको हम देख रहे हैं और दूर कर रहे हैं और पूरा कपड़ा तैयार करके डिफेंस मिनिस्टरी को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनको कपड़ा जल्दी से जल्दी हम दें। ऐसी बात नहीं है कि एक मीटर भी कपड़ा नहीं बना है। या उसके रंग नहीं दिया गया, या उनको देने की हमने कोशिश नहीं की, यह बात सही नहीं है। मगर इंसपेक्शन में जो अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए और एक सिस्टा बनाने के लिए, क्योंकि दोनों विभाग सरकार के ही हैं, हम उनसे मिल कर रास्ता निकालना चाहते हैं।

श्री कृष्णचन्द पाण्डे : मंत्री जी ने कहा कि 18 लाख मीटर कपड़ा बन गया और उसमें से 7 लाख मीटर कपड़े की रंगाई हो गई। तो मैं जानना चाहता हूं यह जो कपड़े की रंगाई हो रही है वह कौन करा रहा है और किस दर पर हो रही है ? और क्या यह सच नहीं है कि एन० टी० सी० ने और उसके कुछ अधिकारियों ने बिन्नी मिल्स लिमिटेड से समझौता किया है और

वार्ता की है कि इस कपड़े को 48 रु० प्रति मीटर के हिसाब से एन० टी० सी० के माध्यम से उसके नाम पर सप्लाई किया जाए ? यदि हां, तो इससे कितने रुपये की क्षति रक्षा मंत्रालय को उठानी पड़ेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सवाल यह है कि पहले हमने आर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए और लिए। वह आर्डर पूरे करने का हमने प्रयास किया। मगर स्ट्राइक और दूसरी दिक्कतों की वजह से वह आर्डर वक्त पर पूरा नहीं कर सके। जब हमें यह पता चला तो हमने रक्षा मंत्रालय से परमीशन मांगी कि क्या दूसरी फैक्ट्रीज से बनवा कर दें ? तो उन्होंने हां कही। उसके बाद बिन्नी मिल्स लिमिटेड को दिया गया। और यह प्राइवेट कन्सर्न होने पर भी इसके अन्दर सबसे ज्यादा पैसा स्टेट बैंक का और पब्लिक फाइनेंशियल कारपोरेशन्स का है और फॉर आल प्रेक्टिकल परपजेज……

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे : 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार का नुकसान रक्षा मंत्रालय का हो रहा है। अध्यक्ष जी, आप प्रश्न देख लीजिए, उसका उत्तर पहले गोल-मटोल दिया, लेकिन सप्लीमेंटरी में मंत्री जी ने स्वीकार किया है। 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार का नुकसान रक्षा मंत्रालय को होने जा रहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य जी सवाल उठा रहे हैं उसका पूरा जवाब सुन लें तो उनके मन में कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी। मैं कह रहा था उनसे हमने परमीशन ली और लेने के बाद, हमारी कुछ फैक्ट्रीज स्ट्राइक की वजह से बन्द हैं और वक्त पर काम नहीं हो सकता, उनसे परमीशन लेने के बाद बिन्नी मिल्स को आर्डर दिया गया। और जो आर्डर दिया गया उसका एक कारण यह भी था कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंट्रीटयूशन्स से वह मिल कंट्रोल्ड है, प्राइवेट इंस्ट्रीट्यूशन्स से कंट्रोल्ड नहीं है, बल्कि हमारे इंस्ट्रीट्यूशन्स से कंट्रोल्ड हैं, इसलिए उनको आर्डर दिया गया। और जो आर्डर दिया गया किस प्रकार से दिया गया ? 49 रु० प्रति यार्ड से अपनी मिल से बनाकर देते थे तो उनसे 49 रु० पर लेकर उनको दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कपड़ा बना कर डिफेंस मिनिस्ट्री को देते तो उससे एक पैसे का भी उन्हें नुकसान नहीं होता। लेकिन चूंकि अपनी मिल्स में नहीं बना रहे हैं, उनकी तरफ से बनाकर उनको दे रहे हैं। अब इनका कहना यह है कि पहले 44 रु० के हिसाब से बनाकर देने को कहा गया था, अब 48 रु० पर दिया जा रहा है, इसलिए 4 रु० का फर्क आ गया जिससे उनको टोटा है तो जब पब्लिक अंडरटेकिंग काम करने के लिए आ जाती हैं तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं, और जब ऐसा पता चलता है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को ही आर्डर दिया जा रहा है तो दूसरे लोग भी सामने आते हैं और कम दाम भी कोट करते हैं जिससे तकलीफ़ होती है। यहीं सब देखने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जितना पैसा एन० टी० सी० को जाने वाला था उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं दिया जा रहा है।………

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, एन० टी० सी० को प्राइस प्रीफरेंस है 10 परसट और बिन्नी को कोई प्राइस प्रीफरेंस नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिन्नी मिल्स पर तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं। स्टेट बैंक का पैसा उसमें है, पब्लिक अन्डरटेकिंग का

पैसा उसमें हैं और उसका स्वरूप प्राइवेट होने के बावजूद भी पूरी तरह से कंट्रोल पब्लिक सेक्टर में है। इसके बाद भी डिफेंस मिनिस्ट्री का जितना पैसा एन• टी० सी० को देना पड़ता है, उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, तो उसमें समझ की गलती हो सकती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर साफ नहीं हुआ है। बिन्नी का पहला टेंडर दिया गया था, उसमें 44 रुपये 60 पैसे रेट था।

अध्यक्ष महोदय : सारा उत्तर आ गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : वह 42 रुपये पर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रक्षा मंत्रालय को फ्रेश टेंडर मांगने चाहिए थे। इस तरह से बिन्नी को 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार रुपये का फायदा पहुंचाया गया है और रक्षा मंत्रालय को नुकसान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अस्पष्टता हो तो फिर बता दीजिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं केवल उनके लिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि उनके दिमाग में कोई गलतफहमी न रहे। यह जो सदस्य कह रहे हैं कि बिन्नी को फायदा हो गया है, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी कपड़ा बिन्नी तरफ से सप्लाई नहीं हुआ है। अगर सब चाहते हैं तो कोई दूसरा दृष्टिकोण लिया जा सकता है, पर उससे यह होने वाला है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जो कपड़ा वक्त पर पहुंचना चाहिए, उसमें देरी हो सकती है। एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि : (क) क्या यह सच नहीं है कि टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई द्वारा सरकार की नीति के विरुद्ध संयुक्त सचिव (टैक्सटाइल्स) नई दिल्ली के अनुदेशों पर काटन टैक्सटाइल मिल्स तथा अन्यों के द्वारा, वास्तविक उपभोक्ताओं के रूप में, पालिएस्टर धागे का आयात करने की अनुमति दी गई तथा मैसर्स बाम्बे डाइंग मिल्स से 1,53,00,000 की धनराशि एकत्रित की गई जो कि इस मामले में प्रमुख माल प्राप्त करता रहे हैं ? (ख) क्या यह बात भी सच नहीं है कि उपरोक्त सौदे के बारे में श्री आशुतेष मुखर्जी, टैक्सटाइल्स कमेटी, के इंसपेक्टर को पता चल गया था ? (ग) क्या यह बात भी सच नहीं है कि श्री आशुतेष मुखर्जी को तंग किया गया, डराया-धमकाया गया तथा उसे आत्म-हत्या करने के लिए मजबूर किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित है ?

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस सम्बन्ध में एक जांच की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित है ? क्या इस बात का इससे कोई सम्बन्ध है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जी हां। यह एक तथ्य है। (व्यवधान)

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि एक टैक्सटाइल इंसपेक्टर के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए और कोई दल न हो, तो इसका क्या तात्पर्य है ?

एक माननीय सदस्य : अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है यदि उसकी जानकारी जानने के बारे में वे बहुत ही अधिक इच्छुक हैं, तो मैं उनको जानकारी दे सकता हूं। लेकिन इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप में कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस संयुक्त सचिव के बारे में क्या स्थिति है जिसने धन एकत्रित करने······। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए संसद् के अलावा क्या कोई अन्य संस्था भी है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : इन सचिवों ने इस प्रश्न को अस्वीकृत करा दिया है (व्यवधान) मैंने इस प्रश्न को कल के लिए पूछा था। लेकिन उन्होंने कुछ अधिकारियों से मिलकर इसको अस्वीकृत करा दिया है। **आप इसको संसद् में नहीं पूछ सकते। आप इसको संसद् में नहीं उठा सकते। क्या इस प्रश्न को उठाने के लिए संसद् के अलावा भी कोई अन्य स्थान है ? यह नौकरशाही है। (व्यवधान)

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी जांच की जानी चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : कुछ अधिकारियों ने **·······इसको अस्वीकृत करा दिया है। आपको इसकी जांच की जानी चाहिए। यह सत्य है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आजाद जी यह कोई तरीका नहीं है। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : जिस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है उसके द्वारा पुलिस को लिखा गया एक पत्र भी मौजूद है तथा यह केस कलकत्ता में पंजीकृत है। (व्यवधान) पत्र बंगला में लिखा गया है तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद यहां मौजूद है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसको सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय आजाद जी, आपको इसे उपयुक्त तरीके से करना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं इसकी जांच-पड़ताल नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोक सभा सचिवालय के विरुद्ध आरोप हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कुछ जानना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप पता कर लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। मैं बिना छानबीन के कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपना समाधान करना है। यदि कोई आरोप है और वे सच हैं, तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं कार्यवाही करूंगा। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें दस्तावेज से सभा-पटल पर रखने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करवानी पड़ेगी। हम पता करेंगे।

डॉ० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह पत्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। इण्डियन एक्सप्रेस ने कहानी प्रकाशित की है।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : क्या सचिव इतने शक्तिशाली है कि वे संसद् को भी नियन्त्रित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। इसे देखा जा सकता है, इसे रद्द किया जा सकता है। कुछ भी किया जा सकता है। यह सब ठीक है। कुछ बातें हो सकती है। उनका उपचार भी हो सकता है। उस विषय की कोई समस्या नहीं है (व्यवधान)। आप मुझे लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : आप इसे तिरुत्साहित न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तिरुत्साहित नहीं कर रहा। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इन गम्भीर आरोपों की जानकारी नहीं थी जिनकी ओर, मुझे आशा है उचित ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं जो सीधे मंत्री महोदय के उत्तर से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अनेक बातें स्वीकार की हैं। इन्होंने कहा है कि एक तिहाई क्रयादेश बम्बई की एन० टी० सी० मिलों को दिए गए थे। अतः हम इससे अनुमान लगाते हैं कि शेष दो-तिहाई क्रयादेश बम्बई से बाहर कहीं दिए गए होंगे। इन्होंने यह नहीं बताया कि क्रयादेश कहां-कहां दिए गए हैं। बम्बई में एन० टी० सी० की लगभग 17 मिलें हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में एन० टी० सी० की लगभग 130 मिलें हैं। हम जानना चाहते है क्या एक-तिहाई क्रयादेश

केवल बम्बई स्थित एन० टी० सी० की मिलों को दिए गए और अन्य राज्यों की किन-किन एन० टी० सी० मिलों को शेष दो-तिहाई क्रयादेश दिए गए।

मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बम्बई की हड़ताल के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। इन्होंने कहा है कि टेंडर 8 दिसम्बर, 1981 को मांगे गये थे और हड़ताल 18 जनवरी, 1982 को शुरू हुई। इसका अर्थ है कि यदि हम इस बात को भी मानें, जैसा कि मंत्री ने कहा है कि हड़ताल के कारण उत्पादन का स्तर बनाए नहीं रखा जा सका, तो उससे भी केवल 17 एन० टी० सी० मिलें और केवल एक-तिहाई सप्लाई प्रभावित होती है। हमें यह पता नहीं कि शेष दो-तिहाई सप्लाई का क्या बना, जिसके लिए हम समझते हैं, अन्य एन० टी० सी० मिलों को क्रयादेश दिए गए थे और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि जो क्रयादेश पूरे नहीं किये जा सके, उन्हें बिन्नी को क्यों दिया गया। यहां यह तर्क दिया गया है कि चूंकि बिन्नी में सरकारी क्षेत्र का धन लगा है, इस लिए इसे गैर-सरकारी उपक्रम नहीं समझा जा सकता। यह एक नई परिभाषा है। मैं नहीं जानता। आजकल औद्योगिक नीति प्रतिदिन इतनी तेजी से बदल रही है कि इसके अनुसार चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। कल हम यह सुनेंगे कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी गैर-सरकारी क्षेत्र की नहीं है क्योंकि टाटा के शेयर अल्प संख्या में है और अधिकांश शेयर सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के हैं। क्या यही हमारी औद्योगिक नीति की नई परिभाषा है ?

मैं जानना चाहता हूं कि जब आपको यह पता चला कि आप बम्बई हड़ताल के कारण एक-तिहाई सप्लाई नहीं कर सके तो आपने शेष दो-तिहाई क्रयादेश बिन्नी को देने के बजाय सरकारी क्षेत्र की अन्य एन० टी० सी० मिलों को क्यों नहीं दिए ? बिन्नी के साथ यह स्पष्ट, पक्षपात क्यों किया गया क्योंकि वहां नई परिभाषा अर्थात् यह एक गैर-सरकारी क्षेत्र को उपक्रम नहीं है बल्कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है—आप औद्योगिक नीति के अनुसार नहीं है जिसका पालन हम इन वर्षों में करते आये हैं ? इसी कारण मेरे नौजवान मित्रों ने आरोप लगाया हैं, जिससे मुझे संदेह होता है कि केवल बिन्नी का पक्ष लेने के कुछ अन्य कारण थे।

एन० टी० सी० मिलों को स्टेंडर्ड कपड़ा बनाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अर्थात् गरीबों के लिए कंट्रोल का कपड़ा बनाने की जिम्मेदारी, जिसके फलस्वरूप उन्हें केवल हानि हो रही है, लाभ नहीं। गैर-सरकारी क्षेत्र कारखानों को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। यदि इस रक्षा क्रयादेश को एन० टी० सी० की मिलों को दिया जाता तो इससे वे कुछ लाभ अर्जित कर सकती थीं। इन क्रयादेशों को अन्य एन० टी० सी० मिलों को दिए जाने की बजाय, बिन्नी को क्यों दिया गया ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महाराष्ट्र के उत्तर की एन० टी० सी० मिलों तथा दक्षिण की एन० टी० सी० मिलों को 9.75 लाख मीटर कपड़ा बनाने का आदेश दिया गया था, गुजरात की एन० टी० सी० मिलों को 4.10 लाख मीटर का आदेश दिया गया, तमिलनाडु की एन० टी० सी० मिलों को 8.60 लाख मीटर का आदेश दिया गया। आन्ध्र प्रदेश की एन० टी० सी० मिलों को 3 लाख मीटर का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश की एन० टी० सी० मिलों को 1 लाख मीटर का आदेश दिया गया, उत्तर प्रदेश की एन० टी० सी० मिलों को 1.80 लाख मीटर का

आदेश दिया गया और एन० टी० सी० मिलों, बी० पी० आर० को 2 लाख मीटर का आदेश दिया गया। सारा क्रयादेश एन० टी० सी० मिलों को ही दिया गया था, अन्य किसी को नहीं।

एक-तिहाई क्रयादेश बम्बई की मिलों को क्यों दिया गया; इसका कारण यह है कि बम्बई की मिलें कुछ अधिक आधुनिक हैं और हमारी यह धारणा थी कि बम्बई की मिलें समय पर या समय से पहले कपड़ा तैयार कर सकेंगी अत: क्रयादेश का अधिक भाग बम्बई की मिलों को दिया गया। हमारी यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि शेष क्रयादेश गैर-सरकारी मिलों को दिये गये। प्रारम्भ में कोई भी क्रयादेश गैर-सरकारी मिलों को नहीं दिये गये थे, लेकिन जब पता चला कि एन० टी० सी० मिलों द्वारा इस क्रयादेश को पूरा करने के लिए कपड़ा बनाना सम्भव नहीं होगा, तब यह कदम उठाया गया और इस बारे में भी देखा जाए कि बिन्नी को कितना क्रयादेश दिया गया ? केवल चार लाख मीटर का और यदि इसे वहां नहीं तैयार करता है तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं। उसमें कोई खास बात नहीं है। एक ओर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्रयादेश एन० टी० सी० मिलों को ही दिए जाएं और कई लोगों की आपत्तियों के बावजूद भी यह क्रयादेश दिया गया। अब जब हमने यह देखा कि कुछ कारणों से यह सम्भव नहीं है, तो हम इस क्रयादेश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार में इसमें कोई गलत बात नहीं है।

यदि कोई अन्य प्रश्न उठ खड़ा हो गया है और यदि कुछ सदस्य उस बारे में नाराज हैं तो हम सभा से कोई भी बात छिपा कर नहीं रखेंगे लेकिन इसे सभा में ठीक ढंग से लाया जाए। यदि यह प्रश्न सभा के सामने आता है तो हम इस सभा के सदस्यों को सब बातें बतायेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं जिसे हम सभा से छिपाना चाहते हों। लेकिन यदि मामला मंत्री के नोटिस में न लाया जाए और आप उनसे सभा में वक्तव्य देने की आशा रखें और साथ-साथ आप उन्हें विशेषाधिकार का उलंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहरायें तो यह बात ठीक नहीं होगी। हम आप से आशय करते हैं कि प्रश्न उचित तरीके से रखा जाएं और हम इसका उत्तर ठीक ढंग से देंगे। इस मामले में कोई भी अनियमिततायें नहीं हुई हैं और यदि सभा का विचार है कि यह नहीं किया जाना चाहिए तो हम आप के आदेश का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी रोकना

***24. श्री एच० एन० नन्जेगोडा :**

†श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों की चोरी रोकने हेतु प्रयासों में वृद्धि करने की एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की चोरी रोकने के लिए क्या साधन अपनाने की योजना बनाई है;

(ग) क्या कर अपवंचन विरोधी व्यवस्था को सुचारू बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों का पता लगाने में ये कहां तक अधिक प्रभावी होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की चोरी को रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है।

(ख) विभिन्न जांच और प्रवर्तन अभिकरणों तथा आयकर और बिक्री कर, आदि जैसे सभी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। शुल्क अपवंचन की आशंका वाली जिन्सों और क्षेत्रों तथा छूट प्राप्त एककों का सर्वेक्षण किया जाना है। उत्पादन एककों पर नियन्त्रण कड़ा किया जाना है। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों की चोरी को कारगर तरीके से रोकने के लिए अपवंचन निवारक तन्त्र को सुदृढ़ करने और कानूनी तथा अन्य आवश्यक उपाय करने का प्रस्ताव है।

(ग) अपवंचन निवारक तन्त्र को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और तथा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) आशा है अपवंचन निवारक प्रयत्नों को तेज करने से और निवारक तंत्र को सुदृढ़ बनाने से उत्पादन-शुल्क की चोरी के बड़े-बड़े मामले पकड़े जायेंगे।

श्री बी० बी० देसाई : केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उपवंचन सम्बन्धी मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि कई-कई कार्य योजना बनाई जा रही हैं। लेकिन उस कार्य योजना की मुख्य बातें उस उत्तर में नहीं की गई हैं। दूसरे विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में पास किया गया था। अब समय आ गया है जब कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तथा इसमें विद्यमान त्रुटियों को दूर करना चाहिए। यद्यपि सरकार का दावा करती है कि उसने 500 किलोग्राम सोना अथवा 40 करोड़ रुपये अथवा कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मैं उन्हें यह बता दूं कि तस्करी किलोग्राम के हिसाब से नहीं बल्कि टनों के हिसाब से की जाती हैं। उन्हें अपनी आंखे खोलनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिनियम की कापियां दूर हो जाएं। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अपवंचन का भी ठीक यही मामला है। कराधान के विभिन्न पहलू हैं। अपवंचन हर जगह व्याप्त है। देश के अन्दर तस्करी ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का अपवंचन भी होता है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी बातचीत करने तथा अधिनियम की त्रुटियां दूर करने पर विचार कर रही है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मेरे मित्र श्री देसाई ने कई बातों के बारे में सुझाव दिए हैं। जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं अपने उत्तर को केवल उत्पाद-शुल्क के अपवंचन तक ही सीमित रखूंगा उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उपवंचन से उत्पन्न समस्याओं की समीक्षा करती आ रही है। अभी हाल में इस मामले पर विचार किया गया और तालमेल, सहयोग, सर्वेक्षण तथा नियन्त्रण और अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक तथा कानूनी उपायों के बारे में एक निर्णय लिया गया।

मेरे मित्र कुछ ने संगत ब्यौरे बताने के लिए जोर दिया है। आपकी अनुमति से मैं सूचना सभा के सामने रखूंगा। 1982-83 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम से सूत्र संख्या 19 को कार्यान्वित करने को एक कार्य योजना बनाई गई है और कलेक्टरों के बीच परिचालित की गई है। कलेक्टरों को अन्य केन्द्रीय तथा जांच एजेन्सियों के साथ तालमेल तथा सहयोग के वर्तमान प्रबन्धों की पुनरीक्षा करने तथा उसे अधिक प्रभावशाली तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए कहा गया है। कार्य योजना के अन्तर्गत कर अपवंचन की वस्तुओं और क्षेत्रों का पता लगाने तथा समयबद्ध सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। उत्पादन एककों पर, विशेषकर मुक्त क्षेत्रों के एककों पर, नियन्त्रण को सख्त करने का प्रश्न की विचाराधीन है। कार्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ताकि त्रुटियां दूर हो जाएं और उत्पाद-शुल्क का करापवंचन रोका जा सके। इनाम सम्बन्धी नियमों पर भी पुनः विचार किया गया है और इनकी समीक्षा की गई है·······

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री बी० बी० देसाई : मैंने केवल एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार का विचार अधिनियम की पुनरीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि उसमें विद्यमान त्रुटियां दूर कर दी जाएं। वास्तव में, नजरबन्द किए गए लोगों को जांच पड़ताल के दौरान छोड़ दिया जाता है और हमारा देश और सभा जानती है कि बखिया जेल से कैसे भाग निकला था। इन्हीं बातों को मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही हो ताकि त्रुटियां दूर हो सकें। इस बारे में मंत्री महोदय ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मुझे सन्देह है कि माननीय सदस्य को तस्करी तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत कर अपवंचन के बारे में भ्रम है। जहां तक कोफेपोसा का सम्बन्ध है, वह अधिनियम विशेषतौर पर तस्करी तथा विदेशी मुद्रा के घोटालों का निवारण करने के लिए है। इन दो बातों के बारे में, माननीय सदस्य कुछ सुझाव दें तो निश्चय ही इस पर विचार किया जायेगा कि क्या उसमें कोई त्रुटियां हैं। जहां तक मेरे विपदा के मित्रों का, विशेष कर पश्चिम बंगाल के सदस्यों का सम्बन्ध है, मैं यह भी नहीं जानता कि क्या इस अधिनियम को वहां लागू किया जायेगा या नहीं क्योंकि यह निवारक नजरबन्दी है·······

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में, मेरे सामने यह समस्या रही है। यदि मैं निवारक नजरबन्दी कानून लाता हूं तो क्या आप मेरा समर्थन करेंगे ? यदि आप मुझे केवल यह आश्वासन दें ......(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सभी केन्द्रीय कानूनों को लागू करते आये हैं, लेकिन हम कभी भी किसी निवारक नजरबन्दी कानून को लागू नहीं करते।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बात भिन्न है। क्या आप 'हां' कह सकते हैं। हम कर अपवंचन को रोकने के लिए निवारक नजरबन्दी कानून लागू करने के लिए तैयार हैं। क्या आप उसे लागू करने के लिए 'हां' कह सकते हैं। यह मेरा सीधा सादा प्रश्न है।

श्री निरेन घोष : हम बिल्कुल तैयार हैं और हम हजारों कर अपवंचकों को गिरफ्तार करने के लिए समर्थ हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या आप अपने सहयोगी, गृहमंत्री को केवल उन क्षेत्रों में निवारक नजरबन्दी लागू करने के लिए राजी करेंगे जिनके बारे में विपक्ष आपसे सहमत हो ? हम आपसे सहमत हैं बशर्ते कि आप समूची स्थिति के बारे में सहमत हों।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे आशय नहीं थी कि श्री बहुगुणा पूरी तरह से यह अभास देंगे कि वे सी० पी० आई० (एम०)के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस समय आप पैसे वालों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मिले हुए हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं नहीं जानता कि क्या बात है। जब भी कभी श्री प्रणव मुखर्जी उठते हैं, तो बंगाल के सभी संसद् सदस्य उठ जाते हैं।

लगता है कि इस बारे में कुछ एलर्जी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बुरी संगत में हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्त मंत्री गृह मंत्री की भांति यह उत्तर दे रहे थे कि कई गिरफ्तारियां की गई है तथा कई लोगों को नजरबन्द किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि अप्रत्यक्षकरों सम्बन्धी एक एल० के० झा समिति गठित की गई थी जिसने करों की चोरी को रोकने के लिए उत्पाद-शुल्क प्रणाली को दोषरहित बनाने हेतु ठोस उपाय को सुझाव दिया था। वास्तव में यह तर्क दिया गया था कि यदि हम उत्पाद-शुल्क कानून को सरल बना दें और कुछ उत्पाद-शुल्कों में कमी कर दी जाए तो आपको आज की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एल० के० झा समिति का प्रतिवेदन रद्दी की टोकरी में डाल दिया है अथवा सरकार ने समिति की सिफारिशों की औपचारिक रूप से जांच कर ली है और उन्हें क्रियान्वित करने का उसका विचार है।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि वस्तुतः मैंने अपने पिछले बजट प्रस्तावों में इस समिति की कुछ सिफारिशों को लागू किया है और कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। मैं उनसे सामान्यतः सहमत हूं कि यदि हमें कानून को और अधिक सरल बनाना हैं तथा प्रवर्तय तन्त्र को कड़ा करना है तो हमें ये दोनों काम एक साथ करने होंगे।

केवल नीतियां बनाने से हम कर अपवंचन और करों की चोरी को नहीं रोक सकते। जब कर अपवंचन और करों की चोरी हो रही है तो इसके साथ ही प्रवर्तन के लिए कदम उठाना आवश्यक है। हम दोनों में तालमेल रखने का प्रयत्न कर रहे है।

श्री मेराबदन के० गवाबो : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बड़े उत्पादक, विशेषरूप से बम्बई में धातु उद्योग के उत्पादक और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी परस्पर सांठगांठ से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से करोड़ों रुपये के उत्पाद-शुल्क की चोरी हो रही है। यदि यह सच है, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बहुत ही विशिष्ट मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा।

सामान की तस्करी में सम्मिलित एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी

***25. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री निहाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री तस्करी में सम्मिलित एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के बारे में 26 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कथित सूचना अभी तक एकत्र नहीं की गई है तो इसे एकत्र करने में कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) वर्ष 1980 तथा 1981 के लिए इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया से प्राप्त अपेक्षित सूचना सभापटल पर रखी है। परन्तु इस सूचना की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के साथ प्रति-परीक्षण (क्रांस चैकिंग) की जा रही है तथा एक अन्तिम विवरण कुछ समय बाद सभापटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1980-81 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों का तस्करी गतिविधियों में सम्मिलित होना

क्र० सं०	नाम तथा पद	तारीख	स्थान/एयरपोर्ट	पकड़ा गया सामान	अनुमानित मूल्य	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री डी० पी० वर्मा, कैप्टन, दिल्ली	8-8-80	प्रिंस एण्ड विक्टोरिया डोक्स, बम्बई	एच० आई० एफ० आई० स्टीरियो कैसेट प्रीन्टर-मॉडल कोपियर	40,000 रु०	
2.	श्री पी० एल० वढेरा, आफिस सुपरिटेन्डेन्ट, ए० एण्ड पी० सैक्शन, पालम, दिल्ली	17-2-81	पालम, दिल्ली	रेडियो कैसेट रिकार्डिंग, साड़ियां, फोटोग्राफिक मेटेरियल	16,000 रु०	सभी मामले न्यायालयों में पैंडिंग हैं।
3.	श्री एस० पी० रतेजा, ट्रैफिक असिस्टैण्ट, पालम, दिल्ली	17-2-81	पालम, दिल्ली	—वही—	15,000 रु०	
4.	श्री ओम प्रकाश शर्मा, ट्रैफिक असिस्टैण्ट, पालम, दिल्ली	19-8-81	पालम, दिल्ली	इलैक्ट्रानिक पुर्जे	5,800 रु०	

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री वी० आर० श्रीनिवासन्, फ्लाइट पर्सर, मद्रास	24-1-81	मद्रास	वालीन्टाइन स्काउच व्हीस्की की 12 मात्रा, 4 पेंट बीट्स, यू० एस० डालर 175/- तथा गुल्दुस 110/-	3,677 रु०	सामान जब्त कर लिया गया था। मामले पर निर्णय हो गया था। तथा उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया था। सजा दी गई थी।
6.	श्री एस० एस० दिनकर, ट्रैफिक सुपरिटेन्डेण्ट, मद्रास	31-3-81	उसके निवास मद्रास पर तलाशी	विदेश में बनी हुई विभिन्न वस्तुएं	5,910 रु०	मामले पर निर्णय लिया जा रहा है।
7.	श्री एल० एस० दीक्षित, ई० डी० पी० अधिकारी, इण्डियन एयरलाइंस, मुख्यालय	आरोपित 26-3-81	मद्रास 2-11-80	600 अमरीकी डालर अघोषित	...	विदेशी मुद्रा जब्त कर ली गई। चेतावनी पत्र जारी किया गया। मामला बन्द कर दिया गया।
8.	श्री प्रकाश चन्द मल्होत्रा, आशुलिपिक, केबिन स्कूल, नई दिल्ली	21-5-81 (आरोपित)	मद्रास 2-11-81	400 अमरीकी डालर अघोषित	...	—वही—
9.	श्री मदन लाल मकड़, लेखा सहायक, इण्डियन एयरलाइंस (मुख्यालय)	28-9-81 (आरोपित)	मद्रास 2-11-80	900 अमरीकी डालर अघोषित तथा 450/- भारतीय रुपए	...	करेंसी नोटों को जब्त कर दिया गया। चेतावनी पत्र जारी किया गया और मामला बन्द कर दिया गया।

एयर इण्डिया भारत में तस्करी किया गया

क्र० सं०	वर्ष	नाम तथा पदनाम	वह स्थान जहां पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया	पकड़े गए सामान का प्रकार तथा मूल्य	प्रबन्धवर्ग द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	1980	श्री आर० एस० पावर, विमान तकनीशियन, सांताक्रुज	सांताक्रुज	38280 रुपये (एम० वी०) मूल्य के 23 हाथ की घड़ियां, 36 कलक्यूलेटर	11-2-82 से सेवा से निकाल दिया गया।
2.	1981	श्री एल० थामस, हैंडीमैन वाणिज्यिक, दिल्ली	दिल्ली विमान क्षेत्र	(1) 60 सिटीजन घड़ियां, (2) 189 स्टील बैंड रिस्टवाच चैन (3) 4500 रु० मूल्य की भारतीय मुद्रा (4) सामान का कुल मूल्य 25000/-	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा ली जा रही फौजदारी कार्यवाही को अन्तिम रूप से निपटाने तक 14-10-81 से चल रही जांच के पूर्ण होने तक निलम्बित।
3.	1981	कुमारी मधु मेहता, विमान	सांताक्रुज, बम्बई	(1) टैकनीक लाइन कार फेज स्पीकर	दो वर्ष के लिए वेतनमान में दो

1	2	3	4	5	6
		परिचारिका इन-फ्लाइट सर्विस		सिस्टम माडल—एस० वी०-2 क्रम सं० वी० डी० ओ० एल०-25 एफ० ओ० 55/46 (2) एक सिटीजन क्वाड्स ओगलसेप्ट लेडी रिस्ट वाच (3) एक टैकनीक स्टोर्स कैसेट डेक मॉडल आर० एस० एम० 04 (4) एक टैकनीक स्टोर्स इंटेग्रेटड डी० सी० इम्पिलीफायर ए० यू०-008 एक्स० एम० (5) कैसेट्स डेक इम्पिलीफायर तथा स्पीकरों के जोड़ों की स्थानीय मार्केट दरों के अनुसार 13680 रु० की (6) एक सिटीजन ट्रैवलिंग क्लोक।	स्टेजों पर कटौती की सजा दी गई तथा 31 मार्च, 1983 तक एयर-पैसेज अधिकारों को निलम्बित किया गया।
4.	1981	श्री एम० रावेरडी, प्रबन्धक—एयरपोर्ट जनेवा	सांताक्रुज एयरपोर्ट बम्बई	(1) रिस्ट वाचज 3,91,200 (सी० आई० एफ०) रुपये मूल्य के पुर्जे तथा 11.73 (लाख) रुपये एम० बी०	दिसम्बर, 1981 में उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा चुका है।

एयर इण्डिया

भारत से बाहर तस्करी किया हुआ

1	2	3	4	5	6
1.	1980	श्री एम०ए० भावनगरवाला यातायात सहायक, सांताक्रुज	सांताक्रुज	(1) 95,300 रुपये मूल्य की चांदी	मामला सीमा शुल्क अधिकारियों के पास पेंडिंग है। अतः कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी।
2.	1980	श्री एस० बी० सेटी, क्लर्क	सांताक्रुज एयरपोर्ट, बम्बई	(1) 15,000 रु० मूल्य की भांग	उसने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। अतः कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी।
3.	1980	श्री एम० बी० रत्नाकर, स्टोरकीपर, स्टोर्स डिपार्टमेंट, सांताक्रुज	कार्गो काम्प्लैक्स, सहार एयरपोर्ट, बम्बई	(1) 2.6 लाख रुपये मूल्य की 101.880 किलोग्राम वजन वाली 125 चांदी की सिल्लियों की तस्करी	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जा रही फौजदारी कार्यवाही को अन्तिम रूप से निपटाने तथा 16-4-80 से चल रही जांच पूर्ण होने तक निलम्बित।
4.	1980	श्री आर० एम० गायकवाड़, टाइपिस्ट-क्लर्क, इंजीनियरिंग, सांताक्रुज	सांताक्रुज	(1) 72,000 रुपये मूल्य की भांग की तस्करी में सहायता करना	13-4-1981 से सेवा से निकाल दिया गया।
5.	1980	श्री डी० ए० मिस्त्री, लोडर, जी० एस० डी०, सांताक्रुज	सांताक्रुज, बम्बई	(1) 8,61,000 रुपये मूल्य की 349 किलोग्राम चांदी	अदालत द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तथा 28-8-80 से चल रही जांच के पूर्ण होने तक निलम्बित।

1	2	3	4	5	6
6.	1980	श्री ए० वी० साल्गांवकर, लोडर, जी० एस० डी०, सांताक्रुज, बम्बई	सांताक्रुज, बम्बई	(1) 8,61,000 रुपये मूल्य की 349 किलोग्राम चांदी	अदालत द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तथा 28-8-80 से चल रही जांच के पूर्ण होने तक निलम्बित।
7.	1980	श्री ओ० एच० टैगोर, लोडर जी० एस० डी०, सांताक्रुज	सांताक्रुज, बम्बई	(1) —वही—	—वही—
8.	1980	श्री आर० बी० सिंह, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक, मुख्यालय, बम्बई	सहार विमान-क्षेत्र बम्बई	(1) 42 किलोग्राम अफीम/गांजा	जांच पूर्ण होने तक कर्मचारी निलम्बित हैं।
9.	1980	श्री जी० आर० बारिया, लोडर, सांताक्रुज	लन्दन एयरपोर्ट	(1) 25,000 यू० के० पौंड के मूल्य के 18.4 किलोग्राम "कैनाबीस"	19-11-81 से सेवा से निकाल दिया गया।
10.	1981	श्री ए० एफ० कोतिनहो, ए० एफ० टी० इनफ्लाईट सर्विस, सांताक्रुज	सहार बम्बई	(1) 12,00,000 रुपये मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना	अदालत द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तथा 3-1-81 से चल रही जांच के पूर्ण होने तक निलम्बित।
11.	1981	श्री एल० चार्लिस, फ्लाइट इनफ्लाइट सर्विस, सांताक्रुज	रोम	(1) 16 किलोग्राम गांजा तथा 40 ग्राम तेल की तस्करी के लिए रोम में गिरफ्तार किया गया।	मामले को रोम में अन्तिम रूप से निपटाये जाने तक 22 जुलाई, 1981 से निलम्बित।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से यह सवाल मार्च 26 को पूछा गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इन्फार्मेशन कलैक्ट की जा रही है। आज भी जवाब में कहा गया है कि अभी मिनिस्ट्री-आफ-फाइनेन्स-डिपार्टमेंट-रिवेन्यू से क्रॉस चैकिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अभी भी मंत्री जी अपना जवाब सदन में देते हुए निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि क्या बात सही है। मंत्री जी द्वारा जो सदन के समक्ष टेबिल प्रस्तुत की गई है, उसमें इण्डियन एयरलाइन्स के स्मगलिंग के नौ मामले सामने आए और एयर-इण्डिया के 11 मामले इन बीस मामलों में जिस तरह की कार्यवाही को देखने से ऐसा लगता है कि इन सारे मामलों में कहीं-न-कहीं घपला है। किसी मामले में तो सर्विस से रिमूव कर दिया किसी मामले में रैजिगनेशन एसैप्ट कर लिया, किसी मामले में कोर्ट में चालान पेश कर दिया और किसी मामले में अभी एडजुडिकेशन हो रही है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे स्मगलिंग को कम करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ एयर-इण्डिया और इण्डियन-एयरलाइन्स के कर्मचारी स्मगलिंग में शरीक हों और सरकारी कारपोरेशन के लोग शरीक हों और इस स्थिति में भी आपने एक मामले में किसी को सजा नहीं दी, एक मामले में आपने उनके खिलाफ कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की, बल्कि इण्डियन एयरलाइन्स के सभी मामलों में आपने एडजुडिकेशन और पैनल्टी करके उनको छोड़ दिया है। क्या आपके इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए यह उचित है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कम-से-कम नौकरी से हटाने की कार्यवाही भी नहीं कर सकते ? आखिर इसका कोई कारण तो होगा ? इतनी बड़ी तनख्वाहों पर ये लोग काम करते हैं·······

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो हो गया।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं—क्या कारण है कि आपने इन लोगों को नौकरी से नहीं हटाया······

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो आप ने पहले ही पूछ लिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उनको नौकरी से हटाने में कोई कानूनी बाधा है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : स्टेटमेंट के अन्दर मैंने यह कहा है कि अभी इसका कॉस-चैकिंग होना बाकी है, इसलिए कि कुछ ऐसे केसेज हैं जो एयर-इण्डिया की लिस्ट में हैं और कुछ ऐसे हैं जो फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में हैं। जो केसेज फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में हैं वे एयर-इण्डिया की लिस्ट में नहीं हैं और जो एयर-इण्डिया की लिस्ट में हैं वे फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में नहीं हैं······(व्यवधान)

डॉ० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आप कौन सी लिस्ट में हैं—यह बतला दीजिए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बतलाई हैं, वे बिलकुल सही हैं, लेकिन इसमें माननीय सदस्यों को और खास तौर से एक माननीय सदस्य जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उन को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने केसेज होते हैं—जब तक एयर पोर्ट का कस्टम डिपार्टमेंट एयर इण्डिया को रिपोर्ट नहीं करता है उनकी लिस्ट में नहीं आती है, इसी तरह से एयर इण्डिया के जो केसेज होते हैं अगर कस्टम के जरिये उनका आपस में कोआर्डिनेशन नहीं हुआ है तो इस तरह के डिफरेंसेज हो सकते हैं। इस तरह के जो केसेज हुए हैं और जितनी तादाद में हुए हैं, उनमें से दो-तीन केसेज ऐसे हैं जिनकी क्रॉस चेकिंग हम कर रहे हैं···

श्री चन्द्रजीत यादव : क्वेश्चन पूछे—साढ़े तीन महीने से ज्यादा समय हो गया है, इतना समय क्यों लिया गया ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं उसी पर आ रहा हूं। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, मैं दूसरे प्रश्न पर अभी आ रहा हूं - यादव जी ने पूछा कि कितने दिनों में जवाब रखेंगे ···

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने यह नहीं पूछा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि साढ़े तीन महीने से ज्यादा समय इस पर क्यों लगा और आज भी आप इसका जवाब नहीं दे सके हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने आपके सामने स्टेटमेंट्स रखे हैं और जो डिस्क्रीपेन्सी नजर आई है उसके लिए मैंने कहा है कि उसको ठीक करके आपके सामने रखूंगा।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि इसमें जो कार्यवाही की गई है, जैसे कहीं पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कहीं पर कोई और सजा दी गई है, कई केसेज एडजूडिकेशन में हैं, कई कोर्ट के अन्दर हैं, मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो केसेज होते हैं वे हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं होते हैं। अगर कोई केस एडजूडिकेशन में गया है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। वे जल्दी निबटाये या न करें। इसके लिए मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। कोर्ट में कई केसेज हैं—कोर्ट कितने समय में फैसला देगी—इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। इसीलिए यह ब्योरा दिया गया है, इसमें सिर्फ दो बातें हैं—एक तो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, दूसरे जो कोर्ट केसेज हैं, एडजूडिकेशन में हैं, जिनमें डिपार्टमेंट से कह दिया गया है कि तुम एक्शन लो, उनमें हमने एक्शन लिया है।···

श्री जगपाल सिंह : उनके केसेज भी कोर्ट में चल रहे हैं या नहीं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उनके केसेज कोर्ट में नहीं हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। इस तरह से भिन्न-भिन्न स्थिति है जो इस स्टेटमेंट में आपके सामने रखी गई है। जहां पर यह जुर्म साबित हुआ है और ज्यादा उसका दोष रहा है, तो उसको नौकरी से निकाल भी दिया गया है और कहीं पर उससे कम सजा भी दी है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि मामले अदालतों में हैं या एजूडिकेशन के लिए एथारिटीज के सामने हैं, इसलिए वे कार्यवाही करने में मजदूर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अदालत में जाने से या एजूडिकेशन में जाने से क्या कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने में रुकावट नहीं है, तो क्या वजह है कि इन लोगों के खिलाफ आप ने कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं की और डिपार्टमेंटल कार्रवाही करके इनको सस्पेंड नहीं किया, इनको डिसमिस नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य एक बहुत नामजद वकील हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि जब कोई मुकदमा कोर्ट के अन्दर चल रहा है···

अध्यक्ष महोदय : नामजद हैं या नामवर ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नामवर। बंगाली में वैसे इसको नामजद भी बोला जाता है। मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी इस शब्द को समझ लेंगे। मैं यह कह रहा था

कि जब कोई केस कोर्ट के अन्दर चल रहा हो, तो क्या ऐसा करना मुनासिब होगा क्योंकि कोर्ट सजा दे सकती है, कोर्ट नौकरी से निकालने की सजा भी दे सकती है और सजा कोई और भी दे सकती है। जब कोर्ट के अन्दर कोई मुकदमा चल रहा है, उसके पहले कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाए, यह कोई उचित बात है।····(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं। जो हाऊस में सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब मंत्री जी दें। ऐसी चीजें तो साधारण आदमी भी जानता है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास भेज देंगे।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो यह विवरण रखा गया है, यह केवल 1980-81 का है। इसके पहले कितने लोग तस्करी में थे, इसका विवरण नहीं है। जो पकड़े गए हैं, उनका विवरण है और जो नहीं पकड़े गये, वे कितने हैं, यह नहीं मालूम है। जब कर्मचारी ही तस्करी में लिप्त हों, तो जो दूसरे तस्कर हैं, वे कितनी तस्करी करते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आगे भविष्य में जो कर्मचारी तस्करी में पकड़े जाएंगे, उनको तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करने के लिए क्या वे कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: जो पकड़े जाएगें उन के खिलाफ़ ही कार्यवाही करेगें। जी नहीं पकड़े जाएगें, उन के खिलाफ़ कैसे कार्यवाही होगी, यह बड़ा अजीब प्रश्न आप पूछ रहे हैं। जो लोग इस तरह का काम करते पकड़े जाएगें, उन के खिलाफ़ ही कार्यवाही होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि······

(व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुझे माननीय सदस्य के प्रथम का उत्तर पूरा करने दीजिये। मैंने उत्तर पूरा नहीं किया है। इनके प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि आगे जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ़ क्या कोई कार्यवाही की जाएगी। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आगे पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ़ उचित कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक

*26. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक केन्द्र सरकार द्वारा किस तारीख से लगाई गई है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में गोहाटी स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भाग विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिये जाएं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसकी मुख्य बातें क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटक महत्व के स्थानों में सदाशयी विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। तथापि, प्रतिबंधित एवं संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले उन्हें सक्षम प्राधिकारी से स्पेशल परमिट लेना होता है।

(ख) और (ग) पर्यटक कार्यालय, गोहाटी, ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य पद्धतियों को उदार बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

निर्यात लक्ष्य

*27. **श्री सूर्य नारायण सिंह** :

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 में वास्तविक निर्यात वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्यात कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए 8400 करोड़ रु० के अस्थाई निर्यात लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1981-82 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के समग्र निर्यात अनन्तिम रूप से 7557.47 करोड़ रु० के हुए। इन आंकड़ों को विगत वर्ष के अनन्तिम आंकड़ों से तुलना करने पर लगभग 13.3 प्रतिशत वृद्धि होने का पता चलता है जबकि 1980-81 के दौरान यह 4 प्रतिशत थी।

(ख) लगातार मंदी तथा विकासशील देशों द्वारा भारत जैसे विकासशील देश के माल पर लगाए गए टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोधों के परिणामस्वरूप विदेशी बाजार में प्रतिकूल व्यापारिक वातावरण हमारे निर्यातों की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रमुख बाधा बना हुआ है।

1981-82 के दौरान निर्यातों की वृद्धि दर और भी अधिक रहती यदि 1981-82 के दौरान बागान, मसालों तथा जूट निर्मित माल जैसे हमारे प्रमुख परम्परागत निर्यातों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट न आई होती।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के सम्बन्ध में निर्यात लक्ष्य अनन्तिम रूप से 8650 करोड़ रु० रखा गया है।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान, निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें ये उपाय शामिल है। निर्यात उत्पादन पर लाइसेंस सम्बन्धी बाधाओं को हटाना,

100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना, एग्जिम बैंक की स्थापना, क्रियाविधि का सरलीकरण तथा उसे कारगर बनाना और निर्यातों पर कतिपय राजकोषीय रियायतें देना।

1982-83 की आयात-निर्यात नीति उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बनाई गई है जिसमें निर्यातों पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य ये हैं :—

(1) यह देखना कि उद्योगों को अपेक्षित अन्तर्निविष्ट साधान आसानी से मिल जाएं।

(2) निर्यात उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देना।

(3) आयात लाइसेंसिंग औपचारिकताओं को हटाना अथवा कम करना।

(4) प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने के लिए अधिक जोर देना।

(5) ऐसे उपाय आरम्भ करना जिनसे लघु उद्योग एककों को और मदद मिले; और

(6) हमारे उद्योगों की प्रतियोगी क्षमता तथा कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए, निर्यात बढ़ाने हेतु नीति सम्बन्धी उपायों की बराबर समीक्षा की जाती है और निर्यात संवर्धन पर लगी बाधाओं को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

दिल्ली हवाई अड्डे के आगमन हाल में पीने का पानी/शीतल पेय

*28. **श्री अजय विश्वास :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन हाल में पीने के पानी अथवा शीतल पेयों की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि यात्रियों को अपने सामान के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) आगमन हाल के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं; और

(घ) सरकार स्थिति में किस प्रकार सुधार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आगमन हाल में पीने की पानी की सुविधाएं उपलब्ध है। दो "वाटर कुलरों" की आगमन हॉल में तथा तीन की आगन्तुक क्षेत्र में व्यवस्था कर दी गई है। आगन्तुक क्षेत्र में "सॉफ्ट ड्रिंक" की सुविधा भी उपलब्ध हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्कोर्स, अन्तरर्देशीय प्रस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रीय आगमन (आगन्तुक) क्षेत्र में चौबीसों घण्टे पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की गाड़ियां लगाई जाती है।

(ख) "सॉफ्ट ड्रिंक" की बिक्री होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आगमन हॉल के अन्दर एक काउन्टर के माध्यम से की जा रही थी। कुछ समय पहले, होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को पता चला कि काउन्टर से होने वाली आय खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः एच० सी० आई० ने आगमन हॉल में "सॉफ्ट ड्रिंक" बेचना बन्द कर दिया।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड नहीं है।

(घ) एच० सी० आई० ने आगमन हॉल में "सॉफ्ट ड्रिंक" की बिक्री पुनः प्रारम्भ कर दी है।

स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

*29. श्री नवीन रावी : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय स्वर्ण आभूषणों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने-कितने मूल्य के आभूषणों का निर्यात किया गया, किस एजेन्सी के माध्यम से किया गया तथा किन-किन देशों को कितने-कितने मूल्य के आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार को आभूषणों की बिक्री-विनिमय के रूप में उन देशों से सोना प्राप्त होता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना सोना प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विदेशी बाजारों में, विशेष रूप से मध्य पूर्व में भारतीय स्वर्ण आभूषणों की मांग है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशी खरीदारों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले स्वर्ण के बदले स्वर्ण आभूषण के निर्यात की योजना के अन्तर्गत, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा 14-10-80 से किए गए स्वर्ण आभूषणों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1980-81	3.41
1981-82	37.41

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषणों का निर्यात निम्नोक्त देशों को किया गया —

वर्ष	(करोड़ रु० में) 1980-81	1981-82
कुवैत	1.07	14.34
संयुक्त अरब अमीरात	1.40	13.89
ब्रिटेन	0.29	5.21
बहरीन	0.06	1.14
कत्तार	0.16	2.28
सऊदी अरब	0.39	0.39
मस्कत	0.04	—
संयुक्त राज्य अमरीका	—	0.13
फिजी	—	0.03
	3.41	37.41

इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अवधियों के दौरान किए गए स्वर्ण आभूषण के निर्यात के बदले प्राप्त किए गए स्वर्ण की मात्राएं निम्नोक्त प्रकार रही :—

वर्ष	सोना प्राप्त हुआ (ग्रामों में)
1980-81	1,54,777.190
1981-82	18,55,975.130

पर्यटन की राष्ट्रीय नीति

*30. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :

श्री के० टी० कोंसलराम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन की कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क समाप्त करने के लिए आवेदन

*31. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों के निकायों ने सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन भेजा है कि वर्ष 1982-83 के केन्द्रीय बजट में टायरों पर लगाए गए 5.5 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को समाप्त किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1982 के बजट में कुछेक किस्म के टायरों पर उत्पादन-शुल्क का समग्र भार मूल्यानुसार 60.5% से बढ़ाकर मूल्यानुसार 66% कर दिया गया था। टायर व्यापारी/वाहक निकायों ने अभ्यावेदन किया है कि उत्पादन-शुल्क का बजट-पूर्व स्तर पर लाया जाए। सरकार ने अभ्यावेदन की जांच की है लेकिन टायरों पर विद्यमान शुल्क संरचना में कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

सोने की तस्करी

*32. श्री अमर राय प्रधान :

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि देश में बाहर से चोरी किए सोना लाने की घटनाओं में आगे और वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजार में सोने की कीमतों से अन्तर बढ़ने के कारण सोना तस्करी के आकर्षण वाली वस्तु बना हुआ है।

(ख) निवारक और आसूचना तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है और देश में सोने की तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है।

नेगेटिव पर्यटन विकास दर

*33. **श्री रणजीत सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इन समाचारों की जानकारी है कि पहली बार देश में चालू वर्ष में नेगेटिव विकास दर होने संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों की जांच की गई है; और

(ग) पर्यटन विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जनवरी-मार्च, 1982 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की अपेक्षा भारत ने 0.6% की गिरावट दर्ज की। तथापि, अप्रैल और मई के महीनों में पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में क्रमशः 1.1% और 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।

विभाग इस समय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान पर्यटन यातायत में दर्ज की गई गिरावट की जांच-पड़ताल कर रहा है। ऐसा लगता है कि विशेष रूप से यू० एस० ए०, पश्चिमी यूरोप, जापान, आस्टेलिया जैसी भारत के लिए पर्यटक जैनरेटिंग मार्केटों में आर्थिक मंदी एवं पड़ोसी देशों में गड़बड़ी वाले हालातों ने भारत आने वाले पर्यटक आगमनों को वृद्धि पर प्रतिशत असर डाला है।

विदेशों में संवर्धन को तेज करने के अलावा, भारत की ओर पर्यटक यातायात के प्रवाह को बढ़ाने के लिए जिन उपायों का प्रस्ताव किया गया है वे हैं :—चार्टर टूरिस्ट ट्रैफिक को आकर्षित करना और इण्टरनेशनल कान्सफ्रेंस ट्रैफिक को आकर्षित करना।

बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल

*34. **प्रो० मधु दंडवते** :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल कितने दिनों तक जारी रही;

(ख) इससे कपड़ा उद्योग में हड़ताल की अवधि में उत्पादन की कितनी हानि हुई;

(ग) कपड़ा मजदूरों की कितनी मंजूरी की हानि हुई;

(घ) हड़ताल के दौरान कितने मूल्य के वस्त्र का निर्यात रुका पड़ा रहा और उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ङ) हड़ताल का समाधान करने और अर्थव्यवस्था को होने वाली और क्षति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय सोचे गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बम्बई में वस्त्र मिलों में 18 जनवरी, 1982 को हड़ताल शुरू हुई थी। वह अब भी जारी है।

(ख) हड़ताल के कारण प्रतिमास औसतन 100 मि० मि० के उत्पादन की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) वेतन के आधार पर कपड़ा मजदूरों को लगभग 60 लाख रु० प्रति दिन की हानि होने का अनुमान लगाया है।

(घ) चूंकि अब भी हड़ताल जारी है, अतः इसका सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितनी मात्रा में निर्यात रास्ते में रुका हुआ है और कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी। बम्बई स्थित मिलों द्वारा मोटे तौर पर, प्रतिमास 20 करोड़ रु० मूल्य का औसतन निर्यात निष्पादन किया जाता है।

(ङ) सरकार, कपड़ा मिल मजदूरों की वैध मांगों के प्रति कभी भी कठोर नहीं रही है। उन्हें इस बात का आश्वासन देते हुए केन्द्रीय व राज्य दोनों सरकारों ने मजदूरों से काम पर आ जाने की अपील की है कि उनकी सभी वैध शिकायतों पर इस सम्बन्ध में गठित होने वाली एक समुचित समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाएगा और उनकी सिफारिशें निर्धारित समय अवधि के अन्दर शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित की जाएंगी। सरकार ने मजदूरों को यह अपील उनकी उन कठिनाइयों को अच्छी तरह से महसूस करते हुए बार-बार की है, जिनका कि वे सामना करते रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को संकट

36. श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग अधिकांशतः सभी प्रकार के जूट माल के लिए मुख्यतः बाजार में अलाभकारी बिक्री कीमतों के कारण 1981 के आरम्भ से ही (अत्यधिक) कठिन स्थिति में से गुजर रहा है। इस परिस्थिति के लिए एक मुख्य कारण यह है कि जबकि यह उद्योग अपने उत्पादन स्तर का सतत बढ़ते हुए स्तर पर बनाये हुए हैं और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संश्लिष्ट ऐवजी माल और बंगलादेश से कड़ी प्रतियोगिता एवं मन्दी होने के कारण जूट के माल की मांग के लिए इस अवधि में काफी मंदी आई है। महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान जो कि सबसे बड़ा खरीदार है, के साथ घरेलू बाजार में मांग में भी कमी आई है क्योंकि वह जूट बाजार से धीरे-धीरे हट रहा है जबकि कुछ समय पूर्व वह काफी सक्रिय था।

(ग) सरकार ने अनेक सुधारात्मक उपाय सुझाये हैं जिसमें सितम्बर, 1981 से नकद प्रतिपूर्ति सहायता को पुनः लागू करना, 1 अक्तूबर, 1982 से देश में सीमेंट एककों द्वारा शतप्रतिशत नई बोरियों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना, विभिन्न अन्तिम प्रयोक्ता संगठनों से अनुरोध करना और अक्तूबर-दिसम्बर, 1981 में 1 लाख बी ट्विल बोरियों की आयात खरीद जिसके परिणामस्वरूप निर्यात संवर्धन उपायों के रूप में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सं० राज्य-अमरीका को सी० बी० सी० और बोरियों की छूट देने के बाद बिक्री की अनुमति देने के पश्चात् लागत जमा आधार पर आंकी गई कीमतों पर अप्रैल से जून, 1982 के दौरान बी० ट्विल बोरियों की अधिक मात्रा में खरीद करना। पटसन/पटसन माल की कीमतों में स्थिरता और मांग की तुलना में पूर्ति में समंजन के लिए ठोस प्रयास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जूट करार को अन्तिम रूप देने एवं बंगला देश के साथ परस्पर लाभकारी निर्यात विपणन नीतियों को अंतिम रूप देने हेतु एस्के और अंकटाड के तत्वावधान में क्रमशः क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्यवाही करना शामिल है।

बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का कपास के उत्पादकों पर प्रभाव

*37 श्री उत्तम राठौर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) बम्बई, में दीर्घावधि से चली आ रही कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का कपास के उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) बम्बई की मिलों की कपास की मांग न होने के कारण कपास के उत्पादकों को होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) बम्बई मिल उद्योग द्वारा रुई की मांग एक ऐसा तथ्य है जिससे सप्लाई तथा कीमत निर्धारित होती है। सामान्यतः रुई की कीमतों में स्थिरता लाने के उपाय करना सरकार की नीति रही है जिससे कीमतों में अत्यधिक घट-बढ़ न हो। चालू मौसम के दौरान रुई की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा अधिक खरीदारियों सहित विभिन्न नीति विकल्पों का (समुचित रूप से) प्रयोग किया गया है।

नियन्त्रित कपड़े की दिल्ली के बाजारों में अधिक कीमत पर बिक्री

*38. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियन्त्रित कपड़ा दिल्ली के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको रोकने के लिए अभी तक कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उपभोक्तग्रों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी और सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली प्रशासन को नकली नाम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी लेकिन जांच करने पर उसे निराधार पाया गया।

पैरिस में विश्व बैंक की बैठक

*40. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दी जाने वाली सहायता के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए जून, 1982 में पैरिस में विश्व बैंक की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय भारत के कितना पक्ष में है;

(घ) क्या भारत उस निर्णय से सन्तुष्ट है; और

(ङ) सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) सहायता संघ के देशों की सरकारों और संस्थाओं की बैठक 14-15 जून, 1972 को पैरिस में हुई थी। उस बैठक में वर्ष 1981-82 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास निष्पादन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह भी व्यक्त किया गया कि भारत ने विकास की ऊंची दर बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण रखा। विशेष रूप से भारत की भुगतान शेष की कठिन स्थिति को देखते हुए इसे रियायती दर पर अधिक सहायता देने की आवश्यकता पर भी आम सहमति थी। अलग-अलग देशों और विश्व बैंक द्वारा 3.66 अरब डालर के वचन देने के संकेत दिए गए। सहायता संघ से प्राप्त सहायता का इस्तेमाल आयोजना में शामिल विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। सहायता संघ की बैठक के परिणाम को सामान्त; संतोषजनक माना गया है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में बैंकों में ब्याज दर

211. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसे जमाकर्त्ता जिनकी सविधि जमाराशि की अवधि समाप्त हो रही है, अपने धन को बैंकों में जहां ब्याज दर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की दरों की तुलना में बहुत कम है, पुनः जमा नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों में जिनकी मीयादी जमा राशियां परिपक्व हो रही हों उन सभी जमाकर्त्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रकार की किसी प्रक्रिया की जानकारी सरकार को नहीं है। अलबत्ता, परिपक्व होने पर कुछ मात्रा में विभिन्न कारणों से, लिखतों में परिवर्तन एक असामान्य प्रवृत्ति नहीं है।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर ढांचे की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है और बचतों की अन्य लिखतों के ब्याज दर ढांचे समेत अन्य पहलुओं और विद्यमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। 1 मार्च, 1982 से, रिजर्व बैंक ने, लघु और मध्यम की अवधि की मीयादी जमाओं पर ब्याज दर में वृद्धि की है। बैंक जमाओं समेत, विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों की आय की सीमा को भी सरकार ने बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिवर्ष से 4000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। इन उपायों से बैंकों को जमा राशियां जुटाने में सहायता मिलने की संभावना है। अलबत्ता, बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां और कम्पनी जमा राशियां विभिन्न अक्षमताओं और विशेषधिकारों के अधीन अलग-अलग प्रकार की लिखतें हैं। विभिन्न प्रकार के बचतकर्त्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली विभिन्न योजनाओं को बना कर और प्रचार तथा शिक्षा द्वारा बचतों को बैंकों के पास रखने की प्रेरणा देकर भी बैंक, जमाओं को जुटाने का प्रयास करते हैं।

आय-कर की बकाया राशि

212. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मार्च की समाप्ति पर आय-कर की कितनी बकाया राशि बाकी है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर की बकाया के ब्यौरेवार आंकड़े प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संकलित किए जाते हैं। 'बकाया करों' के नवीनतम आंकड़े 30-9-81 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। उस तारीख को 'बकाया करों' तथा 'जारी की गई किन्तु उगाही के योग्य नहीं बनी मांगों' के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपयों में)	
बकाया कर	761.31	अनन्तिम
जारी की गई किन्तु उगाही के योग्य नहीं बनीं मांग	428.19	

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में बकाया करों की वसूली और उगाही के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था है, जैसे अर्थदण्ड लगाना, चूककर्ताओं को देय धन का अभिग्रहण, चल संपत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री, अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री, चूककर्ता को सिविल जेल के सुपुर्द करना, आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा, बकाया करों की उगाही के लिए समय-समय पर उपर्युक्त उपाय किए जाते हैं। उगाही की गति तेज करने के लिए अनेक प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। चालू वर्ष के लिए बकाया करों की वसूली तथा उगाही के काम को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1982-83 के लिए विभाग की वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा उनकी सूचना आयकर आयुक्तों को भेज दी गयी है। बोर्ड भी, आयकर आयुक्तों से प्रति मास प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के माध्यम से बकाया की घटौती पर नजर रखे हुए है।

सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट की बिक्री सम्बन्धी स्थिति

213. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून में और जुलाई 1982 में अब तक प्रत्येक मूल्य वर्ग के कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट की बिक्री हुई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना के प्रति कहां तक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 500 रुपए और 1000 रुपए के मूल्यवर्गों में उपलब्ध हैं। जून, 1982 के प्रथम पखवाड़े में, जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, बेचे गए प्रत्येक मूल्यवर्ग के सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेटों की राशि इस प्रकार है :—

500 रुपए के मूल्यवर्ग के सर्टिफिकेट	7,33,000 रुपए
1000 रुपए के मूल्यवर्ग के सर्टिफिकेट	98,29,000 रुपए
जोड़	1,05,62,000 रुपए

जून, 1982 के प्रथम पखवाड़े के पश्चात् हुई बिक्री की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

संभाव्य निवेशकर्ताओं और एजेंटों द्वारा राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड स्टाफ से की गई पूछताछ को देखते हुए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया सामान्यतः अनुकूल रही है।

वस्त्रों के निर्यात में कदाचार की शिकायत

214. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० सी०) निर्यात प्रमाण-

पत्रों तथा मूल प्रमाणपत्रों के सामान प्रलेख जारी करता है जो वस्त्रों के आयात के लिए विदेशी सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं;

(ख) क्या उपरोक्त (क) के सम्बन्ध में किसी विदेशी सरकार से शिकायत प्राप्त हुई है और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन कदाचार के कारण एम० एफ० ए० में यूरोपीय आर्थिक (ई० ई० सी) का हमारे प्रति कड़ा रुख हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) किसी विदेशी सरकार से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि; भारतीय निर्यात आंकड़ों तथा आयातक देशों द्वारा रखे गये आंकड़ों के बीच विभिन्न कारणों की वजह से कभी-कभी असंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में असंगतियों की जांच की जाती है और द्विपक्षीय करारों में दी गई परामर्शी व्यवस्था को तत्काल काम में लाया जाता है।

(ग) वार्ताओं के पहले दौरे में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला।

आर्डिनेन्स फैक्ट्री एम्पलाइज यूनियन, तिरुचरापल्ली की ओर से ज्ञापन

215. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आर्डिनेन्स फैक्ट्री एम्पलाइज यूनियन, तिरुचरापल्ली से 11 मार्च, 1982 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) यह अभ्यावेदन मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता; अतिरिक्त कार्यभार के आबंटन, जिन पदों पर पदोन्नति नहीं हो सकती उन पर कर्मचारियों की पदोन्नति और रिहायशी आवास देने आदि जैसी मांगों के सम्बन्ध में था।

(ग) इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार देना

216. **श्री राजेश पाइलट** : क्या वाणिज्य मंत्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रशिक्षुओं को रोजगार दिए जाने के बारे में 28 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1802 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के 19 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान करने के तरीके इस बीच निकाल लिए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय पर प्रधान मंत्री के निदेश को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जैसा कि एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है;

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में जनवरी, 1981 के बाद कितने लिपिक नियुक्त किए गए हैं और उनमें से कितने प्रशिक्षित प्रशिक्षु हैं; और

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इन 19 प्रशिक्षुओं को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क), (ख) तथा (घ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार देना बड़े प्रश्न का एक हिस्सा है जो सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रभावित करता है। सरकार इस मामले पर संक्रियता से विचार कर रही है और मैनेजमेंटों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत आरम्भ कर दी गई है।

(ग) जनवरी, 1981 से अब तक 150 लिपिकों (कनिष्ठ सहायक) को निगम के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किया गया है। इनमें से खनिज एवं धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षित 23 भूतपूर्व-प्रशिक्षुक थे।

गुजरात के लिए जनता क्लाथ का कोटा

217. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात ने राज्य के लिए जनता क्लाथ का कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जनता कपड़े के उत्पादन के लिए कोटा करघों की संख्या, जनता कपड़े के उत्पादन में उनका पिछला निष्पादन तथा आबादी के अनुसार जनता कपड़े की राज्य की हकदारी के आधार पर निश्चित किया जाता है। गुजरात में करघों की संख्या केवल 20,000 के करीब है। इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात को 1981-82 के लिए 3 मिलियन मीटर का लक्ष्य दिया गया था। चूंकि गुजरात अपनी आबादी के अनुसार जनता कपड़े की अपनी हकदारी से कम उत्पादन कर रहा है, राज्य सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वह 1981-82 के दौरान 5 मिलियन मीटर उत्पादन करे। 1982-83 के दौरान लगभग उसी स्तर के बराबर उत्पादन होने की संभावना है।

सैनिक क्षेत्र (मिलिट्री सैक्टर) में नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

218. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मिलिट्री सैक्टर में अगले तीन वर्षों में वर्तमान वर्ष सहित में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां ऐसे विद्यालय खोले जाने हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई सिफारिशें करने का विचार है अथवा क्या उनके मंत्रालय का यह विचार है कि मिलिट्री सैक्टर में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्रतिवर्ष 25 केन्द्रीय स्कूल और 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान 15 केन्द्रीय स्कूल खोले जाने की मंजूरी दे दी है। इनमें से केवल 1982-83 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय स्कूलों के स्थानों का फैसला हो चुका है। जिन स्थानों पर ये स्कूल खुलेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) बेगमपेट (आन्ध्र प्रदेश)

(2) कुम्भीग्राम (असम)

(3) नायकुम (बिहार)

(4) चंडीगढ़ (चंडीगढ़)

(5) और (6) बड़ौदा और वाडसर (गुजरात)

(7) मांडवी (गोआ)

(8) सिरसा (हरियाणा)

(9) बकलोह (हिमाचल प्रदेश)

(10) मीरां साहिब (जम्मू और कश्मीर)

(11) जबलपुर (मध्य प्रदेश)

(12), (13) और (14) दोघोदी, देवलाली और वारानगांव (महाराष्ट्र)

(15) और (16) जालीपा छावनी, बीकानेर
(17) और (18) उदयपुर और उत्तरलाई } राजस्थान

(19), (20), (21), (22) और (23) कानपुर, रायवाला, हिंडेन, बमरौली और शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

(24) और (25) कांकीनारा और कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)

आयकर विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा विरोधस्वरूप आन्दोलन

219. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 18 मार्च, 1982 के हिन्दी दैनिक "जनयुग" में इस आशय का समाचार देखा है कि यदि आय-कर विभाग ग्रुप (ख) के 400 पदों को ग्रुप 'क' के पदों में बदला गया तो आय-कर विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी उसके विरोध में आन्दोलन करेंगे;

(ख) इस मामले का ब्यौरा क्या है और सभी अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा पदों को बदलने की मांग के विरोध को देखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड ने राज्य स्तर पर सभी संघों/एसोसिएशनों के विचार जाने बिना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से पदों को तुरन्त बदलने की सिफारिश की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समूह 'ख' तथा समूह 'क' के आयकर अधिकारियों के लिए सरकार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिकारी समूह 'ख' के कुछ पदों को (2200 में से 258) आयकर अधिकारी समूह 'क' में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। मामले पर पुनः विचार किया गया है और समूह 'ख' के पदों को समूह 'क' में प्रस्तावित परिवर्तन को छोड़ना संभव नहीं पाया गया है।

ऐसे मामलों में कर्मचारियों के एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं है।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

220. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिचले पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के लिए कितनी धनराशि खर्च की है और इसमें से कितनी धनराशि उक्त अवधि में केरल में खर्च की गई है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले 5 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा उन उद्यमों, जिनके मुख्यालय केरल में स्थित हैं कि सामान्य शेयर पूंजी तथा योजना ऋणों में वृद्धि का विवरण-क संलग्न है।

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में छठी योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित व्यय की अनन्तिम राशि का विवरण-ख संलग्न है।

इसके अतिरिक्त काफी परिव्यय किए जाने का भी विचार है, जिसका राज्यवार विनिधान उपलब्ध नहीं है।

विवरण-क

(करोड़ रुपयों में)

	सभी केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां			वे कम्पनियां जिनके मुख्यालय केरल में हैं ।		
वर्ष	सामान्य शेयर पूंजी	योजना ऋण	जोड़	सामान्य शेयर पूंजी	योजना ऋण	जोड़
1976-77	820.82	921.52	1,752.34	22.66	66.53	89.19
1977-78	1,560.02	298.08	1,858.10	75.62	(—) 53.06*	22.56
1978-79	818.98	824.29	1,643.27	6.96	11.53	18.49
1979-80	939.07	838,04	1,777.13	11.00	16.21	27.21
1980-81	1,141.25	1,257.67	2,398.92	16.25	14.47	30.72

विवरण-ख

राज्य	रकम (करोड़ रुपयों में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1,583.77
बिहार	1,158·28
कर्नाटक	255.06
मध्य प्रदेश	1,323.11
उड़ीसा	1,467.66
तमिलनाडु	559.52
पश्चिम बंगाल	576.67
महाराष्ट्र	916.77
राजस्थान	149.20
असम	610.67
गुजरात	212.41

*उद्यम की सामान्य शेयर पूंजी में बदली हुई ऋण राशि ।

1	2
केरल	321.09
हरियाणा	71.07
पंजाब	37.06
उत्तर प्रदेश	219.27
गोवा	0.43
हिमाचल प्रदेश	2.35
नागालैंड	15.90
जम्मू और कश्मीर	5.10
दिल्ली	28.25
जोड़—	9,513.64

पश्चिम बंगाल में सरकारी उपक्रम

221. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में कौन-कौन से केन्द्रीय सरकारी उपक्रम स्थित हैं और प्रत्येक की अधिकृत पूंजी कितनी है;

(ख) क्या उस राज्य में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, उनके नामों के साथ-साथ 31-3-81 को उनकी अधिकृत पूंजी का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा फरक्का में 600 मे० वा० क्षमता का उच्च ताप बिजली घर और कोल इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा विभिन्न नई खानें तथा कलकत्ता में घरेलू गैस ईंधन सप्लाई करने के लिए निम्न ताप कार्बनीकरण परियोजना आदि केन्द्रीय सरकार की कुछ नई परियोजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा इस राज्य में स्थित दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, मिश्र इस्पात संयंत्र और भारतीय लोहा एवं इस्पात संयंत्र तथा भारत रिफ्रेक्ट्रीज आदि जैसी वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में काफी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का नाम	31-3-81 को अधिकृत पूंजी (करोड़ रुपयों में)
1.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन	200.00
2.	भारतीय लोहा तथा इस्पात कं० लि०	100.00
3.	हिन्दुस्तान कापर लि०	150.00
4.	कोल इण्डिया लि०	1,000.00
5.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	150.00
6.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०	3.00
7.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	500.00
8.	स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०	4.00
9.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	15.00
10.	ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इण्डिया) लि०	5.00
11.	बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०	15.00
12.	जेसप एण्ड कं० लि०	35.00
13.	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	5.00
14.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कं० लि०	43.80
15.	एन्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०	10.00
16.	बामेर लारी एण्ड कं० लि०	3.00
17.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	5.00
18.	बीको लारी लि०	2.50
19.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	20.00
20.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	5.00
21.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	20.00
22.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	25.40
23.	भारत आपसथैल्मि ग्लास लि०	6.00
24.	उद्योग पुर्नस्थापन निगम लि०	5.00
25.	बानरहाट टी कम्पनी लि०	1.00
26.	बासमतिया टी कम्पनी लि०	0.15

27. हुलंगरी टी कम्पनी लि०	0.17
28. मिम टी कम्पनी लि०	0.10
29. मुरफुलानी (असम) टी कम्पनी लि०	0.20
30. राजगढ़ टी कम्पनी लि०	0.25
31. नेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, बिहार असम तथा उड़ीसा) लि०	30.00
32. जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	5.00
33. मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपो० लि०	2.00
34. टी ट्रेडिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	5.00
35. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	20.00
36. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि०	20.00
37. हुगली प्रिंटिंग कं० लि०	0.05

कुछ हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों का निर्माण/नवीकरण

222. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन बनाने अथवा उनका नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) हवाई अड्डों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1982-83 में 982.10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. कलकत्ता
4. मद्रास

अन्तर्देशीय हवाई अड्डे

1. अहमदाबाद	18. जोरहाट
2. औरंगाबाद	19. लीलाबाड़ी
3. बड़ौदा	20. पटना
4. बेलगाम	21. रांची
5. भावनगर	22. तेजपुर
6. इंदौर	23. अमृतसर
7. डबोलिम	24. चंडीगढ़
8. जामनगर	25. जयपुर
9. वेशोद	26. जम्मू
10. पोरबन्दर	27. ग्वालियर
11. रायपुर	28. लेह
12. राजकोट	29. श्रीनगर
13. अगरतला	30. गोरखपुर
14. बागडोगरा	31. मंगलौर
15. दीमापुर	32. तिरूचिरापल्ली
16. गौहाटी	33. तिरूपति
17. इम्फाल	34. विशाखापत्तनम्

इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया में उच्च कार्यकारियों के अन्तर्निगम तबादले

223. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइंस के उप प्रबन्ध निदेशक जैसे उच्च एग्जीक्यूटिव उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का बेहतर उपयोग और विनियम के हित में एक निगम से दूसरे निगम में बदले जा सकते हैं अथवा उनका स्थानान्तरण किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) इन दो निगमों में ये उप प्रबन्ध निदेशक इसी पद पर कब से हैं और उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख क्या हैं;

(घ) क्या उन्हें पता है कि इन उच्च अधिकारियों के एक निगम में निरन्तर बने रहने से न केवल निहित स्वार्थों की पूर्ति होती है अपितु उसके परिणामस्वरूप उनके अनुयायियों का एक गुट बन जाता है जिन्हें वे लाभ पहुंचाते हैं जो अन्ततः इन निगमों के कुशल संचालन के लिए घातक है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समग्र जनहित में एक निगम से दूसरे निगम में ऐसे स्थानान्तरणों को लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस दो अलग-अलग कारपोरेशन हैं तथा उनके कार्यपालकों के अपने-अपने अलग-अलग संवर्ग हैं।

(ग) इस समय एयर इण्डिया में दो तथा इण्डियन एयरलाइंस में एक उप प्रबन्ध निदेशक हैं। एयर इण्डिया में उप प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति 2-11-78 तथा 26-4-82 को की गई थी तथा उनकी अधिवर्षता की तारीख क्रमश: 31-3-90 तथा 28-2-87 है। इण्डियन एयरलाइंस के उप प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति 26-8-81 को की गई थी तथा वे 30-9-83 को सेवा-निवृत्त होंगे।

(घ) क्योंकि उप प्रबन्ध निदेशक, मुख्य कार्यपालक के सामान्य पर्यवेक्षण/निर्देशन में कार्य करता है तथा मुख्य नीति-विषयक निर्णय मुख्य कार्यपालक तथा/अथवा निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, इस प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की सांठ-गांठ से धनबाद क्षेत्र में कथित तस्करी

224. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की सांठ-गांठ से धनबाद क्षेत्र में सोने, सीमा-शुल्क की वस्तुएं और ब्रांड की बीड़ियों की तस्करी का आरोप लगाते हुए क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास की खरीद

225. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्या 'आल पार्टी काटन किसान एक्शन कमेटी, आन्ध्र प्रदेश' ने यह मांग की है कि किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न किस्मों की कपास की भारतीय रुई निगम द्वारा उचित मूल्यों पर खरीदा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। उनकी मांग को सरकार द्वारा उचित कार्यवाही के लिए भारतीय रुई निगम को अग्रेषित किया गया था।

(ख) भारतीय रुई निगम, आन्ध्र प्रदेश के रुई खरीद कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन दे रहा है और इसने अभी तक (जून, 1982 तक) समर्थन कीमत से अधिक कीमत पर रुई की 1.14 लाख गाठें खरीदी हैं।

एक उपक्रम के उच्च अधिकारियों को दूसरे उपक्रम में भेजना

226. **श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या ऐसी कोई कार्यपद्धति विद्यमान है जिसके अनुसार एक सरकारी उपक्रम/सांविधिक निगम के उच्च अधिकारियों, प्रमुखों तथा उपप्रमुख अधिकारियों (गैर तकनीकी, को दूसरे उपक्रम में भेजा जा सके जिसमें न केवल वे अपने ज्ञान और जानकारी को व्यापक बना सकें अपितु उपक्रम/सम्बद्ध निगम के लाभ के लिए, अपने अनुभव का उपयोग कर सकें और एक स्थान/उपक्रम में लगातार बने रहकर उनके निहित स्वार्थ के बढ़ने से पहले ही निवारण, किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और यदि नहीं, तो किन कारणों से अभी तक इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लाने का यह एक उपाय है; और

(ग) क्या अब सरकार का विचार इस प्रकार की कार्यविधि अथवा प्रणाली को शीघ्र लागू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का आशय संभवतः केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा पूर्णकालिक निदेशकों के पक्ष से है। सरकार द्वारा इन पदों के लिए चयन सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इन पदों के लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल प्रत्येक पद की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए उम्मीदवार के साक्षात्कार और उसके सेवा रिकार्ड की जांच के आधार पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है ताकि जिन व्यक्तियों की संस्तुति की गई है वे यथा संभव उन आवश्यकताओं के अनुरूप सिद्ध हो सके। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन केवल उसी उद्यम में से ही नहीं किया जाता, जिसमें पद खाली हुआ है, बल्कि अन्य सभी सरकारी उद्यमों तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सेवाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र से भी किया जाता है। इस प्रकार ऐसे सभी चयन कार्य पूरे करने के लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल एक डेटा बैंक रखता है। इस प्रकार की योजना का उद्देश्य प्रबन्धकीय संसाधन, जुटाना है, ताकि उपलब्ध प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके और उन्हें व्यवसायिक विकास के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जा सके। ये ऐसी संविदागत नियुक्तियां है जिनका सेवाकाल यथावश्यक रूप से बढ़ाया जा सकता है या तीन महीनें का नोटिस या उसके बदले वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।

भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार विस्तार

227. **श्री भीकूराम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में बैंकाक में व्यापार मेला देखा था;

(ख) क्या उक्त यात्रा के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार विस्तार की संभावना का पता लगाया गया था;

(ग) क्या इस बारे में बाजार का कोई अध्ययन किया गया था तथा दोनों देशों की आवश्यकताओं का पता लगाया गया था; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) हाल में सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय व्यापारियों के किसी प्रतिनिधिमंडल ने बैंकाक में व्यापार मेले का दौरा नहीं किया है ।

आन्ध्र प्रदेश में मेंडक में उन्नत विमान-वाहित पद्धति उपकरण का निर्माण करने के लिए कारखाने की स्थापना करना

228. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश में मेंडक में उन्नत विमानवाहित पद्धति के उपकरण बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने उन्नत विमानन उपकरणों के निर्माण के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है । मामले की अभी जांच की जा रही है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन की स्थापना

229. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि मई, 1982 में बैंकाक में आयोजित (ई० एस० सी० ए० पी०) द्वारा आयोजित पिछले अधिवेशन में सहमति हुई थी, अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन के प्रस्तावित ढांचे के किसी प्रारूप समझौते को तैयार करके उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन मूल्यों को स्थिर करने में तथा निर्यात से आय अर्जित करने की दृष्टि से पटसन उत्पादन की अर्थ व्यवस्था को कहां तक सहायता देगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहकारी कार्यवाही से उन समस्याओं को कहां तक हल करेगा जो इस व्यापार-चक्र-प्रभावित उद्योग के समक्ष हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) मई, 1982 में बैंकाक में हुए पटसन उत्पादक देशों के विशेष अधिवेशन में उत्पादक देश स्वयं के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय पटसन करार के प्रमुख मुद्दों का समाधान कर सके।

करार को अन्तिम रूप देने के लिए करार के सम्बन्ध में उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों के बीच आगे वार्ताएं होनी हैं।

(ग) यह प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ही है कि विश्व बाजार स्तर पर पटसन/पटसन माल की पूर्ति तथा मांग के समायोजन के लिए एक सतत आधार पर संगठित उपायों पर विचार-विमर्श किया जाए जो पटसन/पटसन माल की कीमतों की स्थिरता और इन वस्तुओं से निर्यात आय की स्थिरता की दृष्टि से पटसन उत्पादक देशों के लिए लाभकारी होगा।

"स्टीप फाल इन एक्सचेंज रिजर्वस" शीर्षक समाचार

230. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 2 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टीप फाल इन एक्सचेंज रिजर्वस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों की तुलना में विदेशी मुद्रा रिजर्व में कितनी कमी हुई हैं; और

(घ) विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) आयातित तेल की कीमतें दिसम्बर, 1978 से जनवरी, 1981 के बीच दुगुनी हो जाने के कारण आयातित तेल का खर्च बहुत बढ़ गया। बहुत सी अन्य वस्तुओं की आयात कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

(2) निर्यात में मूल्य तथा मात्रा दोनों दृष्टियों से इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी आयात के मूल्य और मात्रा में वृद्धि हुई। लेकिन इसे, विदेशों में लगातार मंदी की स्थिति, औद्योगिक देशों में प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार में बढ़ोत्तरी और हमारे

आयात की कीमतों पर प्रभाव डालने वाली विश्वव्यापी सतत मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए; और

(3) निवल अदृश्य प्राप्तियां जिनकी वृद्धि की दर में आठवें दशक में तेजी दिखाई दी थी अपनी अधिकतम स्थिति पर पहुंच चुकी हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में पिछले पांच वर्ष के दौरान घट-बढ़ इस प्रकार हुई :—

राजकोषीय वर्ष के अन्त में	विदेशी मुद्रा भंडार (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ (करोड़ रुपए)
1977-78	4499.75	
1978-79	5219.86	+ 720.11
1979-80	5163.66	— 56.20
1980-81	4822.12	— 341.54
1981-82	3354.47	—1467.65
1982-83	3384.26	+ 29.79
25-6-82		

(घ) सरकार विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में सुधार करने और उसे उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाती रही है ताकि देश के आयात के खर्च को पूरा किया जा सके। इनमें ये उपाय शामिल हैं :—

(1) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के काम में वृद्धि करना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी करना।

(2) सीमेंट, उर्वरकों, अलौह धातुओं, इस्पात आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में, क्षमता के उपयोग में सुधार करके तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके आयात प्रतिस्थापन करना।

(3) मूलभूत ढांचे की कठिनाइयां और विशेष रूप से बिजली, परिवहन और पत्तनों सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करके निर्यात का बेहतर निष्पादन करना, उत्पादन बढ़ाकर अधिक निर्यात अधिशेष उत्पन्न करना, प्रोत्साहन प्रणाली के साथ-साथ भारतीय उद्योग में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता के विकास में सुधार करना जिससे निर्यात व्यापार लाभाकारी हो जाए और सक्रिय तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले, आदि।

(4) ऐसे उपाय अपनाना जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रीकों से अधिक राशियां प्राप्त करने के काम को प्रोत्साहन मिल सके।

(5) ऐसी विदेशी वित्तीय नीति अपनाना जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक आयात, विशेष रूप से विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले आयात में कोई रुकावट न आए, विदेशों से उधार ली गई राशि की लागत कम की जा सके और ऋण परिशोधन के दायित्व उचित सीमाओं में रखे जा सकें।

भारत सरकार, विदेशी मुद्रा की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, विदेशी सहायता के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों का यथासम्भव अधिक-से-अधिक उपयोग कर रही है। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ 1981 में 5 अरब एस० डी० आर० की विस्तारित व्यवस्था की, जो तीन वर्ष की अवधि में उपलब्ध होगी। इस विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत 90 करोड़ एस० डी० आर० की राशि की निकासी पहले ही की जा चुकी है। इस कमी को निर्यात ऋणों और उपयुक्त मामलों में वाणिज्यिक उधारों के द्वारा और पूरा किया गया है।

नेपाल और भारत सरकारों के बीच अन्तः शासकीय समिति का गठन

231. श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा पारगमन संधि तथा अनधिकृत व्यापार सम्बन्धी करार के अन्तर्गत नेपाल और भारत सरकारों के बीच कोई अन्तर्राज्यीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति को अब तक क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति का कार्य, जैसा कि संधियों और करार में व्यवस्था की गई है, व्यापार को बढ़ावा देना, पारवहन को सुकर बनाना और दोनों देशों के बीच अनधिकृत व्यापार पर नियन्त्रण रखना है। इस समिति की बैठक बारी-बारी से काठमांडू और नई दिल्ली में होती है।

(ग) इस समिति की कुछ प्रमुख सफलताएं ये हैं :—

(1) नेपाली औद्योगिक उत्पादों को भारत में आयात करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(2) कलकत्ता पत्तन से नेपाली सीमा चेक पोस्टों तक के पारवहन में नेपाली कार्गों के बीमा की प्रक्रिया तैयार की गई है जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन पर भीड़-भाड़ कम हो गई है।

(3) अनधिकृत व्यापार पर नियन्त्रण रखने के लिए जानकारी तथा जांच-पड़ताल आदि के आदान-प्रदान के मामले में अधिक सहयोग के लिए दोनों पक्षों की ओर से संपर्क स्थल निर्दिष्ट किए गए हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

232. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 से मई, 1982 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि अर्थात् जनवरी से मई 1982 में मुद्रास्फीति की क्या-क्या स्थिति रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1960=100), जनवरी, 1982 से मई, 1982 (नवीनतम उपलब्ध) की अवधि के लिए नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं :

1982	औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100)
जनवरी	459
फरवरी	458
मार्च	457
अप्रैल	459
मई	462

उयुंक्त सूचकांक के अनुसार मापी गई मुद्रास्फीति की दर जो कि जनवरी, 1982 में 11.7 प्रतिशत थी गिरकर मई, 1982 में 6.7 प्रतिशत हो गई।

वाणिज्यिक बैंकों के लिए शाखाएं खोलने के लिए नई लाइसेंस नीति

233. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने हाल में वाणिज्यिक बैंकों के लिए शाखाएं खोलने के लिए नई लाइसेंस नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में (1982-83 से 1984-85 तक) 8,000 अतिरिक्त शाखा कार्यालय खोले जाने की संभावना है; और

(ख) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में खोली जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1982 से 1984-85 के तीन वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में, ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 व्यक्तियों (1981 की जनगणना के आधार पर) की जनसंख्या के पीछे औसतन एक शाखा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार, बैंकविहीन सामुदायिक विकास खण्डों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों की 7540 अतिरिक्त शाखाएं खोलनी होंगी। इसके अतिरिक्त बेहतर बैंकिंग व्याप्ति वाले क्षेत्रों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर लगभग 808 शाखाओं की आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ख) इस सम्बन्ध में, संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	उन जिलों की संख्या जहां प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 17,000 से अधिक है (1981 की जनगणना के अनुसार)	कमी वाले जिलों में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या	शेष जिलों में खोली जाने वाली ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं
पंजाब	—	—	104
हरियाणा	5	46	40
हिमाचल प्रदेश	1	2	23

कर्नलों तथा लेफ्टिनेंट कर्नलों के मासिक मकान किराया भत्ते में वृद्धि

234. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रु० 1200 प्रति माह तक के मासिक किराए के मकान को किराए पर लेने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मकान के निर्माण आदि के अधिक लागत के कारण दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि जैसे बड़े नगरों में उनके लिए रु० 1200 प्रति माह के किराए पर उपयुक्त मकान उपलब्ध नहीं है और उन्हें अपेक्षाकृत छोटे मकानों में रहना पड़ता है जो कि उनके रैंक के अनुरूप नहीं होते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्नलों तथा लेफ्टिनेंट कर्नलों के लिए मासिक मकान किराया रु० 1200 से बढ़ाकर रु० 1600 प्रति माह करने का है; और

(घ) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल 1200 रु० प्रतिमाह तक के किराए के मकान लेने के हकदार हैं। अन्य जगहों के लिए किराए की अधिकतम सीमा 1000 रु० प्रतिमाह है।

(ख) किरायों में सामान्य बढ़ोत्तरी के कारण इन अफसरों के लिए अपनी हकदारी की सीमा में मकान किराए पर लेना मुश्किल हो गया है।

(ग) और (घ) इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किराए की हकदारी की सीमा बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन इस समय इसकी संभावित अधिकतम सीमा बताना संभव नहीं है।

निर्यात संवर्धन परिषदों में सतर्कता अधिकारियों का चयन

235. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन सी निर्यात संवर्धन परिषदें हैं जो निर्यात काट अथवा कच्चे माल का आवंटन करते हैं;

(ख) क्या सभी निर्यात संवर्धन परिषदों में सतर्कता अधिकारी अथवा इसके समान पदाधिकारी हैं;

(ग) क्या इन परिषदों के ऐसे सतर्कता अधिकारियों के चयन में मंत्रालय में सतर्कता निदेशक अथवा मुख्य सतर्कता आयुक्त से परामर्श किया जाता है; और

(घ) क्या ये सतर्कता अधिकारी केवल अपनी क्रमिक कार्यकारी समितियों अथवा प्रशासन को समितियों, जो उन्हें नियुक्त करती हैं, को ही सूचित करते हैं न कि सतर्कता निदेशक को ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दी काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रशासन काउंसिल, एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तथा वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निर्यात कोटे आवंटन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कच्चे माल का आवंटन करने के लिए किसी निर्यात संवर्धन परिषद को प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदों में सतर्कता अधिकारियों अथवा उसके समकक्ष के कोई पद नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली मौसम कार्यालय द्वारा गलत भविष्यवाणी किया जाना

236, डा० ए० यू० आजमी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम कार्यालय, दिल्ली द्वारा 13 और 14 मई, 1982 को सही भविष्यवाणी न किए जाने के क्या कारण हैं—13 मई को आकाश साफ रहने की भविष्यवाणी की गई थी जबकि 14 मई को रुक-रुक कर वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने, ओले पड़ने अथवा तूफान आने की भविष्यवाणी की गई थी;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है मौसम के बारे में शतप्रतिशत सही भविष्यवाणी की जाए जसा कि दावा किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) (1) 13 मई, 1982 के लिए 12 मई को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2130 बजे निम्नलिखित पूर्वानुमान जारी किया गया था, "आकाश पर बादल छाए रहेंगे तथा कभी-कभी धूप निकलेगी, कहीं-कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की भी सम्भावना है। दिन के तापमान में वृद्धि होगी।"

13 मई को मौसम के बारे में जैसा पूर्वानुमान किया गया था वैसा ही अनुभव किया गया था। सूर्य कभी-कभी दिखाई दिया था, परन्तु बाकी समय में सूर्य पूर्ण रूप से बादलों से ढका रहा। वर्षा तथा गरज के साथ छींटे भी पड़े थे।

(2) 14 मई, 1982 के लिए 13 मई को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2130 बजे निम्नलिखित पूर्वानुमान जारी किया गया था, "रुक-रुककर वर्षा होना/गरज के साथ छींटे पड़ना, यदा-कदा ओले पड़ना/तूफान आना/दिन के तापमान में गिरावट आना" पूर्वानुमान पहले दिन भारतीय समयानुसार लगभग 2130 बजे जारी किया जाता है। 13 मई के लिए जब पूर्वानुमान जारी किया गया था, दिल्ली में घोर गरज व तूफान का अनुभव किया जा रहा था जिसके 14 मई तक जारी रहने की सम्भावना थी।

13 मई को भारतीय समयानुसार लगभग 2130 बजे पूर्वानुमान जारी करने के बाद 14-5-1982 को भारतीय समयानुसार 0830 बजे निम्नलिखित वर्षा रिकार्ड की गई :—

सफदरजंग हवाई अड्डा	:	1 सें० मी०
पालम हवाई अड्डा	:	1 सें० मी०
सीकर	:	3 सें० मी०
जयपुर	:	1 सें० मी०
चुरू	:	1 सें० मी०
भरतपुर	:	1 सें० मी०

इससे पता चलता है कि 13 मार्च को दिल्ली के आस-पास जो गरज वाला तूफान व वर्षा आरम्भ हुई थी वह 14 मई के सवेरे तक भी चालू रही। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 14 मई को जयपुर में गरजवाला तूफान तथा वर्षा भारतीय समयानुसार 0230 बजे तक रिकार्ड की गयी थी।

खराब मौसम के लिए उत्तरदायी निम्न दाब पद्धति के तेजी से कमजोर होने के कारण उक्त पूर्वानुमान में बाद में परिबर्तन करके उसे यह कर दिया गया था "एक या दो बार छींटे पड़ना/गरज के साथ छींटे पड़ना।" इसे 14 मई को भारतीय समयानुसार 0700 बजे

आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था। मौसम पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है तथा पूर्वानुमानों में जब कभी आवश्यक हो आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) स्थानीय पूर्वानुमानों में शत-प्रतिशत सही होना सम्भव नहीं है। तथापि स्थानीय पूर्वानुमानों के सही होने के बारे में आवधिक प्रबोधन किया जाता है, तथा इसमें भूल होने के कारणों का जितनी अच्छी तरह सम्भव हो सकता है विश्लेषण किया जाता है।

(ग) जिन भौतिक प्रक्रियाओं के कारण खराब मौसम होता है उनका पूरी तरह से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पूर्वानुमान अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित संभावनात्मक प्रकार के होते हैं।

दिल्ली में नौसेना अधिकारियों के लिए मेस

237. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नौसेना अधिकारियों के लिए कोई मेस नहीं है और अस्थायी रूप से व अन्यथा दिल्ली आने वाले नौसेना अधिकारियों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में नौसेना अधिकारियों के लिए अलग से एक मेस का निर्माण करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) यद्यपि दिल्ली में नौसेना अफसरों के लिए अलग से कोई अफसर मेस नहीं है तथापि थलसेना और नौसेना के अफसरों के लिए दो मेसें हैं।

(ख) और (ग) नौसेना अफसरों के लिए दिल्ली में अलग से एक मेस के निर्माण का प्रस्ताव अभी नहीं है। फिर भी वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और 1981-82 के दौरान एस० पी० रोड आफिसर्स मेस में 40 एकल अफसर आवासों की मंजूरी दी गई।

पाकिस्तान द्वारा रक्षा व्यय का बढ़ाया जाना

238. **श्री मोहम्मद इसरार अहमद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल ही की इस रिपोर्ट की जानकारी है कि पाकिस्तान अपना रक्षा व्यय बढ़ा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अपनी रक्षा तैयारी मजबूत करने के लिए योजनाओं में इस पहलू को ध्यान में रखा है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों का सरकार मूल्यांकन करती है और पूरी रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती है।

सऊदी अरब को ऊंटों की बिक्री

239. श्री जय नारायण रौत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सऊदी अरब को ऊंटों की बिक्री के बारे में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सऊदी अरब तथा अन्य देशों को अब तक कितने ऊंट बेचे जा चुके हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि महामहिम सऊदी अरब के शाह के निजी चिड़ियाघर के लिए पचहत्तर ऊंटों के निर्यात हेतु नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब राज्य के राजकीय दूतावास के पक्ष में दो निर्यात लाइसेंस जारी किये गये हैं। ऊंटों का निर्यात किसी अन्य देश को करने की अनुमति नहीं दी गई है।

दिल्ली बम्बई अहमदाबाद और राजकोट के लिये विमान सेवा

240. श्री उत्तमभाई एच० पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से चैम्बरों और वाणिज्यिक संगठनों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने मांग की है कि दिल्ली बम्बई अहमदाबाद और राजकोट विमान सेवा शुरू करके सौराष्ट्र गुजरात, बम्बई और गुजरात को जोड़ा जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) उक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सौराष्ट्र के कम-से-कम एक शहर को विमान सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़े जाने की मांग की गयी है।

(ग) और (घ) इस वर्ष के अन्त तक अपने विमान-बेड़े में अतिरिक्त विमान सम्मिलित कर लिए जाने के पश्चात्, इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली को राजकोट के साथ, वाया अहमदाबाद, विमान सेवा से जोड़ने की योजनायें हैं।

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके द्वारा अपने देश भेजी गई धनराशि

241. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नाम क्या है और उनमें से प्रत्येक ने गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में कितनी धनराशि अपने मुख्यालयों को भेजी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) सरकार की नीति के अन्तर्गत, समस्त अनुमोदित पूंजी निवेशों और 'फेरा' कम्पनियों की समस्त अनुमोदित गतिविधियों से होने वाली प्राप्तियों जैसे कि लाभांश, विशिष्ट शुल्क, शुल्कों, रायल्टी तथा ब्याज आदि की राशियों को प्रेषित करने की अनुमति है। इस प्रकार की कम्पनियों को उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों तथा निर्यात-प्रधान क्रियाकलापों के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। प्रवर्तमान करों की अदायगी करने के बाद राशियों को प्रेषित करने की इजाजत होती है।

कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे और गिरफ्तार किए गए तस्कर

242. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1-1-82 से 31-5-1982 और 1-6-1982 से 20-6-1982 तक की अवधि में अनेक आयकर छापे मारे गये और कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न भागों से तस्करों तथा अन्य व्यक्ति गैर-कानूनी कार्य करते हुए पकड़े गये;

(ख) इस प्रकार के छापों तथा गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पता लगाये गये और जब्त किये गये अवैध तथा बेनामी खातों, सोना, चांदी, तस्करी की वस्तुओं आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कर्मचारियों, अधिकारियों मुखबिरों तथा जनता के उन लोगों को क्या पुरस्कार दिये गये अथवा दिये जाने का विचार है जिन्होंने उपरोक्त कार्य में भाग लिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) आयकर प्राधिकारियों ने, ऐसे कई व्यक्तियों के मामलों में तलाशी तथा माल पकड़ने की अनेक कार्यवाहियां की, जिनके बारे में यह सन्देह था कि वे कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न भागों में करों का अपवंचन करते हैं। 1 जनवरी, 1982 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान इन कार्यवाहियों में, विभिन्न अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा 18 लाख रु० से अधिक की प्रथम-दृष्टया लेखा-बाह्य नकदी, लगभग 11 लाख रु० से अधिक मूल्य के जवाहिरात तथा सोना-चांदी तथा लगभग 18 लाख रु० से अधिक मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी। इसी प्रकार, इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 जून, 1982 से 20 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान, एक लाख रुपये से अधिक की प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य नकदी पकड़ी गई थी। इन छापों के दौरान किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था चूंकि आयकर अधिनियम, के

अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। मुखबिरों को इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों के अनुसार, पुरस्कार दिया जाता है। उपयुक्त मामले में अन्तरिम पुरस्कार भी दिया जाता है। आयकर विभाग के कर्मचारियों को, छापों में उनकी भूमिका के लिए, पुरस्कार देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

एक्झोमला में एक नया नौसैनिक अकादमी स्थापित करने को स्वीकृति दिया जाना

243. श्री के० ए० राजन :

श्री पी० के० कोडियन :

श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कन्नानूर के निकट एक्झोमला में एक नया नौसैनिक अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : जी हां।

(ख) प्रस्तावित अकादमी जो 500 अफसरों/कैडेट के प्रशिक्षण के लिए होगी लगभग 1200 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बनाई जायेगी। परियोजना संभवत: 4 से 5 साल में पूरी हो जायेगी। अकादमी में नाविक नौ संचालन, संचार, ग्लाइडिंग वाटरमेनशिप आदि के प्रशिक्षण की सुविधाएं होंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष ऋण

244. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आज तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्बन्धी विशेष ऋण की कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) आगामी छः महीनों में कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) इन धनराशियों का पुनर्भुगतान ब्याज की किस दर से किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत भारत ने कोष से तीन किस्तों में रकमों की खरीद की है जिनकी राशि 90.00 करोड़ एस० डी० आर० के बराबर है।

(ख) विस्तारित व्यवस्था के दूसरे वर्ष के सम्बन्ध में रकमों की खरीद के कार्यक्रम का अभी निर्धारण किया जाना है।

(ग) कोष की विस्तारित सुविधा के अन्तर्गत निकासियों में मिले-जुले रूप में साधारण धनराशियां और उधार लिए गए साधन शामिल हैं। 90.00 करोड़ एस० डी० आर० की राशि साधारण धनराशियों और उधार लिए गये साधनों के 1:1 के मिले-जुले अनुपात में उपलब्ध कराई गई है। धनराशियों के इन दोनों स्रोतों के लिए प्रभारों की दरें अलग-अलग हैं। 30 अप्रैल, 1982 तक साधारण स्रोत से प्राप्त धनराशियों के उपयोग पर ब्याज प्रभार की दर 6.25 प्रतिशत थी। पहली मई, 1982 से यह दर बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दी गई है। उधार के स्रोतों से प्राप्त धनराशियों के मामले में प्रभार की दर 31 दिसम्बर, 1981 तक 13.33 प्रतिशत थी। जनवरी—30 जून, 1982 की अवधि के लिए प्रभार की दर 12.97 प्रतिशत थी।

बिहार में कुटीर, मिनी तथा लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा ऋण न दिया जाना

245. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा विभिन्न बैंकों के मुख्य कार्यालयों ने बिहार स्थित अपनी शाखाओं से कोई ऐसे निदेश जारी किये हैं कि कुटीर, मिनी तथा लघु उद्योगों को, जो कि उत्पादकता-प्रयोजनों तथा स्वयं रोजगार के लिए स्थापित किए जा रहे हैं; कोई ऋण न दिये जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और न दिए जा रहे ऐसे ऋणों की अधिकतम सीमा कितनी है; और

(ग) गत दस महीनों में बिहार में, जिला-वार तथा मधुबनी व दरभंगा जिलों में खण्ड-वार, उपरोक्त वर्ग के कितने उद्योगों को ऋण दिये गये हैं तथा कितने प्रस्ताव अभी निर्णयाधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न तो उसने ही बैंकों को इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी किये हैं और न ही इसे अन्य बैंकों द्वारा बिहार में इनकी शाखाओं को इस प्रकार के किन्हीं अनुदेशों के जारी किए जाने की जानकारी है।

(ग) जून, 1980 के अन्त की (ताजा सूचना) की स्थिति के अनुसार बिहार में लघु उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए जिले-वार अग्रिमों की बकाया राशि विवरण में दी गयी है। जिलों में अलग-अलग खण्डों के वास्ते इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि

जिला	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपये)
1	2	3
औरंगाबाद	455	20.62
बेगूसराय	182	97.92
भागलपुर	2,038	372.25
भोजपुर	348	69.53
दरभंगा	624	69.67
धनबाद	964	700.58
पूर्वी चम्पाल	245	29.66
गया	546	153.74
गिरडीह	438	242.82
गोपालगंज	109	15.29
हजारीबाग	900	213.36
कटिहार	181	56.01
मधुबनी	388	15.86
मुंगेर	418	89.32
मुजफ्फरपुर	675	314.63
नालन्दा	561	56.69
नवादा	140	10.75
पलामू	707	117.15
पटना	1,650	1022.13
पूर्णिया	445	180.26
रांची	1,885	886.21
रोहतास	387	114.32

1	2	3
सहरसा	549	52.74
समस्तीपुर	209	37.90
संथाल परगना	2,886	197.57
सारन	366	39.34
सिंहभूम	1,380	694.35
सीतामढ़ी	519	28.85
सिवान	219	31.51
वैशाली	290	10.93
पश्चिमी चम्पारन	280	49.07

आयुध कारखाना महानिदेशालय के कर्मचारियों को चार्जमैन ग्रेड-दो के रूप में पदोन्नति

246. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आयुध कारखाना महानिदेशालय के कर्मचारियों को 2 वर्ष के सेवाकाल के पूरा होने पर चार्जमैन ग्रेड दो में पदोन्नति के बारे में 2-2-1981 को उच्चतम न्यायालय के 1981 की सिविल अपील सं० 441 (वीरेन्द्र कुमार और अन्य) बनाम भारत सरकार और तत्पश्चात् न्यायालय के 5 मार्च, 1982 के आदेश का कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5-3-1983 के आदेश के साथ पठित दिनांक 2-2-1981 के (1-2-1981 के नहीं) फैसले को कार्यान्वित करने की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। मामला शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यटन चार्टर

247. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन 38 पर्यटन चार्टर का ब्योरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : यूरोप से भारत आने वाले पर्यटन चार्टरों के ब्यौरों के बारे में बातचीत की जा रही है। अनन्तिम रूप से, अक्तूबर 1982 से सप्ताह में एक बार आधार पर इनका परिचालन होगा।

नकद क्षतिपूर्ति समर्थन योजना का मूल्यांकन

248. श्री बी० डी० सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नकद क्षतिपूर्ति समर्थन योजना की उपयोगिता अथवा अन्य किसी बात के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से किस सीमा तक निर्यात में वृद्धि हुई है और उसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक स्वदेशी मुद्रा देश में आयी; और

(ग) उन निर्यातों से, जिन पर अब तक नकद सहायता प्रदान की गई है, कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां। नकद प्रतिपूर्ति सहायता की योजना ने निर्यातों के सतत विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त मदों के निर्यातों की वृद्धि दर अन्य मदों के निर्यातों की तुलना में अधिक रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने वाली मदों के निर्यातों के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1979-80	2803.88
1980-81 (अनन्तिम)	3372.49
1981-82 (अनन्तिम)	3802.92

नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता

249. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नये उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सरकारी वित्तीय संस्थानों से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अधिकांश बड़े मामलों में, नये उद्यमकर्त्ता लघु औद्योगिक एककों को बढ़ावा देते हैं। लघु एककों को सहायता देने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किये गये निर्देश, अन्यों के साथ-साथ इस श्रेणी के नये उद्यमकर्त्ताओं के लिए भी लागू होंगे।

(ख) बैंक वित्त के प्रयोजनार्थ लघु उद्योगों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि 1985 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल अग्रिमों की कम से कम 40 प्रतिशत बैठनी चाहिए। लघु उद्योगों की सहायता की दृष्टि से सहायता प्रदान करने के वास्ते आवेदन-पत्रों और करार-पत्रों को सरल बना दिया गया है। शाखा-स्तर पर अधिकारों को और अधिक प्रत्यायोजित कर दिया गया है तथा आवेदनों के निपटान के वास्ते समय की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। यह भी निश्चित कर दिया गया है कि लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए मार्जिन अथवा प्रतिभूति या गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और प्रस्तावित परियोजना की अर्थक्षमता पर बल दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए ब्याज की दरें भी कम निश्चित की गयी हैं। यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि अदायगी कार्यक्रमों को एककों की अदायगी की क्षमता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाएं नये उद्यमकर्त्ताओं को अपने द्वारा प्रायोजित तकनीकी परामर्शी संगठनों के माध्यम से छोटे प्रवर्तकों के अंशदान, परामर्शी सुविधाओं जैसी रियायतें और विशेष सुविधाएं तथा जिन नये उद्यमकर्त्ताओं में नये उद्यम आदि स्थापित करने की आवश्यक उद्यमात्मक क्षमता है किन्तु साधनों की कमी है, उनकी मदद करने के वास्ते बुनियादी पूंजीगत सहायता भी प्रदान करती है।

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र एककों का कार्यकरण

250. श्री नारायण चौबे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र एकक अर्द्धपरिष्कृत सामान का आयात कर रहे हैं और उसे मामूली सा परिष्कृत कर विकासशील देशों को फिर से निर्यात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और उस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में सभी एककों की स्थापना की अनुमति कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के बोर्ड द्वारा उनके अनुमोदित किये जाने के बाद की जाती है। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के बोर्ड द्वारा अनुमोदित एकक निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं :

(1) वे एकक जो पूरी तरह से विनिर्मित की जाने वाली मदों जैसे स्टेनलैस स्टील के बर्तनों, परिधानों, साबुन, डिट्र्जेन्ट, प्रसाधन सामग्री तथा विद्युत संघटकों आदि में लगे हुए हैं।

(2) कुछ मामलों में उन एककों को अनुमोदित किया जाता है जहां शुरू में असेम्बली का काम संलग्न होता है और धीरे धीरे विनिर्माण की व्यवस्था की जाती है ।

(3) कुछ मामलों में, एककों को बड़ी मात्रा में उत्पादों का आयात करने और उपयुक्त रूप से उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके उनका निर्यात करने के लिए अनुमोदित किया जाता है ।

इन सभी मामलों में, कम से कम 30 प्रतिशत मूल्यवर्धन के लिए आग्रह किया जाता है और केवल उसी शर्त पर परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाता है ।

(ख) चूंकि क्षेत्र में कार्य कर रहे एकक कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के बोर्ड द्वारा किये गये अनुमोदित के अनुसार कार्य कर रहे हैं, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

आयकर विभाग, आन्ध्र प्रदेश में सुपरवाइजरों तथा इन्स्पेक्टरों में पदोन्नति के अवसर न होना

251. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में आयकर अधिकारियों में सुपरवाइजर तथा इन्स्पेक्टर स्तरों पर पदोन्नति के अवसर नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पालम हवाई अड्डे पर मूर्छित महिला यात्री

252. श्री अजित बाग : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1982 की रात्रि में अन्तर्राष्ट्रीय पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की प्रतीक्षा कर रहीं दो महिला यात्री बेहोश हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उनके बेहोश हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया था अथवा हवाई अड्डे पर सामान की निकासी में असाधारण विलम्ब हुआ था;

(घ) एक यात्री की निकासी में सीमाशुल्क अधिकारी कितना समय लेते हैं;

(ङ) क्या इस बारे में सरकार द्वारा अध्ययन कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि कोई अध्ययन नहीं किया गया है तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रत्येक यात्री की निकासी में अपेक्षित समय के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ज) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सूचकांक सम्बद्ध बीमा नीति

253. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 मई के हिन्दुस्तान टाईम्स में संरक्षण करने के लिए सूचकांक सम्बद्ध नीति सुझाव लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) सुझाव का ब्यौरा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई देशों में धन-वापिस पालिसी की अपेक्षा सावधि बीमा पालिसी पर बोनस अधिक दिया जाता है जबकि भारत में इस अवदलन को अभी तक अपनाया नहीं गया है;

(घ) अन्य देशों में किन कारणों से इस अन्तर का भुगतान किया जाता है; और

(ङ) क्या भारत में सावधि बीमा धारकों को भी बोनस में इस प्रकार के अन्तर का भुगतान करने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस लेख के लेखक ने एक सूचकांक-सम्बद्ध जीवन बीमा पालिसी शुरू करने का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत बीमाकृत राशि तथा प्रीमियम दोनों ही मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध होंगे। सरकार के विचार में यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ऐसे उपाय की प्रतिक्रिया अन्य क्षेत्रों में भी होगी।

(ग) से (ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा मनी-बैंक पलिसियां पहली अप्रैल, 1980 से जारी की जा रही हैं। बीमांककों के अनुसार इन पलिसियों पर उसी दर पर प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त हो सकेगा जिस दर पर जीवन बीमा निगम की बन्दोबस्ती पलिसियों पर होता है। फिर भी, बीमांककों द्वारा बीमांकन सम्बन्धी सावधिक जांच पड़ताल के समय निःसन्देह इस मामले की समीक्षा की जाएगी ताकि यह निर्णय किया जा सके कि क्या इन पालिसियों के अन्तर्गत बोनस के मामले में कोई अन्तर रखे जाने की जरूरत है या नहीं।

विदेशों में जारी की गई बन्दोबस्ती पालिसियों और मनी-बैंक पालिसियों के अन्तर्गत बोनस में अन्तर के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि बीमा सम्बन्धी

अनुभव और इसके परिणामस्वरूप पालिसियों के भिन्न-भिन्न समूहों को बोनस अर्जित करने की क्षमता एक ही देश में एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता से भिन्न होती है इसलिए जीवन बीमा निगम और विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा घोषित बोनस की उचित तुलना करना संभव नहीं होगा।

एयर इंडिया द्वारा अमेरिका/कनाडा में वाणिज्यिक गृहों/प्राइवेट पार्टियों से बकाया राशि की वसूली

254. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1978 को एयर इण्डिया द्वारा 4557 लाख रुपये की धनराशि वसूल की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि की वसूली सन्देहास्पद समझी गई और साथ ही कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई; और

(ग) एयर इण्डिया द्वारा अमेरिका/कनाडा के वाणिज्यिक गृहों/प्राइवेट पार्टियों से 197.41 लाख रुपये की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उसके क्या क्या परिणाम रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी; हां।

(ख) 31-3-1982 को संदेहास्पद समझे गए ऋण: 153.50 लाख रुपये के थे, 1-4-78 से 31-3-82 तक की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण 1:4.16 लाख रुपये।

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए एयर इण्डिया ने नियमित अनुवर्ती कार्यवाही की है जिसमें कानूनी कारंवाई भी सम्मिलित है। अब तक 146.14 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। शेष 2.66 लाख रुपये की राशि को, जिसे ठीक समझा गया है, वसूल करने के लिए प्रयत्न जारी हैं। 7.39 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। तथा 41.22 लाख रुपये को संदेहास्पद ऋण समझा गया है।

इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कम्पनी आफ डोहा/कतार के समाप्त हो जाने से इण्डियन बैंक द्वारा उठाई गई हानि

255. **श्री धर्मवीर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इण्डियन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कम्पनी (आई० आई० एफ० सी०) आफ डोहा, कतार के समाप्त हो जाने से हानियां हुई हैं;

(ख) उनको कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या आई० आई० एफ० सी० में निवेश निर्णय ठीक से किया गया था;

(घ) क्या निवेश का बीमा (इन्शोर्ड) हुआ था; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः इन्टरनेशनल फाइनेंस एण्ड एक्सचेंज कारपोरेशन, डोहा (इफेक) कतार के बन्द होने की ओर संकेत किया गया है। 'इफेक' के बन्द हो जाने से पांच भारतीय बैंकों अर्थात् इण्डियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया और इण्डियन बैंक को, जिनके 'इफेक' के साथ पारस्परिक प्रबन्ध थे, हानियां हुई हैं। इन बैंकों द्वारा दायर किये गए दावे 847.80 लाख रुपये के हैं।

(ग) और (घ) 'इफेक' द्वारा किए गये निवेश विषयक निर्णयों के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है हालांकि परिणामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे अक्षम नहीं थे। जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उन्होंने 'इफेक' की सामान्य शेयर पूंजी में निवेश नहीं किया है। चालू व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय बैंकों आहरण (ड्राइंग) सुविधाओं के साथ 'इफेक' जैसे विदेशी मुद्रा गृहों के अनिवासी रुपया खाते रखने की अनुमति है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान प्रबन्धों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद अनिवासी विदेशी मुद्रा गृहों के रुपया खाते खोलने और उनके संचालन को विनियमित करने के लिए रिजर्व बैंक में नये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं और संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे।

भारत और चीन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

256. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय शिष्टमण्डल ने अपनी चीन की यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां, विदेश मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने 10-15 दिसम्बर, 1981 तक चीन का दौरा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन से सम्बन्धित मामलों पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श हुआ। दोनों देशों के निर्यात तथा आयात हित की मदों का पता लगाया गया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिये उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस-निर्मित-मिसाइलों का प्राप्त किया जाना

257. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि फाकलैंड द्वीप समूह के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ हुए हाल के युद्ध में अर्जेन्टीना ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर फ्रांस निर्मित बमवर्षक जहाजों से किए गए हवाई-हमलों में कुछ एक्सोसेट मिसाइलों का प्रयोग किया था और उन युद्ध पोतों में से कुछ पोतों को डुबो दिया था;

(ख) क्या सरकार को इन समाचारों की भी जानकारी है कि पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार की फ्रांस-निर्मित मिसाइलें प्राप्त करली हैं; और

(ग) भारत की सुरक्षा की तैयारी के संदर्भ में, क्या भारत सरकार को इन परिवर्तनों की जानकारी है तथा उसने ऐसे सम्भावित खतरे का जो इन आधुनिकतम हथियारों के प्रयोग से उत्पन्न हो सकता है, सामना करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। इस प्रकार के संभावित खतरों का सामना करने के लिए अधुनातम किस्म के अस्त्रों को लगाया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेश-यात्राएं

258. श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सुभाष यादव :
श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1 अप्रैल, 1982 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान कुल कितने केन्द्रीय मंत्रियों ने विदेशों की यात्राएं की हैं;

(ख) उनकी यात्राओं के प्रयोजन क्या-क्या- थे;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) इन यात्राओं के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और ज्योंहि उपलब्ध हो जायेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जापान में भारतीय आभूषणों की मांग

259. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक कुशल कारीगरों से बने हस्तनिर्मित भारतीय आभूषणों को जापानी बाजार में निर्यात करने की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ख) शालीन हस्तनिर्मित भारतीय आभूषणों को जापान में बिक्री बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है; और

(ग) जापानी बाजार में हमारे आभूषणों की खपत बढ़ाने का प्रयास करने वाली भारतीय आभूषण फर्मों को सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) देश से आभूषणों के निर्यात की समग्र नीति के अन्तर्गत जापान को भारतीय आभूषणों के निर्यात करने की गुंजाइश है। जापान को भारतीय आभूषणों के निर्यात बढ़ाने हेतु किए जा रहे कुछ उपाय हैं : प्रतिनिधि-मण्डलों का आदान-प्रदान, बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण, भारतीय ज्वेलरों और जापान के ज्वेलरों के बीच अधिक घनिष्ट सम्पर्क।

ऋण कटौती में छूट

260. श्री जयनारायण रौत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपने नकद जमा धनराशि के अनुपात को कम करके और बैंकों को खाद्यान्न ऋण हेतु पुनः वित्त देने के लिए अपनी ऋण कटौतियों में पर्याप्त छूट की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऋण नीति में निम्नलिखित संशोधन घोषित किए गए हैं :—

(1) नकदी प्रारक्षित अनुपात 9 अप्रैल, 1982 से 7.75 प्रतिशत से घटाकर 7.25 प्रतिशत तथा 11 जून, 1982 से उसे और घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) गैर निवासी (विदेशी) रुपया खाता अन्तर्गत जमा राशियों के सम्बन्ध में नकदी प्रारक्षित अनुपात 9 अप्रैल, 1982 से 7.75 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) अनाज की वसूली के लिए ऋण के सम्बन्ध में पुनर्वित्त प्राप्त करने की पात्रता को बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर की राशि के 50 प्रतिशत तथा 2600 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर की राशि के 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

आशा है कि उपर्युक्त संशोधनों से बैंक मौसमी उद्योगों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में हो सकेंगे।

निर्यात शुल्क-वापसी के लिए मदों की संख्या में वृद्धि

261. श्री स्कारिया थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात-शुल्क वापसी के लिये मदों की संख्या में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1-6-82 से अनेक अतिरिक्त मदें, भारत से निर्यात किये जाने की दशा में सर्व उद्योग दरों पर शुल्क-प्रतिअदायगी पाने की पात्र हो गई हैं। इन अतिरिक्त मदों और अलग-अलग मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की संगत दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऐसी वस्तुओं की सूची, जिन पर 1-6-1982 से पहली बार सर्व उद्योग दरें लागू होंगी।

क्रम सं०	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
1	2	3
1.	फ्रूट जाम	85.00 रु० प्रति क्विंटल
2.	एल्यूमीनियम क्लोराइड	915.00 रु० प्रति मी० टन
3.	इंजेक्शनों के लिए आसुत जल	पैकिंग सामग्री पर प्रति अदायगी
4.	श्वेत रंजक कारक/फ्लुओरेसेंट विरंजक कारक	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
5.	अल्ट्रामैरिन ब्ल्यू	140.00 रु० प्रति मी० टन
6.	सुगंधी यौगिक	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6%
7.	जिंक फास्फाइड	6.00 रु० प्रति किलोग्राम
8.	ग्लास फाइबर से बने व पोलिएस्टर राल से दृढ़ीकृत हैलमेट खोल	8.00 रु० प्रति किलोग्राम
9.	ग्लास फाइबर से बने व पोलिएस्टर राल से दृढ़ीकृत कुशनार व उपांग सहित हेलमेट	9.50 रु० प्रति किलोग्राम
10.	फैन बैल्टों सहित "वी" बैल्टें (पोलिएस्टर से बनी)	10.00 रु० प्रति किलोग्राम
11.	फैनबैल्टों सहित "वी" बैल्टें (रेयन से बनी)	3.25 रु० प्रति किलोग्राम
12.	ब्यूटाइल रबर से बने वाल्वशुदा बाइसिकल/साइकिल रिक्शा ट्यूबें	5.40 रु० प्रति किलोग्राम
13.	पूर्णतः ब्यूटाइल रबर से बनी वस्तुएं	4.50 रु० प्रति किलोग्राम
14.	चमड़े के औद्योगिक दस्ताने	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6%
15.	चमड़े के बैग, खलोते, बटुए	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4%
16.	सजावटी प्लाइवुड तथा/या ब्लाक बोर्ड	60.00 रु० प्रति परत, प्रति 100 वर्ग मीटर

1	2	3
17.	फ्लश डोर्स	100.00 रु० प्रति परत, प्रति 100 वर्ग मीटर
18.	ग्लासिन पेपर से बनी वस्तुएं	5.00 रु० प्रति किलोग्राम
19.	देसी कागज से बने मुद्रित पोस्टकार्ड/बधाई पत्र	2.00 रु० प्रति किलोग्राम
20.	विदेशी कागज से बने मुद्रित पोस्टकार्ड/बधाई पत्र	18.00 रु० प्रति किलोग्राम
21.	मुद्रित काटन तथा/या बक्से	बक्सों/कार्टनों पर प्रदत्त वास्तविक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा
22.	कता हुआ असतत धागा जिसमें गैर सैलूलोजिक तंतु का मानव निर्मित तंतु अधिक हो।	संगज कागज पर प्रति अदायगी
	(i) धागा जिसमें 70% से कम पोलिएस्टर तंतु अथवा पोलिएस्टर, सूत और सैलूलोजिक मूल का मानव निर्मित तंतु हो लेकिन अन्य कोई अन्य तंतु न हो	23.00 रु० प्रति किलोग्राम
	(ii) अन्य	31.20 रु० प्रति किलोग्राम
23.	नकली रेशम अन्तर्वस्तु वाले मिश्रित फैब्रिक के असली मद्रासी रूमाल	2.50 प्रति किलोग्राम
24.	विरंजित/सफेद सूती टैरिटावल	15.00 रु० प्रति क्विंटल
25.	इन्जैक्शन वाली दवाईयों की शीशियां जब उन्हें ऐसे ही निर्यात किया गया हो अथवा दवाईयों को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो	6270.00 रु० प्रति मी० टन
26.	तार वाला और चित्रित कांच	स्वदेशी और आयातित इस्पात और कांच की अनुसूची में यथा उल्लिखित प्रति अदायगी।
27.	22 एस० डब्ल्यू० जी० और अधिक माप के जस्तीकृत इस्पात की तारों से बनी वस्तुएं	965.00 प्रति मी० टन
28.	पीतल से बनी वस्तुएं	13.65 रु० प्रति किलोग्राम
29.	पीतल सैमिस	13.65 रु० प्रति किलोग्राम

1	2	3
30.	जस्त कैलट	8.75 रु० प्रति किलोग्राम
31.	जस्ता सैमिस	8.75 रु० प्रति किलोग्राम
32.	स्टेनलैस स्टील की चद्दरों/पट्टियों/घेरों से बनी वस्तुएं	14.50 रु० प्रति किलोग्राम
33.	मुख्यत: पीतल से बने वातिल वाल्व	11.10 रु० प्रति किलोग्राम
34.	उपांगों सहित अथवा उसके बिना पीसने वाली मशीन	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
35.	मैकेनिकल/हाइड्रोलिक पावर प्रेस	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 7.5%
36.	गिलोटीन शियर्स	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
37.	अनेक तकुवों/प्री सलैक्टर और/अथवा स्वचालित नियंत्रणों वाली विशेष प्रयोजन वाली मशीनें	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 10%
38.	उपांगों सहित अथवा उसके बिना खराद	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3%
39.	चुंबकीय संयोजन जिसमें पिघली हुई मिश्र-धातु के स्थिरगुणी चुंबक लगे हों	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 25%
40.	टंगस्टन कार्बाइड नोक, इन्सर्ट, प्लेट, छड़ और घेरे	125.00 रु० प्रति किलोग्राम
41.	टंगस्टन कार्बाइड नोक, इन्सर्ट, प्लेट, छड़ और घेरे जिसमें टैन्टालम नियोबियम कार्बाइड शामिल हैं	दरें अनुसूची में दिए अनुसार
42.	टंगस्टन कार्बाइड के नोकदार पीतल चढ़े औजार	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 6.5%
43.	टैंटालम नियोबियम कार्बाइड युक्त टंगस्टन कार्बाइड के नोकदार पीतल चढ़े औजार	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 14%
44.	एल्यूमीनियम के पिस्टन/पिस्टन संयोजन	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 8%
45.	एल्यूमीनियम के अनमशीनड पिस्टन	5.70 रु० प्रति किलोग्राम
46.	इन्लैट और एग्जास्ट वाल्व	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 9%
47.	पावर स्टेशन जिनमें उनके पुर्जे और उपांग शामिल हैं	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 15%

1	2	3
48.	हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टर्बाइन जिसमें उसके पुर्जे और उपांग भी शामिल हैं	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 15%
49.	हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए जनित्र जिसमें उसके पुर्जे और उपांग भी शामिल हैं	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 15%
50.	शक्ति चालित कृषि मशीन	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%
51.	ब्लो रूम लाइन मशीन अर्थात् मिक्सिंग बेल ओपनर, आटोमिक्सर, पोप्पर फीडर डबल स्कचर और ई० आर० एम० क्लीनर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5
52.	अन्यथा अविनिर्दिष्ट ब्लो रूम लाइन मशीन उसके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2%
53.	धुनाई मशीनों के लिए फ्लैट टाप्स	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5%
54.	ड्राफेस	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4%
55.	पिरन बाइंडर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
56.	संश्लिष्ट रबड़ एप्रन	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
57.	कोन वाईडिंग मशीन	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5%
58.	हथकरघा से भिन्न सभी प्रकार के करघे	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4%
59.	मुख्यतः स्टेनलैस स्टील से निर्मित जैटडाइंग और अन्य आटोमैटिक डाईंग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9%
60.	टैक्सटाइल पर प्रक्रिया करने वाली मशीन अर्थात् कलैंडरिंग मशीन, रोटरी प्रिंटिंग मशीन	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5%
61.	लैम्पिंग मशीनें	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%
62.	उपांगों सहित अथवा उनके बिना टर्न की मशीनें/संयंत्र, जिसमें उसके वातानुकूलन संयंत्र भी शामिल हैं	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5%
63.	कागज/प्लास्टिक शंकु	सामग्री अन्तर्वस्तु पर प्रतिअदायगी
64.	चाय निर्मातक मशीनें और उनके पुर्जे तथा उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6%
65.	गढ़े हुए और मशीन किये गये स्टेनलैस के पुर्जे और मशीनों के उपांग	14.50 रु० प्रति किलोग्राम

1	2	3
66.	पैट्रोल/डीजल/गैसोलीन/मिट्टी तेल मापी तथा वितरण पम्प	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 11%
67.	वाष्प बायलर, उनके पुर्जे तथा उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
68.	चीनी मिलों की मशीनें उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
69.	लुगदी/कागज निर्माणक मशीनें, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
70.	धान सेलीकरण, यांत्रिक शोष्क और चावल मिल मशीनें, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
71.	एस्बेस्टास सीमेंट की चद्दरें/दाव नलिकाएं बनानें वाली मशीनें, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
72.	विस्कोस स्टेपल तन्तु निर्माणक संयंत्र/मशीनें, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
73.	सीमेंट बनाने वाला संयंत्र/मशीनरी, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
74.	जल उपचार संयंत्र	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
75.	वनस्पति तेल विलायक निस्सारण संयंत्र, उसके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
76.	मृदु फेराइट संघटक (टी० वी० याक, ई० कोर, सी० कोर यू० कोर और पाट कोर)	1.45 रु० प्रति किलोग्राम
77.	मृदु फेराइट संघटक (ऐन्टीना छड़, कप कोर, ड्रम कोर, स्क्रू कोर और वाइड वैण्ड चौक)	7.50 रु० प्रति किलोग्राम
78.	दूर संचार उपकरण, उनके पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10%
79.	लैम्पों के पुर्जे (लैम्पों के पीतल के स्क्रू कैप)	7.00 रुपये प्रति किलोग्राम
80.	मोटर गाड़ियां, जिनमें मोटर-गाड़ियों की चेसिस भी शामिल हैं, और जिनमें आयातित इंजिन लगे हों	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत जमा आयातित इंजिनों पर लगने वाला शुल्क
81.	मोटर, गाड़ियां, जिनमें मोटर-गाड़ियों की चेसिसें शामिल हैं जिनमें आटो पारेषण और/अथवा वातानुकूलन उपकरण लगे हों	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत जमा आटो पारेषण/वातानुकूलन उपकरण पर लगने वाला शुल्क
82.	ट्रैक्टर, जिनमें कृषि ट्रैक्टर भी शामिल हैं	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6%

1	2	3
83.	ट्रेक्टरों के ट्रेलर	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 6%
84.	साइकिल डाइनमो लाइटिंग सेट	6.00 रुपये प्रति सेट
85.	मोपेड और शक्ति चालित अन्य साइकिलें	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
86.	अन्यथा अविनिर्दिष्ट स्टील फर्नीचर	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3.5%
87.	पोलियूरीथीन/रबड़ फोम और/अथवा पी० वी० सी० लेदर कपड़ा लगा स्टील फर्नीचर	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत
88.	स्टील कप बोर्ड अलमारियां, स्टील से बने फाइल रखने वाले खोखे और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं	800.00 रु० प्रति मी० टन
89.	स्टैनलेस स्टील की चद्दरों/पट्टियों/घेरों से बने अन्य औजार	25.00 रुपये प्रति किलोग्राम
90.	प्लानो रंगीन/रंगे हुए लैंस	1.80 रु० प्रति जोड़ी
91.	प्लानो फोटो क्रोमिक लैंस	7.00 रु० प्रति जोड़ी
92.	फुटबाल/सोसर बाल/रगबी बाल/नेट बाल/हैण्ड बाल/वास्टकेट बाल/वोलीबाल और इसी प्रकार की बालें	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
93.	क्रिकेट/हाकी बालें और अन्य कार्क बालें	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
94.	सभी प्रकार के टेनिस/स्क्वेश/बैड मिन्टन राकेट, गट् सहित अथवा उसके बिना	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3%
95.	क्रिकेट बैट	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 4%
96.	हाकी स्टिक	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 7%
97.	क्रिकेट, हाकी, बाक्सिंग, फुटबाल और अन्य खेल-कूदों में इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5%
98.	लेग गार्ड, एब्डोमिनल गार्ड और खेल-कूद के अन्य सुरक्षात्मक उपकरण	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 8%
99.	खेलों और खेल-कूद में आवश्यक रबड़ ब्लेडर	सामग्री अन्तर्वस्तु पर प्रति अदायगी
100.	खिलौने	सामग्री अन्तर्वस्तु पर प्रति अदायगी

धन-कर से प्राप्त राजस्व और इसकी वसूली पर आया खर्च

262. **श्री सूरज भान ।**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन-कर लगाने के 25 वर्ष बाद भी इससे अब तक मात्र 64 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और इसकी वसूली पर आने वाली लागत का प्रतिशत आयकर की वसूली पर आने वाली लागत के प्रतिशत के दुगने से भी अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक अध्ययन से यह पता चला है कि निगमित क्षेत्र के आवरण के कारण धन-कर सरकार पर एक बोझा बन गया है और इसकी बारीकी से जांच की आवश्यकता है;

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के आयकर और धन-कर के सम्बन्ध में वसूल किए गए कर पर आई वसूली लागत की प्रतिशतता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि धन-कर लगाने के 25 वर्ष बाद भी, इससे मात्र 64 करोड़ रु० का राजस्व प्राप्त हुआ है । पिछले वित्तीय वर्ष, अर्थात्, 1981-82 के लिए राजस्व 79.96 करोड़ रु० है । यह राजस्व, जैसा कि अनुबन्ध 'क' में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है, साल-दर-साल बढ़ता रहा है । वसूली की लागत के सम्बन्ध में कृपया भाग (घ) का उत्तर देखें ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कृपया, संलग्न विवरण पर चार्ट देखें ।

विवरण-1

1972-73 से 1981-82 तक के वर्षों के दौरान धन-कर की वसूली दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वसूली
1972-73	35.94
1973-74	35.78
1974-75	39.23
1975-76	53.73
1976-77	60.44
1977-78	* 48.46
1978-79	55.41
1979-80	64.47
1980-81	67.43
1981-82	79.96

टिप्पणी : * धन-कर की दरें, इस वर्ष, अर्थात् 1-4-1977 से घटा दी गई थीं ।

विवरण-2

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आय-कर**			धन-कर		
	कुल कर-वसूली	आय-कर पर कुल वसूली खर्च	प्रतिशतता	कुल कर-वसूली	धन-कर पर कुल वसूली खर्च	प्रतिशतता
1979-80	1340.31	41.48	3.09%	64.47	3.69	5.72%
1980-81	*1506.39	47.50	3.15%	67.43	4.22	6.26%
1981-82	*1730.82	53.90	3.11%	79.96	4.79	5.99%

*अनन्तिम

**निगम कर को छोड़कर

जूट उद्योग को लाभ/हानि

263. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सात वर्षों में, वर्ष-वार, जूट उद्योग को कितनी धनराशि का लाभ/हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : वर्ष 1973-74 से 1978-79 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षणों तथा वर्ष 1979-80 के लिए पश्चिम बंगाल के मिलों के तुलन-पत्रों का भारतीय जूट मिल एसोसिएशन द्वारा किए गए विश्लेषण पर आधारित जूट मिलों द्वारा उपर्युक्त वर्षों के लिए उठाये गए लाभ तथा हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	आधार		
	उन जूट मिलों की संख्या जिनका भा० रि० बैंक/भा० जू० मिल एसोसिएशन द्वारा अध्ययन किया गया।	शुद्ध लाभ (+) हानि (—) (कराधान पश्चात्) लाख रु०	
1973-74	44	(—)	578
1974-75	44	(+)	769
1975-76	37	(—)	121
1976-77	37	(—)	1194
1977-78	36	(—)	1251
1978-79	36	(—)	762
1979-80	31	(+)	3857

भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के अनुसार 1979-80 में पर्याप्त लाभ का कारण इस वर्ष सप्लाई की अड़चनों के कारण पटसन माल की कीमत में असामान्य तेजी है। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारत की विदेशी ऋण दायिता

264. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 के अन्तस्थिति के अनुसार एक भारतीय औसतन 250 रुपये के विदेशी ऋण का कर्जदार है;

(ख) क्या तबसे अब तक इसमें और वृद्धि हुई है;

(ग) इसके मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत की जनसंख्या के 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर दिसम्बर, 1981 तथा मार्च, 1982 के अन्त तक एक भारतीय की औसत विदेशी कर्जदारी की राशि क्रमश: 219 रुपये और 226 रुपये के लगभग बैठती है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता के संवितरणों में वृद्धि मुख्य रूप से आयोजना में शामिल की गई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित वचनबद्धता की रकमों के तेजी से उपयोग के कारण हुई है।

सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विदेशी कर्जदारी को उत्तरोत्तर कम किया जा सके। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) देश में और तेल प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के काम में वृद्धि करना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी करना।

(2) सीमेंट, उर्वरकों, अलौह धातुओं, इस्पात आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में, क्षमता के उपयोग में सुधार करके तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके आयात प्रतिस्थापन करना।

(3) मूलभूत ढांचे की कठिनाइयां और विशेष रूप से बिजली, परिवहन और पत्तनों सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करके निर्यात का बेहतर निष्पादन करना, उत्पादन बढ़ाकर अधिक निर्यात अधिशेष उत्पन्न करना, प्रोत्साहन प्रणाली के साथ-साथ भारतीय उद्योग में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता के विकास में सुधार करना जिससे निर्यात व्यापार लाभकारी हो जाए और सक्रिय तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले, आदि।

(4) ऐसे उपाय अपनाना जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से अधिक राशियां प्राप्त करने के काम को प्रोत्साहन मिल सके।

(5) ऐसी विदेशी वित्तीय नीति अपनाना जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक आयात, विशेष रूप से विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले आयात में कोई रुकावट न आए, विदेशों से उधार ली गई राशि की लागत कम की जा सके और ऋण परिशोधन के दायित्व उचित सीमाओं में रखे जा सकें।

विदेशी ऋण

265. **श्री माधवराव सिन्धिया :**
श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982, 1981 और 1980 को भारत पर विदेशी ऋण कितना था;

(ख) क्या इन वर्षों में विदेशी ऋण में काफी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और विदेशी ऋणों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकारी खाते में भारत का विदेशी ऋण जून, 1980 और 1981 के अन्त में क्रमशः 12094.87 करोड़ रुपये और 14125.13 करोड़ रुपये का था। जून 1982 को समाप्त हुई अवधि के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के खाते अभी अनन्तिम रूप से बन्द नहीं किए गए हैं। फिर भी, मार्च, 1982 के अन्त में विदेशी ऋण के अनन्तिम आंकड़े 15458.84 करोड़ रुपये के थे।

(ख) और (ग) विदेशी ऋणों में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण आयोजना में शामिल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित पहले दिए गए वचनों में से सहायता की तेजी से संवितरण किया जाना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाते है कि विदेशी वित्तपोषण को उत्तरोत्तर कम किया जाए और ऋण भार को उचित सीमाओं में रखा जाए। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं कि विदेशी ऋणों को उत्तरोत्तर कम किया जाए। इनमें ये उपाय शामिल हैं:—

(1) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के काम में वृद्धि करना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी करना।

(2) सीमेंट, उर्वरकों, अलौह धातुओं, इस्पात आदि जैसे मुख्य क्षत्रों में क्षमता के उपयोग में सुधार करके तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके आयात प्रतिस्थापन करना।

(3) मूलभूत ढांचे की कठिनाइयों और विशेष रूप से बिजली, परिवहन और पत्तनों सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करके निर्यात का बेहतर निष्पादन करना, उत्पादन बढ़ाकर अधिक निर्यात अधिशेष उत्पन्न करना, प्रोत्साहन प्रणाली के साथ-साथ भारतीय उद्योग में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता के विकास में सुधार करना जिससे निर्यात व्यापार लाभकारी हो जाए और सक्रिय तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले, आदि।

(4) ऐसे उपाय अपनाना जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से अधिक राशियां प्राप्त करने के काम को प्रोत्साहन मिल सके।

(5) ऐसी विदेशी वित्तीय नीति अपनाना जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक आयात, विशेष रूप से विकास-कार्यों के लिए किए जाने वाले आयात में कोई रुकावट न आए, विदेशों से उधार ली गई राशि की लागत कम की जा सके और ऋण परिशोधन के दायित्व उचित सीमाओं में रखे जा सकें।

विश्व व्यापार में भारतीय अभ्रक के हिस्से में कमी

266. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विभिन्न देशों की कड़ी प्रतियोगिता के कारण विश्व व्यापार में भारतीय अभ्रक के व्यापार में कमी आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय अभ्रक (अर्थात् साधित फैब्रिकेटिड तथा विनिर्मित) के कुल निर्यात निरन्तर बढ़ते रहे हैं।

उत्तर बंगाल में चाय उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे

267. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर बंगाल के चाय उद्योग में कोयला व्यापारियों की उस गुटबन्दी की ओर दिलाया है जो चाय उद्योग की विवशता की स्थिति में डाल रही है, और यह सुझाव दिया है कि कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो उत्तर बंगाल में चाय उद्योग ने और क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाए है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जहां तक कोयला व्यापारियों की गुटबन्दी का सम्बन्ध है, भारत के चाय बोर्ड को चाय उद्योग या किसी चाय संघ से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस मामले पर विचार विमर्श 3-8-1981 को नई दिल्ली में हुई चाय सम्बन्धी राष्ट्रीय बैठक में किया गया, जिनमें रेल मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उपस्थित था। बैठक में रेलवे से चाय

बागानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के परिवहन के लिए पूर्ण ढुलाई सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया गया। अभी हाल ही में, चाय बोर्ड द्वारा 4-2-82 को उत्तरी बंगाल में चाय बागानों को कोयले की ढुलाई की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए चाय उत्पादन संघों, रेलवे तथा कोल इण्डिया के साथ एक बैठक की गई। रेलवे के प्रतिनिधि को बताया गया कि 1981 में चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित 120 रेक्स में से रेलवे ने केवल 30 रेक्स उपलब्ध कराये। इस प्रकार उद्योग को कोयले की शेष आवश्यकता उच्चतर लागत पर सड़क परिवहन द्वारा पूरी करनी पड़ी। पूर्वी रेलवे के प्रतिनिधि ने बताया कि पावर हाउसों के लिए कोयले के भारी मात्रा में लदान की व्यवस्था करने की वजह से उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए लदान की प्रतिशतता काफी बढ़ गई थी। अतः चाय उद्योग को गैर प्राथमिकता उद्योग होने के नाते इसका कोटा नहीं दिया जा सका। अतः उन्होंने आश्वासन दिया कि रेलवे चाय बागानों के लिए कोयले की ढुलाई में सुधार करने का प्रयत्न करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधुनिकतम विमानन उपकरणों का लगाया जाना

268. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधुनिकतम विमानन उपकरणों के लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कार्य कब शुरू हो जायेगा और इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। परिष्कृत विमानन उपकरणों का प्रतिस्थापन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इनकी आयोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप परिचालनात्मक अपेक्षाओं के आधार पर की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में, अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर रेडियो, दिक्चालन तथा वैमानिक संचार सुविधाओं के प्रतिस्थापन/वृद्धि करने के लिए 19. 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सभी योजनाओं के छठी योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

राज्यों द्वारा "ओवरड्राफ्ट" किया जाना

269. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक राशि का ऋण लिया है हालांकि केन्द्र ने इस पद्धति के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की नवीनतम 'ओवरड्राफ्ट' स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

26 जून, 1982 को राज्यों की ओवरड्राफ्टों की स्थिति

		(करोड़ रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.03
2.	असम	123.74
3.	बिहार	218.17
4.	गुजरात	111.24
5.	हरियाणा	93.88
6.	हिमाचल प्रदेश	32.93
7.	कर्नाटक	53.79
8.	केरल	128.57
9.	मध्य प्रदेश	156.49
10.	महाराष्ट्र	82.11
11.	मणिपुर	64.38
12.	मेघालय	14.25
13.	नागालैंड	16.08
14.	उड़ीसा	24.37
15.	पंजाब	154.45
16.	राजस्थान	304.35
17.	तमिलनाडु	—
18.	त्रिपुरा	26.12
19.	उत्तर प्रदेश	41.21
20.	पश्चिम बंगाल	402.53*
	जोड़ :	2085.69

*भारतीय रिजर्व बैंक के कलकत्ता कार्यालय को छोड़कर, जिसकी स्थिति 6 मई, 1982 के अनुसार है।

टिप्पणी : भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्मोचन के परिणामस्वरूप इन ओवरड्राफ्टों का अब निपटान कर दिया गया है।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

270. **श्री सुभाष यादव :**

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1982 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में भारत के आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने लोग आए और उनके नाम क्या हैं;

(ग) किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) यदि सरकार को कोई सिफारिश की गई हो तो वह क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) दिल्ली, अमृतसर जलन्धर, लुधियाना, पटियाला, रोहतक, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, रांची, कलकत्ता, भुवनेश्वर, शिलांग, जबलपुर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदा तथा सूरत में स्थिति आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन 29 से 31 मई, 1982 तक नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वालों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है। इनके अलावा, सम्मेलन को वित्त मंत्री, राजस्व तथा व्यय राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) द्वारा भी सम्बोधित किया गया था।

(ग) सम्मेलन में मोटेतौर पर निम्नलिखत विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(1) 1982-83 के लिए कार्य योजना—उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्यपद्धति पर जोर देते हुए, उद्देश्यों की रूप-रेखा;

(2) कर अपवंचन से निपटने की कार्यपद्धति;

(3) कर-निर्धारणों की गुणवत्ता में सुधार लाना;

(4) जन-सम्पर्क तथा कर-दाताओं की सहायता; तथा

(5) उत्पादकता वर्ष में विभाग के समक्ष कार्य।

सम्मेलन में, स्थायी आदेशों के अनुरूप, राजभाषा के नीति के कार्यान्वियन पर भी चर्चा की गई और उसकी समीक्षा की गई।

(घ) तथा (ङ) आयुक्तों में, सम्मेलन में विचार किए गए विभिन्न विषयों के बारे में, अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया और ऐसे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपाय सुझाये, जिनका उपयोग अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ कर-कानूनों के बेहतर स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने, कार्य-निपटान में तीव्रता लाने, विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न बाध्यताओं

के प्रभाव को न्यूनतम करने और करदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने, करनिर्धारणों की गुणवत्ता में सुधार लाने और कर-अपवंचन के प्रभावी ढंग से निपटने के क्षेत्र में भी, विभागीय कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। इनमें से कई सुझावों पर चर्चा की गई और सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी आयुक्तों द्वारा उन्हें प्रयोग के लिए स्वीकार कर लिया गया। इन पर मुख्य रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी है। कुछेक सुझावों के सम्बन्ध में, जिनकी आगे जांच की जानी अपेक्षित है, प्रथमत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उक्त सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर अभी सरकारी प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. श्री जगदीश चन्द
2. श्री के० जी० नायर
3. श्री बी० चिदम्बरम्
4. श्री एन० सुब्रह्मणन्
5. श्री एन० एस० राघवन
6. श्री एस० एस० कपूर
7. श्री ए० एस० उन्यीनायर
8. श्री पी० के० मित्रा
9. श्री एस० डी० मनचन्दा
10. श्री एस० एन० सेन
11. श्री हरगोविन्द
12. श्री डी० एन० चौधरी
13. श्री टी० आर० अग्रवाल
14. श्री पी० श्रीनिवासन
15. श्री सी० के० टिक्कू
16. श्री कंवल किशन
17. श्री एस० बी० जैन
18. श्री के० सिंह
19. श्री कं० के० धर
20. श्री बी० यू० इरानी
21. श्री एल० आर० जैन
22. श्री बी० पी० भगत

23. श्री जी० एन० गुप्त
24. श्री ए० एस० थिन्द
25. श्री एस० सी० पराशर
26. श्री आर० कपूर
27. श्री चुन्नी लाल
28. श्री एस० पी० पान्डे
29. श्री एस० द्विवेदी
30. श्री धरनी धर
31. श्री हीरा सिंह
32. श्री एस० पी० सिंह
33. श्री सी० बी० राठी
34. श्री जी० ए० जेम्स
35. श्री जी० सी० पन्त
36. श्री बी० सी मित्रा
37. श्री गंगा प्रसाद
38. श्री एस० बी० लाल
39. श्री सी० डी० बासू
40. श्री अजीत सिन्हा
41. श्री एस० के० घटक
42. श्री डी० आर० चक्रवर्ती
43. श्री के० सी० चन्द
44. श्री बी० एस० रस्तोगी
45. श्री जी० बी चन्द
46. श्री एस० एन० श्रीवास्तव
47. श्री सी० एस० पान्डे
48. श्री राजेन्द्र मोहन
49. श्री बी० एस० शर्मा
50. श्री आर० सी० गुप्त
51. श्री एन० ओ० पारिख
52. श्री पी० जी० गान्धी

53. श्री सरोज कुमार
54. श्री एस० एस० फड़के
55. श्री ए० एस० भाटिया
56. श्री के० आर० राघवन
57. श्री एच० के० सोन्धी
58. श्री डी० सी० अग्रवाल
59. श्री वाई० पी० सूद
60. श्री एम० एस० याज्ञिक
61. श्री टी० पी० झुनझुनवाला
62. श्री यू० एस० जोशी
63. श्री आर० एस० अग्रवाल
64. श्री वी० के० अग्रवाल
65. श्री ए० पी० सक्सेना
66. श्री एस० एम० चिकरमने
67. श्री एस० आर० बधवा
68. श्री टी० बी० सुन्दरराजन
69. श्री एम० एम० पारिख
70. श्री आर० नटराजन्
71. श्री ओ० एस० कुट्टी
72. श्री आर० आर० खोसला
73. श्री ओ० पी० भारद्वाज
74. श्री आर० लेइखाम
75. श्री पी० एल० कनौजिया
76. श्री विश्वम्भर नाथ
77. श्री एस० सी० बहल
78. श्री जे० एन० शर्मा
79. श्री आर० सी० गुप्त
80. श्री जे० पी० शर्मा
81. श्री जी० सी० अग्रवाल
82. श्री के० एम० चौधरी

83. श्री के० एम० साहनी

84. श्री एम० सी० जोशी

85. श्री जे० सी० मेहदीरत्ता

86. श्री वी० वी० एस० शास्त्री

87. श्री एच० एम० सेरना

88. श्री आर० आर० गुप्त

टिप्पणी :—जिन व्यक्तियों ने सम्मेलन में सहयोग दिया उनके नाम उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं हैं।

पेरिस में भारत-सहायता सार्थ समूह की बैठक

272. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ समूह द्वारा प्रायोजित 15 जून, 1982 को पैरिस में हुई विश्व बैंक की 25वीं बैठक द्वारा भारत के लिए 1982-83 हेतु विकास सहायता के लिए कुल कितनी धनराशि का वचन दिया गया;

(ख) इसमें विश्व बैंक समूह का भाग कितना होगा और सार्थ-समूह के सदस्य देशों का अलग-अलग भाग कितना होगा; और

(ग) सहायता राशि का कितना भाग विशेषज्ञ परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत सहायता संघ की 14-15 जून, 1982 को हुई बैठक में सहायता संघ के सदस्यों ने वर्ष 1982-83 के लिये 3.66 अरब डालर की आर्थिक सहायता देने का संकेत दिया।

(ख) चूंकि सहायता संघ की बैठक में दिए गये वचनों का विभिन्न दाताओं के अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन किया जाना होता है इसलिए अलग-अलग देशों के हिस्से का संकेत इस देना संभव नहीं है। फिर भी, प्रारम्भिक संकेतों के अनुसार विश्व बैंक ने 2.2 अरब अमेरिकी डालर की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है।

(ग) बैठक में सामान्य स्वरूप के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था और किसी विशेष परियोजना के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई।

निर्बाध व्यापार क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करना

273. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बाध व्यापार क्षेत्रों का विकास करने और संचालन करने तथा निर्यातोन्मुख

एककों को शत प्रतिशत सहायता देने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये गठित की गई इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) श्री पी० एल० टण्डन, प्रेसीडेन्ट व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने, जिसे मुक्त व्यापार जोनों के कार्यचालन की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें इस आशय की सिफारिश है ।

(ग) भारत सरकार ने देश में और मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

राज्यों में जमा हुआ नियन्त्रित कपड़ा

274. श्री पी० के० कोडियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा निर्मित 85 करोड़ रुपये मूल्य का नियन्त्रित कपड़ा राज्यों में खरीददारों के अभाव में वितरण केन्द्रों में पड़ा खराब हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खरीददार के अभाव का एक कारण गत वर्ष जुलाई में विभिन्न प्रकार के नियन्त्रित कपड़े के लिए निर्धारित उच्च मूल्य है;

(ग) क्या नैशनल कन्ज्यूमर्स फैडरेशन और राज्यों की एजेंसियों ने मांग की कमी तथा भारी मात्रा में जमा भण्डारों को देखते हुए केन्द्र से अनुरोध किया है कि वे नियन्त्रित कपड़े की योजना पर पुनर्विचार करें; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) इसके कम उठान के कारणों में से एक कारण कीमतों में अचानक वृद्धि था।

(ग) तथा (घ) विभिन्न स्रोतों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार से कन्ट्रोल के कपड़े की विभिन्न किस्मों की उपभोक्ता कीमतें कम करने और वितरक एजेन्सियों को पहले वाला वितरण मार्जिन को पुनः आरम्भ करने का आग्रह किया गया है । उपभोक्ता कीमतों को संशोधित करने अथवा वितरण मार्जिन को बढ़ाने को उचित नहीं पाया गया है । तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने उपभोक्ताओं को दिए जाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की छूट दी है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण देना

275. श्री ए० टी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितने गांवों में लक्ष्य था और (30 जून, 1982 तक) ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि कोई गांव विशेष एक विशेष वाणिज्यिक बैंक के अन्तर्गत कर दिया जाता है परन्तु व्यवहार में बैंक कर्मचारी ग्रामीणों को इस आधार पर ऋण देने से इनकार करते हैं कि उक्त गांव या तो "दुरूह" क्षेत्र में हैं अथवा दूरी पर स्थित हैं जहां वे जाना नहीं चाहते और योजना केवल कागजी योजना ही रह जाती है; और

(ग) सरकार का ऐसे ग्रामीण को इन कठिनायों से मुक्त कराने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ग्राम अंगीकरण योजना के अन्तर्गत गांवों को व्याप्त करने के लिए बैंकों के वास्ते कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते ।

भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी बैंक द्वारा किसी गांव के अंगीकृत कर लिए जाने से, अन्य बैंकों द्वारा उस क्षेत्र में वित्त पोषण करने पर अनिवार्यतः कोई पाबन्दी नहीं है। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अर्थक्षम योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल इस वजह से नामंजूर न कर दें कि यह आवेदन-पत्र उनके सामान्य सेवा क्षेत्र के बाहर से आये हैं, बशर्ते कि वे ऐसा समझे कि वे इस प्रकार के ऋणों की वसूली बखबी कर सकते हैं ।

सरकारी क्रयादेश प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा मिल द्वारा अदा किया गया कमीशन

276. **श्री अरुण कुमार नेहरू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को क्रयादेश देते हुए दोनों केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के एककों को कमीशन एजेन्टों के माध्यम से कार्य करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो गत 2 वर्षों के दौरान सरकारी क्रयादेश प्राप्त करने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अदा किया गया कमीशन कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) कुछ एन० टी० सी० अनुषंगी निगमों ने समय-समय पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से तथा अन्य अभिकरणों की अपने उत्पादन की बिक्री के लिए कमीशन आधार पर एजेंट नियुक्त किए हैं। कमीशन की दर 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक है ।

सोना नियन्त्रण अधिनियम

277. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोना नियन्त्रण अधिनियम की उपलब्धि क्या है और क्या उससे सोने का व्यापार नियन्त्रण में आया है;

(ख) 18 और 20 कैरेट सोने के आभूषणों को बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) क्या सोना अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासकीय ढांचे में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मोटे तौर पर, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

(1) सोने के लिए जनता की सामान्य मांग को उत्तरोत्तर कम करने की दृष्टि से उस पर नियन्त्रण रखना;

(2) अन्य निवारक उपायों को अनुपूरित करने के लिए एक आर्थिक उपाय के रूप में कार्य करना; सोने पर आयात की अवस्था के बाद भी नियन्त्रण लागू करके तस्करी द्वारा लाये गये सोने के परिचालन को दूभर बनाना और उसका पता लगाने की कार्यवाही को आसान बनाना। स्वर्ण-व्यापार का विनियमन, व्यापारियों को लाइसेन्स और स्वर्णकारों को प्रमाण पत्र जारी करने तथा निर्धारित लेखा रखने और विवरणियां दाखिल करने की पद्धति द्वारा किया जाता है।

जिन उद्देश्यों के लिए स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम लागू किया गया था वे अभी भी संगत हैं और अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण जांच समिति, जिसके अध्यक्ष डा० आई० जी० पटेल थे, द्वारा की गयी सिफारिशों में से एक सिफारिश 18 अथवा 14 कैरेट के स्वर्ण जवाहरात को विभिन्न चरणों में पुनः चालू करने के सम्बन्ध में थी और इसकी सरकार ने जांच की थी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और इस प्रकार के उपाय के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासकीय प्रभावों को तथा बहुत से व्यापार संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का निर्णय किया।

(ग) जी, नहीं। लेकिन जब सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित हो जाएगा तो वह अपीलीय तथा पुनरीक्षण सम्बन्धी कुछ ऐसी शक्तियां अपने अधिकार में ले लेगा जिनका प्रयोग इस समय स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासक और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

पाकिस्तान से युद्ध का खतरा

278. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :
श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से युद्ध का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) और (ख) हाल की कुछ गतिविधियों—जैसे—युद्ध न करने की संधि और दोनों देशों का एक संयुक्त आयोग स्थापित करने के प्रस्तावों का लक्ष्य तनाव कम करना ही है। फिर भी अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार नजर रखती है और हर समय रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाती है। इस बारे में और ब्योरा देना वांछनीय नहीं होगा।

सोने की तस्करी और इसका घरेलू मूल्यों पर प्रभाव

279. श्री डी० पी० यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीने के दौरान बड़ी मात्रा में देश में सोने की तस्करी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके घरेलू मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ते हुए अन्तर के कारण सोना तस्करी के आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। वर्ष 1982 (मई तक) में पकड़े गए सोने की कुल मात्रा लगभग 559 किलोग्राम थी, जिसका मूल्य लगभग 9.20 करोड़ रुपये था।

(ख) सोने का स्वदेशी मूल्य स्थिर रहा है जो जनवरी 1981 से प्रति दस ग्राम लगभग 1600 रु० से 1700 रु० के बीच रहा है।

(क) सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है और देश में सोने की तस्करी के हर प्रयास रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है।

कनाडा में भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक खोला जाना

280. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक कनाडा में अपना सहायक बैंक खोल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित सहायक बैंक यह देखेगा कि कनाडा में भारतीय निवासियों द्वारा उसके द्वारा रुपया भेजा जाये; और

(ग) क्या अमेरिका में भी ऐसा ही सहायक बैंक खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कनाडा में प्रस्तावित सहायक बैंक का एक उद्देश्य यह भी होगा।

(ग) जी, हां।

जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी कार्यालयों का कार्यकरण

281. श्री जगपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप वित्त मंत्री ने जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के कार्यकरण को देखने के लिए उनके कार्यालयों का हाल में अचानक दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उप वित्त मंत्री ने अपने आकस्मिक दौरे के बाद प्रबन्धकों को हिदायतें दी हैं कि वे समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी दावों को निपटाने और कार्यालयों में अनुशासन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए जोरदार प्रयास करें। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के प्रबन्धकों ने बताया है कि उप-वित्त-मंत्री के आकस्मिक दौरे से प्रशासन को चुस्त बनाने तथा कार्य क्षमता और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता मिली है। अतः उप-वित्त-मंत्री के दौरे ने प्रबन्धकों के प्रयासों को सुदृढ़ करने में कई दिशाओं में सहायता प्रदान की है।

जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की हाल में हुई एक बैठक में वित्त मंत्री ने उन्हें यह हिदायत भी दी कि ये यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों में अनुशासन की भावना बनी रहे और कर्मचारियों के द्वारा समय की पाबन्दी बरती जाए। उन्होंने जनता के प्रति सरकारी कर्मचारी के उत्तरदायित्व तथा ग्राहकों को संतोष प्रदान करने के लिए दावों का तेजी से निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रबन्धकों को चूककर्ताओं के खिलाफ प्रभावकारी ढंग से कारंवाई करने के लिए भी कहा।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

282. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसीमा के उल्लंघन की घटनाओं में 1980 तथा 1981 की तुलना में 1982 में (जून को समाप्त अवधि में) वृद्धि हुई है;

(ख) क्या वायुसीमा के उल्लंघन की घटनाओं के अतिरिक्त समुद्री तथा थल सीमाओं के उल्लंघन की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इन मामलों को उठाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) पाकिस्तान सरकार की प्रत्येक उल्लंघन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जब और जैसे ही हमारी सीमाओं या वायुसीमा का कोई अतिक्रमण होता है तब ऐसी घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ आवश्यक मामला उठाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में उत्पादन

283. श्री राम स्वरूप राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास के समय पर न उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कमी हुई है और यदि हां, तो उनको हुई हानि की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) सरकार का उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि कुछ राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को मार्च, 1982 में उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल होने से रुई के बिलम्ब से पहुंचने के कारण कुछ सीमा तक उत्पादन हानियां हुई हैं। कुछ अन्य मिलों में नकदी की समस्याओं से भी समय पर रुई उपलब्ध नहीं की जा सकी। समय पर रुई के उपलब्ध न होने के कारण उठाई गई हानि की ठीक ठीक मात्रा बताना संभव नहीं हैं क्योंकि इसमें अन्य परिवर्तनशील बातें अन्तर्ग्रस्त हैं।

(ख) इन मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) मशीनरी का आधुनिकीकरण और क्षमता का विस्तार, जहां कहीं आवश्यक हो;

(2) पावर की कमियों को दूर करने के लिए कुछ मिलों में डीजल जनरेटिंग सेटों की स्थापना।

(3) कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण; और

(4) केन्द्रीकृत आधार पर रुई की बल्क अधिप्राप्ति।

ताईवान की मत्स्य नौकाओं को भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देना

284. श्री पी० जे० कुरियन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1982 में ताईवान की अनेक मत्स्य नौकाओं को भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से और विशेषरूप से सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए इस प्रकार की नीति के औचित्य पर विचार किया है; और

(ग) सरकार द्वारा ताईवान को उक्त चार्टर मत्स्य नौकाओं की निगरानी करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। कृषि मंत्रालय ने ताइवानी ट्रालर रखने वाली कुछ विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों के साथ चार्टर करार करने की अनुमति दे दी है।

(ख) और (ग) जी हां। मछली पकड़ने वाली विदेशी ट्रालरों के लिए चार्टर करार में कठोर शर्तें रखी गई हैं, जिनके अन्तर्गत मछली पकड़ना शुरू करने से पूर्व उनके उपस्करों और कर्मीदल की जांच की जाती है। जब वे अन्य रूप से भारतीय समुद्री व्यापार क्षेत्र में होते हैं तो उनकी गतिविधियों पर भी प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है। तट रक्षक संगठन और भारतीय नौसेना के जहाज विदेशी राष्ट्रीयता वाले मछली पकड़ने के ट्रालरों की जांच करते हैं।

अहमदाबाद में और अधिक चैक क्लीयरिंग सुविधा उपलब्ध किया जाना

285. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में हुई बढ़ोतरी के कारण वहां पर चैक कलीयरिंग के बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए, चैक कलीयरिंग को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है और रात्री चैक कलीयरिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए भी व्यवस्था किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, पटना और अहमदाबाद में चैक कलीयरिंग का कार्यभार कितना-कितना है और क्या यह सच है कि उक्त नगरों की अपेक्षा अहमदाबाद में कार्य भार अधिक है और यदि हां, तो क्या अहमदाबाद में चैक कलीयरिंग के लिए और अधिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने का विचार है और रात्री-कलीयरिंग सुविधा भी उपलब्ध कराने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अहमदाबाद बैंकर्स समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) ने दूसरा समशोधन (क्लियरिंग) शुरू करने के प्रश्न पर अभी हाल ही में विचार किया था लेकिन उसका अनुमोदन नहीं किया गया क्योंकि बैंकों के लिए दो समाशोधनों में भाग लेना तथा उसी दिन वापसी समाशोधन (क्लियरिंग) करना संभव नहीं था। चूंकि इस समय अहमदाबाद बैंकर्स समशोधन गृह द्वारा समाशोधित चेकों की संख्या के सम्बन्ध में, उसके द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिए अन्य केन्द्रों अर्थात् नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर और पटना केन्द्रों के कार्यभार की तुलना में अहमदाबाद बैंकर्स समाशोधन गृह के कार्यभार का जायजा लेना संभव नहीं है। कतिपय महत्वपूर्ण स्थानों पर समाशोधन सम्बन्धी कार्यों का यन्त्रीकरण करने का एक प्रस्ताव भारतीय बैंक संघ के परामर्श से इस समय विचाराधीन है और जब उक्त यंत्रीकरण शुरू हो जाएगा तब समाशोधन गृहों के वास्ते चेकों के समाशोधन के प्रयोजन के लिए और अधिक सदस्य स्वीकार करना तथा और अधिक समाशोधन बैठकें करना संभव होगा।

बिहार में पर्यटन के विकास पर फिल्म

286. श्री कुंवर राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पर्यटन के विकास पर एक फिल्म बनाई है;

(ख) यदि हां, यो क्या सोनपुर मेले में हाथियों के खेल पर भी फिल्म बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या हाथियों के मेले की भी फिल्म बनाई जाएगी।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जबकि विभाग ने बिहार राज्य पर अथवा सोनपुर मेले पर कोई विशिष्ट फिल्म नहीं बनाई है तथापि "इन दी फुट-स्टैप्स आफ बुद्धा" और "माड्रन बुद्धिष्ट पिलग्रिमेज" शीर्षक फिल्मों मे बिहार के महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्रों को रेखांकित किया गया है।

(ख) और (ग) सोनपुर मेले पर कोई फिल्म तैयार नहीं की गई है तथा धनराशि की कमी और परस्पर प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए फिलहाल हाथियों के मेले पर फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के दावों से सम्बन्धित निलम्बित मामले

287. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के दावों के निपटान से सम्बन्धित कुल कितने मामले निलम्बित हैं;

(ख) पृथक-पृथक रूप से श्रेणी-वार दावे और उनकी संख्या क्या-क्या है;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि शत्रु सम्पति के कस्टडियन विभाग ने यह उपयुक्त समझा है कि धनी दावेदारों को 10 लाख रुपये तक की धनराशि का अनुग्रह भुगतान कर दिया जाए, जबकि अनेक बूढ़े, बीमार और लगभग भूख से तड़पते ऐसे स्वतन्त्रता सेनामियों के, जिन्होंने अपने जीवन का बेहतरीन हिस्सा ब्रिटिश कारागारों में काट दिया है तथा अत्याधिक कठिनाइयों का सामना किया है ऐसे दावों का, जो 3 लाख/2 लाख 50 हजार रुपये से कम धनराशि के हैं, लम्बे समय से निलम्बित रखा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जिन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों की आस्तियां भारत-पाकिस्तान संघर्ष 1965 के दौरान और बाद में पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, उन्हें राहत देने के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान की एक योजना सरकार द्वारा 1971 में घोषित की गई थी। 15 अप्रैल, 1972 तक अर्थात् दावे फाइल करने की प्रथमतः अन्तिम तारीख तक, केवल 3944 दावे अभिरक्षक के पास पंजीकृत कराये गये थे।

अधिकांशत: ये दावे निपटाये जा चुके हैं। दावे फाइल करने की अन्तिम तारीख तीन बार बढ़ाई गई थी और अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1977 थी। अभिरक्षक के पास 53545 दावे पंजीकृत कराये गये थे। अभिरक्षक के पास पंजीकृत किए गये 57,489 कुल दावों में से 37,737 दावे अनिर्णित पड़े है। तथापि, 24,063 दावों के मामले में दावेदारों ने अभी तक अपने आवेदन पत्रों में पूर्ण जानकारी नहीं दी है। अत: ये (24063) दावे तभी सत्यापित किये जा सकते हैं जब तक उनके दावों के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त न हो जायें। वास्तव में 13,674 दावे अनिर्णित पड़े हैं।

(ख) उपर्युक्त में से 12806 दावे 10 रु० से कम के हैं और 868 दावे 10 लाख रु० से अधिक के हैं।

(ग) 10 लाख रु० तक के दावों और मानवीय आधार के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों जैसे निर्बल, असमर्थ एवं विधवाओं के दावों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) दावों को सत्यापित करने में काफी समय लगता है। दावों को जल्दी से सत्यापित करने हेतु उप सचिव स्तर के बराबर विशेष कार्य अधिकारी का एक पद 1980 में सृजित किया गया है। इसके अलावा जुलाई 1980 तक दावों के सत्यापन के लिए केवल एक पैनल था। अब सरकार ने 8 पैनल बनाने की अनुमति दे दी है। पैनल को 8 तक बढ़ाने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

288. **श्री भीखा भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कितने सरकारी उपक्रमों तथा उनके सहायक उपक्रमों में गैर-अधिकारी निदेशक बोर्ड नामनिर्देशित किये जाते हैं;

(ख) ये निदेशक बोर्ड किन-किन तारीखों को गठित किये गये थे और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है;

(ग) इन निदेशक बोर्डों में नाम निर्देशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गैर-अधिकारी निदेशकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इन उपक्रमों और उनके सहायक उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है तो क्या अनु० जा०/अनु० जनजाति के गैर-अधिकारी निदेशक नाम निर्देशित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 20 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें अनुषंगी निगम भी शामिल हैं, के निदेशक बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक कार्य कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) उत्तर पूर्व हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम के बोर्ड में कार्य कर रहे तीन गैर-सरकारी निदेशक अनुसूचित जनजाति के हैं।

विवरण

क्रम सं०	उपक्रम/अनुषंगी कार्यालय का नाम	वर्तमान बोर्ड के गठन की तारीख	बोर्ड की अवधि खत्म होने की तारीख
1	2	3	4
1.	भारतीय काजू निगम लि० नई दिल्ली	26-9-81 को हुई पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में पुनर्गठित।	सितम्बर 82, जब अगली वार्षिक सामान्य बैठक होगी।
2.	निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम लि०	चेयरमैन सह-प्रबन्धक निदेशक के अलावा बाकी सभी निदेशक अंश कालिक हैं और 1980—82 के दौरान अलग-अलग तारीख पर नियुक्त किए गए थे।	31-7-82
3.	भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि०	16-9-81 को हुई पिछली वार्षिक सामान्य बैठक।	सितम्बर, 1982 में होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक।
4.	भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लि०	20-6-80	19-6-1983

1	2	3	4
5.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली पंजाब तथा राजस्थान) लि० नई दिल्ली		
6.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० इन्दौर		बोर्ड आमतौर पर वार्षिक सामान्य बैठकों के समय पर पुनर्गठित किए जाते हैं।
7.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश) लि० कानपुर		
8.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) लि० अहमदाबाद		
9.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (टी० एन० पी०) लि० कोयम्बटूर		
10.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (ए० पी० के० के० एम०) लि०, बंगलोर		इन बोर्डों का आमतौर पर वार्षिक साधारण बैठकों के समय पुनर्गठन किया जाता है।
11.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० कलकत्ता		
12.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एम० एन०) लि० बम्बई		
13.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एस० एम०) लि० बम्बई		
14.	भारतीय रुई निगम	जून 1980	जून 1983

1	2	3	4
15.	राष्ट्रीय जूट विनिर्मित वस्तु निगम	24-6-81	आगामी आदेश होने तक
16.	भारतीय जूट निगम	2-5-81	आगामी आदेश होने तक
17.	भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०	पिछली वार्षिक साधारण बैठक 28-9-81 को हुई ।	आगामी वार्षिक साधारण बैठक सितम्बर, 1982 में होगी ।
18.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०	28-9-81	28-9-82
19.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०	11-6-81	कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।
20.	उत्तर पूर्व हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम	26-11-81	आगामी आदेश होने तक । यह अध्यक्ष के मामले में नहीं है, जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए है ।

इटली की एक फर्म को घटिया किस्म की चप्पलों की सप्लाई

289. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मई, 1982 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित इस आशय का समाचार कितना सच है कि दिल्ली तथा कानपुर की दो फर्मों ने इटली की एक फर्म को घटिया किस्म की चप्पलों की सप्लाई की थी;

(ख) यदि हां, तो उन दोनों फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं और उन्होंने कितने मूल्य की चप्पलें सप्लाई की थीं; और

(ग) उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैसर्स एस० पी० एस० इन्टरनेशनल, नई दिल्ली द्वारा लगभग 60 लाख रु० मूल्य की घटिया किस्म की चप्पलों के निर्यात से सम्बन्धित मामले की जांच की जो उन्होंने मैसर्स एशरफ एक्सपोर्टस् कानपुर की मार्फत बनवाई थी और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। मामला न्यायाधीन है ।

एयर इण्डिया द्वारा खाड़ी के देशों मलेशिया तथा सिंगापुर के लिए एयर बस विमान सेवा आरम्भ करना

290. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया द्वारा खाड़ी के देशों, मलेशिया तथा सिंगापुर के लिये एयरबस विमान सेवाएं आरम्भ की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है और एयरबस विमान सेवाएं कब आरम्भ की जानी हैं;

(ग) क्या एयर इण्डिया किसी अन्य रुट पर भी एयर बस सेवा आरम्भ कर रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) किस कीमत पर कितने और किस प्रकार के विमान खरीदे जाने हैं तथा किस निदेश से खरीदे जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इण्डिया द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिये गये एयरबस विमान से भारत मलेशिया-सिंगापुर सैक्टर पर 3-7-82 से दो सेवाएं प्रारम्भ की गई । 15 अगस्त, 1982 से, एयर इण्डिया द्वारा अपने स्वयं के विमान से एयरबस सेवायें चालू करने की योजना है। त्रिवेन्द्रम-गल्फ सैक्टर पर सप्ताह में चार सेवायें तथा बम्बई-गल्फ सैक्टर पर सप्ताह में आठ सेवायें परिचालित की जायेंगी ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एयरबस इण्स्ट्रीज टाउलस, फ्रांस से 180.32 करोड़ रुपये की लागत से तीन एयरबस विमान खरीदने का प्रस्ताव है।

तस्करी-विरोधी अभियान

291. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक उठाये गये तस्करी विरोधी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 के अनुसरण में वर्ष 1982 के दौरान तस्करी निवारक अभियान को और तेज करने के लिये सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ तस्करी के लिये सुगम्य क्षेत्रों और तस्करी के आकर्षण वाली वस्तुओं के संदर्भ में आसूचना और निवारक तन्त्र दोनों को मजबूत बनाने तथा पुनः तैनाती करने और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के उपबन्धों को अधिक उत्साह से लागू करने, तस्करी के खिलाफ समूचे अभियान में राज्य सरकारों और आयकर सीमा सुरक्षा बल, समुद्र तटीय गार्ड आदि जैसी अन्य सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिकाधिक समन्वय स्थापित करने और तस्करी रोकने के लिये पड़ोसी तथा अन्य देशों के साथ आपस में सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा की गई है।

वर्ष 1980 से सरकार द्वारा किये गये तस्करी निवारक उपायों में खासकर तस्करी के लिये सुगम्य क्षेत्रों और तस्करी के आकर्षण वाली वस्तुओं के लिये आसूचना और निवारक तन्त्र को मजबूत बनाना शामिल है मौजूदा सीमाशुल्क बेड़े को अतिरिक्त सुसज्जित अवरोधी जलयान देकर बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों में बेतार संचार का जाल बिछाया गया।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को सख्ती से लागू किया गया, जिससे तस्करी के आयोजकों तथा वित्त पोषकों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों को नजरबंद किया जा सके।

श्री लंका और नेपाल के महा-महिम की सरकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें भारत और इन दो देशों के बीच तस्करी रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। समूचे तस्करी निवारक अभियान में अन्य प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ट समन्वय भी बनाये रखा गया।

निर्यात संवर्द्धन परिषदें

292. श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के क्या नाम हैं जिन्होंने एक प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में निर्यात कोटों का नियतन किया था;

(ख) उन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के नाम क्या हैं जो निर्यात कोटे मंजूर करने के लिये लायसेंस प्राधिकरण को सिफारिश करती हैं;

(ग) उन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के क्या नाम हैं जो निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश 1977 के अर्थों में, नौवहन बिलों पर कोटा लायसेंसों का निर्यात करती हैं और निर्यात प्रमाण-पत्र मूलता प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज जारी करती हैं जिससे कि विदेशी आयातक अपने सीमा शुल्क विभागों से सामान की आवती मंजूर करा सकें;

(घ) उपरोक्त तीनों मामलों में शामिल वस्तुओं के पृथक-पृथक नाम क्या हैं;

(ङ) उपरोक्त प्रत्येक परिषद के कर्मचारियों की कुल पृथक-पृथक संख्या कितनी कितनी है; और

(च) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ निर्यात संवर्द्धन परिषदों में बहुत सारे कर्मचारी निर्यात कोटा कार्य पर लगाये जाते हैं, वास्तविक निर्यात संवर्द्धन कार्य पर नहीं और उस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद।

(ख) निर्यात कोटे प्रदान करने के लिए लाइसंसिंग प्राधिकरण को सिफारिशें करने हेतु किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद को कोई प्राधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1977 के अनुसार किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद को शिपिंग बिलों पर कोटा लाइसेंसिंग करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया है। परिधानों, वस्त्रों और वस्त्र मदों (ओलाइव ग्रीन रंग के अलावा), के निर्यात खुला सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत आते हैं जो स्वयं में एक लाइसेंस है। तथापि, सूत्री वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को शिपिंग बिलों पर पृष्ठांकन करने, द्विपक्षीय करारों आदि के लिए इन मदों के निर्यात के लिए ओ० जी० एल० 3 के साथ सम्बद्ध शर्तों के अनुसार निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्भव प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अभिकरणों द्वारा जिन वस्तुओं के कार्य को देखा जाता है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) 1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	:	13
2. अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद:	:	25
3. ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद	:	30

(च) इन परिषदों में कोटा प्रबन्ध एवं निर्यात संवर्धन कार्य के लिए नियुक्त किया गया स्टाफ अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा से सम्बन्धित है।

विवरण

क्रमांक	निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	आवंटित मदें
1.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	ओलाइव ग्रीन रंग के वस्त्र उत्पादों के अलावा वस्त्र तथा तैयार वस्त्र (इसमें ऊनी वस्त्र एवं तैयार वस्त्र शामिल नहीं हैं) ।
2.	अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद	ओलाइव ग्रीन रंग के वस्त्र उत्पादों के अलावा परिधान और निटवीयर (इसमें ऊनी निटवीयर शामिल नहीं हैं)
3.	ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	ओलाइव ग्रीन रंग के वस्त्र उत्पादों के अलावा ऊनी फैबरिक्स, तैयार वस्त्र और ऊनी निटवीयर (इसमें ऊनी परिधान शामिल नहीं हैं) ।

गैर-हथकरघा वस्त्रों को हथकरघा वस्त्रों का प्रमाण-पत्र देना

293. श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने 8 जून, 1982 को अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड की दूसरी बैठक का उद्घाटन करते समय इस बात का उल्लेख किया था कि गैर-हथकरघा वस्त्रों को गलत तरीके से हथकरघा वस्त्रों को प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि एम० एफ० ए० जी० ए० जी० टी० आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारे विरुद्ध इस प्रकार के कदाचारों का उल्लेख किया जाता है; और

(ग) इन मामलों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) द्विपक्षीय वस्त्र वार्ताओं के दौरान कतिपय आयातक देशों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा माल के बीच अन्तर करना कठिन है ।

(ग) हाल ही में, बेनेलक्स तथा ब्रिटेन से ऐसे कुल 31 मामले संवीक्षा के लिए हमें भेजे गए थे जिनमें वस्तुओं के गैर-हथकरघा उद्भव होने का आरोप लगाया गया था । जांच करने पर यह पाया गया कि 86776 अदद/सैट में से, 67093 अदद/सैट हथकरघा उद्भव के पाए गए अन्य मामलों में, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

सैनिक नर्सिंग सेवाओं (स्थानीय) के कमीशन प्राप्त अधिकारियों की शिकायतें

294. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक नर्सिंग सेवा (स्थानीय) के कमीशन प्राप्त अधिकारियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) अफसरों की सेवा शर्तों में 1977 से लेकर अब तक किए गए संशोधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) अफसरों की सेवा शर्तों में किए गए संशोधन।

(1) प्रारम्भिक संविदा

संशोधन पूर्व	संशोधित
एक वर्ष	तीन वर्ष

(2) वेतनमान

540-20-700 रुपये	540-20-700 रुपये (साधारण ग्रेड) 650-20-810 रुपये (चयन ग्रेड) सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानिय) वर्ग की नफरी के 20% के लिए चयन ग्रेड वेतनमान प्राधिकृत है।

(3) वर्दी भत्ता

(क) प्रारम्भिक—दिल्ली, देहरादून, जालन्धर, कसौली, मेरठ, पटियाला, रानीखेत, शिलांग, योल, अम्बाला, अमृतसर, फिरोजपुर, लेबांग, वैलिंग्टन, झांसी, फतेहगढ़ और शिमला (सभी ठंडे जलवायु वाले स्टेशन) में 450 रुपये की दर पर और अन्य स्टेशनों पर (जहां ठंडी जलवायु नहीं है) 300 रुपये की दर पर।	दिल्ली, देहरादून, जालन्धर, कसौली, मेरठ पटियाला, फिरोजपुर, रानीखेत, शिलांग, योल, अम्बाला, अमृतसर, लेबांग, वैलिंग्टन, झांसी, फतेहगढ़ शिमला (ठंडी जलवायु वाले स्टेशन) में 600 रुपये और अन्य स्टेशनों (जहां ठंडी जलवायु नहीं है) पर 500 रुपये की दर पर।
(ख) नवीकरण ग्राह्य नहीं है।	सात वर्षों में एक बार 400 रुपये की दर पर
(ग) अनुरक्षण—120 रुपये प्रति वर्ष की दर पर	200 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर

(4) छुट्टी यात्रा रिआयत

प्राप्य नहीं है	सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) के अफसर केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह छुट्टी यात्रा रिआयत पाने के हकदार हैं।

(5) छुट्टी

(क) वार्षिक छुट्टी

प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में एक मास बशर्ते कि ऐसी छुट्टी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं हो जाती है। यह छुट्टी 60 दिनों तक जमा की जा सकती है।	प्रति वर्ष 30 दिन। जनवरी और जुलाई में उनके छुट्टी लेखे में 15 दिन की छुट्टी जमा कर दी जाएगी। यह छुट्टी 60 दिनों तक जमा की जा सकती है।

(ख) आकस्मिक छुट्टी

कैलेंडर वर्ष में 10 दिन	कैलेंडर वर्ष में 12 दिन

(ग) प्रसूति छुट्टी

प्रसव के लिए पूरे वेतन पर दो मास की छुट्टी दी जा सकती है। विशेष मामलों में वार्षिक छुट्टी और फरलो छुट्टी के अतिरिक्त सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक इसमें बिना वेतन एक मास की और वृद्धि कर सकते हैं। पहले वर्ष प्रसूति छुट्टी तब ही दी जाएगी यदि परिचर्या अधिकारी यह आश्वासन दे कि इस प्रकार की छुट्टी से आने के बाद वह एक वर्ष सेवा करती रहेगी।	प्रसव अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से तीन मास अथवा वास्तविक प्रसव होने की तारीख से छः सप्ताह, जो भी पहले हो।

(घ) बीमारी के लिए छुट्टी

प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक मास, इस प्रयोजन के लिए सेवा प्रारम्भ होने की तारीख से पूरा वर्ष ही गिना जाएगा और बाकी अवधि को छोड़ दिया जाएगा। यह छुट्टी सेवा के दौरान किसी भी समय ली जा सकती है। बीमारी सूची रिआयत नहीं दी जाएगी।	(बीमारी छुट्टी/आधे वेतन पर छुट्टी) केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रत्येक वर्ष के लिए बीस दिन की छुट्टी इस प्रयोजन के लिए सेवा प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की गिनती की जाएगी बाकी अवधि को छोड़ दिया जाएगा। यह छुट्टी सेवा के दौरान किसी भी समय ली जा सकती है। बीमारी सूची रिआयत नहीं दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का परिवहन बेड़ा, डिपों और वर्कशाप

295. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम का परिवहन बेड़ा क्या है और भारतीय पर्यटन विकास निगम के वाहनों को सुधारने के लिए कितने परिवहन डिपों और वर्कशाप हैं;

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम के बेड़े में कितनी आयातित कारें हैं;

(ग) इनमें से कितनी कारें एशियाई खेलों के लिए विशेष रूप से आयात की गई थी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार भारतीय पर्यटन विकास निगम के परिवहन डिवीजन का घाटा अथवा लाभ कितना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) आई० टी० डी० सी० की ट्रांसपोर्ट फलीट में 240 वाहन हैं। आई० टी० डी० सी० के 19 ट्रांसपोर्ट यूनिट दिल्ली, जयपुर, पटना, मद्रास, औरंगाबाद, हैदराबाद, आगरा, बंगलोर, बम्बई, कोवलम, कलकत्ता, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, गोहाटी, भोपाल और नागपुर में हैं तथा वाहनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए दिल्ली में दो वर्कशाप हैं।

(ख) विद्यमान फलीट में 110 इम्पोर्टिड कारें शामिल है।

(ग) इनमें से कोई भी वाहन विशेष रूप से एशियाई खेलों के लिए आयात नहीं किया गया।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की ट्रांसपोर्ट डिवीजन में हुई लाभ तथा हानि नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1979-80	(—) 6.11
1980-81	(—) 15.65
1981-82 (अनन्तिम)	(+) 2.25

"ग्रे क्लाथ" के उत्पादन पर राजसहायता

296. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने केन्द्रीय सरकार से 'ग्रे क्लाथ' के उत्पादन पर लम्बी अवधि के लिए राजसहायत देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) प्रश्न सम्भवतः कन्ट्रोल के कपड़े की योजना से सम्बन्धित है। कन्ट्रोल के कपड़े की योजना एक केन्द्रीय योजना है जिसमें उपदान राष्ट्रीय कपड़ा निगम को निर्धारित दरों पर दिया जाता है। राज्य सरकार को कोई उपदान देय नहीं है और इस बारे में ऐसा कोई संदर्भ भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। यह योजना एक सतत योजना है और अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा और दस्तकारी केन्द्रों के लिए रियायती दर पर संस्थागत वित्त

297. श्री आर० पी गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा व दस्तकारी केन्द्रों के लिए कम ब्याज पर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) हस्त शिल्पियों के लिए ब्याज की अन्तरीय दर योजना अथवा मिश्रित ऋण योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध है।

इसी प्रकार, हथकरघी बुनकर भी ब्याज की अन्तरीय दर योजना (जहां वांछनीय हो) अथवा मिश्रित ऋण योजनाओं के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी राज्य द्वारा प्रायोजित हथकरघा निगमों को $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

सहकारी क्षेत्र के बुनकरों के लिए कार्यशील पूंजी वित्त बैंक दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मंडी स्थानों पर सी० एस० डी० की यूनिट कैन्टीन खोलना

298. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के (1) हमीरपुर, और (2) मंडी में, भूतपूर्व सैनिकों तथा सेना में काम कर रहे कर्मचारियों व उनके परिवारों के लाभ के लिए, सी० एस० डी० की यूनिट कैन्टीन खोलने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी और किस तारीख से कैन्टीनें खोली जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके किस तारीख तक (1) स्वीकृत होने (2) खोले जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) थल सेना मुख्यालय ने मुख्यालय पश्चिम कमान को हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और मंडी स्थित उनकी विरचनाओं में ब्रांच कैन्टीनें खोलने की अनुमति पहीले से ही दे दी है।

(ख) और (ग) आवास, वित्त और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक व्यवस्था होने पर ये कैन्टीनें शीघ्र काम करना शुरू कर देंगी।

राज्य व्यापार निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में शिकायत

299. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण से संतुष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो उनका संतोषजनक कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम और इसके सहायक निगमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार को कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ) राज्य व्यापार निगम और इसके सहायक निगमों के कार्यकरण की समीक्षा लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित रूप में तिमाही आधार पर की जाती है। कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए बैंच मार्कस रखे गये है और उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण करने के लिए विभिन्न अनुपातों का विश्लेषण किया जाता है। परिणामस्वरूप, राज्य व्यापार निगम सरणीबद्ध मदों से गैर-सरणीबद्ध मदों और परम्परागत उत्पादों पर आने और नये बाजार ढूंढने/मौजूदा बाजारों में अपना अंश बढ़ाने के लिए सजग प्रयास कर रहा है। कार्मिक प्रबन्ध कार्यसरल तथा कारगर बनाये जा रहे हैं और हुनर के सुधार और विविधता के लिए कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। आधुनिक प्रबन्ध सूचना सेवाओं के भाग के रूप में संग्रहण तथा पुनः प्राप्ति के लिए बाजार आसूचना को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम अपने सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में अपने उत्पादों के विपणन के लिए लघु उद्योगों तथा राज्य निगमों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता दे रहा है।

दिल्ली में जनता होटल का निर्माण

301. श्री नवीन रवाणी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनता होटल का निर्माण कब आरम्भ किया गया था;

(ख) इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या था;

(ग) मूलतः कितनी राशि का अनुमान लगाया गया था;

(घ) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है और निर्माण लागत बढ़ गई है;

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) नई दिल्ली में अशोक यात्री निवास (जनता होटल) का निर्माण फरवरी 1979 में शुरू किया था।

(ख) मूल रूप में इसे पूरा करने का लक्ष्य अक्तूबर, 1980 रखा गया था।

(ग) 300 लाख रुपये।

(घ) और (ङ) परियोजना की अनुमानित लागत 300 लाख रु० से बढ़कर 430 लाख रु० हो गई है। परियोजना को पूरा होने में देर मुख्यतः कम ऊंची इमारत से अपेक्षाकृत अधिक ऊंची बहुमंजिली इमारत के रूप में बिल्डिंग की संरचना में परिवर्तन करने, काम के स्कोप में वृद्धि, सिविल कन्ट्रैक्टर की ओर से उपकरणों और संसाधनों को न जुटा पाने, कार्य-स्थल के प्रतिबन्धित होने, निर्माण-सामग्री की कमी आदि के कारण हुई।

(च) सितम्बर 1982 तक होटल के पूरा हो जाने की संभावना है।

सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन

302. श्री दिगम्बर सिंह : क्या वित्त मंत्री सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन के बारे में 30 अप्रैल, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक को गत सत्र के दौरान पुरःस्थापित नहीं किया गया था ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस विधेयक के पुरः स्थापति और स्वीकृति में हुए विलम्ब से उन छोटे तथा मध्यम श्रेणी के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, जिनके पास राजधानी में एक निवास यूनिट

है और जिन्हें भूमि की ऊंची कीमत के कारण अब सम्पदा शुल्क का मजबूरन भुगतान करना पड़ रहा है;

(ग) वर्ष 1971-72 की वह निर्धारित तारीख क्या है, जब तक स्वयं अपनी रिहायश के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले एकल निवास को सम्पदा शुल्क से यह छूट प्राप्त थी; और

(घ) क्या उनका विचार चालू सत्र के दौरान विधेयक प्रस्तुत करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, संसद के पिछले सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि लोक सभा निर्धारित तिथि से पूर्व ही स्थगित कर दी गई थी ।

(ख) विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों को चूंकि 1-3-1981 की पिछली तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है इसलिए, विधेयक प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण, कोई, कठिनाई पेश आने की संभावना नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई तारीख निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी, हां । विधेयक को चालू सत्र में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है ।

करापवंचन को रोकने के लिए उपाय

303. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने करापवंचन को रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं और तलाशी लेने तथा जब्त करने के काम को तेज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को भी आर्थिक अपराधों के दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि मुकदमों की कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाया जा सके;

(ग) चालू वर्ष के दौरान जून 1982 तक कितने छापे मारे गए हैं और कितनी राशि जब्त की गई है तथा कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक अपराधों के प्रभावी और शीघ्र अभियोजन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय ने 1979 में बारह राज्य सरकारों और एक संघ राज्य क्षेत्र को सम्बोधित करते हुए यह निवेदन किया था कि कतिपय विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अपराधों को ही निपटाने के लिए या तो कुछ वर्तमान न्यायालयों को अलग से निर्धारित कर दिया जाये अथवा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाये । इस प्रयोजन के लिए, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एक-एक न्यायालय की स्थापना की है ।

महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे दो न्यायालय स्थापित किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस प्रयोजन के लिए हाल ही में तीन अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की स्वीकृति दी है। शेष राज्यों ने सूचित किया है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। उनसे निवेदन किया गया है कि वे शीघ्र ही ऐसे न्यायालयों की स्थापना करें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

जमाकर्ताओं के उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) का बचत-बैंक-जमाराशियों का भुगतान

304. श्री एफ० एम० मोहसिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान बैंकिंग कानून/विनियमों में इस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके अन्तर्गत बचत बैंक खाताधारी किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर दें, जो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में पड़ी बकाया धनराशि को प्राप्त कर सके;

(ख) क्या जमाकर्ताओं के उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) को बचत-बैंक जमाराशियों के भुगतान के मामले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक भिन्न भिन्न प्रणाली अपना रहे हैं और यदि हां, तो 10,000 रुपये से कम धनराशि तथा 10,000 से अधिक लेकिन 20,000 रुपये से कम धनराशि के मामले में ऐसे भुगतान के लिए एक-समान पद्धति निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत बैंक खातों के मामले में उसी प्रकार व्यक्तियों को नामांकित करने सम्बन्धी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर ध्यान देने का है जैसी व्यवस्था डाकघर बचत बैंक खातों के मामले में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को सलाह दी गयी है कि शाखा प्रबन्धकों और बैंकों में अन्य उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को, वैध प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए बगैर मगर उचित स्थानीय पूछताछ तथा समुचित क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर उत्तरजीवियों/दावेदारों को मृतकों के खातों से बकाया धनराशि के भुगतान के लिए समुचित विवेकाधिकार प्रत्यायोजित किये जाने चाहिएं। इसका अनुसरण साधारणत: सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा किया जाता है। अलबत्ता, ये अपेक्षित शक्तियां, सम्बन्धित प्रशासनिक ढांचे के अनुसार प्रत्येक बैंकों में विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित की गयी है।

बैंकों में खाता धारकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा कानूनों में उचित उपबन्ध करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आवश्यक विधेयक शीघ्र ही लाया जाएगा।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना को पूर्वी कमांड के मुख्यालय का गोहाटी स्थानान्तरित किया जाना

305. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1944-45 से पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के [वीं कमांड के मुख्यालय को गोहाटी स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्मचारियों और कुछ संसद सदस्यों की ओर से वित्त मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें आग्रह किया गया है कि मुख्यालय को पटना से गोहाटी स्थानान्तरित न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं। किन्तु गोहाटी में रक्षा लेखा नियंत्रक का एक अतिरिक्त पद बनाया गया है, जो रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के अधीन कार्य करेगा।

(ख) और (ग) रक्षा लेखा नियंत्रक पटना और रक्षा लेखा नियंत्रक गोहाटी में काम के बंटवारे, कर्मचारियों के तबादले आदि जैसे मामलों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

306. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार पहले ही जीवन बीमा उद्योग का पुनर्गठन करने का निर्णय कर चुकी है। आवश्यक विधायी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तथा इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

एयर इण्डिया को मिलावटी ईंधन की सप्लाई की जांच पड़ताल का पूर्ण होना

307. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एयर इण्डिया के हवाई जहाजों को मिलावटी ईंधन की सप्लाई किए जाने के मामले की जाँच-पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए पर्यटन योजनायें

308. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए पर्यटन योजनायें शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोइ विशिष्ट पर्यटक स्कीमें तैयार नहीं की गयी हैं तथापि, चूंकि हमारे अधिकांश पर्यटक केन्द्र अर्ध-शहरी अथवा पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित है, इन केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास इसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वन-गृहों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग तथा स्कीइंग जैसी मनोरंजनात्मक गतिविधियों का विकास, पर्यटक महत्व के चुने हुए पुरातात्विक केन्द्रों पर टूरिस्ट कम्पलैक्सों का विकास ऐसी कुछ स्कीमें हैं जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत शुरू किया जा रहा है जो निर्जन/पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित होंगी।

एशियाड के दौरान भारत आने वाले विदेशियों के आगमन की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही

309. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाड, 1982 के समय भारत, विशेषकर नई दिल्ली आने वाले विदेशियों के आगमन की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाड 1982 के दौरान दिल्ली आने वाले पर्यटकों के आगमन की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में दिल्ली में विद्यमान 36 होटलों जिसमें 3941 कमरे हैं, के अलावा 11 नए होटल, जिसमें 2196 कमरे हैं, एशियाड, 1982 के लिए समय पर चालू हो जाने की संभावना है।

(2) इसके अतिरिक्त, बजट पर्यटकों, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों के लिए अशोक यात्री निवास में 527 कमरे (1200 बैड्स) उपलब्ध हो जाएंगे।

(3) दिल्ली पर्यटन विकास निगम कैम्पिंग साईट्स, जिसमें टैंट आवास शामिल है, के अलावा पेइंग गैस्ट आवासों का निर्धारण कर रहा है ताकि उन पर्यटकों के अत्यधिक प्रवाह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिन्हें होटल आवास नहीं मिल पाएगा।

बंगला देश से प्रतियोगिता का सामना कर रहा भारतीय पटसन उद्योग

310. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश भारतीय पटसन उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए बड़े पैमाने पर पटसन बाजार में प्रवेश कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार इस स्थिति का मुकाबला करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : टाट सम्बन्धी अनेक विश्वव्यापी निविदाओं में बंगलादेश ने भारत की बताई गई कीमत से काफी कम कीमत मांगी है ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय गनी बाजार की मन्दी की स्थिति में आर्डर प्राप्त कर सके ।

(ख) जूट/जूट माल के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच एक संयुक्त विपणन नीति तैयार करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं । एस्केप के तत्वावधान में संश्लिष्ट अनुकल्पों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जूट माल की सप्लाई और कीमतों को स्थिर करने के लिए जूट उत्पादक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए समय-समय पर विचार-विमर्श भी होता है । अन्तर्राष्ट्रीय जूट करार को सितम्बर 1982 के अन्त में किसी समय उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच अंकटाड वार्ता सम्मेलन में अन्तिम रूप दिए जाने का विचार है ।

"एयर ट्रैवल डिसकाउन्ट स्टिल एवेलेबल" शीर्षक से समाचार

311. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 मई, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "एयर ट्रैवल डिसकाउन्ट स्टिल एवेलेबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विमान भाड़े में ऐसी कटौती को आगे हमेशा के लिये समाप्त करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार को समस्या की गंभीरता की पूरी जानकारी है तथा वह टैरिफ प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है ।

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों के बीच कपड़ों के सम्बन्ध में समझौता

312. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा पाकिस्तान सहित दो विकासशील देशों के साथ प्रतिबन्धित कपड़ा आयात समझौता कर लिए जाने से नये "मल्टीफाईबर एग्रीमेंट" के अधीन अनुकूल भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय कपड़ा समझौता सम्पन्न करने की भारत की आशाओं को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अक्तूबर में किये जाने वाले द्विपक्षीय भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय कपड़ा समझौते के पूर्व अपने हितों के संरक्षण के लिए भारत ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय सम्बन्धी आयोग ने बहु रेशा प्रबन्ध के 1981 विस्तार संलेख के अन्तर्गत पाकिस्तान सहित तीन विकासशील देशों के साथ नये वस्त्र द्विपक्षीय करार आरम्भ किये हैं। भारत सहित विकासशील देशों और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच नये द्विपक्षीय करारों को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ समय से बातचीत चल रही है। भारत की सौदाकारी सम्बन्धी स्थिति इसके मूल हितों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है। भारत विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के बारे में सामान्य हितों के कुछ मामलों पर अन्य विकासशील देशों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों के भत्ते में वृद्धि

313. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में ऐसे विमान चालकों के भत्तों में भारी वृद्धि की गई है, जब वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विमान को उड़ाते हैं अथवा चार्टर्ड उड़ाने करते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के केवल एक वर्ग के साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है; और

(ग) इसमें कितना व्यय होगा और क्या इससे अन्य कर्मचारियों में भी द्वेष भावना उत्पन्न नहीं हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स के विमानचालकों को नवम्बर, 1965 में उनके एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार विशेष दरों पर भोजन भत्ता तथा विशेष यात्रा-भत्ता दिया जाता है। इन भत्तों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में इन भत्तों में संशोधन करके मामूली सी वृद्धि की गयी है। एयर इण्डिया के विमानचालकों के साथ समानता बनाए रखने के लिए मनोरंजन भत्ते की अदायगी में भी संशोधन किया गया है। इन भत्तों में संशोधन करने से लगभग 29.9 लाख रुपये वार्षिक का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। चूंकि विमानचालकों को ये भत्ते लम्बे अर्से से दिए जा रहे हैं, इसलिए अन्य वर्गों के कर्मचारियों में द्वेष-भावना होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे पटसन को खरीद

314. **प्रो० रूप चन्द पाल :**

श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83 के सीजन में कच्चे पटसन की खरीद के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का खरीद का राज्यवार लक्ष्य क्या है; और

(घ) भारतीय पटसन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार खरीदे गए कच्चे पटसन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1982-83 मौसम के लिए कच्चे जूट की वसूली कार्यक्रम के सभी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने तक भारतीय जूट निगम को जिसे एकमात्र सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के रूप में कच्चे जूट के उपजकर्ताओं के फायदे के लिए कीमत समर्थन कार्य के लिए आधारभूत उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे प्राधिकृत किया गया है कि वह नये जूट मौसम 1982-83 के आरम्भ होने से कीमत समर्थन कार्य के अन्तर्गत जो आवश्यक रूप से अन्त तक जारी रहेगा किसी मात्रा सम्बन्धी लक्ष्य को निर्धारित किए बिना जूट उपजकर्ताओं से कच्चे जूट की वसूली आरम्भ करे। जहां तक बढ़िया ग्रेडों की वसूली के लिए वाणिज्यिक कार्य का सम्बन्ध है, 1982-83 के वर्तमान लक्ष्य के रूप में पांच लाख गांठों के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारतीय जूट निगम द्वारा (अपने सहयोग एजेण्टों अर्थात् सहकारी समितियों के साथ) की गयी जूट की राज्य-वार खरीद के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(180 किग्रा० वाली लाख गांठों में)

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82
पश्चिम बंगाल	3.38	4:71	10.70
असम	1.30	1.89	2.46
बिहार	2.58	3.25	2.69
त्रिपुरा	0.57	0.32	0.50
उड़ीसा	0.11	0.12	0.82
आन्ध्र प्रदेश	0.65	0.31	0.40
उत्तर प्रदेश	0.03	0.02	0.01
मेघालय	—	—	0.01
योग	8.62	10.62	17.59

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

315. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कितनी किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) क्या सरकार ने हमारे देश पर अब तक लिए गए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष सम्बन्धी ऋण के हुए प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा मूल्यांकन कराने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत ने विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत कोष से तीन किस्तों में 90 करोड़ एस० डी० आर० के बराबर की राशि की खरीद की है।

(ख) और (ग) भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच विस्तारित व्यवस्था सरकार के समायोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित है जो छठी आयोजना के लिए निर्धारित नीति के अनुसार संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से गोरखपुर के लिए दैनिक विमान सेवा

316. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर पूर्वोत्तर प्रदेश का केन्द्र है जहां पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय और उर्वरक कारखाने जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान स्थित हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र केन्द्र है जहां एक हवाई अड्डा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के अपितु भारत के अन्य भागों से भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आजीविका विदेशों में अर्जित कर रहे हैं, और जो अधिकांशतया विमान द्वारा गोरखपुर से होकर यात्रा करना चाहते हैं लेकिन दैनिक विमान सेवा के उपलब्ध न होने के कारण इन लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को दैनिक विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और इन उड़ानों को गोरखपुर में रोकने की व्यवस्था की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) 1 जून, 1982 से इण्डियन एयरलाइन्स की ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी में, दिल्ली को कानपुर से होते हुये गोरखपुर के साथ सप्ताह में चार बार एच एस—748 विमान की आई० सी-411/412 सेवा से जोड़ दिया गया है तथा कलकत्ता को पटना और वाराणसी से होते हुए गोरखपुर के साथ सप्ताह में चार बार एफ-27 विमान की आई० सी-281/282 सेवा से जोड़ दिया गया है।

गोरखपुर से तथा गोरखपुर के लिए सम्भावित यातायात एक दैनिक विमान सेवा का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वास्तव में 6 महीनों की अवधि अर्थात् दिसम्बर, 1981 से मई 1982 के दौरान दिल्ली से गोरखपुर के लिये प्रत्येक उड़ान पर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसतन संख्या 12.9 है तथा गोरखपुर से दिल्ली के लिए 12.2 है। इसी प्रकार कलकत्ता से गोरखपुर के लिए प्रत्येक उड़ान पर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 12.4 है तथा गोरखपुर से कलकत्ता के लिए 8.9 है। इसके अतिरिक्त, गोरखपुर तथा बम्बई के बीच दिल्ली से होते हुये सुविधाजनक संयोजी उड़ानों की भी व्यवस्था की गई है।

यूनिट्स एक्सपोर्ट स्कीम ए-नान स्टार्टर शीर्षक समाचार

317. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एक्सपोर्ट यूनिट्स स्कीम ए-नान स्टार्टर" शीर्षक उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सरकार की शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी औद्योगिक एकक योजना शुरू नहीं हो सकी है और चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इस प्रकार के केवल दो एककों ने उत्पादन शुरू किया है जबकि 100 को लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां। यह कहना सही नहीं है कि योजना शुरू नहीं हुई है। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और काफी सारे मामले पहले ही अनुमोदित किये जा चुके हैं। प्रतिक्रिया अच्छी समझी जाती है। जहां तक उत्पादन आरम्भ होने का सम्बन्ध है, दो वर्ष तक की तैयारी अवधि सामान्य मानी जाती है।

सरकार ने ऐसी हिदायतें जारी की हैं कि सरकार के सभी विभाग इस योजना के अन्तर्गत एककों को अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के मामले में प्राथमिकता दें। इन एककों के सम्मुख यदि कोई कठिनाई आती है तो उसके समाधान के लिए किसी प्रकार की सहायता के लिए निर्यात आयुक्त को केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में मनोनीत किया गया है।

कर-अपवंचकों, तस्करों और जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही

318. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेधन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य के कर-अपवंचनों तस्करों और जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु आयकर आयुक्त को अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर-अपराधियों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) मई-जून, 1982 में आयोजित आयकर आयुक्तों के हाल ही के सम्मेलन को यह सूचित कर दिया गया था कि सरकार लेखा बाह्य धन की विद्यमानता से अत्यन्त चिन्तित है। इस सन्दर्भ में उन्हें बताया गया कि तस्करों, जमाखोरों तथा कर अपवंचकों के खिलाफ निन्तर कठोर कार्यवाही को नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है तथा उनसे, काले धन के प्रसार को रोकने और कर अपवंचकों के खिलाफ निवारक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था।

(ग) तथा (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर विभाग का, सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभियोजन सम्बन्धी उपबन्धों का जोरदार प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है।

फिल्मी सितारों की वास्तविक आय को आंकने में असफलता

319. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों द्वारा फिल्मी सितारों के परिसरों पर बार-बार मारे गये छापों के बाद यह बात सामने आयी है कि कर-वंचना का एक तरीका अपनाने के बाद फिल्म कलाकार दूसरा तरीका अख्तियार कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर अधिकारी फिल्मी कलाकारों की वास्तविक आय का मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या नये तरीके अपनाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारियों द्वारा फिल्मी सितारों के परिसरों में मारे गये छापों के दौरान पकड़ी गई सामग्री से कर- अपवंचन करने के लिए अपनाये गये विभिन्न तरीकों का पता चला है। आय का निर्धारण करते समय, आयकर अधिकारी, पकड़ी गई सामग्री से एकत्र की गई सूचना का भी इस्तेमाल करते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहां तलाशियां लेने के अतिरिक्त आयकर प्राधिकारी जांच की अपनी तकनीकों को आधुनिक बनाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों से धन उधार लिया जाना

320. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री गुफारान आजम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई अनुदेश दिए हैं कि वे विशेष रूप से विदेशों में धन उधार लेने में कोई सीमा निर्धारित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशों में कार्य कर रहे बहुत से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार की स्वीकृति के बिना ही विदेशी बैंकों से ऋण लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम 1973 की धारा 8(1) तथा उसके अन्तर्निहित दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित निवासी भारतीयों को विदेशों से उधार लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के केवल एक ही उद्यम ने अपनी तात्कालिक कार्य चालन पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विदेशी बैंकों से रकमें उधार ली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उस मामले की जांच कर रहा है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र के समस्त उद्यमों को इस आशय की उचित हिदायतें दें कि वे विनिमय नियंत्रण विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले निबन्धनों तथा आबद्धकारी शर्तों का विवेकपूर्ण ढंग से पालन करें।

'इण्डियाज फोरेन डेट गोज अप' शीर्षक समाचार

321. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'इण्डियाज फोरेन डेट गोज अप' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर विदेशी ऋणों का नवीनतम ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या विदेशी ऋणग्रस्तता कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1982 के अन्त तक भारत के सरकारी खाते के विदेशी ऋणों की राशि 15458.54 करोड़ रुपये थी। चूंकि मार्च, 1982 के खातों को अभी अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया है, इसलिए ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी आर्थिक सहायता को उत्तरोत्तर कम किया जाए, सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के काम में वृद्धि करना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पैट्रोलियम उत्पादनों की मांग में कमी करना।

(2) सीमेंट, उर्वरकों, अलोह धातुओं, इस्पात आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में, क्षमता के उपयोग में सुधार करके तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके आयात प्रतिस्थापन करना।

(3) मूलभूत ढांचे की कठिनाइयों और विशेष रूप से बिजली, परिवहन और पत्तनों सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करके निर्यात का बेहतर निष्पादन करना, उत्पादन बढ़ाकर अधिक निर्यात अधिशेष उत्पन्न करना, प्रोत्साहन प्रणाली के साथ-साथ भारतीय उद्योग में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता के विकास में सुधार करना जिससे निर्यात व्यापार लाभकारी हो जाए और सक्रिय तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले आदि।

(4) ऐसे उपाय अपनाना जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से अधिक राशियां प्राप्त करने के काम को प्रोत्साहन मिल सके।

(5) ऐसी विदेशी वित्तीय नीति अपनाना जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक आयात, विशेष रूप से विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले आयात में कोई रुकावट न आए, विदेशों से उधार ली गई राशि की लागत कम की जा सके और ऋण परिशोधन के दायित्व उचित सीमाओं में रखे जा सकें।

पश्चिमी एशिया तथा एशियाई देशों को तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण

322. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने हेतु भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा पश्चिम एशिया तथा एशियाई देशों के बाजारों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों का दौरा किया गया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) तम्बाकू के ऐसे ब्रांडों के नाम क्या हैं, जो विदेशों में ज्यादा लोकप्रिय हैं; और

(घ) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) ओमन, सऊदी अरब, मिस्र का अरब गणराज्य, कुवैत, बहरीन सं० अ० अमीरात, मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय तम्बाकू के उत्पादों के निर्यात के लिए एक बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह बाजार सर्वेक्षण सितम्बर, 1982 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के पास निर्धारित समय में दर्ज न कराए गये मामले

323. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का है जिनमें शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के पास निर्धारित तिथि अर्थात 31 जुलाई, 1977 तक दावे दर्ज नहीं कराये गए थे; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1981 को ऐसे कितने दावेदार थे और इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जिन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों आदि की आस्तियां भारत-पाकिस्तान संघर्ष, 1965 के दौरान और बाद में पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं उन्हें राहत देने के लिए अनुग्रहपूर्वक भुगतान की एक योजना भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प दिनांक 10 अप्रैल, 1971 के अन्तर्गत 1971 में घोषित की गई थी।

शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के यहां दावे फाइल करने के लिए दावेदारों को नोटिस मई, 1971 तथा जनवरी, 1972 में जारी किए गए। दावे फाइल करने की अन्तिम तारीख 15 अप्रैल, 1972 थी।

दावेदारों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर फाइल करने की तारीख को तीन बार आगे किया गया और अन्त में 31 जुलाई; 1977 थी।

निर्धारित तारीख 31-7-77 के बाद दावेदारों द्वारा फाइल किए गए दावे काल-बाधित हैं। चूंकि अभिरक्षक निर्धारित तारीख के बाद कोई दावा पंजीकृत नहीं कर रहा है अत: ऐसे दावेदारों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त राशि की कम्पयूटिंग का प्रश्न नहीं उठता। दावे फाइल करने के लिए तारीख बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व

324. **श्री भीखा भाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गैर सरकारी निदेशक के रूप में नाम निर्देशन के लिये सिफारिशें विचाराधीन हैं, यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन होने वाला है क्योंकि इन निगमों में निदेशक बोर्डों का कार्यकाल 17 जून, 1982 को समाप्त हो गया था यदि हां, तो क्या एयर इण्डिया इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक-मंडल का कार्यकाल 17 जून, 1982 को समाप्त हो गया तथा नये निदेशक मण्डल का पुनर्गठन वायुनिगम अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जा रहा है। गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उनकी वैयक्तिक हैसियत में की जाती है जोकि उनके अनुभव/करपोरेशन के लिए लाभकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता पर निर्भर करती है जिससे कि वे उनके सुचारू कार्यचालन में सहयोग दे सकें।

इस्पात नगरों के लिए विमान सम्पर्क

325. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें मई, 1982 तक विमान सेवाओं से जोड़ दिया गया है और उन शहरों के नाम क्या हैं जिनको चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान विमान सेवाओं से जोड़ने का विचार है; और

(ख) क्या इस वर्ष बोकारो और राउरकेला जैसे इस्पात नगरों के लिये विमान सेवा की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) उन शहरों के नाम नीचे दिए गये हैं, जिन्हें मई, 1982 तक विमान सेवा से जोड़ दिया गया है :—

1. अगरतला	2. आगरा
3. अहमदाबाद	4. इलाहाबाद
5. अमृतसर	6. औरंगाबाद
7. बागडोगरा	8. बारापानी
9. बंगलौर	10. बेलगांव
11. भावनगर	12. भोपाल
13. भुनेवश्वर	14. भुज
15. बम्बई	16. कलकत्ता
17. चंडीगढ़	18. कोचीन
19. कोयम्बटूर	20. डबोलिम
21. देहरादून	22. दिल्ली
23. डिब्रूगढ़ (झबुआ)	24. दीमापुर
25. गौहाटी	26. ग्वालियर
27. गोरखपुर	28. हैदराबाद

29. इम्फाल	30. जबलपुर
31. जयपुर	32. जम्मू
33. जामनगर	34. जोधपुर
35. विजयवाड़ा	36. जमशेदपुर
37. जोरहाट	38. कैलाशहर
39. कानपुर	40. केशोद
41. खजुराहो	42. कुल्लु
43. लेह	44. लीलाबाड़ी
45. लखनऊ	46. लुधियाना
47. मद्रास	48. मदुरै
49. मंगलौर	50. मुजफ्फरपुर
51. नागपुर	52. पटना
53. पोरबन्दर	54. पोर्ट ब्लेयर
55. पुणे	56 रायपुर
57. राजकोट	58. रांची
59. रूरकेला	60. सिल्चर
61. श्रीनगर	62. तेजपुर
63. तेज	64. तिरूचिरापल्ली
65. तिरूपति	66. त्रिवेन्द्रम्
67. उदयपुर	68. बडोदरा
69. वाराणसी	70. विशाखापत्तनम्
71. इन्दौर	

इण्डियन एयरलाइन्स की और अधिक स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनायें नहीं हैं। तथापि कुछ और स्टेशनों के लिए वायुदूत सेवा का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) रूरकेला पहले ही विमान सेवा से जुड़ा हुआ है तथा बोकारो को विमान-सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा ओवर-ड्राफ्ट

326. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य-ओवर-ड्राफ्ट सम्बन्धी एक और व्यापक नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार का ओवरड्राफ्ट विनियम योजना को कड़ाई से लागू करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्यों के ओवरड्रफ्टों के विनियमन के बारे में एक मुश्त उपायों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

चूंकि राज्यों के ओवरड्राफ्ट इतने अधिक हो गये थे कि उन्हें और अधिक समय तक नजर अन्दाज किया जाना सम्भव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके ओवरड्राफ्ट विनियम योजना को 1 जुलाई, 1982 से कड़ाई से लागू करने का निर्णण किया है। लेकिन, यह महसूस किया गया कि राज्यों के लिए यह सम्भव होगा कि वे ओवरड्राफटों की प्रवृत्ति को रातों-रात उलटा दें। इसलिए, राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके निम्नलिखित एक मुश्त उपायों का निर्णय किया :—

(1) 1981-82 के अन्त में राज्यों के अन्तिम घाटों को (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उपलब्ध अर्थोपाय सीमाओं पर निकासियों सहित) केन्द्र सरकार द्वारा सावधि ऋणों का मंजूरी द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा। विशेष वर्ग के राज्यों के लिए यह ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए होंगे और दूसरे वर्ग के राज्यों के लिए यह ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगे जिसमें मूलधन और ब्याज की वापस अदायगी पर एक साल का विलम्बन शामिल होगा। दूसरों शब्दों में, ऋणों की 5 या 10 किश्तों में वापसी अदायगी होगी जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई राज्य गैर विशेष वर्ग का है अथवा विशेष वर्ग 1 और मूलधन की पहली किश्त तथा ब्याज 1984-85 के दौरान अर्थात् ऋण की दूसरी वर्षगांठ पर देय होगा। ऋण पर 61/2 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और शीघ्र अदायगी के लिए 1/4 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(2) 1 अप्रैल, 1982 और 30 जून, 1982 के बीच राज्यों के लिए जो अतिरिक्त घाटे की स्थिति यदि कोई उत्पन्न हुई हो तो उसका निपटान केन्द्र द्वारा केन्द्रीय अन्तरणों (अर्थात् केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से, राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, आदि) और अर्थोपाय अग्रिम, यदि आवश्यक हों, के समेकन द्वारा किया जायेगा। किन्तु यह रकमें वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान ही

समायोजित की जायेगी। इस प्रकार दी गई राशियों और उनके समायोजन की विधि के बारे में सूचना प्रत्येक राज्य को अलग दी जायेगी; और

(3) भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों की विद्यमान अर्थोपाय सीमाओं (दोनों सामान्य और विशेष) को 1 जुलाई, 1982 से दोगुना कर देगा। जैसा कि राज्यों को पता है कि विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं केवल भारत सरकार की प्रतिभूतियों को धारण करके ही प्राप्त की जा सकती हैं बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने वाला आवश्यक मार्जिन रखा गया हो।

इन संशोधित व्यवस्थाओं के प्रभाव में आने के बाद भी यदि कोई राज्य सरकार ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना का उल्लंघन करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा कि वह उल्लंघनकर्ता राज्य की अदायगियां बन्द कर दें।

2. ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना, जो अब लागू है, इस प्रकार है :—

(क) यदि किसी राज्य सरकार पर 45 दिन से अधिक समय तक भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण है, भले ही वह अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में हो तो इस असन्तुलन को ठीक करने के लिए सबसे पहले इस स्थिति के बारे में अधिकारी स्तर पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो मुख्य मंत्री के स्तर पर की जायेगी ताकि यथा अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(ख) ज्योंहि किसी राज्य सरकार ने 75 प्रतिशत अधिकृत अर्थोपाय सीमा का लाभ प्राप्त कर लिया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को सचेत करेगा और यदि इस प्रकार के सचेतन के बावजूद राज्य सरकार का खाता 7 से अधिक कार्य दिवसों के लिए ओवरड्राफ्ट में रहता है तो रिजर्व बैंक स्वत: ही राज्य सरकार की अदायगियों को निलम्बित कर देगा जिनको तब तक फिर से चालू नहीं किया जायेगा जब तक ओवरड्राफ्ट समाप्त नहीं हो जाते।

रुपये की क्रय शक्ति

327. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये की क्रय शक्ति चालू वर्ष के दौरान कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) रुपये की क्रय शक्ति में घटबढ़ जो कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100)

के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है, चालू कैलेण्डर वर्ष में इसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

1982	रुपये की क्रय शक्ति पैसों में (1960=100)
जनवरी	21.79 पैसे
फरवरी	21.83 पैसे
मार्च	21-88 पैसे
अप्रैल	21.79 पैसे
मई	21.65 पैसे

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

328. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया गया है; और यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक मण्डल के प्रत्येक गैर-सरकारी निदेशक की अर्हतायें तथा आयु क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, हां। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में नये निदेशक मण्डलों का गठन किया गया है। सरकार ने ये नियुक्तियां, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 और 1980 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट चयन सम्बन्धी सिद्धांतों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की हैं। इन बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों की अर्हताओं तथा आयु के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4170/82]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की मांगें

329. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने मांग की है कि वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधायें उन्हें भी दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को यथाउपलब्ध परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए, विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि इस प्रकार के बैंकों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार (अथवा स्थानीय प्राधिकरण) के तुलनीय स्तर तथा हैसियत वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की परिलब्धियां और अन्य सुविधाएं उन्हीं के अनुसार निर्धारित की गई हैं।

जूट के माल का निर्यात बढ़ाना

330. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जूट से बने माल का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) पटसन की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें शामिल हैं सितम्बर, 1981 से पटसन की वस्तुओं के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देना, नये उत्पादों के विकास के लिए गवेषणा कार्य का संवर्धन आदि। राज्य व्यापार निगम की और अधिक अन्तर्ग्रस्तता के माध्यम से परम्परागत व गैर परम्परागत मदों के लिए नये बाजार प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए नए आवेदन पत्र सरकार ने क्लियर कर दिये हैं। अमटाड, ऐस्केप एफ० ए० ओ० आदि के तत्वावधान में भारत पटसन उत्पादक व उपभोक्ता देशों के बीच क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शों में भी भाग ले रहा है जिसका उद्देश्य है पटसन माल की कीमतें स्थिर करने के लिए संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम बनाना। मांग तथा सप्लाई तथ्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार की दीर्घावधि समस्याओं, बाजार संवर्धन और निर्यात नीति के बारे में पटसन माल सम्बन्धी कृत्रिम बल की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

कृषि ऋणों की वसूली

331. **श्री रेणुपद दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा मध्यम अवधि दोनों के कृषि ऋणों की राज्यवार कितने प्रतिशत वसूली हुई है और पूरे भारत में वसूली का औसत क्या है;

(ख) लाभान्वित होने वालों की श्रेणी क्या है अर्थात (1) 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि 5 से 10 एकड़ सिंचित भूमि, 10-15 एकड़ सिंचित भूमि, 15-20 एकड़ सिंचित भूमि, 20-25 एकड़ सिंचित भूमि, 25-30 एकड़ सिंचित भूमि और 30 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि; (2) 10 एकड़ से कम शुष्क भूमि, 10 एकड़ शुष्क भूमि, 15-20 एकड़ शुष्क भूमि, 20-25 एकड़ शुष्क भूमि, 25-30 एकड़ शुष्क भूमि, 30-35 एकड़ शुष्क भूमि और 35 एकड़ से अधिक शुष्क भूमि;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में नीति परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (जो बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना है) के अनुसार अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक दोनों ऋणों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निष्पादित राज्यवार वसूली का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में लाभप्राप्तकर्ताओं की उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार, वसूली के आंकड़े प्राप्त नहीं होते।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक, सम्बद्ध राज्य स्तरीय एजेंसियों के सहयोग से, इस प्रकार की प्राप्य रकमों की वसूली की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

जून, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि अग्रिमों की वसूली की राज्यवार स्थिति

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत	
	अल्पावधि ऋण	सावधि ऋण
1	2	3
1. अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	74.5	22.7
2. आन्ध्र प्रदेश	56.3	42.6
3. अरुणाचल प्रदेश	30.2	51.0
4. असम	13.4	35.8
5. बिहार	29.8	38.8
6. चंडीगढ़	45.8	74.8
7. दादरा एण्ड नागर हवेली	22.5	50.7
8. दिल्ली	45.0	44.0
9. गोवा, दमन एण्ड दीव	64.6	54.5
10. गुजरात	51.5	45.5
11. हरियाणा	74.0	63.4
12. हिमाचल प्रदेश	44.6	61.0
13. जम्मू एण्ड कश्मीर	40.0	63.6

1	2	3
14. कर्नाटक	59.0	38.4
15. केरल	72.0	55.6
16. लक्षद्वीप	34.1	0.0
17. मध्य प्रदेश	43.6	36.1
18. महाराष्ट्र	56.3	32.7
19. मणिपुर	24.8	22.8
20. मेघालय	21.0	45.6
21. मिजोरम	—	—
22. नागालैंड	54.8	68.8
23. उड़ीसा	47.4	39.8
24. पांडिचेरी	67.3	50.7
25. पंजाब	83.0	80.1
26. राजस्थान	63.0	50.7
27. सिक्किम	—	—
28. तमिलनाडु	57.3	40.0
29. त्रिपुरा	40.4	58.3
30. उत्तर प्रदेश	55.0	52.9
31. पश्चिम बंगाल	35.3	26.7
अखिल भारत	57.9	46.1

अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव

332. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अर्थ.व्यवस्था पर मंदी का प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह मंदी आने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अर्थव्यवस्था में कोई सामान्य मंदी नहीं है। तथापि मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में प्रत्यक्ष सफलता मिलने और कतिपय उद्योगों से सम्बन्धित विशिष्ट तत्वों के कारण कुछ उद्योगों में मांग और पूर्ति के बीच समायोजन हो रहा होगा।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा महंगाई भत्ता इत्यादि के बारे में जारी किए गए अनिवार्य निदेश

333. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम (ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज) ने प्रबन्धकों को, 1.30 प्रतिशत प्रति बिन्दु पर महंगाई भत्ते की सीमा, सार्वजनिक उद्यम के किसी समझौते में उनके कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के प्रयोजन से, मजूरों और परिलब्धियों में कुल वृद्धि उनके वर्तमान वेतन के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, सहित अनेक अनिवार्य निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों के बारे में मजदूरों की आम प्रतिक्रिया क्या रही है; और

(ग) क्या मजदूरों के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन निदेशों को संशोधित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसे कुछ प्राचल विकसित किये हैं जिनके आधार पर कामगारों और कार्यकारी श्रेणी के अधिकारियों की मजूरी एवं वेतनमानों तथा महंगाई भत्तों के परिशोधन के बारे में में समय-समय पर बातचीत की जाती है। इन प्राचलों की रूपरेखा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दी गई है, जिसे फरवरी, 1981 और फरवरी 1982 में संसद के सभा-पटल पर रखा गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि निष्प्रभावन दर, समझौते की लागत आदि कितनी होगी। इन प्राचलों को ध्यान में रखकर प्रबन्धकों द्वारा कामगारों के साथ पूर्णतः मिलकर पहले समझौते या वेतन परिशोधन किये गये हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ने पर मजूरी सम्बन्धी मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास कपड़े के स्टाक का जमा होना

334. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कपड़े का स्टाक अप्रैल, 1982 से जमा हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कपड़ा घटिया किस्म का होने के कारण रक्षा मंत्रालय इसे खरीद नहीं रहा है;

(ख) अप्रैल, 1982 से अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के पास बिन बिके पड़े स्टाक का मूल्य क्या है और इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार एन० टी० सी० मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े की कुछ मात्राएं अभी तक मुख्यतः शेड भिन्नता के कारण सेना प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं।

इस सप्लाई के सम्बन्ध में अनबिके पड़े स्टाक का मूल्य लगभग 1.34 करोड़ रु० है।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का एक साथ बंद होना

335. श्री चित्त बसु :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री पी० के० कोडियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पटसन मिल्स असोसिएशन पश्चिम बंगाल में एक साथ सभी पटसन मिलों को बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। ऐसा पता चला है कि इस सम्बन्ध में इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमण्डल पश्चिम बंगाल राज्य के श्रम मंत्री से मिला है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को औपचारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत नहीं कराया है। तथापि उद्योग ने कतिपय विशेष अवधि में पटसन मिलों के एक साथ बन्द करने का औपचारिक प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया है।

(ख) उत्पादकता वर्ष में सरकार कतिपय विशेष अवधि में पटसन मिलों के एक साथ बन्द करने के विचार से सहमत नहीं है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट तथा मुद्रा स्फीति के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का सुझाव

336. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों के मुद्दे पर विचार करने और मुद्रा स्फीति पर काबू पाने के उपाय निकालने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य के लगातार तथा बड़े पैमाने पर ओवरड्राफ्टों के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री की 8 जून, 1982 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्टों की समस्या तथा राज्यों के वित्त पर मुद्रा-स्फीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए।

(ख) लेकिन, फिलहाल भारत सरकार का ऐसा कोई सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, ओवरड्राफ्टों की समस्या पर निर्णय की घोषणा करने से पहले, वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सहित कई अन्य मुख्य मंत्रियों के साथ ओवरड्राफ्टों की समस्या के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथा अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों से वसूल किए जा रहे ब्याज की दरों में अन्तर

337. श्री उत्तम राठौर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (1) अनुसूचित बैंकों और (2) सहकारी बैंकों से ऋण पर ब्याज की क्या दर वसूल की जाती है; और

(ख) यदि उक्त दरों में कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दरें विवरण में दी गई हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दरें उन प्रयोजनों के अनुसार, जिनके लिए अग्रिम दिए जाते है, भिन्न-भिन्न होती हैं। एक ओर जहां कृषि/लघु उद्योग-क्षेत्र आदि में उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन प्रयोजनों के लिए बैंक दर से कम रियायती दरों पर, ब्याज लिए जाते हैं वहां, दूसरी ओर, अन्य ऐसे कार्यकलापों के लिए जो कि वाणिज्यिक स्वरूप के होते हैं, बैंक दर पर अथवा बैंक दर से अधिक की दरों पर ब्याज लिया जाता है।

विवरण

I. विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान की गई पुनर्वित्त सुविधाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस समय वसूल की जा रही ब्याज की दरें नीचे दी गई हैं :—

प्रयोजन	ब्याज की दरें (प्रतिशत)
(क) अल्पावधि ऋण सीमा	
(1) मौसमी कृषि परिचालनों के लिए	7
(2) सूत और कपास सहित फसलों के विपणन के लिए	10
(3) उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए	11
(4) चीनी के स्टाक के वास्ते सहकारी चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण के लिए	13
(5) स्थिरीकरण निधियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पात्र प्रतिभूतियों के लिए	10
(6) कुटीर तथा बुनकरों सहित लघु उद्योगों के उत्पादन और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए	7.5
(7) यर्न में व्यापार के लिए अपैक्स वीवर्स सोसायटियों को	10

(ख) मध्यमावधि ऋण सीमा

(1)	अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए	7
(2)	सहकारी चीनी मिलों में शेयरों की खरीद के लिए	10

(ग) मध्यमावधि परिवर्तन ऋण

(1)	प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अल्पावधि ऋणों का मध्यमावधि परिवर्तन ऋणों के रूप में परिवर्तन।	7

II. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस समय वसूल की जा रही ब्याज की दरें नीचे दी गई हैं :—

1. खाद्यान्न वित्त	10
2. निर्यात पुनर्वित्त	10
3. जहाजरानी ऋणों के वास्ते पुनर्वित्त	11.5
4. विवेकाधीन पुनर्वित्त	14 (न्यूनतम)
5. वैकल्पिक पुनर्वित्त	11
6. पुनर्भाजित बिल	14 (पहले ट्रांचे तथा उसके बाद बोल ट्रांचे पर उच्चतर दरें)

सोवियत रूस द्वारा भारतीय निर्यातकर्ताओं के साथ अन्तिम रूप दिए गए ठेके

338. **श्री तारिक अनवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने 1982 में 1600 करोड़ रुपये के व्यापार मात्रा में सामान की सप्लाई हेतु भारतीय निर्माताओं और निर्यातकर्ताओं के साथ ठेकों को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) क्या यह सौदा क्रय-विक्रय के आधार पर किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982 के लिए भारत-सोवियत व्यापार योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान सोवियत पक्ष ने संकेत दिया कि उन्होंने 1982 में भारत से 1670 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात के लिए संविदाओं को अन्तिम रूप दिया था। इन संविदाओं के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख मदें है, ग्रीन काफी, इंस्टेंट काफी, काजू गिरी, चावल, तम्बाकू, सिगरेट, अभ्रक, ओषधियां तथा भेषजीय पदार्थ, पेन्ट तथा इनेमल, डिटरजेंट तथा क्लीनिंग एजेन्ट्स, प्रसाधन सामग्री, बकरी की खालें, तैयार चमड़ा, शू अपर्स, सूती वस्त्र, बैड लिनन, तौलिए तथा रूमाल, सिले सिलाये परिधान, सिलाई का सूती धागा, ऊनी निटवियर, ऊनी कालीन, वी-बेल्ट्स, मशीनी औजार तथा फ्रेट कंटेनर आदि।

(ख) इन निर्यातों का भुगतान सोवियत संघ द्वारा द्विपक्षीय क्लीयरिंग व्यवस्थाओं के अधीन भारतीय रुपये में किया जायेगा। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, अलौह धातुओं, अखबारी कागज, उर्वरकों आदि की सप्लाई करके सोवियत संघ द्वारा सृजित इस रुपया निधि का उपयोग उनके द्वारा भारत से आयात के लिए संविदागत मांग को उठाने के लिए किया जायेगा।

काफी के निर्यात से होने वाली आय में कमी

339. श्री तारिक अनवर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 में काफी से प्राप्त होने वाली निर्यात आय में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत की भारी कमी हुई; और

(ख) काफी के निर्यात में इस भारी गिरावट के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981-82 के दौरान काफी से कुल निर्यात आय में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग 25% की गिरावट आई।

(ख) इस गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण 1981-82 के दौरान अपेक्षाकृत निम्न इकाई मूल्य प्राप्ति; और

(2) 1980-81 की तुलना में 1981-82 में निर्यात के लिए उपलब्ध कम काफी।

(1979-80 फसल, जिसका विपणन अधिकांशत: वर्ष 1980-81 के दौरान हुआ, में से निर्यात आवंटन 92,000 मे० टन था; जबकि 1980-81 फसल, जिसका विपणन अधिकांशत: वर्ष 1981-82 के दौरान हुआ, में से निर्यात आबंटन 75,000 मे० टन था)

एक ब्रिटिश फर्म को शुद्ध भारतीय चाय का विपणन

340. श्री तारिक अनवर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय व्यापार निगम ने शुद्ध चाय के विपणन के लिए एक ब्रिटिश फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा किसी भी ब्रिटिश फर्म के साथ अब तक कोई भी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तथापि वे लन्दन हूबं तथा स्पाइस कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन में 100% भारतीय चाय के विपणन के लिए एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। यह फर्म भारतीय चाय व्यापार निगम से चाय के पैकेटों तथा चाय की थैलियों का आयात करेगी और मे० एफ० डब्ल्यू० वूलवर्थ को सप्लाई करने का प्रबन्ध करेगी। यदि प्रस्तावित प्रबन्ध सफलता

पूर्वक पूरा हो जाता है तो भारतीय चाय व्यापार निगम से प्रथम वर्ष के दौरान खरीदारियों का मूल्य पौंड 510,000 (लगभग चौरासी लाख रु०) होने की सम्भावना है। ब्रिटेन का बाजार काफी प्रतियोगी है। इस प्रबन्ध से यदि अन्तिम रूप दिया गया, उस बाजार में पूर्णतः भारतीय चाय की बिक्रियों को सफलता मिलेगी।

औपचारिक करार पूरा होने तक मे० लन्दन हूबं तथा स्पाइस कंपनी को 36 मे० टन चाय पहले ही सप्लाई की जा चुकी है।

भारत और नेपाल में व्यापार करार

341. श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल ने हाल ही में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो नेपाल के लिए भारत संघ से ट्रांजिट सुविधाओं के बारे में उपलब्ध सहित प्रस्तावित व्यापार करार की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दोनों देशों में व्यापार को और आगे किस सीमा तक सुदृढ़ किया जाएगा;

(घ) क्या यह देखने के लिए कदम उठाए गए हैं कि अनधिकृत व्यापार न हो; और

(ङ) यदि हां, तो उस हद तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ङ) भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार, भारत-नेपाल व्यापार, परिवहन संधियों तथा अप्राधिकृत व्यापार नियंत्रित करने सम्बन्धी सहयोग करार, 1978 के उपबन्धों के अधीन शासित किया जाता है। तत्कालीन वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री, भारत सरकार तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, नेपाल के महामहिम की सरकार के बीच पत्रों के आदान प्रदान के अनुसारण में इन संधियों परमार्च, 1978 में हस्ताक्षर किए गये। इन संधियों के हस्ताक्षर होने के बाद, दोनों के बीच व्यापार बढ़ाने, परिवहन को सुकर बनाने तथा अप्राधिकृत व्यापार नियंत्रित करने के लिए एक अन्तः सरकारी समिति गठित की गई जिसमें दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समिति बारी-बारी से नई दिल्ली तथा काठमांडु में बैठकें करती हैं। इस समिति की हाल ही में काठमांडु में 11 से 14 मई, 1982 तक बैठक हुई।

इस समिति की कतिपय महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) भारत में नेपाली औद्योगिक उत्पादों के आयात की क्रियाविधि को सरल बनाया गया है।

(2) कलकत्ता से नेपाली सीमा की जांच चौकियों से परिवहन के अन्तर्गत नेपाली माल के बीमें के लिए क्रियाविधि तैयार करना जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन पर भीड़-भाड़ कम हो।

(3) अप्राधिकृत व्यापार की जांच करने तथा उसे रोकने के मामले में सहयोग को सुकर बनाने के लिए दोनों तरफ कान्टेक्ट पाइंट नियुक्त किए गए हैं।

सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के लिए वायुदूत सेवाएं

342. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संगठनों, क्षेत्रों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के अनेक स्थानों के लिए वायुदूत सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया गया;

(ङ) राजकोट, बलसौर और गुजरात के अन्य विभिन्न जिलों में कितने हवाई अड्डे हैं जहां वायुदूत सेवायें चल सकती हैं; और

(च) कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात में इस समय कितने स्थानों के लिए वायुदूत सेवायें चल रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में कांडला, द्वारिका, सूरत, बलसार, अमरेली, मेहसाना, दमन आदि जैसे कुछ स्थानों के लिए विमान सेवायें परिचालित करने के लिए विभिन्न संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) इन हवाई अड्डों का निरीक्षण करने और उपरोक्त कार्य के लिए विकसित किए जाने की दृष्टि से इन हवाई अड्डों की व्यवहार्यता की तथा साथ ही कार्य की मात्रा का पता लगाने के लिए नागर विमानन विभाग से एक अधिकारी भेजा गया था। इस मामले में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ङ) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। गुजरात सरकार के अनुरोध के अनुसार इस संदर्भ में केवल सूरत, द्वारिका, अमरेली और कांडला तथा गोवा, दमन और दीव राज्य में दीव का सर्वेक्षण किया गया है।

(च) वायुदूत ने गुजरात में अपने परिचालन अभी प्रारम्भ नहीं किए हैं।

गुजरात के विभिन्न जिलों में पर्यटक केन्द्र/होटल

343. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के राजकोट, बलसीर और अन्य जिलों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहां पर्यटक केन्द्र और पर्यटक होटलों का विकास किया जा सकता है ताकि भारतीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 और 1 जनवरी, 1982 से 20 जून, 1982 के दौरान उपरोक्त जिलों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कितने पर्यटक केन्द्रों और पर्यटक होटलों का विकास या निर्माण किया गया है; और

(घ) पर्यटन का संवर्धन करने और पर्यटक होटलों की स्थापना करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय राज्य में मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) सम्पूर्ण देश, जिसमें गुजरात भी शामिल है, पर्यटक आकर्षणों से भरपूर है और इस वजह से तथा विशेष रूप से संसाधनों पर लगे प्रतिबन्ध की वजह से पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो जाता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए गुजरात में पंजीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक आधारिक संरचना होटलों सहित का विकास करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं जिनके अन्तर्गत 23 केन्द्र आते हैं :—

1. अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबन्दर, ससनगीर, सोमनाथ, जूनागढ़, भावनगर, पालीवाणा, अहमदाबाद।

2. अहमदाबाद, डाकोर, बड़ौदा, शुक्लतीर्थ (भड़ौच के पास) सपुतारा, उकई, सूरत, अहमदाबाद।

3. अहमदाबाद, बंकानेर, भुज, मांडवी समुद्र तट, भुज, राधनपुर, पालमपुर, सिद्धपुर, पाटन मोठेरा, अहमदाबाद।

वर्ष 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को 2.50 लाख रु० रिलीज किए गए थे जिससे उकई झील में चलाने के लिए नौकाओं की खरीद की जाएगी।

5 लाख रुपए की अनुमानित लागत से उकई में पर्यटकों को टैंटों वाला आवास जुटाने सम्बन्धी एक अन्य प्रस्ताव भी विभाग के विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम टूरिज़म कार्पोरेशन आफ गुजरात लिमिटेड (टी० सी० जी० एल०) के सहयोग से द्वारका और सोमनाथ में संयुक्त उद्यम यात्री निवासों की स्थापना करने सम्बन्धी संभावनाओं का पता लगा रहा है। गुजरात इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (जी० आई० आई० सी०) की ओर से, भारत पर्यटन विकास निगम ने बड़ोदा में एक होटल परियोजना के लिए एक टैक्नो-एकानामिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। भारत पर्यटन विकास निगम ने जी० आई० आई० सी० को अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में इनके प्रस्तावित होटलों के निर्माण और प्रबन्ध के लिए तकनीकी परामर्श और प्रबन्ध सेवाओं की भी पेशकश की है। टी० सी० जी० एल० के अनुरोध पर, भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों ने भावनगर, जामनगर और पोरबन्दर के महलों को होटलों में परिवर्तित करने के लिए व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन करने की दृष्टि से पैलेस प्रापर्टीज का निरीक्षण किया था। इसी प्रकार, भारत पर्यटन विकास निगम ने छांच पैलेस को एक हालिडे रिसार्ट में बदलने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इसे टी० सी० जी० एल० के एक कंसलटैंसी एसाइनमेंट के रूप में किया जा रहा है।

(ग) जबकि संदर्भाधीन अवधि के दौरान किसी पर्यटक केन्द्र/होटल का विकास नहीं किया गया है, पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत गुजरात औद्योगिक विकास निगम से बड़ोदा में एक होटल का निर्माण करने के लिए एक होटल परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के अन्तर्गत अहमदाबाद, बड़ोदा, गांधीधाम, पोरबन्दर और राजकोट में होटलों का निर्माण करने के लिए 8 होटल परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6 पर अनुमोदन हो चुका है और 2 विचाराधीन हैं।

(घ) होटल उद्योग के लिए प्रोत्साहनों की मंजूरी करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, कर रियायत; ब्याज इमदाद के रूप में ऋण सहायता; पिछड़ा क्षेत्र इमदाद; अनिवार्य आयातों, विदेशों में विज्ञापन, प्रचार एवं संवर्धनात्मक दौरों के लिए विदेशी मुद्रा का आबंटन; निर्माण सामग्री, टेलीफोन, टेलेक्स का आबंटन करने के लिए प्राथमिकता से विचार, आदि के रूप में कुछ प्रोत्साहन केन्द्रीय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची के सभी होटलों को उपलब्ध हैं।

विमान वाहक-पोत की खरीद का प्रस्ताव

344. डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्द महासागर में नौसेना की सुभेद्यता को देखते हुए सरकार का एक विमान-वाहक पोत खरीदने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : भारतीय नौसेना के लिए कोई विमान वाहक जहाज खरीदने का सरकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया में विमान परिचारिकाओं के लिए सेवा नियमों में छूट

345. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की विमान परिचारिकाओं के कठोर सेवा नियमों में छूट देने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या कर्मचारियों की यूनियनों ने इस मामले को सरकार के सामने उठाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया दोनों ही का विमान परिचारिकाओं की सेवा शर्तों को नियन्त्रित करने वाले सेवा विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिनका विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की शर्तों में ढील देने के बारे में प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) यद्यपि इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया में किसी भी मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु एक गैर-मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन ने इंडियन एयरलाइन्स प्रबन्धकों से उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है, जिसे प्रबन्धकवर्ग अन्यथा भी लागू करने के लिए अनुसरण कर रहा है।

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा

346. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 वर्ष पूर्व की तुलना में वर्ष 1981 में विश्व के आयात और निर्यात में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना हिस्सा है; और

(ख) विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में स्थिरता आने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दस वर्ष पूर्व की तुलना में 1981 में विश्व के निर्यातों और आयातों में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विश्व निर्यातों में भारत का भाग (प्रतिशत)	विश्व आयातों में भारत का भाग (प्रतिशत)
1971	0.64	0.73
1981	0.40	0.74 (प्राक्कलित)

(ख) विश्व के निर्यातों में भारत के भाग में एक दशक से अधिक समय से गिरावट का मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि पी० ओ० एल०, औद्योगिक कच्चा माल, पूंजी माल, आदि कीमतों की तुलना में भारतीय उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात कीमतें काफी कम दर से बढ़ी है। औद्योगिक देशों में से नये और छोटे देश भी अद्यतन टैक्नालोजी की जानकारी के साथ महत्वपूर्ण निर्यातकों के रूप में उभर कर आये हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के बड़े घरेलू बाजार में मांग बढ़ रही है जिससे निर्यातों के लिए सप्लाइयां कम हो जाती हैं।

इसके विपरीत, विश्व आयातों में भारत के भाग में कुछ वर्षों से वृद्धि हुई है। हाल ही के कुछ वर्षों में हमारे अनिवार्य आयातों खासतौर पर पी० ओ० एल० आदि की विश्व कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण भारत के आयात बिल में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आयातों पर बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ा है।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

347. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार :**

श्री के० ए० राजन :

श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री पी० के० कोडियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इस प्रयोजन के लिए पहले ही कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब से शुरू किये जाने की आशा है और इस दिशा में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) कालीकट में 14.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसकी आधारशिला 19 जून, 1982, को रख दी गई है। फिलहाल, निविदाएं मंगवाने के लिए विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। टेंडर मंगवाने के नोटिस के अगस्त, 1982 तक जारी कर दिए जाने तथा निर्माण-कार्य के जनवरी, 1983 तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।। उसके बाद निर्माण-कार्य के 4 से 5 वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

केरल में पर्यटन पर किये जाने वाला व्यय

348. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पर्यटन संवर्धन गतिविधियों पर कितनी राशि व्यय की जानी है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के दौरान केरल में कितनी राशि व्यय की जानी है तथा केरल में आरम्भ की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन परियोजनाओं के लिए 72 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये पर्यटन

विभाग के लिए और 42 करोड़ रुपये भारत पर्यटन विकास निगम के लिए का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली पर्यटक स्कीमों का चयन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता बल्कि केन्द्रों की लोकप्रियता एवं संभाव्यता, पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं, सुविधाएं जिनके जुटाये जाने की जरूरत है, धनराशि की उपलब्धता, व्यवहार्यता अध्ययनों और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(ख) समन्वित विकास की नीति के अनुसरण में, अवस्थानुसार ढंग से एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श दो यात्रा परिपथ निर्धारित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत 22 केन्द्र आते हैं। इस यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर, राज्य सरकार ने विकास का एक ब्लू प्रिंट भेजा है जिससे धनराशि की उपलब्धता, व्यवहार्यता अध्ययनों और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुये कार्यान्वित करने के लिए स्कीमों का शेल्फ तैयार किया जायेगा। तथापि, छठी योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों पर कारंवाई शुरू की गई है/प्रस्तावित हैं :

कोवलम समुद्र-तट बिहार स्थल

पर्यटन विभाग

(1) 11.30 लाख रु० की कुल लागत से योग-व-मालिश केन्द्र पूरा किया और 1980 में चालू किया गया।

(2) 3.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्टाफ क्वाटरों का निर्माण।

(3) 11.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से समुद्र-तट सेवा केन्द्र।

भारत पर्यटन विकास निगम

(4) कोवलम समुद्र-तट विहार स्थल का नवीकरण (होटल और कुटीरें) जिनके लिये भारत पर्यटन विकास निगम की छठी योजना में "नवीकरण" के लिए 350 लाख रुपये के एक मुश्त प्रावधान में से धनराशि की पूर्ति की जायेगी।

औद्योगिक एककों से बैंकों की बकाया धनराशि की वसूली

349. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान औद्योगिक एककों के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार और वर्ष-वार बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे औद्योगिक एककों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आशय संभवत: औद्योगिक एककों के अतिदेय अग्रिम से है। आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान सूचना उस रूप में नहीं रखी

जाती जिस रूप में वह मांगी गई है। सिर्फ एक बार के आधार पर भी इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में काफी परिश्रम और समय लगेगा। यह महसूस किया गया है कि ऐसा करने में जो परिणाम प्राप्त होंगे वे इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में लगने वाले समय और परिश्रम के समनुरूप नहीं होंगे।

(ख) बैंक आवधिक विवरणों, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, पार्टियों से भेंट, प्रतिभूतियों के निरीक्षण आदि के द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से वैयक्तिक अग्रिमों पर बराबर नजर रखते हैं। बैंकों के आन्तरिक निरीक्षणों/लेखा-परीक्षाओं के समय भी, परिचालनों, सुरक्षा स्थिति, ऋणकर्ताओं आदि की वित्तीय स्थिति सहित व्यक्तिगत खातों के संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। जैसे ही यह पता चलता है कि अग्रिम की वसूली करना कठिन होगा, उसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है और अग्रिम को नियमित बनाने/वसूली करने के प्रयास आरंभ किये जाते हैं। इसमें सम्बद्ध एकक का पुनर्वास करना, इसके व्यवसाय को सुधारना अथवा इसकी गतिविधियों में परिवर्तन लाना, लाभप्रदता को बढ़ाना आदि शामिल हो सकते हैं। यदि इस प्रकार के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो सम्बद्ध अग्रिमों को वापस मांग लिया जाता है तथा जमानत आदि का सहारा लेकर अग्रिमों की वसूली के वास्ते प्रयास शुरू किये जाते है। आत्यंतिक मामलों में, ऋणकर्ताओं/गारंटी-दाताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की जाती है। समय से कदम उठाने के परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में ऋणकर्ताओं की स्थिति में सुधार हुआ है तथा सम्बन्धित अग्रिमों को नियमित बना दिया गया है। इस प्रकार; अनेकों मामलों में अग्रिमों की वसूली भी हुई है। केवल बहुत आत्यंतिक मामलों में ही अग्रिमों को वसूली के वास्ते अशोध्य या संदिग्ध पाया जाता है।

शत प्रतिशत निर्यात-उन्मुख एककों को स्थापित करना

350. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख एकक स्थापित करने की नयी योजना से सहमत हैं और केन्द्र ने निर्यात एकक स्थापित करने के लिये अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) क्या टंडन समिति ने उन्मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारशें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अनुमोदन बोर्ड द्वारा 12 मई, 1982 तक शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एक योजना के अन्तर्गत 144 प्रस्थापनाओं को अनुमोदित किया गया है। इन एककों को निम्नोक्त 16 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू एवं काश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. महाराष्ट्र
10. मध्य प्रदेश
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. उत्तर प्रदेश
16. पश्चिम बंगाल

संघ राज्य क्षेत्र

1. चण्डीगढ़
2. दिल्ली
3. गोवा
4. मिनीकाय द्वीप समूह

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम के अनधिकृत स्टाक की निकासी

351. श्री के० टी० कोसलराम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम के पास नियन्त्रित कपड़ का कितना स्टाक बिना बिका पड़ा है और उसका मूल्य कितना होगा;

(ख) कपड़े की खरीददारी के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के पास फंसे हुए 30 करोड़ रु० को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम के अनबिके स्टाक की निकासी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुसार 31 मई, 1982 को एन० टी० सी० मिलों के पास पड़े हुए नियंत्रित कपड़े की लगभग 37,800 गांठों के अनबिके स्टाक का मूल्य लगभग 26.50 करोड़ रु० था।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से राष्ट्रीय वस्त्र निगम को देय राशि 30 करोड़ रु० नहीं है। जो राशियां देय हो गई हैं उनका भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है।

(ग) अन्तिम उपभोक्ता के लाभ के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से तक छूट दी गई है। इसके अलावा अनेक राज्य सरकारों ने नियन्त्रित कपड़े के वितरण पर लगे प्रतिबन्धों में छूट दी है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम को राज्य सिविल सप्लाई निगमों तथा अन्य स्वीकृत अभिकरणों को भी नियन्त्रित कपड़े की बिक्री की अनुमति दी गई है।

रक्षा आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान और विकास में लगे संगठन

352. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से संगठन हैं जो इस समय रक्षा आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान और विकास में लगे हैं;

(ख) कौन-कौन से अनुसंधान संगठन इस बीच बन्द हो गये हैं, इनके बन्द होने के क्या कारण हैं और अपनी शुरुआत के पश्चात् कितनी अवधि तक इन अनुसंधान संगठनों ने कार्य किया और अनुसंधान के विशेष पहलू पर इन संगठनों ने कार्य किया; और

(ग) क्या उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और प्रगति करने के मार्ग में आने वाली खामियों को बताने की दृष्टि से अनुसंधान प्रयासों का कोई आलोचनात्मक मूल्य निर्धारण किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० देव सिंह) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन जिसका सारे भारत में 32 प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं का जाल फैला हुआ है, रक्षा संबंधी अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगा हुआ है।

(ख) जहां तक रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का सम्बन्ध है कोई भी ऐसी प्रयोगशाला/स्थापना नहीं है जिसे बन्द कर दिया गया हो।

(ग) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्राक्कलन समिति (चौथी लोकसभा) ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के 1966-67 के कार्यकलापों की कड़ी आलोचना की थी। रक्षा मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की थी। इस संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की आवधिक समीक्षा करने और संगठन को नीति विषयक निदेश तथा मार्गदर्शन देने के लिए संगठन में एक उच्चस्तरीय समिति है जिसका नाम रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद है जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं और रक्षा सचिव, सचिव (रक्षा उत्पादन), सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) तीनों सेनाध्यक्ष और वे प्रमुख वैज्ञानिक सदस्य हैं जो इस संगठन से सीधे सम्बन्धित नहीं है। इसके अलावा इस संगठन में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए प्रत्येक विषय में सामान के उपयोगकर्ताओं, निरीक्षण तथा उत्पादन एजेंसियों और सी० एस० आई० आर० तथा आई० सी० ए० आर० जैसे वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों के पैनल हैं जो अपने-अपने विषय से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों की प्रगति की बारिकी से समीक्षा करते हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रोटोटाइप हेलीकाप्टर डिजाइन करने और उसके उत्पादन के लिए विदेशी फर्म के साथ समझौता

353. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री बी० वी देसाई :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सुभाष यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में एक हेलीकाप्टर के प्रोटोटाइप का डिजाइन तैयार करने और उनका उत्पादन करने हेतु एक विदेशी फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते के अनुसार इसे वर्ष 1980 में तैयार हो जाना था;

(ग) यदि हां, क्या सशस्त्र हेलीकाप्टर योजना सफल नहीं हो सकी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस पर करोड़ों रूपया खर्च हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके असफल होने के मुख्य कारण क्या हैं और सशस्त्र हेलीकाप्टर जिसकी भारतीय वायुसेना को बहुत शीघ्र जरूरत है को तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) सरकार ने वर्ष 1970 से विदेशी फर्म को कितनी धनराशि का भुगतान किया है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (च) सितम्बर, 1970 में फ्रांस की एरोस्पेतिबल के साथ एल्यूत-3 और एस० ए०-315 के स्थान पर एक आधुनिक हेलीकाप्टर का भारत में डिजाइन तैयार करने, विकास करने तथा उसका उत्पादन शुरू करने के लिए हेलीकाप्टर डिजाइन संगठन तैयार करने और विकास करने के सम्बन्ध में 10 वर्ष के डिजाइन

सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके विकास की प्रगति इस तरह होनी थी कि दसवें वर्ष में हेलीकाप्टर का उत्पादन शुरू किया जा सके।

2. 1971 के युद्ध से उत्पन्न गंभीर वित्तीय संकट के कारण इस परियोजना को निम्न प्रथमिकता दी गई। अन्त में फरवरी 1976 में 41.05 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना को स्वीकृत दे दी गई। इसके बाद वायु स्टाफ सम्बन्धी जरूरतों की समीक्षा की गई और एक इंजन के स्थान पर दो इंजन का विमान बनाने का फैसला किया गया। इसके लिए परियोजना की फिर से समीक्षा करना जरुरी हो गया।

3. 31-3-1982 तक 11.87 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका था जिसमें विदेशी फर्मों को अदा की गई 61.95 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा (7,50,000 अमेरिकी डालर के बराबर) भी शामिल हैं।

4. समकालीन प्रौद्योगिकी वाले एक उन्नत हल्के हेलीकाप्टर का डिजाइन, विकास और निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

तस्कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए बहुमुखी अभियान

354. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने तस्करों को पकड़ने के लिए एक बहुमुखी अभियान शुरू किया है;

(ख) क्या नई कार्यवाही योजना के अन्तर्गत सरकार रोधक और सतर्कता तन्त्र को मजबूत बनाने और कोफेपोसा को तीव्रता से लागू करने के लिए कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो देश में बढ़ती हुई तस्करी को यह उपाय किस सीमा तक रोक पाये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी तस्करों की सम्पत्ति को, जो यह धन्धा वर्षों से कर रहे हैं; जब्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि इन उपायों के परिणामत: तस्करी क्रियाकलापों पर नियन्त्रण बना हुआ है।

(घ) तथा (ङ) जहां कहीं अपेक्षित होता है, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तस्करों की सम्पत्तियां जब्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विदेशों को घटिया माल की सप्लाई

356. **श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे दोषी निर्यातकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की सोच रही है जिन्होंने खरीददारों को माल की सप्लाई नमूनों के अनुरूप नहीं की;

(ख) पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया और मुख्य निर्यातकों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ग) निर्यात (नियंत्रण) आदेश (आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए) तथा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम में ऐसे उपबन्ध विद्यमान हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे कपटपूर्ण कार्यों के मामलों में कार्यवाही की जा सकती है। जब भी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आते हैं, मामले की जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है, उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

पटसन उत्पादकों के कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य न मिलना

357. **श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन का वर्तमान न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है क्योंकि उत्पादकों को मिलों का ऋण देना होता है जो उन्हें अग्रिम धन देते हैं और उनसे कच्चा पटसन खरीदने के लिए अपने एजेन्ट नियुक्त करते हैं;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम और उसके एजेन्टों की ढिलाई के कारण ऐसा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण का किस प्रकार सुधार करेगी और पटसन उत्पादकों को मिलों और उनके एजेन्टों के चंगुल से मुक्त कराएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : जी हां।

(ख) यह घटना जे० सी० आई० तथा उसके अभिकरणों द्वारा ढिलाई से काम करने के कारण नहीं है बल्कि यदि जे० सी० आई० द्वारा बाजार में भारी दखल न दिया जाता तो कच्चे पटसन के उपजकर्ताओं को और अधिक बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता। ऐसी घटना मूल्य कच्चे पटसन के सहकारी विपणन में बढ़ोतरी में कमी और पटसन उपजकर्ता क्षेत्रों में प्रमुख हाटों/बाजारों में विनियमित बाजारों की गैर मौजूदगी के कारण है।

(ग) बजट सम्बन्धी समर्थन के माध्यम से और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से पेशगियों के माध्यम से जे० सी० आई० को मिलने वाली वित्तीय सहायता के फलितार्थों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए कीमत समर्थन संचालनों के लिए मुख्यत: जे० सी० आई० को उत्तरदायी बनाया है। पटसन वस्त्र सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार सरकार जे० सी० आई० के योगदान को बढ़ाने का इरादा है ताकि जे० सी० आई० कच्चे पटसन के बाजार में अधिकारपूर्ण स्थिति प्राप्त करले और जे० सी० आई० को संचालनों के लाभ उचित व लाभकारी कीमतों के रूप में पूर्णत: उपजकर्ताओं को मिले। इसके अलावा पटसन उपजकर्ता क्षेत्रों में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी समितियों में वृद्धि, विनियमित बाजारों में वृद्धि, सांविधिक न्यूनतम कीमत को लागू करने के लिए निगरारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाने में स्वयं को लगाए।

नागार्जुन सागर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

358. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागार्जुन सागर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई वृहद् योजना (मास्टर प्लान) तैयार की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : जी, नहीं। केन्द्रीय सेक्टर में ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

बिहार में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में रिक्त पदों को भरा जाना

359. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कुल कितनी शाखायें थी;

(ख) उपरोक्त छ वर्षों के दौरान कुल कितने लिपिक एवं टंकणक और लिपिक एव खजांची थे;

(ग) उपरोक्त छ: वर्षों में कुल कितने कार्यालय चपरासी, मैसेंजर गार्ड और अन्य अधीनस्थ उपलब्ध थे;

(घ) कार्यालय चपरासियों, मैसेंजर गार्डों और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के कुल कितने पद इस समय रिक्त हैं; और

(ङ) अब तक रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं और रिक्त पदों की शीघ्र भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं

361. श्री अजित बाग : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर सभी कार्यरत एजन्सियों ने हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से बार-बार शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो वे एजेन्सियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) उनकी शिकायतों का ब्योरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) प्रयोक्ता एजेंसियों से जिनमें मुख्य रूप से एयरलाइनें तथा सीमा शुल्क विभाग है, कुछ सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के विमानक्षेत्र-वार ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

बम्बई विमान क्षेत्र :

1. टर्मिनल-II (अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल) में अपर्याप्त तथा गन्दे शौचालय।
2. टर्मिलन भवन में दलालों तथा टैक्सी चालकों की मौजूदगी।

कलकत्ता विमान क्षेत्र :

1. टर्मिनल भवन में गन्दे शौचालय।
2. अन्तरराष्ट्रीय आगमन हॉल में अपर्याप्त संख्या में स्वसंचालित ट्रालियां।

दिल्ली विमान क्षेत्र :

1. स्वयं-चालित ट्रालियों की कमी।
2. अपर्याप्त वातानुकूल।
3. गन्दे शौचालय।
4. अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान कॉम्प्लेक्स में स्थान की कमी जिससे भीड़-भाड़ हो जाती है।

मद्रास विमान क्षेत्र :

1. अन्तरराष्ट्रीय आगमन हॉल तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान हॉल में स्थान की कमी।
2. यात्रियों तथा दर्शकों के बैठने के लिए अधिक स्थान।
3. कार पार्क में स्थान की कमी।

(घ) और (ङ) भारत अन्तरराष्ट्रीय विमाननपत्तन प्राधिकरण, जो इन विमान क्षेत्रों का प्रबन्ध करते हैं, ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

बम्बई विमान क्षेत्र :

नये शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं तथा इन्हें साफ रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दलालों तथा टैक्सी चालकों के कारण उत्पन्न जोखिम वाली स्थिति का निवारण करने के लिए पुलिस कार्यवाही कर रही है।

कलकत्ता विमान क्षेत्र :

शौचालयों को साफ कर दिया गया है तथा उनका नवीकरण किया जा रहा है। और अधिक स्वयं-चालित ट्रालियां उपलब्ध करायी जा रही हैं।

दिल्ली विमान क्षेत्र :

पहले ही प्रयोग की जा रही ट्रालियों के अतिरिक्त, 150 और ट्रालियां लेकर रख दी गयी हैं। कभी-कभी बिजली की कटौती के कारण, वातानुकूल व्यवस्था अप्रभावी हो जाती है। अक्तूबर, 1982 में नये अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल के चालू हो जाने तथा 1985 तक नये अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने पर, स्थान की समस्या समाप्त हो जाएगी। शौचालयों का नवीकरण किया जा रहा है तथा उन्हें साफ रखने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

मद्रास विमान क्षेत्र :

यातायात मांग को पूरा करने के लिग वर्तमान टर्मिनल पर्याप्त नहीं है। 10.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अन्तर्देशीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है जिससे स्थान की कमी की समस्या काफी कम हो जाएगी।

राज्य व्यापार निगम को रबर का आयात करने के लिए सीमाशुल्क में दी गयी छूट को वापस लेना

362. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को रबर का आयात करने के लिए सीमाशुल्क में दी गयी छूट को वापस लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) देश में रबड़ की सप्लाई की स्थिति, रबड़ की कुल आवश्यकता और उसके अन्तरराष्ट्रीय तथा स्वदेशी मूल्यों आदि को ध्यान में रखते हुए, राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबड़ पर सीमाशुल्क से समय-समय पर आंशिक छूट दी जाती रही है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ये छूटें विशिष्ट मामलों में और विशिष्ट मात्रा पर समय-समय पर दी जाती रहीं हैं। इसलिए इन छूटों को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली आयकर कार्यालय में स्थान और फर्नीचर की कमी

363. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली आयकर कार्यालय में स्थान और फर्नीचर की इतनी कमी है कि कुछ लिपिक तब तक खड़े रहते हैं जब तक दूसरे लिपिक औरों के बैठने के लिए कुर्सी खाली करके बाहर नहीं चले जाते; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सामान्यत कार्यालय के स्थान की कमी है विशेषतः दिल्ली जैसे महानगरों में। आयकर विभाग किराए पर स्थान लेकर अथवा सम्पदा निदेशालय के माध्यम से सरकारी स्थान प्राप्त करके स्थान की कमी को दूर करने का प्रयास करता रहा है। लेकिन फर्नीचर की कोई कमी नहीं है।

आयकर विभाग में अधिकारियों के लिये रिहायशी आवास की अपर्याप्त व्यवस्था

364. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में अपने अधिकारियों के लिए पर्याप्त रिहायशी आवास की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अधिकारियों को, जिनका सम्पूर्ण भारत में स्थानान्तरण किया जाता है, मकान की कमी तथा अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए किराए के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस सम्बन्ध में उन्हें निर्धारिती की सहायता लेनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना कोई सेवाशर्त नहीं है। तथापि, चूंकि इस विभाग के अधिकारियों का जनता से सीधा सम्पर्क होता है, और इस प्रकार आवास के मामले में उन्हें किसी व्यक्ति का आभारी न होना पड़े अतः विभाग के पास अपना एक आवासीय पूल है। पूल का विस्तार करने की दृष्टि से, धन सम्बन्धी सीमाओं के अधीन रहते हुए और भूमि उपलब्ध होने पर समय-समय पर उन स्थानों पर आवासीय मकान बनाने की स्वीकृति दी जाती है, जहां विभाग के कार्यालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त ये अधिकारी सामान्य आवासीय पूल से भी मकान पाने के अधिकारी हैं। आवास की अत्यधिक कमी वाले स्थानों पर, राज्य आवासीय बोर्डों आदि से बने बनाये मकान भी खरीदे गए हैं।

स्टेट इन्शोरेंस बुखारेस्ट का रूमानिया द्वारा एक भारतीय आयातकर्ताओं के बीच संधि को रद्द कर देना

365. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि "एडमिस्ट्रिशन आफ स्टेट इन्शोरेन्सेज, बुखारेस्ट रोमानिया" ने इस तथ्य के बावजूद कि भारत में उनके सेटलिंग एजेन्ट, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि०

द्वारा भारतीय आयातकर्ताओं के दावों की अदायगी की सिफारिश की गई थी, उनके सभी बीमा दावे रद्द कर दिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने रोमानिया सरकार के साथ यह मामला उठाया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका विचार उन भारतीय आयातकर्ताओं की सूची सभा पटल पर रखने का है जिनके बीमा दावे " एडमिनिस्ट्रेशन, आफ स्टेट इन्शोरेन्स, बुखारेस्ट" द्वारा रद्द कर दिए गए हैं;

(घ) न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि० के पास बिना निपटाये गए इन सभी दावों की राशि कितनी है; और

(ङ) भारतीय आयातकर्ताओं के "एडमिनिस्ट्रेशन आफ स्टेट इन्श्योरेन्सेज, बुखारेस्ट रूमानियां से न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्परी लिमिटेड के माध्यम से उनकी बीमा राशियों की अदायगी कराने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ स्टेट इंश्योरेंसेस, बुखारेस्ट; रूमानिया ने भारतीय आयातकर्ताओं के कुछ बीमा दावों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उन्होंने पालिसी सम्बन्धी कुछ शर्तों का पालन नहीं किया है। न्यू इण्डिया एश्योरेंस क० लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेशन आफ स्टेट इन्श्योरेंस बुखारेस्ट रूमानिया के दावा निपटान अभिकर्ता (क्लेम सेटलिंग एजेंट) के रूप में कार्य नहीं कर रही है। उनका सम्बन्ध केवल सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों का आयोजन करने तथा उनसे सम्बन्धित कागजात और दावों से सम्बन्धित अपेक्षाओं को एडमिनिस्ट्रेशन आफ स्टेट इन्श्योरेंस को भेजने से है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विवादास्पद दावों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

दावों का वर्गीकरण	संख्या	राशि (लाख रुपये)
रद्द किए गए दवे	28	51
विचाराधीन दावे	12	19
	40	70

यदि पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मध्यस्थता तथा न्यायालयों का सहारा लेना ही एक मात्र उपाय रह जाता है।

कृषि-ऋणों का लाभ प्राप्त करने वालों के बारे में किया गया मूल्यांकन

366. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :**

श्री सुनील मैत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पावधि और मध्यावधि दोनों प्रकार के कृषि ऋणों का लाभ प्राप्त करने वालों के बारे में गत वर्षों के दौरान कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका गत तीन वर्षों में क्या परिणाम रहा और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि लाभप्राप्तकर्त्ताओं की श्रेणी में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा औरों की तुलना में छोटे तथा सीमांतिक किसानों को उत्तरोत्तर अधिक अग्रिम दिए जाते हैं। इस तरह के खातों तथा उनमें बकाया रकमों दोनों के ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध I में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4171/82]

मार्च, 1979 तथा मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों को जोतवार तथा राज्यवार विवरण संलग्न अनुबन्ध II में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4171/82] बाद की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्त्ताओं तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्दर निर्धारित कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को यथासंभव ज्यादा से ज्यादा पूरा करें।

जोधपुर और उदयपुर से दिल्ली तक विमान सेवा

367. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के प्रमुख नगरों जोधपुर और उदयपुर से दिल्ली तक विमान सेवा सप्ताह में केवल तीन दिन उपलब्ध है; और

(ख) क्या उपरोक्त नगरों के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन नगरों और दिल्ली के बीच दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) उदयपुर को दिल्ली तथा बम्बई के साथ दैनिक आधार पर विमान सेवा से जोड़ा हुआ है जबकि जोधपुर को दिल्ली तथा बम्बई के साथ सप्ताह में तीन सेवाओं से जोड़ा हुआ है। इन दोनों सेवाओं का परिचालन बोइंग-737 विमान से किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली और जोधपुर के बीच यातायात की संभावनाएं एक दैनिक सेवा के औचित्य को सिद्ध करने लिए पर्याप्त नहीं है।

पंजाब क्षेत्र में दुर्जेय रक्षा पंक्ति बनाने के उपाय

368. श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान सीखे गए सबक और प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए जैसा कि पाकिस्तान में इच्छोगिल नहर रक्षा पंक्ति है, पंजाब क्षेत्र में एक ऐसी दुर्जेय रक्षा पक्ति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं जिससे कि सीमा पार की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : देश की सीमाओं के पार से होने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पंजाब क्षेत्र में समुचित रक्षात्मक उपाय किए हुए हैं। विवरण प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा ।

सउदी अरब, मिश्र, बेहरिन, संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों को तम्बाकू उत्पादों का निर्यात

369. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब, मिश्र, बेहरिन, संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों को तम्बाकू से निर्मित वस्तुओं तथा बीड़ी, सीगार, सिगरेट, स्नफ, खाने वाली तम्बाकू आदि के निर्यात की संभावना का पता लगाया गया है;

(ख) क्या तम्बाकू से निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए बाजार सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या व्यापार मेला प्राधिकरण ने खाड़ी देशों में अपनी तम्बाकू निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाने में सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) ओमान, सऊदी अरब, मिश्र का अरब गणराज्य, कुवैत, बहरीन, यू० ए० ई०, मलयेशिया तथा सिंगापुर में भारतीय तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा सितम्बर, 1982 तक पूरा होने की संभावना है। तम्बाकू बोर्ड ने 1981 में जद्दा में व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले में भी भाग लिया था ।

हथकरघा उद्योग का विकास तथा वित्त पोषण

370. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने हेतु ग्रमीण क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग की संभाव्यता तथा भूमिका के बारे में कोई अध्ययन तथा मूल्यांकन किया है और हमारे देश के आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने तथा उत्पादन और विपणन के मामले में कठिनाई हुई है; और

(ग) हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा वित्त पोषण के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए जाने का विचार है; और उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। सरकार ने हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1973 में एक उच्च शक्ति प्राप्त अध्ययन दल स्थापित किया था। इसकी रिपोर्ट 1974 में प्रस्तुत: की गई थी और सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) हथकरघा वित्त के कामकरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के बाद इस स्कीम को काफी उदार बना दिया गया था। हथकरधा बुनकरों की सहकारी तथा बिक्री समितियों को बैंक दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम की मार्फत रियायती दर पर ऋण मिलता है। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण सीमा जो 1976-77 में 24 करोड़ रु० के स्तर पर थी, बढ़कर 1981-82 में 112 करोड़ रु० से अधिक हो गई थी। सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकर भी भिन्न-भिन्न ब्याज दर योजना के अधीन (पात्रता के अनुसार) अथवा मिश्रित ऋण योजना के अधीन रियायती दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य प्रायोजित हथकरघा निगमों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। सरकार को ऋण की उपलब्धता में गंभीर कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) सरकार ने अनेक विकासात्मक उपाय आरम्भ किए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. बुनकर सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता।
2. गहन विकास परियोजनाएं।
3. निर्यात उत्पादन परियोजनाएं।
4. हथकरघा बुनकरों की शीर्ष विपणन सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता।
5. राज्य हथकरधा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।
9. प्राथमिक बुनकर समितियों को शेयर पूंजी ऋण सहायता।
7. करधा-पूर्व तथा करघा-पश्चात् प्रासेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता।
8. प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण।
9. बुनकर सहकारी समितियों को प्रबंधकीय उपदान।
10. प्रचार तथा प्रदर्शनियां।

11. हथकरघा बुनकरों को लगातार रोजगार तथा समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा देने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना। इनके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा वित्त तथा विकास निगम की स्थापना की अनुमति भी दे दी है, जिसके कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

1. हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न तथा अन्य कच्चे माल जैसे रंजक सामग्री तथा रासायनिक पदार्थों की वसूली तथा वितरण।

2. जितना अधिक खुरदरा दुकाने आवश्यक समझी जायें उतनी दुकानें खोल कर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन तथा विपणन अभियान आरम्भ करना।

3. गैर सहकारी क्षेत्र में कताई/रीलिंग कार्यों का वित्त पोषण।

भारत और कनाडा के बीच सीधी विमान सेवा के लिए समझौता

371. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पर्यटन और नागर/विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और कनाडा के बीच सीधी विमान सेवा चलाने के लिए कोई वाणिज्यिक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुमोदित, एयर इण्डिया तथा एयर कनाडा के बीच वाणिज्यिक करार उस समय प्रभावी होगा जब भारत सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच विमान सेवा करार की शर्तों के अनुसार, जिस पर ओटावा में फरवरी, 1982 में विचार विमर्श किया गया तथा जिस पर जल्दी ही नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, एयर इण्डिया इस वर्ष के अन्त में कनाडा के लिए परिचालन आरम्भ कर देगी। वाणिज्यिक करार की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) एयर इण्डिया मांट्रियाल के लिए विमान सेवाओं का परिचालन यूरोप के एक स्थान से होते हुए करेगी तथा अपनी सेवाएं तब तक मांट्रियाल में ही समाप्त करेंगी जब तक एयर कनाडा पारस्परिक आधार पर भारत के लिए विमान सेवाएं आरम्भ नहीं कर देती।

(2) एयर इण्डिया द्वारा परिचालित ऐसी सेवाओं की संख्या सप्ताह में दो से अधिक नहीं होगी क्योंकि एयर इण्डिया एक सप्ताह में प्रत्येक दिशा में 900 सीटों का उपयोग करने की सीमा निर्धारित है।

(3) एयर इन्डिया द्वारा किसी पंचम यातायात सम्बन्धी किसी पंचम विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(4) एयर इण्डिया द्वारा बीच में विश्राम करने वाला कोई यातायात वाहित नहीं किया जाएगा ।

(5) एयर इण्डिया द्वारा एयर कनाडा को प्रति यात्री 75 अमरीकी डालर की दर से तथा प्रति बच्चा 50 अमरीकी डालर की दर से मुआवजा दिया जाएगा । एयर इण्डिया के इकतरफा परिचालन के प्रथम बारह महीनों में अधिकतम भुगतान 30 लाख अमरीकी डालर होगा । बाद के प्रत्येक वर्ष में, मुआवजे की दर में वृद्धि करने का भी प्रावधान है ।

(6) एयर इण्डिया के इकतरफा परिचालनों के दौरान उसके द्वारा ले जाए जा रहे माल के लिए एयर कनाडा की क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं । प्रथम बारह महीनों के दौरान एयर इण्डिया को किया जाने वाला भुगतान माल के प्रति किलोग्राम के लिए 0.30 अमरीकी डालर (30 सैन्ट) की दर से किया जाएगा जोकि अधिक से अधिक 150,000 अमरीकी डालर होगा तथा इन दरों में सरकार द्वारा सहमत टैरिफों को ध्यान में रख कर आपस में सहमत प्रतिशतता द्वारा वृद्धि की जा सकेगी ।

उपरोक्त (v) तथा (vi) की वाणिज्यिक व्यवस्थाएं उस समय समाप्त हो जायेंगे जब एयर कनाडा भारत के लिए परिचालन आरम्भ कर देगी ।

भारत के रास्ते उड़ान भरने वाली विदेशी विमान सेवाए कम्पनियां

372. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भारत के रास्ते उड़ान भरने के लिए कितनी विदेशी विमान सेवा कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है, ऐसी कितनी विमान सेवा कम्पनियां हैं जिनकी विमान सेवाएं चल रही हैं । और ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनमें अधिभार तो प्राप्त है किन्तु जिनकी विमान सेवा चालू नहीं है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : भारत सरकार ने 50 देशों के साथ विमान सेवा करार किये हैं । इन करारों में इन देशों की निर्दिष्ट एयरलाइनों को भारत को/से होकर अपने अपने करारों के अनुसार परिचालन करने की व्यवस्था है । तथापि इनमें से केवल 40 देशों की निर्दिष्ट एयरलाइन्स ही भारत को परिचालन कर रही हैं तथा बाकी देशों की एयरलाइन्स भारत को/भारत से होकर परिचालन नहीं करतीं ।

अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विचार के आधार पर सेवाओं का परिचालन करती हैं/नहीं करती हैं ।

हवाई अड्डों को अधिक उपयुक्त बनाए जाने लिए धनराशि का आबंटन

373. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान हवाई अड्डों को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, किन हवाई अड्डों को अधिक उपयोगी बनाये जाने का विचार किया जाएगा; और प्रत्येक हवाई अड्डे के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1982-83 में किन हवाई अड्डों को बोईंग 737 विमानों के लिए उपयुक्त बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान अन्य कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) निम्नलिखित हवाई अड्डों के पेवमैंटों को मजबूत करने के लिए, 1982-83 के दौरान 6.79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पटना हवाई अड्डे को छोड़ कर, अन्य विमान क्षेत्रों पर निर्माणकार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है। पटना हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का ठेका शीघ्र ही दिया जा रहा है—

1. अहमदाबाद	2. बड़ौदा
3. बेलगांम	4. भोपाल
5. भावनगर	6. इंदौर
7. जामनगर	8. रायपुर
9. राजकोट	10. अगरतला
11. गौहाटी	12. जोरहाट
13. मोहनबाड़ी	14. पटना
15. सिलचर	16. अमृतसर
17. जयपुर	18. जम्मू
19. कानपुर	20. कोचीन
21. मदुरै	22. तिरूपति
23. त्रिवेन्द्रम्	24. विशाखापत्तनम्

(ख) निम्नलिखित हवाई अड्डों पर पेवमैंटों को बोगई-737 के नियमित/सीमित परिचालनों के लिए मजबूत किया जा रहा है—

1. जम्मू	2. बड़ौदा
3. भोपाल	4. इन्दौर
5. जामनगर	6. राजकोट
7. विशाखापत्तनम्	8. मदुरै
9. कोचीन	

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए जाने वाले विमान परिचालनों से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य ये हैं :—

(1) पेवमैंटों पर पुनः फर्श बिछाना :

अहमदाबाद, बेलगाम, गौहाटी, पटना, अमृतसर, जयपुर, त्रिवेन्द्रम् (धावन-पथ को एल० सी० एन० तक मजबूत करना) तथा विस्तार करना।

(2) अहमदाबाद में नये एप्रन/टैक्सी पथ (एल० सी० एन० 60) का निर्माण।

(3) गौहाटी में एयरबस के लिए पेवमैंटों को मजबूत करना।

(4) त्रिवेन्द्रम् में धावनपथ का 10,000 (एल० सी० एन० 60) तक विस्तार करना।

(5) भावनगर, राजकोट, जामनगर, अगरतला, भुबनेश्वर, पटना तथा इन्दौर में टर्मीनल भवनों का विस्तार तथा रूपांतरण।

(6) बेलगाम, रायपुर, त्रिवेन्द्रम् तथा विजयवाड़ा में तकनीकी ब्लाक तथा कंट्रोल टावर।

(7) विमान दिक्चालन तथा विमान सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्माण-कार्य, जिनके कि 1982-83 के दौरान पूरा होने की आशा है, निम्नलिखित हैं :—

(1) विशाखापत्तनम्, रांची, पोरबन्दर, कांचीपुरम् में बी० ओ० आर० का प्रतिस्थापन।

(2) विशाखापत्तनम्, भोपाल, भुबनेश्वर, बेलगाम तथा गौहाटी में डी० एम० ई० का प्रतिस्थापन।

(3) हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् में फायर स्टेशन भवन का विस्तार।

(4) भावनगर, भुबनेश्वर, गौहाटी, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् में धावनपथ प्रकाश व्यवस्था।

परामर्शदात्री सेवाओं से आय

374. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान देश को परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात से कितनी आय हुई; और

(ख) उन्हें बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ के सदस्यों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर वर्ष 1981-82 के दौरान परामर्शी सेवाओं के निर्यात पर आय 23.63 करोड़ रु० अनन्तिम थी। परामर्शी सेवाओं सम्बन्धी आय के बारे में जानकारी अभी उन कुछ संगठनों से आनी बाकी है जो अपने लेखे पूरे कर रहे हैं। परामर्शी

सेवाओं के निर्यात पर आय के अनुमानित आंकड़े उपर्युक्त आंकड़ों से अधिक होंगे। गत दो वर्षों में परामर्शी सेवाओं पर आय निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रु०)
1979	22.88
1980	25.09

(ख) परामर्शी सेवाओं के निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ को केन्द्रीय समन्वय अभिकरण का नाम दिया है। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ नियमित आधार पर निम्नलिखित कार्य कर रहा है :—

(1) परामर्शी संगठनों के सदस्यों को अन्य विभिन्न देशों में होने वाली उन परियोजनाओं/प्रस्थापनाओं के बारे में जानकारी देना जो भारतीय परामर्शी सेवाओं के निर्यात के लिए उपयोगी हो सकते हैं;

(2) पत्रिकाओं, फोल्डरों, फिल्मों आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से भारतीय परामर्शी सेवाओं के निष्पादन, सम्पन्नता तथा क्षमता का प्रक्षेपण।

(3) विभिन्न देशों में ऐसी सेवाओं के निर्यात के लिए उपयोगी परामर्शी दौरे प्रायोजित करना। इस वर्ष सऊदी अरब, लीबिया तथा इराक को एक परामर्शी दल भेजा जा रहा है।

(4) विदेशों से परामर्शी सेवाओं के खरीदारों को आमंत्रित करना तथा भारतीय परामर्शी संगठनों की बैठकें आयोजित करना तथा उनके कार्यालयों एवं पूरे किये गये परियोजना स्थलों के दौरे करना।

(5) दौरा करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के नई दिल्ली आने वाले भारतीय दूतावासों, अपने प्रत्यायन के देशों में मनोनीत किए जाने वाले दूतावासों के साथ बैठकें आयोजित करना, सेमीनार, कार्यशालाएं आयोजित करना आदि।

इसके अतिरिक्त, विदेशों में बाजार अध्ययन करने के लिए परामर्शी सेवाओं के लिए पात्र परामर्शी संगठनों को विपणन विकास सहायता के द्वारा सरकार सहायता अनुदान भी दे रही है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

375. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के बारे में 30 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के सम्बन्ध में वर्ष 1982-1983 के लिए राज्य सरकार की सिफारिश इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला वार किन स्थानों के नामों की सिफारिश की थी;

(ग) क्या इस बीच शाखाओं की स्वीकृति दे दी गई है और प्रत्येक स्थान के लिए संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या क्या कारण हैं और उन्हें किस तिथि तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण

376. श्री सुशील भंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति और सामान्यत: मूल्य वृद्धि को रोकने में सरकार के असफल रहने के परिणामस्वरूप कोयले के मूल्यों में 15 प्रतिशत की अपरिहार्य वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) कोयले की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि, सरकार की उत्पादक एककों की वित्तीय क्षमताओं में सुधार करने की नीति के अनुरूप है। कीमत स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1980-81 में 16.7 प्रतिशत से गिरकर 1981-82 में 2.1 प्रतिशत हो गई। हाल के सप्ताहों में मौसमी दबावों के बावजूद मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 19 जून, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 1.8 प्रतिशत रही जिसकी तुलना में पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह में यह दर 12.6 प्रतिशत थी।

बैंकों में जमा राशियों की वृद्धि दर

377. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों में जमा राशियों की कम वृद्धि दर से चिन्तित है;

(ख) गत चार वर्षों में जमा राशियों की वर्ष-वार वृद्धि दर क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि जमाराशियों की कम वृद्धि दर का एक कारण बहुत-सी कम्पनियों द्वारा आकर्षक सावधिक जमाराशि की परियोजनाओं की स्थापना करना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक अन्य कारण बहुत आकर्षक शर्त पर जनता से धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं का शुरू होना है; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित परियोजनाओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाराशियों की वृद्धि से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	राशि (करोड़ रुपये)	वृद्धि की दर (प्रतिशत)
जून 1978	23313	—
जून 1979	28672	23.0
जून 1980	33377	16.4
जून 1981	39927	19.6
जून 1982 (18-6-1982 तक)	44726	12.0

जमाराशियों की हाल की वृद्धि दर पर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। यह मूल्यांकन करना अभी समय से पूर्व होगा कि ये प्रवृत्तियां जारी रहेंगी अथवा ये अल्पावधि घट बढ़ की द्योतक हैं। निजी कम्पनियों द्वारा मीयादी जमाओं की स्कीम कुछ समय से प्रचलन में है और इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि पिछले कुछ महीनों में जमा राशियों की वृद्धि की दर में कमी अनिवार्यतः इस स्कीम के मौजूद होने से है।

गैर बैंकिंग, गैर वित्तीय कम्पनियों की जमा राशियों को नियंत्रित करने वाले विनियमों में कंपनियों के स्वामित्व की निधियों के संदर्भ में जमा राशियों की मात्रा, जमा राशियों की अवधि आदि की ऊपरी सीमा विहित की गई है। जनता द्वारा अपनी बचतों का निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के पास रखा जाना वैयक्तिक पसन्द का मामला है और जनता और इन संगठनों के बीच एक संविदा है। अलबत्ता, जब गैर बैंकिंग कम्पनियां अपनी कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण सहायता के वास्ते बैंकों से संपर्क करती हैं तो ऐसी कम्पनियों द्वारा जनता से ली गई जमा राशियों पर भी बैंक ध्यान देते हैं।

नई आयात नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव

378. श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई आयात नीति पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जिन मदों के लिए परिवर्तन के सुझाव वाले अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में आयात नीति की समीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। नई आयात नीति में ऐसी कोई सामान्य समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फूलों का निर्यात

379. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 और 1981 के दौरान भारत से राज्य वार कितने मूल्य के फूल बीज और पौधे सहित निर्यात किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : भारत से 1979-80 तथा 1980-81 में फूलों के निर्यातों (पौधों तथा कंद सहित) का मूल्य नीचे दिया गया है।

(मूल्य : हजार रु० में)

	1979-80	1980-81
1. आभूषण के रूप में कटे हुए फूल तथा कलियां	1261	842
2. पुष्पित पौधे	639	942
3. कन्द बागवानी	260	665
	2160	2449

निर्यात आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम

380. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने हेतु हाल ही के महीनों में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) मई, 1982 के अन्त में मुद्रास्फीति की क्या दर रिकार्ड की गई; और

(ग) गत दस वर्षों की इसी अवधि में अर्थात् मई, 1980 तथा मई, 1981 में तत्सम्बंधी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार की मुद्रास्फीति निरोधी नीति में प्रमुख रूप से इसी बात पर लगातार बल दिया जाता है कि इस समस्या को पूर्ति और मांग दोनों

दिशाओं में हृस किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से चालू वर्ष को उत्पादकता का वर्ष घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में 1982-83 के बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाया जा रहा है और यह सरकार के पूर्ति प्रबन्ध का अभिन्न अंग है समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 1982-83 के बजट में घाटे की वित्तव्यवस्था न्यूनतम रखी गई है। उभरती हुई स्थिति के संदर्भ में मौद्रिक और ऋण नीतियों की लगातार समीक्षा की जाती रहती है।

(ख) और (ग) 29 मई, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में, बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 0.6 प्रतिशत थी जबकि 1981 और 1980 के तदनुरूप सप्ताहों में यह दर क्रमशः 15.6 प्रतिशत और 20.2 प्रतिशत थी।

आयुध फैक्ट्री, त्रिची के युद्ध सामग्री विभाग के निरीक्षणालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

381. श्री ई० बालानन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निदेशक, निरीक्षण (युद्ध-सामग्री) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या 1973-आई० डी०—13 (ए) दिनांक 15-10-1972 के अनुसार क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि अनेक कर्मचारियों ने आयुध फैक्ट्री, त्रिची के युद्ध सामग्री विभाग के निरीक्षणालय के लिए स्वेच्छा से स्थानान्तरण हेतु पेशकश की लेकिन प्रशासन ने और उपरोक्त परिपत्र में उन्हें गत 10 वर्षों से दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए और लाभ नहीं दिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) संदर्भित पत्र में उल्लिखित रियायतों में से, केवल नगर से बाहर के स्थान के भत्ते को छोड़कर शेष सभी रियायतों के लाभ कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं। इस भत्ते के बारे में लेखा प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों मुख्यतः इस भत्ते की देयता की तिथि के बारे में की गई आपत्ति के कारण इसका लाभ देने में विलम्ब हुआ है। इन आपत्तियों का हल निकाला जा रहा है।

युद्ध के तरीकों तथा फाकलैण्ड युद्ध में इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों का अध्ययन

382. श्री के० लकप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा फाकलैण्ड द्वीप समूह में हाल के युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा अपनाये गये युद्ध के तरीकों तथा इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक हथियारों का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों, विमानों आदि की भावी खरीद के सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हाल में फाकलैण्ड द्वीप समूह में हुए युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा अपनाये गये युद्ध के तरीको और हथियारों के उपयोग

के बारे में प्रकाशित समाचारों को सावधानी पूर्वक नोट किया गया है। फिर भी, चूंकि युद्ध अभी समाप्त हुआ है इसलिए इस बारे में अधिकृत सूचना उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद ही इस युद्ध में प्रयुक्त युद्ध कौशल के तरीकों और लड़ाई में इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक हथियारों की कार्यक्षमता के बारे में कोई अर्थपूर्ण अध्ययन करना संभव हो सकेगा और देश की रक्षा योजनाओं के हित में उससे कुछ सीखा जा सकेगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के रिटेल शो रूमों की संख्या

383. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार राष्ट्रीय कपड़ा निगम के रिटेल शो रूमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन शो रूमों का पिछले तीन वर्षों का लाभ और हानि का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बहुत समय पहले इनको बन्द करने का निर्णय लिया था परन्तु उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन रिटेल शो रूमों में काम करने वाले कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने की व्यवस्था की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के रिटेल शो रूमों की कुल राज्यवार संख्या दर्शाई गई है।

(ख) इन रिटेल दुकानों द्वारा विगत तीन वर्षों में उठाई गई हानि निम्नोक्त प्रकार थी :—

1979-80	107.42 लाख रु०
1980-81	76.15 लाख रु०
1981-82	150.00 लाख रु० (अनन्तिम)

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो रूम विभिन्न कारणों की वजह से निरन्तर घाटा उठाते रहे हैं। एक समय यह निर्णय लिया गया था कि इन शो रूमों को बन्द कर दिया जाए। बाद में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए सभी उपाय किए जाएं। अगर कुछ दुकानें लाभ में नहीं चल सकें, वे निरन्तर घाटा उठाती रही हों और भविष्य में उसकी अर्थक्षमता का बहुत कम आसार हो तो ऐसी दुकानों को बन्द किया जा सकता है और उस स्टाफ को स्पष्ट रूप से विद्यमान रिक्तियों के आधार पर खपा लिया जाए।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूमों की कुल सं०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30
2.	कर्नाटक	27
3.	केरल	20
4.	तमिलनाडु	118
5.	पांडिचेरी	1
6.	देहली	14
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू तथा काश्मीर	6
10.	पंजाब	6
11.	चण्डीगढ़	2
12.	राजस्थान	12
13.	उत्तर प्रदेश	47
14.	मध्य प्रदेश	11
15.	गुजरात	11
16.	महाराष्ट्र	13
17.	पश्चिम बंगाल	25
18.	आसाम	2
19.	बिहार	21
20.	उड़ीसा	4
		380

हिन्द महासागर में बड़ी नौ-शक्तियां

384. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में भारी सोवियत नौ शक्ति का प्रतिकर करने हेतु अपनी आक्रामक तैयारियों को मजबूत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप भारतीय नौसेना के सम्मुख एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है;

(ग) क्या अमरीका तथा सोवियत संघ ने हिन्द महासागर में अपनी-अपनी नौ-शक्ति सुदृढ़ कर ली है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय नौ-सेना उक्त खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह लैस है;

(ङ) यदि हां, तो हमारी नौसेना शक्ति को किसी सीमा तक सचेत रखा गया है; और

(च) स्थिति का सामना करने हेतु और आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने हिन्द महासागर में अपनी नौ सैनिक शक्ति बढ़ा ली है। महा शक्तियों की नौसेनाओं का हिन्द महासागर में जमाव हमारे लिए चिंता का विषय है और सरकार इस क्षेत्र में समुद्र सुरक्षा का मूल्यांकन हमेशा करती रहती है और हमारी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

(ङ) किसी भी स्थिति का सामना करने के लिएं हमारी नौसेना हमेशा तैयार रहती है।

(च) संभावित खतरों का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

385. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जून, 1982 से अपनी ऋण नीति में और भी ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे छोटे और मध्यम किसानों तथा उद्योगों में लिए ऋण सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है; और

(घ) भ्रष्ट सट्टेबाजों द्वारा इन छूटों का दुरुपयोग रोकने के लिए उसके अन्तर्गत क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 11-6-82 से भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी ऋण अनुपात को 7.25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है तथा 2600 करोड़ रुपए से ऊपर के स्तर के खाद्यान्न वसूली के अपने ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों को 100 प्रतिशत की पुनर्वित्त सुविधा दिए जाने की घोषणा की है।

(ग) और (घ) इन उपायों के प्रभाव पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर नजर रखी जाती है। हालांकि, छोटे तथा मझोले किसानों और उद्योगों को ऋण सुविधाओं पर पड़ने वाले इन उपायों के विशिष्ट प्रभावों के पता कुछ समय पश्चात् चलेगा, इन उपायों से साधारणतः बैंकों के पास निधियों (फंडों) की उपलब्धता में सुधार होगा जिससे कि उनके द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जिसमें कृषि क्षेत्र में छोटे तथा मझोले किसान और लघु उद्योग शामिल हैं, बैंकों को पहले भी यह सुनिश्चित करना होता था कि इन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्णतः पूर्ति की जाए। बैंकों की बेहतर ऋण आयोजना तैयार करने तथा विशेष रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में छोटे ऋणकर्ताओं और 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन लाभप्राप्तकर्ताओं के वास्ते बेहतर ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के अनुदेश भी दिये गए थे। जनवरी, 1982 को समाप्त हुए 10 महीनों की अवधि के त्वरित अनुमानों से मालूम होता है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के सकल ऋण विस्तार पिछले वर्ष की समनुरूप अवधि के दौरान 1399 करोड़ रुपये की तुलना में, बढ़कर, 2110 करोड़ रुपए हो गया। अलबत्ता, ऋण अनुशासन को लागू करने की आवश्यकता जारी है। इन सीमाओं के भीतर, बैंकों को सलाह दी गई है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ-साथ उद्योगों के उत्पादक प्रयोजनों के वास्ते सभी वास्तविक आवश्कताओं को पूरा किया जाए।

बैंक ऋण केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं न कि जखीरेबाजी और सट्टेबाजी के लिए/इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियन्त्रण उपाय, महत्वपूर्ण वस्तुओं के वास्ते ऋण के सम्बन्ध में उच्चतर मार्जिन तथा ब्याज की ऊंची दरों की व्यवस्था करते हैं।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली आवर्ती रियायती सहायता के अवसर

386. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1982 से शुरू होने वाले आगामी वर्ष के सम्बन्ध में विश्व-बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ग्रुप से मिलने वाली आवर्ती रियायती सहायता की क्या सम्भावना हैं तथा जून, 1982 को समाप्त हुए वर्ष में मिली सहायता की तुलना में इसकी स्थिति क्या होगी?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रियायती सहायता प्रदान नहीं करता है।

विश्व बैंक समूह के राजकोषीय वर्ष 1982 (पहली जुलाई, 1981-30 जून, 1982) के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को सहायता देने के लिए कुल 208.45 करोड़ डालर की राशि के करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

हाल में पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में यह संकेत दिया गया था कि विश्व बैंक समूह से लगभग 220.00 करोड़ डालर मूल्य की सहायता उपलब्ध होगी। सहायता की ठीक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि वर्ष के दौरान कितनी परियोजनाओं को संसाधित किया किया जाता है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए वास्तव में कितनी राशि का आवंटन किया जाता है और बैंक समूह से कितनी सहायता राशि उपलब्ध होती है।

भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति

387. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में 22-24 जून, 1982 को भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें ब्रिटेन को निर्यात में वृद्धि करने में भारत द्वारा उठाई जाने वाली कौन सी विशिष्ट समस्याओं तथा अन्य मुद्दों पर विचार किया गया; और

(ग) विचार-विमर्श का मद-वार परिणाम क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति ने द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की वृद्धि की समीक्षा की और वस्त्रों, शल्य चिकित्सा पट्टियों, ओलियों रेजिन, तम्बाकू, मूंगफली निस्सारण, चाय के लिए न्यूनतम मानकों के प्रवर्तन, यू० के० कापीराइट कानून का संशोधन जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया । बैठक के दौरान प्रतिकूल व्यापार संतुलन के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई और ब्रिटिश सरकार अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन तथा विपणन कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रस्थापनाओं पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए सहमत हुई ।

ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया गया कि वे भारतीय सप्लायरों से अधिक खरीदारी करने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीयकृत उद्योगों को प्रोत्साहित करें और ब्रिटिश पक्ष ने ब्रिटिश राष्ट्रीयकृत उद्योगों की स्वायतता द्वारा लागू सीमाओं के भीतर संभाव्यताओं का पता लगाने का वचन दिया ।

ब्रिटिश सरकार से यह आग्रह भी किया गया कि वे तम्बाकू, समुद्री उत्पाद तथा हाथ से गांठ लगाकर बने कालीनों के निर्यात के लिए प्रवेश में सुधार लाने के लिए यूरोपीय समुदाय के साथ भारत के पक्ष को अपना समर्थन दें । समिति ने भारत-ब्रिटिश औद्योगिक सहयोग विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के समय पहले हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की ।

एच० टी०-2 बेसिक प्रशिक्षक विमान के लिए विकल्प

388. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि भारतीय वायुसेना ने एच० टी०-2 बेसिक प्रशिक्षण विमान का विकल्प नवम्बर, 1965 में ढूंढना शुरू किया था परन्तु यह जुलाई, 1981 में ही जाकर संभव हुआ कि नये प्रशिक्षक विमान "सी" (एच० पी०-32) की उड़ान भरी गई और उसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन केवल वर्ष 1984-85 के दौरान से शुरू होगा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एच० पी० टी०-32 डिजाइन तथा विकास परियोजना 1976 मंजूर की गई थी । तीन आदिरूप तैयार किए जा चुके

हैं। पहले आदिरूप ने जनवरी 1977 में, दूसरे ने मार्च 1979 में और तीसरे ने जुलाई 1981 में उड़ान भरी। अधिकांश विकास कार्य पूरा हो चुका है और आशा है कि 40 विमानों के पहले आर्डर की सप्लाई 1983-84 में शुरू हो जाएगी।

वायुसेना मुख्यालय ने नवम्बर 1965 में एच० टी०-2 बुनियादी प्रशिक्षण विमान के स्थान पर आधुनिक विमान लाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस विमान का डिजाइन और विकास वैमानिकी समिति (1969) की इस सिफारिश को ध्यान में रखकर रोक दिया गया था कि एक इंजन वाले प्रशिक्षण विमान लाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए जो वायुसेना तथा सिविल विमानन दोनों की जरूरत पूरी कर सके। आगे जांच करने पर 1974 में यह पाया गया कि वायुसेना और सिविल विमानन विभाग की अलग-अलग किस्म की जरूरतें हैं और इनके लिए एक ही तरह का प्रशिक्षण विमान लाना न तो व्यावहारिक होगा और न ही उपयुक्त।

भारत में अभ्रक का कागज बनाने के लिए चीन की तकनीकी का उपयोग किया जाना

389. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत में अभ्रक का कागज बनाने के लिए अपनी तकनीक देने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : चीन की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चाय बागान को होने वाली कठिनाइयां

390. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छोटे तथा सीमान्त चाय बागानों ने कोयले के विकल्प के रूप में उपयोग करने हेतु बड़े पैमाने पर बागानों में खड़े छायादार वृक्षों के टहने, पत्ते झाड़ने शुरू कर दिये हैं जिसके कारण चाय की किस्म पर बुरा प्रभाव पड़ा है; जबकि केन्द्रीय सरकार निर्यात बाजार के लिए किस्म को ही एकमात्र सर्वाधिकार महत्वपूर्ण आवश्यकता मानती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चाय बागानों में छायादार वृक्ष लगाने का उद्देश्य बहुमुखी है और प्रत्यक्ष रूप से चाय के पौधों की उत्पादकता से सम्बन्ध

रखता है। समय-समय पर बहुत पुराने तथा रोगग्रस्त छायादार वृक्षों को बदलना आवश्यक हो जाता है ताकि चाय बागानों के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। सरकार को कोयले के बदले में काम मे लाए जाने के लिए बागान के छायादार वृक्षों के उखाड़े जाने के मामलों की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वाणिज्यक और ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना के लिए मानदण्डों को उदार बनाया जाना

391. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रमीण और पहाड़ी क्षत्रों में वाणिज्यक और ग्रामीण कृषि बैंक खोलने के लिए वर्तमान मानदण्डों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भातरीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। इस नयी नीति में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की व्यवस्था है जिससे कि 1981 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 व्यक्तियों पर औसतन एक शाखा की व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में, छितरी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में उपर्युक्त जनसंख्या मानदण्ड को कड़ाई से लागू नहीं किया जायेगा और ऐसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा ऐसा करने के वास्ते, बैंकिग सुविधाओं की उपलब्धता में मौजूदा कमी, जनसंख्या के निर्धारित समूहों की बैंकिंग आवश्यकताओं, आर्थिक गतिविधियों आदि के विकास को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत उदार आधार पर अनुमति दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश को भ्रमण मार्गों में सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

392. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण मार्गों में जो कि विश्व भ्रमण के नक्शे पर है, पर अधिक सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरह की सहायता दी जा रही है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस समय दी जाने वाली सहायता की धनराशि को दुगना करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1981-82 के दौरान 6.26 लाख रुपये तक की राशि (जिसमें 5.63

लाख रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं) उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेकिंग के विकास और संवर्धन हेतु ट्रेकिंग/कैम्पिंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए स्वीकृत की है।

(ख) जी, नहीं, चूंकि यह वर्तमान योजना अवधि के दौरान एक बार स्वीकृत किया जाने वाला अनुदान (वन टाइम ग्रान्ट) है।

विश्व पर्यटन के नक्शे में पिन्डारी ग्लेशियर

393. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में पिन्डारी ग्लेशियर को विश्व पर्यटन के नक्शे पर आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्लेशियर देखने हेतु जाने वाले पर्यटकों के लाभ के लिए वहां बड़े पैमाने पर पर्यटन को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पिन्डारी ग्लेशियर पर अधिक संख्या में ट्रेकर्ज आते हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश यू० पी० के पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेकिंग के विकास तथा संवर्धन हेतु ट्रेकिंग/कैम्पिंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए 6.26 लाख रुपये की राशि (जिसकी 90%, 5.63 लाख रुपये की अग्रिम राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है) स्वीकृत की है। उत्तर प्रदेश में सुविधाओं के संवर्धन और विकास के लिए चुने गए 10 ट्रेक मार्गों में से पिन्डारी ग्लेशियर एक ट्रेक मार्ग है।

उत्तर प्रदेश के दूरदराज पर्वतीय क्षेत्र के लिए वायुदूत सेवा

394. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पिथौरागढ़ जिले को वायुदूत सेवा का लाभ दिया जायेगा, यदि हां, तो कब तक; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्थानों के चयन की मुख्य कसौटी इसकी अगम्यता है। इस समय वायुदूत उत्तर प्रदेश में देहरादून के लिए परिचालन कर रही है। उत्तर प्रदेश के अन्य दूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वायुदूत के परिचालनों के प्रश्न पर एक उपयुक्त विमान का चयन तथा खरीद कर लेने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं उनके प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

"रिस्ट वाचेज वर्थ 44 लाख सीजड" शीर्षक समाचार

395. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग के रोधक समाहर्तालय ने, जैसा कि 4 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है दक्षिण बम्बई के एक भवन में 2 जून, 1982 को छापा मार कर तस्करों द्वारा लाई गई 44 लाख रुपये मूल्य की कलाई घड़ियों का बड़ा जखीरा पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जी हां, । सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई में 2-6-82 को बम्बई स्थित एक भवन से 13,500 कलाई घड़ियां पकड़ी थीं जिनका मूल्य लगभग 44 लाख रु० है। एक व्यक्ति को इस मामले में ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ जांच पूरी होने पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अभी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना

396. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 30 जून, 1982 को ऐसी कितनी पटसन मिलें थीं जो नियोक्ताओं द्वारा बन्द कर दी गईं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेकार हो गए हैं; और

(ग) बन्द मिलों के कार्य को शीघ्र ही चालू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 30-6-82 तक 16 जूट मिलें, जिनमें 54,340 श्रमिक अन्तर्गत हैं, बन्द पड़ी थी। इन मिलों में से नस्करपड़ा जूट मिल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से 28-7-1981 से बन्द कर दिया गया है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत गैंजीस, डलहौजी, एम्पायर तथा कैल्विन नामक चार मिलों, जिनके प्रबन्धकों को तालाबन्दी समाप्त करने को कहा

गया था, में तालाबन्दी जारी रखने को प्रतिषेध करने वाले आदेश जारी किए। तथापि, मिलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं। मामला न्यायधीन है। केन्द्रीय सरकार ने भी जूट उद्योग के कार्यचालन के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्येश्य से अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं जूट माल की सरकारी खरीद बढ़ाकर मांग में वृद्धि करना, जूट माल के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देना तथा सीमेंट पैक करने के लिए शत-प्रतिशत नये बोरे इस्तेमाल करना।

इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 1-7-82 को भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के सम्बन्धित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक के अनुसरण में भारतीय जूट मिल एसोसिएशन की कुछ मिलों के फिर से खुलने के लिए अपेक्षित वित्तीय ऋण का स्वरूप तथा उसकी सीमा दर्शाने वाला एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। राज्य श्रम आयुक्त से कहा गया है कि वह कुछ जूट मिलों के खुलने के लिए लम्बित समझौता कार्यवाही की जांच करे।

अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन स्थापना

397. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन की स्थापना के बारे में कोई समझौता कर लिया गया है;

(ख) प्रस्तावित संगठन में कौन-कौन से देश सम्मिलित होंगे;

(ग) क्या भारतीय पटसन उद्योग को संगठन की संयुक्त विपणन नीतियों से लाभ पहुंचेगा; और

(घ) क्या इससे कच्चे पटसन के उत्पादकों को भी लाभ पहुंचेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगठन स्थापित करने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय जूट करार पर अभी भी बातचीत चल रही है।

(ख) जूट के सम्बन्ध में अंकटाद वार्ताकारी सन्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की विस्तृत शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसके मूल उद्देश्यों में एक उद्देश्य एकीकृत कार्यवाही आरम्भ करना है ताकि/जूट-जूट के सामान की कीमतें तथा निर्यात आय को स्थिर करना है जिससे जूट उद्योग तथा जूट उपजकर्ताओं दोनों को लाभ पहुंचेगा।

विवरण

जूट सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र वार्ताकारी सम्मेलन में भाग लेने वाले निर्यातक एवं आयातक देशों की सूची

निर्यातक देश	आयातक देश
बंगला देश	अल्जीरिया
ब्राजील	आस्ट्रेलिया
भारत	आस्ट्रिया
नेपाल	बल्गारिया
थाईलैंड	कनाडा
	कोलम्बिया
	क्यूबा
	चैकोस्लोवाकिया
	इक्वेडर
	मिश्र
	ई० ई० सी० देश
	एल० सल्वाडोर
	फिनलैंड
	इन्डोनेशिया
	इराक
	जापान
	मेडागास्कर
	मलयेशिया
	माल्टा
	मारिशस
	मैक्सिको
	निकारागुआ
	नाइजीरिया
	नार्वे
	पाकिस्तान
	पेरू

किपलीपीन
पोलैंड
रूमानिया
सऊदी अरब
स्पेन
सूडान
स्वीडन
स्विट्जरलैंड
सीरिया अरब गणराज्य
तंजानिया
ट्यूनीशिया
टर्की
सोवियत संघ
संयुक्त राज्य अमरीका
बेनेजुएला
यूगोस्लाविया
जैरे

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि में वृद्धि

398. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गत वर्षों की तुलना में जमा राशि में कम वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि में हुई वृद्धि का ब्योरा क्या है;

(ग) जमाराशि में वृद्धि की इतनी कम दर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सुधार के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (स्टैट बैंक समूह+20 राष्ट्रीकृत बैंक) के पिछले पांच वर्षों की जमा राशियां नीचे दी गई हैं :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

जून के अन्त में	जमा	वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि
1978	21078	
1979	25979	23.3
1980	30288	16 6
1981	36294	19.8
(1982 30-4-82 तक)	40195	10.5

बैंक जमाओं की वृद्धि की दर कई सम्मिलित कारकों से प्रभावित होती है और जमाओं की वृद्धि की दर में समय-समय पर अल्पावधिक घट-बढ़ हो सकती है। यह मूल्यांकन करना अभी समय से पूर्व होगा कि जमाओं की वृद्धि में पिछले कुछ महीनों से रही कमी जारी रहेगी और यदि ऐसा हुआ तो उसके कारण क्या हैं।

(घ) 1 मार्च, 1982 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु और मध्यम अवधि की सावधि जमाओं पर ब्याज की दर बढ़ा दी है। बैंक जमाओं समेत, विशिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों की आय की सीमा को भी सरकार ने 3000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ा कर 4000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इसके लिए अलावा एक वर्ष की परिपक्वता अवधि से अधिक वाली बैंक जमाओं से ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली 2000 रुपये तक की अतिरिक्त आय को भी आयकर से मुक्त कर दिया गया है। बचतकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली नई योजनाएं तैयार करके व्यक्तियों से अधिक बचतें जुटाने की ओर भी अधिक ध्यान देने के लिए बैंकों से कहा गया है। इन उपायों से बैंकों को जमा-राशियां जुटाने में सहायता मिलने का संभावना है।

बम्बई और लन्दन के बीच हवाई सेवा के बारे में कर्मचारी संघ और एयर इण्डिया के प्रबन्धकों के बीच विवाद

399. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघ के बीच विशेषकर बम्बई और लन्दन के बीच हवाई सेवाओं के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इण्डिया, लन्दन के लगभग 300 स्थानीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यातायात तथा सामान्य संघ ने, बुकिंग कार्यालय तथा विमान क्षेत्र पर रोस्टर समयाबेस्लिर में परिवर्तन पर इस आधार पर आपत्ति की कि ये परिवर्तन उनसे सलाह मशविरा किये बिना किये गये हैं तथा कार्य करना बन्द कर दिया। एक कर्मचारी ने रोस्टर में अपने आप समय अंकित कर दिया तथा अन्य स्टाफ को परामर्श दिया कि वे भी वही समय भरें। इस प्रकार की कदाचार की कार्यवाही को गंभीरता से लिया गया तथा कर्मचारी को सरकारी दस्तावेजों में हेर-फेर करने तथा ड्यूटी के स्थान से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा देर से हाजिर होने के आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया गया। बाद में, जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बरखास्त कर दिया गया। संघ ने एयर इण्डिया के इस निर्णय पर नाराजगी जाहिर की तथा अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी।

(ग) एयर इण्डिया द्वारा आवश्यक एहतियाती उपाय किए गये हैं तथा स्थानीय पर्यवेक्षण कर्मचारियों, भारत स्थित अधिकारियों तथा उन कर्मचारियों की सहायता से, जो हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, सामान्य परिचालनों को बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए ऋण का लगातार सीमित करना

400. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मुद्रास्फीति रोकने के लिए किन्ही क्षेत्रों में ऋण दिए जाने को सीमित करने की नीति जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षत्र हैं जिनमें बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता अंकित की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने ऋण दिया जाना सीमित करने के परिणामस्वरूप उद्योगों में जो मन्दी आएगी उस पर विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) ऋण नीति की बराबर पुनरीक्षा की जाती है और विद्यमान मुद्रा और ऋण की स्थिति, उत्पादन प्रवृत्तियों, विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के आधार पर समय-समय पर उसमें उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कृषि और लघु उद्योग शामिल है तथा खाद्य ऋण और निर्यात ऋण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में खाड़ी के देशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा

401. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च,1982 को समाप्त होने वाले गत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जिलेवार खाड़ी के देशों से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्तमान विदेशी, मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत विदेशों से भारत में राशियां भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। 10,000 रुपये या इससे कम की राशियों के सम्बन्ध में प्राधिकृत डीलरों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित नहीं है; न ही उनसे राज्यवार अथवा जिलावार प्रेषणाओं का ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित है। इसलिए पिछले चार वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों से आन्ध्र प्रदेश में जिलावार प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा की राशियों के सम्बन्ध में सूचना देना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण में कार्य-कुशलता

402. **श्री रामविलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उनकी हाल के आकस्मिक दौरों में उप वित्त मंत्री ने वहां सेवा का स्तर गिरता हुआ पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और बैंकों के कार्यकरण में कार्यकुशलता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उप वित्त मंत्री ने बम्बई तथा दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं के वातावरण और ग्राहक सेवा के स्तर का स्वयं पता लगाने के वास्ते आकस्मिक दौरे किए थे। उनका अनुभव पूर्णतः संतोषजनक नहीं था। कुछ मामलों में उन्होंने स्टाफ के सदस्यों को कार्यालय में देरी से आने अथवा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया। जिनका दौरा किया गया उनमें से कुछ शाखाओं में ग्राहक सेवा के स्तर में भी सुधार की आवश्यकता पायी गयी।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि शाखाओं के सामान्य कामकाज को सुचारु बनाने तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से इनके मुख्य कार्यपालकों तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को समय-समय पर आकस्मिक दौरे करने चाहियें। उन्हें यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि इनके कार्यपालकों तथा अन्य अधिकारियों को अपने सामान्य दैनिक कार्य के अंग के रूप में कर्मचारियों की उपस्थिति, नियमितता एवं कार्य निष्पादन पर आवधिक रूप से नजर रखनी चाहिए और इस प्रकार के आवधिक निरीक्षणों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इस पर 6 जुलाई, 1982 को सम्पन्न हुई मुख्य कार्यपालकों की बैठक में भी फिर से जोर दिया गया। मुख्य कार्यपालकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों के साथ, उनकी सेवा को शासित करने वाले नियमों के उपबन्धों अनुसार बहुत कड़ाई से निपटना है।

विदेशों को बिजली के खराब प्लगों की सप्लाई

403. **श्री रामविलास पासवान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ब्रिटिश सरकार ने सारे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि भारत की कुछ कम्पनियों द्वारा निर्यात किए गए बिजली के प्लगों का उपयोग न करें क्योंकि ये खराब हैं जिससे करेंट लग सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने खराब प्लग निर्यात करने वालों का पता लगाने और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यात किये गये बिजली के प्लगों का प्रयोग न करने के लिए उपभोक्ताओं को कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तथापि एक भारतीय निर्यातक द्वारा निर्यात किये गये कुछ प्लगों की ब्रिटेन में की गई प्राथमिक प्रयोगशाला सम्बन्धी जाच ने कुछ संदेह उठाये कि क्या ये प्लग सभी प्रकार से ब्रिटिश मानदंडों को अच्छी तरह पूरा करते हैं अथवा नहीं। यह जांच सम्बन्धी रिपोर्ट हाल ही में पुनः जांच करने के लिए दूसरी प्रयोगशाला को भेजी गयी है। वर्तमान मामले में यह भारतीय फर्म अनेक वर्षों से बिजली के सहायक सामान के लिए सुस्थापित निर्यातक हैं और विदेशी खरीदारों से इससे पहले कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

भारतीय पूंजी तथा जानकारी से मॉपेडो और स्कूटरों के लिए चीन में संयुक्त उद्यम

404. श्री भीकू राम जैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन वासियों ने भारतीय पूंजी और जानकारी से मॉपेडो और स्कूटरों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई ब्योरा तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम तथा अन्य ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) भारत-चीन वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के एक तीन सस्दीय प्रतिनिधिमण्डल ने 24 मई से 2 जून, 1982 तक चीन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने चीन में मोपेड/स्कूटर निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव दिया जिसके लिए पूर्ण औद्योगिक, पुर्जों, इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों की सप्लाई भारत द्वारा की जा सकती है और चीन भूमि, मानवशक्ति और अन्य सुविधायें दे सकता है।

चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने उनकी विचारार्थ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दल को आमन्त्रित किया।

एक ऐसा संयुक्त उद्यम तय करने के लिए वाणिज्य विभाग में अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चुंगी समाप्त करना

405. श्री ए० टी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुंगी समाप्त करने के लिए किये गए विचार-विमर्श और राज्यों के साथ बातचीत में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार द्वारा कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या आन्तरिक अथवा प्रायोजित कार्यवाही के रूप में बम्बई तथा अन्य प्रमुख नगरों में चुंगी समाप्त करने का विचार है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 16 और 17 सितम्बर, 1980 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चुंगी समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। केन्द्रीय वित्त मंत्री के इस सुझाव का कि चुंगी चरणों में समाप्त की जाए और, पहले कदम के रूप में, इसे ऐसे स्थानों से समाप्त किया जाए, जिनकी आबादी दो लाख से कम है, मुख्य मंत्रियों द्वारा कुल मिलाकर स्वागत किया गया था। निम्नलिखित राज्य सरकारों ने चुंगी को चरणों में समाप्त करने के बारे में उनके द्वारा की गई कार्यवाही सूचित की है।

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 1982 से राज्य में चुंगी समाप्त करने का निर्णय किया है।

(ख) गुजरात सरकार ने सिद्धान्त रूप से चुंगी समाप्त करने और उसके स्थान पर प्रवेश शुल्क लगाना स्वीकार कर लिया है। उस सरकार ने सूचित किया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में प्रवेश शुल्क अधिनियम लागू करने से हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवेश शुल्क विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने बाद इस विधान को अन्तिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने चुंगी समाप्त करने का निर्णय कर लिया है लेकिन इस निर्णय को वैकल्पिक संसाधन जुटाने में कठिनाई होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विद्यमान कराधान ढांचे राज्य और स्थानीय दोनों में परिवर्तन सुझाने की दृष्टि से उसकी समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। चुंगी हटाने के लिए संसाधन जुटाने हेतु समिति से विशेष सिफारिशें करने की आशा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। कोई अन्तरिम अथवा प्रयोगात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पंजाब सरकार ने राज्य में चुंगी समाप्त करने सम्बन्धी मामले का अध्ययन करने और उसके स्थान पर अर्थोपाय का पता लगाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

(ङ) हरियाणा सरकार ने चुंगी समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। तथापि, यह सरकार कुछ वस्तुओं पर चयनात्मक आधार पर चुंगी समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(च) उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें चुंगी समाप्त करने सम्बन्धी मामले की जांच कर रही है।

(छ) मणिपुर सरकार ने कहा है कि संसाधनों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चुंगी समाप्त करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक केन्द्रीय सरकार पर्याप्त मुआवजा न दें।

(ज) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि चुंगी केवल कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र तक ही सीमित है। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक आय के वैकल्पिक साधनों का, जो हानि की पूरी प्रतिपूर्ति करने के साथ-साथ निश्चित वृद्धि करेंगे, सुझाव नहीं दिया जाता तब तक राज्य सरकार चुंगी समाप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी संसाधन जुटाने की शक्तियों में इस प्रकार के विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि, कलकत्ता इस पहले चरण में नहीं आता जिसमें 2 लाख से कम आबादी वाले स्थानों में चुंगी समाप्त करने की परिकल्पना की गई है।

(झ) जम्मू और कश्मीर सरकार चुंगी समाप्त करने के सम्बन्ध में अपने स्थानीय निकायों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

2. अन्य राज्यों में चुंगी लागू नहीं है।

3. संघ शासित क्षेत्रों में चुंगी गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी में लगाई जाती है। दिल्ली में रेल और सड़क से लाये गये सामान पर सीमा-कर लगाया जाता है। गोआ, दमन और दीव और पांडिचेरी में चुंगी समाप्त करने के प्रश्न की इन संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा जांच की जा रही है। दिल्ली उस पहले चरण में नहीं आता जिसमें 2 लाख से कम आबादी वाले स्थानों में चुंगी समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त उत्तर राज्य सरकारों द्वारा अभी तक भेजी गयी सामग्री पर आधारित है।

चीन द्वारा भारत से खरीदी तम्बाकू का भुगतान करने से इनकार किया जाना

406. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन हमारे देश से खरीदी गई तम्बाकू के लिए राशि का तब तक भुगतान करने से इनकार कर रहा है जब तक कि वह अपने देश में इसकी जांच न कर ले;

(ख) क्या हमारी सरकार ने आग्रह किया है कि चीन सरकार को खरीदी गयी तम्बाकू के लिए हमारे देश में ही जांच के बाद राशि का भुगतान करना होगा; और

(ग) क्या हमारी सरकार ने चीन से यह भी आग्रह किया है कि वह हमारे देश में खरीदी गयी तम्बाकू के लिए एल० सी० खोले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) हाल ही में चीन को तम्बाकू निर्यात करने वाले निर्यातकों से तम्बाकू के 100% मूल्य के लिए साख पत्र और लादान से पूर्व एगमार्क प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निर्यात की सामान्य पद्धति के मुकाबले भुगतान कागजात शर्तों के अन्तर्गत निर्यातों की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन आये थे। साख पत्र की शर्तें में छूट देने और लादान की तारीख से 60 दिन अन्दर विदेशी क्रेता से राशि प्राप्त करने के लिए पार्टियों द्वारा सुस्पष्ट वचन देने के आधार पर भुगतान कागजात शर्तों पर निर्यातों की अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की गई।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार के मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को पूरी राशि की अदायगी

407. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार के उन मृत श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनके उत्तराधिकारियों को देय राशि की अभी तक पूरी अदायगी नहीं की गयी है और उन्हें पूरी राशि की अदायगी कब तक कर दी जायेगी; और

(ख) यदि उक्त अदायगी नहीं करने का विचार है तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की इकाई आर० बी० एच० एम०

जूट मिल के उन मृत कामगारों की संख्या 30-6-82 को 42 थी, जिनकी मृत्यु राष्ट्रीयकरण के बाद हुई और जिनकी देय राशियां अभी तक उनके उत्तराधिकारियों को अदा नहीं की गई हैं। इकाई की मैनेजमेंट ने चरणों में बकाया राशियों की अदायगियां करना शुरू कर दी है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा मलयेशिया के बाजार का सर्वेक्षण

408. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने हाल ही में मलयेशिया के बाजार का अध्ययन किया था और उन भारतीय निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था जिन्होंने घटिया किस्म का माल भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में भाग लेने वालों द्वारा 1980-81 में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में साज सज्जा के सामान तथा बनी हुई वस्तुओं, बिजली के पंखे, खेलकूद सामान तथा सिलाई मशीनों के विशेष संदर्भ में मलयेशिया के बाजारों का अध्ययन किया गया। इसका उद्देश्य उन्हें विदेशी बाजारों के वातावरण की कठिनाइयों को स्पष्ट करना तथा विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करने में प्रशिक्षण देना था। रिपोर्ट उनके द्वारा शैक्षिक कार्य के रूप में तैयार की गई थी। रिपोर्ट में भारतीय उत्पादों के भाग को सुधारने के लिए मलयेशिया के बाजारों में क्वालिटी माल भेजने के वाणिज्यिक महत्व को बताया गया है।

दक्षिण में चाय उद्योग

409. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण के चाय उद्योग ने छठी योजना में निर्धारित चाय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में आशंकायें व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आशंकाओं का क्या आधार है; और

(ग) क्या बागान उत्तरोत्तर अलाभकर बनते जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) भारतीय चाय बोर्ड को दक्षिण भारत, खासकर केरल में चाय उद्योग द्वारा उठाई जा रही समस्याओं के सम्बन्ध में विभिन्न एसोसिएशनों तथा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपासी से प्राप्त अभ्यावेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि श्रमिक मजदूरी में तीव्र वृद्धि और साथ ही प्रमुख अन्तर्निविष्ट साधनों की लागतों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में संचयी वृद्धि हुई है।

दक्षिण भारत में चाय उत्पादन पर हाल के वर्षों में अनेक कारणों, जिनमें मुख्य कारण मौसम था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के वेतन बढ़ाना

410. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी उद्यम ब्यूरो से कहा गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के वेतन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करे जैसाकि 10 जून, 1982 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) चूंकि सरकारी उद्यमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों का वेतन ढांचा सरकार द्वारा 1965 में तैयार किया गया था; अतः सरकार यह जांच कर रही है कि क्या वेतन परिशोधन किया जाना अपेक्षित है ?

बम्बई में सूती मिलों की बिक्री

411. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की अनेक सूती कपड़ा मिलें श्रमिकों की हड़ताल के कारण विक्रय पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को बचाने तथा हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के कारण बम्बई में अनेक काटन मिलें बेच दी गई हैं।

(ख) जबकि इस स्तर पर मिलों को बचाने का प्रश्न नहीं उठता, सरकार कपड़ा मिल मजदूरों की न्यायोचित मांगों के प्रति कभी कठोर नहीं रही है। केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों ने कामगारों से उन्हें यह आश्वासन देते हुए कि उनकी न्यायोचित शिकायतों पर इस बारे में गठित की जाने वाली एक समुचित समिति द्वारा शीघ्रता से विचार किया जाएगा और उनकी सिफारिश को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर अमल में लाया जाएगा, कार्य पुनः शुरू करने की अपील की। सरकार द्वारा यह अपील कामगारों को बार-बार दोहराई गई है और साथ ही उनकी कठिनाइयां पूर्णतः दूर करने के लिए कहा गया है।

सूती कपड़े की भरमार को कम करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र वस्त्र निगम द्वारा अपने उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन किए जाने का निर्णय

412. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने उत्पादित सूत्री कपड़े की भरमार को कम करने के लिए अपने उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एन० टी० सी० समय-समय पर उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन करता है जो बाजार स्थितियों तथा तकनीकी संभाव्यताओं पर निर्भर होता है। पिछले एक वर्ष के दौरान एन० टी० सी० सरकारी विभागों द्वारा अपेक्षित ब्लैंडिड फैब्रिक्स तथा कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान देता रहा है।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

413. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अथवा दिल्ली के आसपास एक "निर्बाध व्यापार क्षेत्र" बनाने के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्बाध व्यापार क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्र कौन सा है और उसके क्या आधार हैं;

(ग) इस निर्बाध व्यापार क्षेत्र को क्या विशेष सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और इसे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाए जाने हेतु निर्यात के लिए कौन सी मदें आरक्षित की गई है और क्या-क्या रियायतें दी गई हैं;

(घ) क्या अवस्थापनात्मक सीमाओं के कारण सांताक्रुज (बम्बई) और कांडला (गुजरात) के मौजूदा निर्बाध व्यापार क्षेत्र के कार्यकरण का निर्यात निष्पादन सम्बन्धी कार्य उत्साहवर्धक नहीं रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस निर्बाध व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यों की सीमाओं से तस्करी रोकने तथा निर्यात संवर्धन इकाइयों की जानकारी हासिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) तथा (ङ) सरकार ने एन० सी० ए० ई० आर० के अध्यक्ष श्री पी० एल टंडन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है। कार्यदल अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी विचार करेगा कि देश में नये मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किए जाए अथवा नहीं। कार्यदल की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(घ) इन क्षेत्रों की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रगति सामान्यतः कुछ धीमी रही। तथापि गत कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों ने उत्साहवर्धक निर्यात निष्पादन दिखाया है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा :—

कांडला

वर्ष	निर्यात (लाख रु० में)
1979-80	940
1980-81	2551
1981-82	7004

एस० ई० ई० पी० जेड

वर्ष	निर्यात (लाख रु० में)
1979-80	1114
1980-81	1885
1981-82	2962

उद्यमियों को दूर संचार सेवायें, भूमि, जल, बिजली आदि की बेहतर सुविधाएं प्रदान करके इन स्थानों पर अवस्थापना सुविधाओं में निरन्तर सुधार किया जा रहा है। सोवियत संघ के लिए निर्यात माल उठाने के लिए कंटेनर वाले जहाजों ने नियमित रूप से कांडला पत्तन में आना शुरू कर दिया है।

आयकर अपवंचन

414. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में देश में कितनी राशि के आयकर का अपवंचन होने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में लेखाबाह्य आस्तियों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा कितनी तलाशियां ली गई और छापे मारे गये और वास्तव में कितनी राशि बरामद की गई हैं; और

(ग) मार्च, 1981 और मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्षों की आयकर की कितनी राशि बकाया होने का अनुमान है और उसमें से कितनी निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन आती हैं;

(एक) अप्रवर्तनीय मांगे; और

(दो) कानूनी विवादों के अन्तर्गत आने वाली मांगें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1981-82 अथवा किसी पूर्ववती वर्ष की लेखा-बाह्य आय का कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) आयकर विभाग ने, वर्ष 1980-81 के दौरान 3,746 तलाशियां लीं तथा लगभग 19.26 करोड़ रु० मूल्य की प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी और वर्ष 1981-82 के दौरान 4282 तलाशियां लीं तथा लगभग 30.66 करोड़ रु० मूल्य की प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ीं।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कुल बकाया मांग, उगाही योग्य नहीं बनी मांग तथा स्थगित/अस्थगित मांग निम्नानुसार हैं :—

	1980-81 (31-3-81 की स्थिति के अनुसार) करोड़ रुपयों में	1981-82 (30-9-81 की स्थिति के अनुसार) करोड़ रुपयों में
कुल बकाया मांग	1112.89	1179.24
उगाही योग्य नहीं बनी रकम	250.00	164.64
स्थगित/अस्थगित रकम	199.62	237.66

धौला कुआं, नई दिल्ली स्थित छावनी में अस्पताल काम्पलेक्स

415. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों ने धौला कुआं, नई दिल्ली स्थित छावनी में 104 एकड़ के एक भू-खण्ड पर, जो 1978 से उनके कब्जे में है एक नये अस्पताल काम्पलैक्स की योजना तैयार की थी;

(ख) इस अस्पताल परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त भू-खण्ड सैनिक नियंत्रण की श्रेणी ए-1 के अन्तर्गत आता है जिसमें खाली रखे जाने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं;

(घ) पिछले 5/6 वर्षों के दौरान हटमेंट निर्माताओं के साथ क्या बातचीत की गई, प्रयास किए गए और पुनर्वास योजनायें तैयार की गई और उनके क्या परिणाम निकले;

(ङ) वर्ष 1982 में इस अस्पताल परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(च) इस विकट स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। 114 एकड़ भूमि पर सैनिक अस्पताल के निर्माण का एक प्रस्ताव है।

(ख) 1977 के अनुमान के अनुसार 24.14 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां। यह भू-खण्ड श्रेणी ए-1 के अन्तर्गत है।

(घ) वहां झोंपड़ी बनाकर रहने वालें को हटाने और उनके पुनर्वास के प्रश्न पर सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहमति से सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ङ) परियोजना की लागत संशोधित की जा रही है।

(च) समस्या के मानवीय पक्ष को देखते हुए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। फिर भी, ऐसी आशा की जाती है कि बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

बम्बई हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया बोइंग-707 का दुर्घटनाग्रस्त होना

416. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के रास्ते सिंगापुर से उड़ने वाला एयर इण्डिया बोइंग 707 दिनांक 22 जून, 1982 को प्रातः काल बम्बई हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण कितने व्यक्ति मारे गये और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ग) क्या इस विमान दुर्घटना की कोई जांच करवाई गयी है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या सबक सीखा गया और क्या किसी कर्मचारी की गलती के कारण यह दुर्घटना घटी और यदि हां, तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक उड़ान पर्सर तथा एक विमान परिचारिका सहित 17 व्यक्ति दुर्घटना में मारे गये। जीवित बचे हुए 94 व्यक्तियों में से, 21 घायल हुये तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। विमान ध्वस्त हो गया। विमान क्षेत्र पर धावन-पथ प्रकाश व्यवस्था, बासी तथा चौतरफा दीवार को मामूली क्षति उक्त विमान के ध्वस्त होने के कारण पहुंची।

(ग) दुर्घटना की जांच वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अन्तर्गत, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री जस्टिस पी० बी० सावंत के अध्यक्षता में नियुक्त की गयी एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है।

(घ) जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर यथा-आवश्यक उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा मारे गये छापे और उनके दौरान वसूल की गई धन-राशि

417. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने जनवरी, 1981 से आज तक की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितने छापे मारे हैं, तथा उन छापों के परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित किया गया तथा तत्सम्बन्धी अद्यतन आंकड़े क्या हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार

418. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार कार्य का ब्यौरा क्या है और उसपर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) समूचा कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) पूरे किए गये, चल रहे तथा छठी योजना (1980—85) के दौरान आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित नर्माण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दर्शाये गयें हैं। इस समय योजनाबद्ध की जा रही सभी परियोजनाओं के चालू योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

	हाल में पूरे किये गये प्रमुख निर्माण कार्य	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	धावनपथ का 8500 फुट तक विस्तार तथा एल० सी० एन० 40 तक मजबूत करना	99.56
2.	लिंक टैक्सी पथ का निर्माण	14.27
3.	परिचालन दीवार का निर्माण (चरण II)	2.41
4.	अन्तरराष्ट्रीय का विंग विस्तार	1.92
5.	अन्तरदेशीय टर्मिनल भवन का विस्तार तथा रुपांतरण	43.47
6.	उपकरण अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०)	10.00
7.	दूरी मापक उपस्कर (डी० एम० ई०)	10.00
8.	फायर स्टेशन का निर्माण	5.11
9.	4 क्रैश फायर टैंडरों का प्रावधान	38.00
10.	एक शुष्क कैमिकल टैंडर का प्रावधान	1.00
11.	एप्रोच रोड का निर्माण	1.93
12.	धातु सूचक का प्रावधान	0.32

	चालू प्रमुख निर्माण कार्य :		3/82 तक व्यय
13.	नियंत्रण टावर तथा तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	60.94	38.72
14.	धावनपथ (10,000 फुट) तथा सम्बद्ध पेवेमैंटों का विस्तार तथा उनको एल० सी० एन० 60 तक मजबूत करना	168.52	171.60
15.	नये अन्तरराष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण	213.61 (संशोधित किया जा रहा है)	45.55
16.	रिहायशी मकानों का निर्माण	15.90	13.00
17.	उच्चावृत्ति तथा अति उच्चावृत्ति वायु भू-संचार उपकरणों में वृद्धि/प्रतिस्थापन	65.00	—
18.	मध्यम दृश्यता वाली धावनपथ प्रकाश व्यवस्था को उच्च सघनता में बदलना	6.20	2.61
19.	फायर स्टेशन का विस्तार	10.32	1.59
20.	3-बार वासी के दो सैटों की व्यवस्था	8.30	3.90
21.	एप्रोच लाइटिंग प्रणाली (सूक्ष्म तथा सरल एप्रोच)	67.00	2.85
22.	एक्स-रे बैगेज निरीक्षण उपस्कर—2 सैट	28.00	11.00
	योजनाबद्ध किए गए प्रमुख निर्माण कार्य :		
23.	कन्वेयर बैल्ट की व्यवस्था	1.99	
24.	चार-दीवारी का निर्माण	7.57	
25.	एप्रोच लाइट के लिये भूमि का अधिग्रहण	ट0.00	
26.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	2.00	
27.	दर्शक दीर्घा की व्यवस्था	2.00	
28.	सुरक्षा कर्मचारियों के लिए बैरकों का निर्माण	2.00	
29.	रिहायशी मकानों का निर्माण	6.00	
30.	एम० टी० गैरेज का निर्माण	5.00	
31.	सीमा-शुल्क के लिए अर्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण	2.00	
32.	मकैनिकल स्वीपर	2.00	

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप

419. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा बहुत अधिक परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) खाड़ी के देशों से आने वाले और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर निकासी किये गये यात्रियों से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों से भी उनको पेश आयी दिक्कतों के बारे में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। उचित कार्यवाही हेतु इनकी जांच की गई है, जिनके परिणामत: और अन्यथा भी अनेक सुधारात्मक उपाय किये गए हैं जैसे निकासी की 'ग्रीन चैनेल' व्यवस्था लागू करना, यात्री असबाब के सम्बन्ध में जुर्माना और अर्थदण्ड व्यवस्था को समाप्त करना तथा उसके स्थान पर शुल्क की खण्ड दरें लागू करना एवं बेहतर और उच्चतर स्तर की निगरानी आदि की व्यवस्था करना। इन उपायों के परिणामत: यात्रियों की निकासी की व्यवस्था काफी सरल बन गई है।

उद्योग और व्यापार को ऋण नीति और धनराशि उपलब्ध कराने में छूट

420. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कच्चे सामान के मूल्यों तथा मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण कपड़ा, चीनी, ट्रैक्टर तथा अन्य कई महत्वपूर्ण उद्योगों को अपना दिन प्रतिदिन का काम करने के लिए चालू पूंजी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि चालू पूंजी की भारी कमी के कारण औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऋण नीति की समीक्षा करने तथा उसमें ढील देने और उद्योगों तथा व्यापार को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने का है ताकि उत्पादन अनवरत चालू रहे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबावों को काबू में रखने की आवश्यकता के संदर्भ में ऋण प्रसार की मात्रा पर नियंत्रण रखने और अर्थव्यवस्था में नकदी निधि में कमी लाने के लिए रिजर्व बैंक को कई उपाय करने पड़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इन उपायों के संस्थावार और क्षेत्रवार प्रभाव का लगातार जायजा लेता है ताकि अपेक्षाकृत अधिक अच्छी आयोजना बनाई जा सके और खासकर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में छोटे ऋणकर्त्ताओं और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वालों को ऋण प्रदान करने की गति को बानए रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। यह भी आशा की जाती है कि बड़े ऋणकर्त्ता दीर्घावधि स्रोतों से बड़ी मात्रा में अपनी स्वयं की निधियों को जुटाकर बैंकिंग तन्त्र पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। इस संदर्भ में ट्रैक्टरों तथा ट्रकों के खरीदारों और इस प्रकार के उद्योगों के वास्ते अतिरिक्त सावधि ऋणों और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी

निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में वस्त्र, चीनी, एवं ट्रैक्टर उद्योगों समेत, उद्योगों के कुछ क्षेत्र सरकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों से अनुरोध करते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी समीक्षा के परिणामस्वरूप, बैंकों को उनकी नकदी समस्याओं पर पार पाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ऋण नीति में निम्नलिखित कुछ संशोधनों की घोषणा की गयी है :—

(1) 9 अप्रैल, 1982 से नकदी रिजर्व अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 7.25 प्रतिशत कर दिया गया था और 12 जून, 1982 से इसे और घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) गैर-निवासी (विदेशी) रुपया खातों के अधीन जाम राशियों के सम्बन्ध में 9 अप्रैल, 1982 से नकदी रिजर्व अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) खाद्य वसूली ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा को बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये के बुनियदी स्तर से ऊपर के लिए 50 प्रतिशत और 2600 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

मौसमी उद्योगों तथा चीनी, ट्रैक्टरों आदि जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकाधीन पुनर्वित्त घोषणा, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा अन्तरिम वित्त पोषण, ऋण-प्रस्तावों के त्वरित निपटान आदि जैसे बहुत से उपाय किये गये हैं। मार्जिन में कमी करने की अनुमति दे दी गई है। ऋण नीति में इन छूटों से बैंकों के पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ साथ, उद्योगों के उत्पादक प्रयोजनों के वास्ते वास्तविक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

स्वर्ण-शोधनशालाओं की स्थापना

421. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों में जिनमें अहमदाबाद का एक केन्द्र भी शामिल हो, सरकार द्वारा चलाये जाने और प्रबन्ध किए जाने वाली स्वर्ण शोधनशालाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे केन्द्र कौन-कौन से हैं और अहमदाबाद में स्वर्ण शोधशाला की स्थापना की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) देश के निम्नलिखित नगरों में स्वर्ण शोधशालाएं (जो सरकार द्वारा चलाई जायेंगी) स्थापित करने का प्रस्ताव है :

1	नागपुर	5	दिल्ली
2	मद्रास	6	अमृतसर
3	हैदराबाद	7	अहमदाबाद
4	वाराणसी	8	कोचीन

अहमदाबाद में स्वर्णशोधशाला खोलने से सम्बन्धित ब्यौरे की अभी जांच की जा रही है।

गुजरात में ऋण जमा राशि अनुपात

422. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्तमान औसत राष्ट्रीय ऋण जमा राशि अनुपात की तुलना में गुजरात में ऋण जमा राशियों का अनुपात कितना है और दस वर्ष पूर्व यह कितना था और वर्ष 1981 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का औसत ऋण जमा राशि अनुपात कितना था;

(ख) क्या गुजरात में कमी की दर वृद्धि करने के लिए उचित कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) सम्पूर्ण देश में बैंक औसत जमा राशि कितनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में अलग-अलग औसत जमा राशि कितनी है; और

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात में अपेक्षाकृत औसत जमाराशि प्रत्येक ब्रांच में जमा की जाती है परन्तु अनुपात फिर भी कम है और यदि हां, तो क्या इस दर में सुधार के लिए शीघ्र कदम उठाए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए है :—

	ऋण जमा अनुपात (स्वीकृति के अनुसार)	
	दिसम्बर, 1972	जून, 1981
गुजरात	56.4	57.4
महाराष्ट्र	83.8	76.0
तमिलनाडु	109.5	98.4
अखिल भारत	66.2	66.6

(ख) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, विशेषत: सहकारी ऋण ढांचे द्वारा मुख्यत: सहायता न पाने वाले क्षेत्रों को अपेक्षया अधिक ऋण विस्तार के जरिए, गुजरात राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के प्रयास बैंक बराबर कर रहे हैं। सभी सामुदायिक विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार होने, तथा समाज के कमजोर वर्गों के वास्ते राज्य प्राधिकारियों द्वारा अर्थक्षम स्कीमें तैयार करने और उनमें बैंकों के अन्तर्ग्रस्त होने से, गुजरात में ऋण प्रवाह बढ़ाने की संभावना है। सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने बहुत से निगमों की स्थापना की है जैसे जनजातीय विकास निगम, अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम, ग्रामीण विकास निगम आदि आदि। इन निगमों

द्वारा अर्थक्षम स्कीमें तैयार करने और उनके क्रियान्वित किए जाने से भी, गुजरात राज्य में ऋण प्रवाह बढ़ने की आशा है।

(ग) जून, 1981 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखावार जमा राशियां नीचे दर्शाई गयी हैं :—

	लाख रुपये
गुजरात	123.23
हरियाणा	86.64
महाराष्ट्र	216.87
तमिलनाडु	86.87
अखिल भारत	113.81.

(घ) जी, हां। जैसा कि उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, गुजरात में ऋण प्रदान करने की गति तेज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलना

423. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलने के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) अहमदाबाद और बम्बई के बीच एयरबस सेवा आरम्भ करने की मांग की क्या स्थिति है और यह सेवा कब तक आरम्भ कर दी जाएगी;

(ग) बम्बई, बड़ौदा, दिल्ली सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी; और

(घ) बम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, भोपाल, वाराणसी, कलकत्ता, बम्बई विमान मार्ग कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल अहमदाबाद विमान क्षेत्र को एक अन्तरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स की बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच एयरबस सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है। बम्बई, अहमदाबाद एक छोटा सैक्टर है तथा एयरबस की परिचालन लागत इतनी अधिक आएगी कि यह सेवा अलाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच यातायात की मांग भी केवल सामयिक होती है तथा यातातात की ऐसी मांग किसी एक समय पर विशालकाय (278 सीटों वाले) विमान के औचित्य को सिद्ध नहीं करती। बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच इस समय बोइंग 737 विमान से प्रत्येक दिशा में एक

प्रातःकालीन सेवा तथा दो सायंकालीन सेवायें इस मार्ग पर यातायात की अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं।

(ग) 1982-83 की शीतकालीन समय-सारिणी में बम्बई, बड़ौदा, दिल्ली मार्ग पर बोइंग 737 सेवा चालू करने की योजनाएं हैं।

(घ) नयी संयोजी विमान सेवायें चालू करने से पहले इण्डियन एयरलाइन्स वर्तमान मार्ग तन्त्र पर, जहां अपेक्षित हो, पर्याप्त क्षमता प्रदान करने का प्रयत्न करने की इच्छुक है। परिचालन की बढ़ती हुई लागत को दृष्टि में रखते हुए किसी भी नयी सेवा पर केवल फालतू क्षमता उपलब्ध जाने तथा इस सेवा की आर्थिक व्यवहार्यता का औचित्य सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

बिहार में जमा राशियों के अनुपात में ऋण दिया जाना

424. श्री कुंवर राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाराशियों के अनुपात में ऋण दिए जाने के लिए बिहार में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक को दिए गए नए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार में किन स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन स्थानों पर नई शाखायें खोली जायेंगी; और

(ग) बिहार में विभिन्न ब्रांचों में पड़े ऋण के लिए लगभग एक लाख आवेदन पत्रों के निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा बैंकों को, जमाओं के अनुपात में अग्रिमों के संवितरण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं सिवाए इसके कि उन से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात को सुनिश्चित करने, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के वास्ते बड़ी क्षेत्रीय घट-बढ़ को रोकने को कहा गया है। अलबत्ता, पूर्वी क्षेत्र में, बैंकिंग विकास की समीक्षा के बाद, 30 जून, 1982 को भुवनेश्वर में हुई क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में, बैंकों से कहा गया कि वे समूचे पूर्वी क्षेत्र और विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपने अग्रिमों को बढ़ाने के नियोजित प्रयास करें जिससे कि उनके ऋण जमा अनुपातों में वृद्धि हो।

(ख) वर्ष, 1981-82 के दौरान, बिहार में बैंकों ने 429 शाखायें खोलीं। इसके अलावा, मार्च, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार, राज्य में 605 और कार्यालय खोलने के वास्ते बैंकों के पास प्राधिकृतियां बकाया थीं। नामों और स्थानों के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध सूचना तैयार की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 1982—85 के नए शाखा विस्तार कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) समय से ऋण सुविधाओं की स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बैंकों को, शाखा प्रबन्धकों में समुचित विवेकाधीन शक्तियां निहित करने की सलाह दी गई जिससे कि 60 से

80 प्रतिशत ऋण निर्णय शाखा स्तर पर ही किये जा सकें। इसके अलावा बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गयी कि एक लाख रुपये की अन्तर्ग्रस्तता वाले और 2 लाख रुपये से अनधिक के ऋण प्रस्तावों को सामान्यतः क्रमशः 30 दिन और 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिया जाए।

बिहार में आयुध कारखानों के नये एकक स्थापित किया जाना

425. श्री कुंवर राम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल, कम मजूरी पर श्रमिक और परिवहन साधनों की उपलब्धता को देखते हुए बिहार में आयुध कारखानों के नए एकक स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन-किन स्थानों पर और कितनी लागत पर स्थापित करने का विचार है।

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) यह सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं है।

बिहार से निर्यात किए गए हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं

426. श्री कुंवर राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हथकरघा और हस्तशिल्प की कितनी वस्तुयें बनाई जाती हैं जिनका निर्यात किया जाता है;

(ख) इनमें से कितनी वस्तुओं का निर्यात और अधिक बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) इनके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्यवार। इसलिए बिहार में बनी हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ख) बिहार में बनाए जाने वाली हथकरघा वस्तुओं की व्यापक श्रेणियां जिनकी निर्यात संभाव्यता है वे हैं : हाथ से बुने टसर शिल्क उत्पाद तथा जनजातीय मूल भावना सहित अलंकृत तैयार वस्त्र। इसी प्रकार हस्तशिल्प वस्तुओं के मामले में बिहार में बनाए जाने वाली मधुबनी लोक चित्रकला, हाथ से छपी रेशम, सिक्की घास की वस्तुएं, प्रलाक्षा की वस्तुयें तथा गोटा-पट्टा के काम वाली वस्तुओं में निर्यात संभाव्यता है।

(क) हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य किस्मों को विकसित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर बिहार राज्य सरकार द्वारा एक निर्यात उत्पादन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य में 56कालीन प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके

अतिरिक्त सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से प्रदर्शनी/मेलों में भाग लेने, बिक्री सह अध्ययन दल प्रायोजित करने तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने जैसे सामान्य निर्यात संवर्धनात्मक उपाय भी किए जाते हैं।

समुद्री तट रक्षकों का मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित करना

427. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तटरक्षकों का मुख्यालय मद्रास में स्थानान्तरित करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे स्थानान्तरित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तट रक्षक मुख्यालय के स्थान के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मिथिला और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त की गई जमा राशियां और दिए गए ऋण

428. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री बिहार में ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशियां दिए गए ऋणों और वसूल की गई राशियों के बारे में 23 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त की गई जमा राशियों, दिये गये ऋणों तथा वसूल की गई राशियों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) उनके द्वारा शाखा-वार कितने कुटीर उद्योगों अथवा पशुपालन फार्मों को सहायता दी गई;

(ग) क्या ये दोनों बैंक सरकार से समय पर सहायता प्राप्त कर रहे है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा रकमों, अग्रिमों और अतिदेय रकमों की बिल्कुल हाल की उपलब्ध स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		(रकम लाख रु०)		
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	जमा रकमें	बकाया ऋण तथा अग्रिम	प्रतिदेय रकमें
1. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार)	59	104.57	117.70	6.35
2. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार)	63	215.25	385.83	22.70

(ख) आंकड़े सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत, इस प्रकार के बैंकों से सहायताप्राप्त कुटीर उद्योगों अथवा पशुपालन फार्मों के एककों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े नहीं प्राप्त होते। किन्तु, 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण कारीगरों तथा ग्राम कुटीर उद्योगों को मंजूर किये गए कुल अग्रिमों की रकम 32.55 लाख रुपए थी। दिसम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी राशि 34.09 लाख रुपए थी।

(ग) और (घ) संभवत: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार की आर्थिक सहायता का प्रशासन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है न कि स्वयं बैंकों द्वारा।

नकद सहायता पुनरीक्षा समिति

429. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नकद सहायता पुनरीक्षा समिति है और उसके सदस्य हैं;

(ख) नकद सहायता निरीक्षण समिति के क्या-क्या कार्य हैं और उन कार्यों में पूर्व परामर्श से सी० सी० एस० की निकासी सम्बन्धी कार्य भी हैं;

(ग) क्या जून 1978 मार्च 1979 की अवधि के दौरान कुछ किस्मों के वस्त्रों पर सी० सी० एस० की निकासी से पूर्व सी० ए० आर० डी० की सलाह ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस मामले को नकद सहायता निरीक्षण समिति को अक्तूबर, 1980 में और पुन: अप्रैल 1982 में भेजने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस विषय में नकद सहायता पुनरीक्षा समिति की पूर्व सलाह पर अमल किए बिना लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद उसी मामले को नकद सहायता पुनरीक्षा समिति के पास पुन: भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। नकद सहायता समीक्षा समिति के गठन एवं कार्यों के बारे सम्बन्धित सरकारी संकल्प संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० – 4172/82]

(ग) जी हां। सहायता को हटाया जाना जनवरी 79 से मार्च, 79 से सम्बन्धित था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नकद सहायता समीक्षा समिति को यह मामला उचित समय पर भेजा गया था।

भारत में होटल विकास के समन्वय के लिए संगठन

430. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में होटल विकास के समन्वय के लिए केन्द्र के रूप में कोई प्राधिकरण अथवा संगठन है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन अथवा प्राधिकरण की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र में किसी प्राधिकरण अथवा संगठन के पास एक होटल का पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है;

(घ) क्या ऐसे लोगों के लिए जो प्रति बिस्तर पांच रुपये से अधिक देने की स्थिति में नहीं है, जनता टाइप के बड़े कमरे या हाल की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना है;

(ङ) क्या गरीब लोगों को धर्मशाला अथवा सराय टाइप का आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पर्यटन संवर्धन के दृष्टिकोण से केन्द्रीय पर्यटन विभाग देश में होटल के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करता है। विभाग होटल परियोजनाओं और कार्यरत रहे होटलों को अनुमोदित करता है तथा इन होटलों को स्टार-श्रेणी पद्धति के अनुसार वर्गीकृत करता है।

(ग) जो होटल विभिन्न प्रोत्साहन-स्कीमों के अन्तर्गत लाभान्वित होने के इच्छुक होते हैं वो केन्द्रीय पर्यटन विभाग से अनुमोदन की मांग करते हैं। यह अनुमोदन निर्धारित मानदण्ड के अनुसार या तो प्रोजेक्ट-स्टेज पर या होटल के कार्यरत होने की अवस्था में होटलों को प्रदान किया जाता है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम नई दिल्ली में एक अशोक यात्री निवास (जनता होटल) का निर्माण कर रहा है जिसमें 527 कमरें होंगे। परियोजना पूरी होने वाली है और शीघ्र ही इसके चालू किए जाने की आशा है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। नई दिल्ली स्थित अशोक यात्री निवास के 2-3 वर्षों तक परिचालन परिणामों का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही अन्य पर्यटक केन्द्रों पर इस प्रकार के यात्री निवासों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 1860 के सोसाएटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन भारतीय यात्री आवास विकास समिति की स्थापना, देश में मुख्य तीर्थ स्थान/पर्यटक केन्द्रों पर अत्यधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों को, विशेष रूप से उनको जो समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, आवास सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हैं, इस प्रकार का आवास नई धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के रूप में या इसी प्रकार के विद्यमान आवश्यकताओं के विस्तार/सुधार के रूप में होगा। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चित्रकूट तथा वृंदावन में दो धर्मशालाओं (यात्रिकाओं) प्रत्येक में एक-एक, के निर्माण के लिए, जिसके लिए भूमि हासिल कर ली गई है, 10 लाख रु० की राशि का सहायक अनुदान दिया है। नैनादेवी में भी एक यात्रिका के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। अनुदानों और दानों के माध्यम से यदि भूमि और धनराशियां उपलब्ध हो सकी तो पुरी, द्वारका, तंजावर, गुरुवयूर, बक्सर, आदि में यात्रिकायों के निर्माण के प्रस्ताव भी समिति के विचाराधीन हैं।

आयकर छापे और काला धन बरामद किया जाना

431. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छापों से ऐसे किसी विशेष क्षेत्र का पता चला है जिसमें लेखा बाह्य धन की वृद्धि हो रही है; और

(ख) क्या इस पैसे की वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण तस्करी ही है और क्या ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास किये गए हैं और उसको रोकने के लिए नये कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आय-कर छापों से ऐसे किसी क्षेत्र विशेष का पता नहीं चला है, जहां लेखा-बाह्य धन के संग्रह में वृद्धि होती रही हो।

(ख) जी हां। लेखा बाह्य धन में वृद्धि का एक कारण तस्करी भी है। सरकार ने तस्करी का मुकाबला करने के लिए, विशेषकर सुगमता से पार किए जा सकने वाले क्षेत्रों में और तस्करी की संभावना वाली वस्तुओं के संदर्भ में, कई उपाय किये हैं।

पर्यटन योजनाओं की सूची

432. श्री भीखा भाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग की अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय योजनाओं के रूप में भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अब तक प्राप्त इस प्रकार की योजनाओं की सूची सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) इस बात के क्या कारण हैं कि कुछ राज्यों ने योजनाओं की गैर-स्वीकृति के मामले की उपेक्षा की है;

(घ) क्या सरकार ने देव सोमनाथ, बाणेश्वर मालाकोह के ऐतिहासिक पुराने किले के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं । तथापि, पर्यटक स्कीमों के कार्यान्वयन को दी जाने वाली प्राथमिकता केन्द्रों की अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी पर्यटकों में लोकप्रियता, ऐसे पर्यटकों को आकर्षित करने की उनकी संभाव्यता और संसाधनों की उपलब्धता तथा अध्ययनों की व्यवहार्यता पर निर्भर करती है ।

(ख) विकासप्रद स्कीमें या तो केन्द्रीय सैक्टर में या राज्य सैक्टर में प्रारम्भ की जाती है । और इसीलिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग में कार्यान्वयन के लिए कोई स्कीमें प्राप्त नहीं होती । पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए निरुपित की गई स्कीमें आवास, परिवहन, मनोरंजनात्मक सुविधाओं सांस्कृतिक मनोरंजन, मार्गस्थ सुख सुविधाओं की व्यवस्था ; सांस्कृतिक और पुरातत्व महत्व के स्थानों, दृश्य सौंदर्य, वन्य जीवन, उद्यानों और गेम सैंक्चुअरीज आदि के विकास से सम्बन्ध रखती है ।

(ग) स्कीमें राज्य-वार आधार पर नहीं प्रारम्भ की जाती बल्कि केन्द्रों के अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व तथा परस्पर प्राथमिकता को अनिवार्य बनाने वाली धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रारम्भ की जाती हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड में बेदावेदार जेवरात

433. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेषरूप से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के परिसरों में पाये गये बेदावेदार जेवरात के नियंत्रण को विनियमित करने की नीति न बनाए जाने के कारण हैं; और

(ख) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक में पड़े बेदावेदार जेवरात का मूल्य क्या है और इन जेवरात को बैंक सूची में किस तारीख से लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुई हानि

434. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वर्ष 1981-82 के पहले 9 महीनों में 49 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : राष्ट्रीय कपड़ा निगम एक धारक कम्पनी है जिसकी 9 क्षेत्रीय सहायक कम्पनियां हैं। सम्भवत: प्रश्न का आशय सभी 10 कम्पिनियों को मिलाकर हुई कुल हानि से है। 1981-82 के प्रथम नौ महीनों के दौरान इन 10 कम्पनियों से प्राप्त अनन्तिम ब्यौरे के आधार पर इन्हें कुल मिलाकर 49 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

1981 के दौरान सरकारी उपक्रमों को हुआ घाटा

435. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि 1981 के दौरान सरकारी उपक्रमों को कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों का वित्तीय वर्ष सरकारी वित्तीय वर्ष के अनुरूप अर्थात् अप्रैल से मार्च तक होता है और इस प्रकार उनके वार्षिक लेखे अधिकांशत: 31 मार्च को बन्द किए जाते हैं। 31 मार्च, 1981 को समाप्त वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ और उठाई गई हानि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 के खण्ड 1 में दिया गया है, जिसे 24 फरवरी, 1982 को संसद के सभा-पटल पर रखा गया था। जहां कहीं उद्यमों ने घाटा उठाया है, उसके कारण एक उद्यम से दूसरे उद्यमों में भिन्न-भिन्न है। मोटे तौर पर घाटे के कारण इस प्रकार हैं—

(1) बिजली की कमी।

(2) उत्पादकता में गिरावट।

(3) क्षमता का कम उपयोग।

(4) कुछ उद्यमों में औद्योगिक सम्बन्ध बेहतर न रहना, आदि।

बंगलौर जाने वाले यात्रियों का सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर मद्रास जाने वाली एयरबस विमान में घुसना

436. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर उड़ान में अनिश्चित विलम्ब होने और हवाई अड्डे पर, जहां यात्री पक्की सड़क पर दौड़ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में ढील के कारण दिनांक 14 मई, 1982 को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर बंगलौर जाने वाले उत्तेजित यात्रियों का एक दल मद्रास जाने वाले एयरबस विमान में घुस गया;

(ख) यदि हां, तो बंगलौर की उड़ान में विलम्ब के क्या कारण थे; और

(ग) समय पाबन्दी बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) बंगलौर जाने वाली उड़ान संख्या आई० सी०-107 में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण, सुरक्षा स्टाफ द्वारा क्लीयर

किए गए तथा "स्टेराइल" लौंज में प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बाहर ले जाया गया तथा जलपान दिया गया। लगभग 2000 बजे, यात्री बेचैन हो गए तथा उड़ान के प्रस्थान के बारे में पूछताछ करने लगे। उत्तर से संतुष्ट न होने पर, यात्री इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यालय में घुस गए तथा इण्डियन एयरलाइन्स सुरक्षा द्वारा प्रबन्धित "बैगेज सैक्शन" से होकर एप्रन तक चले गये। कुछ यात्री मद्रास की उड़ान पर सवार हो गए। इण्डियन एयरलाइन्स के सुरक्षा स्टाफ ने पुलिस सुरक्षा स्टाफ के सहयोग से यात्रियों को विमान खाली करने के लिए समझाया। बंगलौर जाने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सं० आई० सी०-107 उस रोज 2350 बजे अर्थात् प्रस्थान के अनुसूचित समय से 8 घण्टे पश्चात्, रवाना हुई।

(ख) 14, मई 82 को उड़ान सं० आई० सी०-107 (बम्बई/बंगलौर) में बम्बई में विमान के समय का पुन: निर्धारण करने के कारण विलम्ब हुआ क्योंकि करांची के लिए इससे पूर्ववर्ती उड़ान भरने वाले एक विमान में कुछ तकनीकी खराबी हो गयी तथा वापस उतर आया और जांच करने के लिए उड़ान से हटा लिया गया।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सभी विलम्बों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा जहां कहीं सम्भव होता है, उपचारी उपाय किए जाते है।

स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का भरा जाना

437. **श्री ग्रार० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर एम्पलाइज फेडरेशन ने प्रबन्धकों को अभ्यावेदन भेजा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित आगे ले जाये गए/न भरे गए रिक्त पदो को भरा जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धक लिपिक संवर्ग से अधिकारी ग्रेड-1 में पदोन्नति के लिए शीघ्र ही एक लिखित परीक्षा लेने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सभी आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिये कितने उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

438. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के सप्ताहों में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य सूचकांक में उक्त वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) हाल के सप्ताहों में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि मुख्यतः मौसमी तत्वों के कारण हुई। तथापि हाल के सप्ताहों में मौसमी दबावों के बावजूद मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 19 जून, 1982 को 18 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह में यह दर 12.6 प्रतिशत थी।

मूल्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है और उभरती हुई स्थिति को देखते हुए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

हेलीकाप्टरों की कमी

439. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में हेलीकाप्टरों की कमी है; और

(ख) भारतीय वायुसेना को शीघ्र ही हेलीकाप्टर उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० देव सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विनोद और विमल टेक्सटाइल मिलें

440. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के 16 दिसम्बर 1981 के पत्र में उज्जैन, मध्य प्रदेश की दो कपड़ा मिलों के केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण के उस राज्य सरकार के प्रस्ताव के बारे में दिए गए उत्तर में मांगी गई सूचना मंत्रालय को प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

(ख) क्या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिलों का अधिग्रहण कर लिया है और यदि नहीं तो अब तक अधिग्रहण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ये मिलें कब से बन्द पड़ी हैं उन्हें कब चालू करने का विचार है; और

(घ) यदि पुनः चालू कर दी गई है, तो चालू करने के पश्चात कितना उत्पादन तथा खर्च है, यदि कोई है, हुआ है और जिसने कर्मचारी पहले नियुक्त थे उनमें से कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) ये मिलें 9-11-81 से बन्द पड़ी हैं। उनके पत्र दिनांक 16-12 1981 के उत्तर में मध्य प्रदेश सरकार यह उल्लेख करने के लिए अनुरोध किया गया कि क्या वे प्रबन्धकीय तथा वित्तीय दायित्व लेना चाहेंगे। उस

सरकार ने इस उत्तर में सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले में इन मिलों को पुनः चालू करने तथा चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की समस्या को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय से सम्पर्क किया है। यह पता चला है कि इन समस्याओं को हल किया जा चुका है और मिलों में सामान्य तौर पर कार्य सितम्बर 1982 के पहले सप्ताह तक शुरू हो जाने की संभावना है।

———

प्रो॰ मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक संसद की सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का सम्बन्ध है, वह समिति पेट्रोलियम मंत्रालय के एक मामले की जांच कर रही थी। उसने 175 मिलियम डालर के पेट्रोलियम उत्पादों के सौदों की जांच की थी। महोदय, सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति को बताया गया था कि फाइल गुम हो गई है······

(व्यवधान)

महोदय, मैंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, कल मुझे सूचित किया गया था कि इसी विषय पर मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपके विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं और उससे राजकोष पर प्रभाव पड़ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका परसों-चौथे आया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके सेक्रेटेरिएट ने मुझे पब्लिक अण्डरटेकिंग की रिपोर्ट दिखायी है। मेरा निवेदन है कि आप एवीडेंस देखें।

अध्यक्ष महोदय : एवीडेंस नहीं। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी जो करेगी, वह करेगी।

(व्यवधान)

प्रो॰ मधु दण्डवते : मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया कि मेरे पास आज आया है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम आपको आपके कक्ष में क्यों मिलें ? यह एक सरकारी दस्तावेज है। (व्यवधान) भारतीय राजकोष को 10 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हजारों रुपये का गोलमाल हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटीहै, वह करेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष, महोदय। क्या किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी किसी पार्लियामेंटरी कमेटी को मना कर सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आलन्टिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले तथ्यों का पता लगाऊंगा। मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं कि वाक्य क्या हैं। इसके बाद ही मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हजीपुर) : महोदय, मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव श्री लवराज कुमार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने मिस्टर लवराज कुमार के खिलाफ फैक्टस छिपाने के लिए दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एग्जामिन कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने यह मामला अपने विचाराधीन रखा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मेरे द्वारा श्री अरुण शोरी के विरुद्ध दिए गए विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव का क्या हुआ है, जिन्होंने सार्वजनिक ऊपक्रमों सम्बन्धी समिति और समिति के अध्यक्ष पर आक्षेप करते हुए लेख लिखे हैं.......

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रो० मधु दण्डवते द्वारा की गई टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। वो कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाने चाहिए।......

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस्राइल के वाणिज्यदूत को निष्कासित करने के बारे में वक्तव्य दे। मैंने यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति को एक समान ढंग से लागू किया जाएगा क्योंकि कुछ अन्य यह राजदूत भी हैं जो भड़काने वाले वक्तव्य देते रहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैंने आपको जूट उद्योग की नाजुक स्थिति के बारे में एक नोटिस दिया था। 17 मिलें बन्द पड़ी हैं और लगभग 60,000 श्रमिक इससे प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस संबंध में नोटिस दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, मैंने इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है। क्या वह आपके विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) : महोदय, दिल्ली में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों को जो विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के पात्र हैं, प्रवेश नहीं मिल रहा है। इससे छात्रों और उनके माता-पिता में गहरा असन्तोष है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें और यह देखें कि इस मामले में क्या किया जा सकता है क्योंकि महाविद्यालय शीघ्र ही पुनः खुलने जा रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : चार लाख रुपये के रंगीन टी० वी० सेट बाहर से मंगाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा ·······

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखकर दिया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कालिंग अटेंशन और एडजोर्नमेंट मोशन दोनों दिए हैं कि चार लाख रुपए के रंगीन टी० वी० बाहर से मंगाए जा रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, क्यों जिद करते हैं। नाट एलाउड। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा गया है। उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैंने जूट मिलों के बन्द हो जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचन दी है·······

अध्यक्ष महोदय : क्यों समय नष्ट कर रहे हो। मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीरेन घोष : परन्तु मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। बस।

श्री नीरेन घोष : इससे सारे प्रान्त की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है......

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस गंभीर विषय की ओर खींचना चाहता हूं कि कल साढ़े तीन बजे दिन से रात साढ़े आठ बजे तक, पांच घंटे तक शेड्यूल कास्ट अट्रासिटीज के सम्बन्ध में डिबेट हुई और संसद समीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बिल्कुल ब्लैक आउट। जिसका परपज यह है कि संसद की कार्यवाही......

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

श्री रामविलास पासवान : दूसरा मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि बिहार में कम्युनल रायट्स का वार हो रहा है। फुलवारी शरीफ और मुंगेर.......

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, आप सलाह कर लीजिए पहले।

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों ने सलाह कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रामविलास पासवान : दो-दो जगह कम्युनल रायट्स हो गए हैं और आप कहते हैं कि डिसकसन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा है कि नहीं होगा। आप मेरे पास आइए बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आकर बताइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : बम्बई में स्थित इस्राइली वाणिज्यदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित करने की भारत सरकार की कार्यवाही की जहां मैं सराहना करता हूं, वहीं मैं सरकार से यह मांग भी करता हूं कि भारत सरकार बम्बई स्थित इस्राइली वाणिज्य दूतावास को बन्द करने का आदेश दे और प्रधान मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा रद्द कर दें क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका ही वह शक्ति है जो इस्राइल का समर्थन कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिए।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं भी इनका समर्थन करता हूं। अमरीकी युद्धपोत लेबनान की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रपति रीगन ने इसकी पुष्टि की है। प्रधान मंत्री को अपनी संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा रद्द कर देनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनते क्यों नहीं हैं ?

मैंने तो कहा है कि डिसकशन आ रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स पर। बिला वजह आप टाइम जाया करते हैं। आप समझदार होकर ऐसा करते हैं। आप को इन मामलों को उठाना चाहिए अथवा जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसे उचित ढंग से कहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आप नराज क्यों होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल नराज नहीं हो रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जिस क्षण आप मुझसे नराज हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बात नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं आवाज ऊंची करता हूं ताकि आपके कान खुल जाएं। आपको सुनाने के लिए आवाज ऊंची करता हूं और कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खत्म हो गया, आप बस नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में यूनिवर्सिटी टीचर्स**...

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध बिहार सरकार से है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने श्री अरुण शोरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की पूर्व-सूचना दी है जिन्होंने संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के विरुद्ध एक लेख में बहुत सी बातें लिखी हैं और इसके अध्यक्ष श्री बंसीलाल पर भी आक्षेप किये हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब ठीक है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों का जो करोड़ों रुपया सुगर फैक्ट्रियों में बकाया पड़ा है...

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कल भी करवाया है हमने यहां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल ही यहां स्पेशल मेंशन करवाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर देखेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा नोटिस श्री लवराज कुमार के विरुद्ध भी है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी है।

श्री हरिकेश बहादुर : कम से कम उन्हें समिति के सामने सत्य कहना चाहिए।

श्री दौलत राम सारण (चुरु) : राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। अभी भी वहां वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण से वहां भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। सारण साहब मैं स्थिति की गम्भीरता को समझता हूं। मैं इस पर चर्चा रखूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। परन्तु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया।

श्री सी० टी दण्डपाणि (पोल्लाची) : महोदय, कर्नाटक में कर्नाटक सरकार की नई भाषा नीति के कारण अल्पसंख्यकों पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है। अतः कर्नाटक में एक आन्दोलन चल रहा है। अतः कर्नाटक में बहुत से तमिल मारे गये हैं। वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। वे पड़ौसी राज्यों को भाग गये हैं। मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिए निवेदन कर करता हूं और यह भी कि सरकार को उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : यू० पी० में बदायूं में किसान जो गेहूं मंडी में बेचने के लिए लाते हैं सरकार के आश्वासनों के बावजूद भी उसकी खरीद नहीं हो रही है······

अध्यक्ष महोदय : इसको विशेष उल्लेख के रूप में दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : एशियन गेम्स के लिए कैम्पा कोला जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको आफ़िशल सप्लायर बनाया गया है जबकि पब्लिक अण्डरटेकिंग····

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, इस पर हमने एक प्रश्न की अनुमति दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने आपसे पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण विनाश पर पूरी चर्चा करने के लिए निवेदन किया है। इससे त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में कड़े पैमानें पर की गई गड़बड़ी के कारण कांग्रेस(इ) के कार्यकर्ताओं पर कुप्रभाव पड़ रहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जा रही है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह हरियाणा···होना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : पश्चिमी बंगाल में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गयी है और कांग्रेस (इ) के बहुत से कार्यकर्ता मारे गए हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, आप कपड़ा मिलों की हड़ताल पर कोई चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमने इस मामले को उठाया है और चर्चा के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बतलाऊंगा। आज के ध्यानाकर्षण के बाद यदि कुछ रह जाता है तो हम देखेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हां महोदय यह अधिक अच्छा रहेगा। हम जैसे लोग जो बम्बई से हैं वे भी भाग लेना चाहेंगे। और बैलट क्रिया में मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं जितने श्री रामावतार शास्त्री।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

निक्षेप बीमा ऋण गारन्टी निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, भारत के महालेखापरीक्षक के क्रमशः वर्ष 1980-81, 1981 और 1880 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) संघ सरकार (वाणिज्यिक) और संघ सरकार (रेल), वर्ष 1980-81 के संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल), भाग 1—समीक्षा वर्ष 1980-81 के विनियोग लेखे, (रेल), आदि।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यरत सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे *पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

(ख) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(ख) (1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 4148/82]

---

*प्रतिवेदन पहले 7 अप्रैल, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग ग्यारह-सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर कम्पनी के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और टिप्पणियों का सारांश।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 4149/82]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 4150/82]

(2) वर्ष 1980-81 के संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 1980-81 के विनियोग लेखे, रेल, भाग 1—समीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 1980-81 के विनियोग लेखे, रेल, भाग 2—ब्योरेवार विनियोग लेखे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 4151/82]

(5) वर्ष 1980-81 के ब्लाक लेखे (ऋण लेखे सम्बन्धी पूंजी विवरण सहित) तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे, रेल, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 4152/82]

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 1746, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "फिरोजशाह गोदरेज फाउंडेशन" को छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 1747, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "ज्ञान प्रबोधनी" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 1748, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10

(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "सरला चैरिटीज ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में हैं।

(चार) का० आ० 1749, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "देव वाणी मन्दिरम" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 1750, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारित वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(छः) का० आ० 1751, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति" का छूट देने के बारे में हैं।

(सात) का० आ० 1752, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "डिवाइन लाइट स्कूल फार दि ब्लाइन्ड ट्रस्ट बंगलौर" को छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 1753, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "संकट निवारण सोसायटी, गुजरात" को छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 1754, जो 15 मई 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इण्डियन मर्चेन्टस चेम्बर" को छूट देने के बारे में है।

(दस) का० आ० 1755, जो 15 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10

(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "ज्ञान प्रबोधिनी" को छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 1814, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन" को छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 1815, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "लिटल सिस्टर्स आफ दि पुअर, सम फार दि एजेड, बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 1816, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "श्री कन्याकुमारी गुरुकुल आश्रम" को छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 1817, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों पर अनुसंधान की भारतीय परिषद" को छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 1818, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "आर्य वैद्यशाला कोट्टाकल" को छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 1819, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "भाई वीर सिंह साहित्य सदन" को छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 1820, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10

(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इन्डो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी" को छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 1821, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1980-81 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन पंजाब शाखा" को छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 1822, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "संजीवनी" को छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 403(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "वेस्ट बंगाल स्वास्टिक्स सोसायटी" को छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 404(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक असिस्टेंस" को छूट देने के बारे में है।

(बाइस) का० आ० 405(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "रमन रिसर्च इन्स्टीच्यूट ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 406(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "भारतीय संसदीय ग्रुप" को छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का० आ० 407(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्त-

गंत आने वाली अवधि के लिए "मद्रास डाक लेबर बोर्ड" को छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 408(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "बम्बई चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स सोसायटी" को छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का० आ० 409 (अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "एसोसियेटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इण्डिया" को छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का० आ० 410 (अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "सर कुसरो वाडिया ट्रस्ट फण्ड" को छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का० आ० 411(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजहत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इन्डो-अरब सोसायटी" को छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का० आ० 412(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "चेशायर होम्स इंडिया" को छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4153/82]

निर्यात निरीक्षण एजेंसी (भर्ती) संशोधन नियम, 1982

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण एजेंसी (भर्ती) संशोधन नियम, 1982 की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 402 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4154/82]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं 30 अप्रैल 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं—

(1) वित्त विधेयक, 1982

(2) सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1982

(3) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1982

(4) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 1982

(5) औद्योगिक (नियोजन) (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 1982

(6) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1982

(2) महोदय, मैं 30 अप्रैल, 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयकों की प्रतियां भी रजय सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत रूप से सभा पटल पर रखता हूं—

(1) पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1982

(2) वास्तुविद् (संशोधन) विधेयक, 1982

(3) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1982

(4) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1982

(5) वायु निगम, (संशोधन) विधेयक, 1982

(6) असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1982

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की निरन्तर चली आ रही हड़ताल और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "बम्बई के हजारों कपड़ा मिल मजदूरों की जनवरी, 1982 से निरन्तर चली आ रही हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, सदन को मालूम है कि बम्बई की हड़ताल जो कि 60 सूती कपड़ा मिलों में से अधिकांश मिलों में गैर-कानूनी घोषित की गई है, 18 जनवरी, 1982 से जारी है। इस हड़ताल का आह्वान मान्यता न प्राप्त एक यूनियन ने किया था, हालांकि सूती कपड़ा मिलों की श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता पहले से ही विद्यमान है और यह समझौता 31 दिसम्बर, 1984 तक वैध है। हड़ताल का आहवान करने से पहले न राज्य सरकार से और न प्रबन्धकों से सम्पर्क स्थापित किया गया। राज्य सरकार जोकि इस स्थिति से निपटने के लिए समुचित सरकार है और केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए सतत प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर राज्य सरकार श्रमिकों की सभी वैध मांगो की जांच करेगी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए इस रुख का पूर्णतः समर्थन किया है कि श्रमिकों की सभी वैध मांगों का हल सामान्य कानूनी तन्त्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

सरकार श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत है। यद्यपि कई मिलों ने अंशतः उत्पादन कार्य पुनः शुरू कर दिया है तथापि इस हड़ताल के कारण सूती कपड़े के उत्पादन में हुई हानि का भी सरकार को पता है। सरकार ने इस मामले को कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया और बार-बार सरकार श्रमिकों को यह बताती रही है कि जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, उनकी उचित मांगों की जांच करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी और एक समय-बद्ध कार्य-क्रम के अनुसार उनका समाधान निकाला जाएगा।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के परिणामस्वरूप कई श्रमिक काम पर लौट आए हैं। यह बात पुनः सिद्ध करने की दृष्टि से कि, श्रमिकों के हितों का सरकार को सही माने में अधिक ध्यान है, वह अब कुछ और कदम उठाना चाहती है।

इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय किया है जिससे (1) केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, (2) उद्योग और (3) सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(क) (1) कपड़ा मिल उद्योग के कर्मकारों की समस्याओं की जांच की जाय और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(2) कपड़ा मिल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं, जिनमें उद्योग का आधुनिकीकरण तुरन्त करने की आवश्यकता भी शामिल है, की जांच की जाय और उनके बारे में रिपोर्ट दी जाए।

(3) ऊपर (1) और (2) पर निर्दिष्ट सिफारिशें देश के सम्पूर्ण कपड़ा मिल उद्योग से सम्बन्धित होगी।

(4) समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर दे देगी और श्रमिकों से सम्बन्धित इसकी सिफारिशों को समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। बम्बई सूती कपड़ा उद्योग कुछ विशेष समस्याओं का सामना करता रहा है। तदनुसार, समिति निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगी :—

(5) (1) बदली श्रमिकों की समस्याएं (2) मकान किराया भत्ते के लिए श्रमिकों की मांग (3) सवारी भत्ते के लिए श्रमिकों की मांग। यह समिति इन मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दो मास की अवधि के भीतर दे देगी और इसकी सिफारिशें यथाशीघ्र कार्यान्वित की जाएंगी। मकान किराया भत्ते और सवारी भत्ते के बारे में समिति की सिफारिश के प्राप्त होने तक, श्रमिकों को प्रति मास 30 रुपये की तदर्थ राशि का भुगतान किया जाएगा जिसका बाद में समामेलन किया जाएगा।

(6) समिति द्वारा बम्बई की कपड़ा मिल के श्रमिकों की अतिरिक्त मजदूरी की मांग की जांच की जाएगी और यह समिति उसके बारे में छ मास की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(7) ऐसी अन्य समस्याओं के बारे में जो समिति को भेजी जाएंगी या जिन पर समिति रिपोर्ट देना चाहेगी, उनके बारे में समिति सरकार को एक वर्ष की अवधि के अन्दर रिपोर्ट देगी।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस बात की अभी घोषणा की है, हड़ताल में शामिल ढाई लाख मजदूरों के प्रतिनिधि इसको मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे समस्या का समाधान फौरन निकलने वाला नहीं है। मैं करीब पिछले 6 माह से हड़ताल में शामिल ढाई लाख मजदूरों को हार्दिक बधाई देता हूं और सरकार की मजदूर विरोधी नीति के लिये निन्दा करता हूं।

हड़ताल 18 जनवरी को शुरू हुई, आज उसका 173वां दिन है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल आज तक हिन्दुस्तास में कभी नहीं हुई। 1928 में बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल जरूर की थी, लेकिन उसकी मियाद 171 दिन थी। आज इस शानदार हड़ताल की मियाद 173 दिन हो गयी है।

मजदूर किसी के करिश्में में आकर हड़ताल नहीं करते हैं, जैसा कि सरकार कहती है कि दत्ता सामन्त ने ऐसा करवा दिया है। मजदूरों के सामने कठिनाइयां हैं, उनका पे-रिवीजन का

सवाल है, बदली मजदूरों को परमानेन्ट करने का सवाल है। इससे जब तक वह उत्तेजित और प्रभावित नहीं होंगे, समस्या हल नहीं होगी। हमारे आपके कहने से वह लोग हड़ताल नहीं करते हैं। अपनी कठिनाइयों की वजह से वह हड़ताल करते हैं।

आज ढाई लाख मजदूर पूरी तरह से हड़ताल पर हैं और सरकार कहती है कि हड़ताल पूरी नहीं है। यह नहीं है। यह बात बताती है कि इनकी जानकारी पूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की मजदूर विरोधी पालिसी है और उससे भी ज्यादा यहां का श्रम मंत्रालय है जिसने बड़े-बड़े इजारेदारों की मदद की है और मजदूरों को कुचलने की कोशिश की है। इसका सबूत हमारे आपके सबके सामने है। आप इस सरकार की व्यापकता देख लीजिये। हालत यह है कि आज तक मजदूर लड़ रहे हैं और सभी ट्रेड यूनियन वाले उनकी मदद कर रहे हैं। इनका राष्ट्रीय मजदूर संघ, इंटक है, यह कहते हैं कि समझौता कर लिया है, 1984 तक समझौता चलेगा। उनका कहीं कोई अस्तित्व है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जबर्दस्ती इंटक की यूनियन को क्यों मजदूरों के सिर पर थोंपना चाहते हैं ? क्या कारण है ? अगर वह उनके पीछे होते तो आज यह हड़ताल इतने शानदार तरीके से नहीं चलती। अगर आप यह समझते हों कि आप उनको दबा देंगे अपने दमन की चक्की चलाकर, तो आप भ्रम में हैं। अभी इसे 6 महीने हुए हैं, जरूरत पड़ने पर मजदूर और भी 6 महीने की हड़ताल करने को तैयार हैं।

इसलिए हड़ताल से जो नुक्सान हो रहा है, देश की क्षति हो रही है, स्टेट्समैन के 6 जून के सम्पादकीय में लिखा है, 650 करोड़ रुपये का नुक्सान हो चुका है, 75 करोड़ रुपये फारेन एक्सचेंज का नुक्सान हो चुका है। हर मजदूर का हर महीने 1200 रुपये का नुक्सान हो रहा है। इस तरीके से 600 मीटर कपड़ा बनना कम हो गया हैं। उसके उत्पादन में कमी आ गयी है। इसकी जवाबदेही आप पर है, मजदूरों पर नहीं है। आज हमारे लोगों से हड़ताल करवाने के लिये जिम्मेदार सरकार है। उसका यह काम है कि इस तरह की स्थिति पैदा न करे ताकि हमारे देश के अर्थतन्त्र पर उसका बुरा असर पड़े और मजदूरों की कठिनाई दूर हो सके। लेकिन ऐसा न करके यह दमन कर रही है।

18, 19 अप्रैल को महाराष्ट्र बन्द हुआ। अभी कल महाराष्ट्र में 4 लाख दूसरे लोगों ने हड़ताल की, 5,000 औरतों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। अगर इससे भी सरकार की आंखें न खुलें और उसे मजदूरों की मांगों के औचित्य का पता न लगे, तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है। भले ही सरकार मजदूरों की हितैषी होने का दावा करे और समाजवाद तथा लोककल्याणकारी राज्य की बात करे, लेकिन उसके दिल में टाटा, बिड़ला, दालमिया जैसे इजारेदारों के प्रति ज्यादा प्रेम है।

मजदूरों को इतने दिनों तक हड़ताल करने की आवश्यकता न होती, लेकिन सरकार इनटक को मजदूरों पर लादना चाहती है और हड़ताल के जारी रहने का यही एक कारण है। मेहरबानी करके सरकार इस नीति को छोड़ दे। कोयला सैक्टर में भी वह यही कोशिश कर रही है कि इनटक के 50 प्रतिशत प्रतिनिधि रहेंगे। क्यों रहेंगे ? इनकी क्या हस्ती है ? जितनी हस्ती है, उतनी ही बात करें, ज्यादा नहीं। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की नीति के मूल में यही बात है कि इनटक को मजदूरों पर लादा जाए। लेकिन मजदूर इनटक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम तो आई० एन० टी० यू० सी० की मजदूर

यूनियन से बात करेंगे। सरकार ने हड़ताल की स्थिति देख ली है कि कौन लोग किधर हैं। इस लिए उसे सब यूनियनों के साथ बात करनी होगी। जो मजदूर लड़ाई में शामिल हैं, अगर सरकार उनके साथ बात नहीं करेगी, तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, कृपया मजदूरों की मांगे प्रस्तुत कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं पहले ही बता चुका हूं। वेतनमांगों में संशोधन उनकी एक प्रमुख मांग है।

इसके अलावा बदली मजदूरों का सवाल है, मजदूर-विरोधी कानूनों को रद्द करने की बात है। मजदूरों की सब मांगें सरकार के पास मौजूद हैं। अगर सरकार उन सवालों के बारे में पाजिटिव एटीच्यूड नहीं अपनाएगी, नेगेटिव एटीच्यूड अपनाएगी, तो काम नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हू कि क्या सरकार सचमुच यह चाहती है कि यह हड़ताल समाप्त हो और कारखाने फिर से काम करें। अभी कुछ समय पहले इस सदन में चर्चा हो रही थी कि फौज के लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कपड़ा बम्बई में बनाया जाना था, वह नहीं बन सका। उन मिलों में कपड़ा बने, फौज के लोगों को मिले, देश की आर्थिक क्षति न हो और कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की कठिनाइयां दूर हों, सरकार को इस दृष्टि से अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए।

सरकार ने 1982 को उत्पादकता-वर्ष का नाम दिया है और नारा लगाया है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इस हड़ताल के कारण 6500 करोड़ रुपये का नुक्सान आलरेडी हो चुका है। क्या यह प्राडक्शन बढ़ाने का तरीका है? मजदूर तो प्राडक्शन बढाना चाहते हैं, लेकिन सरकार और मिल-मालिक ऐसा नहीं चाहते। मिल-मालिकों के पास पैसे की कमी नहीं है। वे पे रिविजन के मुताबिक पैसा देने की स्थिति में हैं। उन्हें फिनांशल इंस्टीट्यूशन्ज से माडर्नाइजेशन के नाम पर और दूसरे आधार पर पैसा मिल रहा है। लेकिन वे मजदूरों को कुछ नहीं देना चाहते। अगर श्री झा इस बारे में चुस्त हो जाएं, तो सब काम ठीक हो सकता है। अगर राज्य सरकार अपने मजदूर-विरोधी चेहरे को बदल दे, तो तुरन्त रास्ता निकल सकता है। 1981 में 25.5 मिलियन मैनडेज का लास हुआ था। अभी केवल 6 महीने में बम्बई में 26 मिलियन मैन डेज का लास हो चुका है। तो इसको आप पसन्द करते हैं? इसका मतलब है कि आप पसन्द करते हैं। देश की चिन्ता आप को नहीं है। देश के इजारेदारों की चिन्ता आपको जरूर है।

मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी है आन्दोलन की, उस स्थिति को देखते हुए और देश की अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए क्या आप यहां इस सदन में यह एलान करने को तैयार हैं कि दत्ता सामन्त समेत तमाम जितनी इस आन्दोलन में शरीक यूनियनें हैं उनके साथ बात करेंगे और आइ० एन० टी० यू० सी० का रामनामी ओढ़ना छोड़ देंगे? यह आप करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। मेरा एकमात्र यही सवाल है कि आपकी पालिसी बदलेगी या नहीं? लोग अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर तक से कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्थिति अभी है इस स्थिति में एक ही साल्यूशन है कि आप एलान कीजिए कि आप तमाम इन यूनियनों से बात करने को तैयार हैं और बात करके कोई रास्ता निकालेंगे।

जो आपने यह वक्तव्य दिया और कहा कि एक समिति बनाएंगे मजदूर उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसको उन्होंने सुना है और पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। जब उन्हें यह बात मालूम हो गई, आपकी राज्य सरकार के जरिए, आपके जरिए यह प्रस्ताव उनके यहां पहुंच चुका, आप आज यहां बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको नामंजूर कर दिया है। अगर आप नहीं मानिएगा तो आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में हड़ताल होगी। अभी कल महाराष्ट्र में हड़ताल हुई है, औरतों ने हड़ताल की, फिर पूरे हिन्दुस्तान में हड़ताल होगी। 19 जनवरी के बन्द को तो आप जानते ही हैं। उससे भी शानदार हड़ताल होगी और ऐसी स्थिति में फिर आपका चेहरा बेनकाब होगा। मजदूर के सामने तो आपका चेहरा बेनकाब पहले ही हो चुका है। हमारा यही कहना है कि अभी भी राज्य सरकार को सुबुद्धि आए और उससे ज्यादा आपको सुबुद्धि आए ताकि कोई रास्ता निकल सके।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगा कि जिस समय मैं बयान दे रहा था शास्त्री जी ने उसको सुना ही नहीं। एक शब्द भी उन्होंने इस बयान की बात नहीं कही। वही पुरानी बात दोहराते रहे......व्यवधान......जरा बोलने दीजिए। आप अपनी बात कह चुके। मैंने जैसे आपको सुना है आप भी सुन लें।

ऐसा लगता है कि पुरानी बात जो वह लिख कर लाए थे पढ़ने के लिए वही लिखा हुआ बयान पढ़ते रहे और पुरानी पुरानी कथा कहते रहे। हमने अभी यह कहा कि मजदूरों की कठिनाई को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक त्रिपक्षीय समिति बनायी जायगी जिसमें केन्द्रीय मजदूर संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, एम्पलायर्स के प्रतिनिधि रहेंगे और सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे और यह समिति सम्पूर्ण टेक्सटाइल उद्योग की बात तो पीछे है, पहले बम्बई के सम्बन्ध में दो महीने के अन्दर जो उनकी प्रमुख मागें हैं जिसके बारे में अभी उन्होंने कहा—बदली, हाउस रेंट, कन्वेयेंस एलावेंस, इनके बारे में दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और इसी से सम्बन्धित यह भी बात कही कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वही हाउस रेंट और कन्वेयेंस एलावेंस वगैरह लिए 30 रुपया महीना उनको मिलना शुरू हो जाएगा। यह उन्होंने नहीं सुना। यह उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है।

दूसरी बात मैंने बतायी कि जहां तक उनके वेज बढ़ने का प्रश्न है, मैंने कभी यह नहीं कहा कि इसमें हम नहीं चाहते हैं, जो ऐग्रीमेंट है हमने उस ऐग्रीमेंट की चर्चा सिर्फ की, हमने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन के थ्रू ही काम हो। यह बयान तो सरकार ने दिया है, जिन प्रधान मंत्री की बात उन्होंने कही, उन्हीं प्रधान मंत्री की सरकार ने यह बयान दिया है और बार-बार जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन की बात कही जाती है, बाम्बे इंडस्ट्रियल ऐक्ट के अन्तर्गत यह प्रावधान पूरी तरह से है कि अगर मजदूर चाहें तो अपने किसी एसोसिएशन को, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है उसको हटा सकते हैं और नया ले सकते हैं। किसने मना किया आज तक दत्ता सामन्त जी को या श्रीमान् शास्त्री की आइटक यूनियन को कि वह जाय उस कानून के अन्तर्गत और कहे कि यह नहीं है और यह है। ये गए थे हाईकोर्ट में, दत्ता सामन्त जी, यह कहने के लिए कि यह ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन जब वहां पर रेजेक्ट हो गया तब इन्होंने कहा कि इसमें बोगस है तो उसके अनुसार अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, एकार्डिंग टु दि हाईकोर्ट।

लेकिन यहां पर जो प्रमुख प्रश्न है वह यह है कि स्ट्राइक को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने अभी एक कदम यह उठाया है कि एक त्रिपक्षीय समिति को

स्थापना की है जो कि दो महीने के अन्दर तीन विषयों पर अपनी रिपोर्ट देगी। विषय है—बदली, हाउस रेन्ट और कन्वेयन्स एलाउन्स जहां तक वेज की बात है, आपको मालूम है एन० टी० सी० ने 112 मिल्स ले ली हैं और उन पर और दबाव है कि अन्य मिलों को भी लें। मतलब यह कि मिलें सिक होती जा रही हैं। आपको मालूम ही है कि मैं श्रम मंत्री हूं, कोई एम्पलायर मंत्री नहीं हूं। शास्त्री जी, आपको जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन आपका भी जो चरित्र है श्रमिक वाला, वह भी मालूम है और जो मेरा चारित्र है वह भी मालूम है। हमारी सरकार हमेशा श्रमिकों के लिए ही काम करती रही है। आप हजार भाषण दें कि हम उनके विरोधी हैं, कुछ करते नहीं हैं और हम एम्पलायर के हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं इतने उदाहरण दे सकता हूं कि आपने एम्पलायर्स की कितनी मदद की है जिसमें आप डूब जायेंगे लेकिन मैं उसको छोड़ता हूं। मैं यह कह रहा हूँ कि आज सरकार ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया है कि एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गयी है जो तुरन्त दो महीने में श्रमिकों की प्रमुख मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी। एक एड-हाक रिलीफ भी दी है 30 रुपये की जोकि वेज के सम्बन्ध में है। सम्पूर्ण देश के स्तर पर जो टैक्सटाइल कमेटी बनाई गयी है वह उस पर विचार करेगी, वह बम्बई के सम्बन्ध में 6 महीने में बताएगी और सम्पूर्ण देश के स्तर पर एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी।

इसके अलावा हमने यह निर्णय भी लिया है कि जो भी मजदूर काम पर आयेंगे, हम जानते हैं कि उनको कठिनाई है कि वे कैसे अपना काम शुरू करेंगे इसलिये हमने कह दिया है कि सभी मजदूरों को, बदली वालों को भी, जिन्होंने वर्ष भर काम किया है, 650 रुपया एडवान्स दिया जायेगा ताकि वे अपना घर सम्हाल सकें और काम प्रारम्भ कर सकें।

मैं समझता हूं इतना अधिक करने के बाद भी अगर शास्त्री जी पुरानी बातों को ही दोहराते रहें तो उसका मतलब यह होगा कि यह कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, पोलिटिकल यूनियन है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इस सरकार को बदनाम किया जाए और गिराया जाए। हमने कार्यकर्ताओं से, श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बात की है और इस निर्णय पर आए हैं और हमारा विश्वास है कि बम्बई के श्रमिक काम पर वापिस आयेंगे और अपना काम प्रारम्भ करेंगे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : नहीं, नहीं आयेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन के तीन नेताओं के कहने पर ही चलता है तो यह पोलिटिकल है, ट्रेड यूनियन नहीं है। बहरहाल मेरा विश्वास है कि अब वे काम पर आयेंगे। इतनी अधिक सुविधायें देने के बाद श्री जार्ज फर्नान्डीस के "नहीं, नहीं" कहने से कुछ नहीं होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए मुझे निजी तौर पर स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैने उनकी बात 'नहीं आयेंगे' पर टिप्पणी की थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खेद है, मेरी बात को ठीक से नहीं समझा गया है। जब उनकी मांग 6000 रुपए की है, वह उन्हें 6 महीने के सवारी भत्ते के लिए 650 रु० दे रहे हैं।

इसके बाद वह तदर्थ राशि के 30 रु० दे रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता कि इस 30 रुपयों को कैसे पारिभाषित किया जाए। यह मजदूर का अपमान है और कोई भी स्वाभिमानी मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेगा। अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को हटाना होगा। जब तक यह नहीं हटेगी, तब तक मजदूर काम पर वापिस नहीं जायेंगे।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : मंत्री महोदय, ने बताया है कि इस हड़ताल का आह्वान मान्यता प्राप्त यूनियन ने किया था। तथा यह सूती कपड़ा उद्योग मिलों की श्रमिक यूनियन तथा प्रबन्धकों के बीच हुए उस समझौते का उल्लंघन है। जो कि 31 दिसम्बर, 1982 तक वैध है। अब इस हड़ताल ने यह सिद्ध कर दिया है कि तथाकथित मान्यता प्राप्त यूनियन, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को बम्बई की कपड़ा मिलों के अधिकारी मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह बिना किसी शंका के प्रमाणित हो गया है। क्या सरकार अब समझौता करने के लिए तथा उस यूनियन को मान्यता देने के लिए तैयार है जिसे भारी संख्या में मजदूरों का समर्थन प्राप्त है। यही मुख्य प्रश्न है। इस विशेष यूनियन को महाराष्ट्र सरकार के विशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों का समर्थन मिले बिना ही मान्यता प्रदान कर दी गई थी। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ जो समझौता किया गया था, वह कपड़ा मिल मजदूरों के वास्तविक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यही कारण है कि मजदूरों ने हड़ताल की। अत: यह कहना निरर्थक है कि उन्होंने पिछले समझौते का उल्लंघन किया है, जो कि दिसम्बर, 1984 तक वैध माना जायेगा। अतः में मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करें। करीब 2,30,000 मजदूर हड़ताल पर हैं, और यह भारत के कपड़ा मिल के इतिहास में सबसे दीर्घकालीन हड़ताल है। 1928 में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने लगभग 171 से 175 दिन तक हड़ताल की थी। जहां तक हड़ताल की अवधि का सम्बन्ध है यह हड़ताल उस हड़ताल को भी पार कर गई है। 25000 से 30000 मजदूरों ने 19 अक्तूबर, 1981 को हड़ताल की। बाद में 25000 से 35000 मजदूरों ने बोनस पर हुए समझौते को बदलने के लिए हड़ताल कर दी। अब 250 से अधिक दिन हो चुके हैं। सरकार इतने दिनों से क्या कर रही है? अब मंत्री महोदय ने हमारे समक्ष एक लम्बा वक्तव्य दिया है। लेकिन इतने दिनों तक वह कहां थे? क्या वह पहले इस हड़ताल में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं थे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ रहे हैं—'वह कहां थे?'

श्री एम० एम० लारेंस : भारत सरकार ने ऐसी नीति अपनाई है जो न केवल कपड़ा उद्योग के अधिकांश मजदूरों की बल्कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों के मजदूरों का दमन करने वाली है।

अगर मजदूर अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, तो वे जहां तक हो सकता है हड़ताल जारी रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मजदूर भूखे रहें और समर्पण कर दें। यह सरकार के लिए उस सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है जो कि अपने आपको आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है, जो पददलित और मेहनतकश जनता की सहायता करने का दावा करती है। वास्तव में यह तो मिल मालिकों, और इजारेदारों की हिमायती है और मेहनतकश मजदूरों को दमन करती है।

हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इन्टक कार्यालय में हुई राष्ट्रीय मजदूर संघ के सक्रिय सदस्यों द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस (आई) के भी कुछ विधायक मोजूद थे। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि मजदूरों को हड़ताल के विरुद्ध भड़काएं और मराठी में कहा 'ठोसा को ठोसा' जिसका अर्थ है मुक्के के बदले मुक्का, आंखों के बदले आंखें। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री किसकी आंखें निकालना चाहते हैं और किसके विरुद्ध वे इकट्ठा होने की बात कहते हैं? मजदूरों के विरुद्ध और किसके लिए? उन्हीं मिल मालिकों के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लारेंस, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछें।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं पूछना चाहता हूं : इस हड़ताल से उत्पादन का और मजदूरों के वेतन का कितना नुकसान हुआ है।

अब तक केन्द्रीय सरकार को उत्पादनशुल्क में कितनी हानि हुई है?

इस हड़ताल की वजह से कच्ची कपास के भावों पर पड़े असर के कारण किसानों को कितनी हानि हुई है?

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए जल्द कदम उठायेगी?

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कुछ शर्तों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है। क्या सरकार इतने दिनों तक सोती रही है क्या यह, उनके लिए प्रतिष्ठा का मामला नहीं था? अगर ऐसा न होता तो वह कभी भी नहीं कहते :—

> "एक बार स्थिति सामान्य होने पर उनकी सभी जायज मांगों पर विचार करने के लिए जल्द कदम उठाये जायेंगे।"

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि काफी संख्या में मजदूर काम पर लौट आये हैं, 'काफी मजदूरों' की संख्या कितनी है? केवल 6 या 7 प्रतिशत मजदूर काम पर वापिस लौटे हैं। फिर भी मिलें नहीं चल रही हैं। काफी संख्या में मजदूर हड़ताल जारी रखे हुए हैं, हालांकि सी० आर० पी०, राज्य की पुलिस, मिल मालिकों और तथाकथित मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मिल मजदूर सभी के गुण्डों द्वारा उनको डराया-धमकाया जा रहा है।

वक्तव्य में समिति गठित करने के बारे में बताया गया है जो (1) बदली मजदूरों (2) कामगारों की मकान किराया भत्ता की मांग (3) कामगारों की यात्रा भत्ता की मांग सम्बन्धी समस्या पर विचार करेगी।

समिति इन मामलों पर दो माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। जब तक मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के मिलने तक सभी कामगारों को तदर्थ 30 रु० मासिक के हिसाब से

भुगतान किया जाएगा। जिसका बाद में समायोजन कर लिया जाएगा।

30 रु० बहुत थोड़ी राशि है। मजदूर सरकार या मिल मालिकों से भीख नहीं मांग रहे हैं। वे मेहनत करते हैं। वे अपना पसीना बहाते हैं। वे अपना खून देकर, की गई मेहनत का वेतन पाते हैं, क्या सरकार उनको अन्तरिम सहायता देने को तैयार है? उत्पीड़न के बारे में यह कहा गया है:

> "उन कामगारों जिन्होंने धमकाने सम्बन्धी और हिंसात्मक कार्य में भाग लिया है या जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं को छोड़कर किसी भी कामगार को जो काम पर लौट आता है। हड़ताल में शामिल होने या भाग लेने के लिए दण्ड नहीं दिया जाएगा। यह काफी लचीला है। नौकरशाहों, मिल मालिकों पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा मजदूरों को दण्ड देने के लिए इसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती है।"

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह वेतन ढांचे में बोनस समझौते में संशोधन करके मामले को हल करने के लिए ईमानदारी से कदम उठाए और अन्तरिम सहायता देने के लिए शीघ्र उपाय करे।

श्री भागवत झा आज़ाद: हमने इस वक्तव्य में किए जा सकने वाले सभी प्रावधानों के बारे में बता दिया है। हमने मजदूरों के लिए काफी कुछ किया है। हमने उनको जितना दे सकते थे, दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां जो चर्चा हो रही है, उसके बावजूद वे काम पर लौट आयेंगे। अगर श्री लारेंस जैसे मित्र इस तरह का गलत बयान दे सकते हैं कि मुख्य मंत्री ने यह कहा है मुक्के के बदले मुक्का, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, तो मैं तो केवल यही कहूंगा कि वह इन्हीं कल्पित कहानियों के बल पर फलते-फूलते हैं। हम कभी भी इन कल्पित बातों पर विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि मजदूरों को सहायता दी जाय। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जैसाकि विवरण से भी स्पष्ट है। हमने यह कभी नहीं कहा कि तीस रु० की राशि काफी है या यह तदर्थ वेतन के रूप में है। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि यह सिर्फ तभी तक है। जब तक कि दो माह के भीतर रिपोर्ट नहीं मिल जाती। समिति में मजदूरों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता समिति की सिफारिशें जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक यह 30 रुपये की राशि तदर्थ रूप से अदा की जाएगी। यह राशि सरकार द्वारा अभी दी जा रही है।

जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है हमने कहा है कि मजदूरी में तदर्थ रूप से वृद्धि करने के प्रश्न को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए जिस पर समिति द्वारा थोड़े विस्तार से विचार किया जा सकता है जिसे छः महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

श्री लारेंस के वक्तव्य से एक बार फिर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस देश के मजदूर संघ मजदूरों या कामगारों के हितैषी नहीं हैं बल्कि वे राजनीतिक संघ हैं जो सरकार के खिलाफ कार्य करते हैं। श्रीमान्, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता यह सरकार सदैव श्रमिकों के हित के लिए है और इसका पर्याप्त प्रमाण भी दिया गया है। श्रमिकों को सरकार पर भरोसा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी चुप रहें। आपको भी सहनशील होना चाहिए। हर मामले के दो पहलू होते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दें। आप उन्हें जवाब देने दें।

श्री भागवत झा आजाद : एक तरफ जहां कुछ माननीय सदस्यों ने गलत आरोप लगाए हैं और सारे विश्व का दौरा किया है, जिसमें मजदूर विश्व भी शामिल है वहां मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में इस देश के श्रमिकों का पूर्ण विश्वास है। अगर आप पिछले दो वर्षों के औद्योगिक उत्पादन को देखें तो पायेंगे कि यह (—) 1.4 प्रतिशत था, अब बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है। 1300 लाख टन का कृषि उत्पादन हुआ है। यह सब मजदूर यूनियन नेताओं या राजनैतिक नेताओं द्वारा बिना श्रमिकों के सहयोग से नहीं प्राप्त किया जा सकता था।

उत्पादन में वृद्धि यह सिद्ध करती है कि सरकार में श्रमिकों की पूरी आस्था है और हमें उनसे प्यार है। कुछ सदस्यों ने मजदूर यूनियनों के बारे में चर्चा की है, परन्तु वे राजनीतिक यूनियनें हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उतर पूर्व) : बम्बई में आर० एम० एस० बहुत बदनाम है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन्, प्रत्येक मुद्दा एक राजनैतिक मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, प्रत्येक मुद्दा एक राजनैतिक मुद्दा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपका विनिर्णय भी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह मजदूर यूनियन बम्बई में इतनी बदनाम है कि वह कपड़ा क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकती। वह इसके बारे में नहीं जानते हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय शास्त्री जी बड़े गौरव और बड़ी शान के साथ फरमा रहे थे कि इस हड़ताल को 173 दिन हो गये हैं जैसे मजदूरों और देश के लिए वे बड़ा अच्छा काम करा रहे है।

मान्यवर, हमारा देश गरीब है और गरीबों की जो स्थिति है, मजदूरों की जो स्थिति है, वह मैं समझता हूं, यह सदन और यह देश पूरी अच्छी तरह से जानता है। हकीकत यह है कि जो लोग इस हड़ताल को चलवा रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मजदूरों के हितों से दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल तथाकथित नेता अपनी नेतागिरी को कायम रखने के लिए मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे मजदूरों का और देश का, दोनों का ही नुकसान हो रहा है। 4 करोड़ रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है और करीब 600,650 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है

और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का जो निर्यात होने वाला था, वह भी रुक गया है। बम्बई में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसका असर बम्बई में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। मैं यह मानता हूं कि मजदूरों की समस्याएं हैं और समस्याएं हो सकती हैं। उन पर विचार करना चाहिए और उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए।

मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और माननीय श्रम मंत्री झा साहब ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की है। उसके सामने मजदूरों के लिए कार्यक्रम हैं और वह अपनी रिपोर्ट भी देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर मजदूरों की समस्याओं को हल किया जाएगा। हमारी सरकार और हमारे नेता चाहते हैं कि मजदूरों की समस्याओं को सुना जाए, उन्हें देखा जाए। लेकिन यह सब काम कानूनी तरीके से और कानूनी दायरे में होना चाहिए। बहुत से मजदूर काम पर आ रहे हैं लेकिन दत्ता सामंत के लोग उनको काम पर आने से रोकते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लिया जाए और उन्हें दूर करने के उपाय किए जाएं। लेकिन जिस गुण्डागर्दी से लोग मजदूरों को डराते हैं, धमकाते हैं, उस गुण्डागर्दी के सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिए और किसी कीमत पर भी नहीं झुकना चाहिए।

इस हड़ताल से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। उसको मद्दे नजर रखते हुए सरकार को कुछ फैसले लेने चाहिए, कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि यह स्थिति समाप्त हो। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक जो कार्यवाही की गयी है उससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी दरियादिल है स्वयं मुख्य मंत्री ने दिल्ली आ करके इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय नेताओं से बातचीत की है और प्रधान मंत्री जी से भी बात की है। यह हड़ताल समाप्त होनी चाहिए। (व्यवधान)

अब मैं अन्तिम शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हड़ताल चल रही है, और जो मजदूर काम पर आना चाहते हैं, सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए। काम पर आने वाले लोगों को कोई परेशान न करे, इसके लिए सरकार को सही व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार के नेता और भाड़े के आदमी उनको परेशान करते हैं और उनको काम पर नहीं आने देते हैं।

इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भागवत झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आशा की किरण लगी। शैलानी ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कि बात को समझा। इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो सही स्थिति को समझते हैं और उसके लिए किये गये उपायों को रचनात्मक दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि मीनाक्षी नजर आती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। श्री शैलानी ने कभी भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा। वह किस के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। वह जवाब क्यों दें?

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आपसी सद्भाव।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं?

श्री भागवत झा आजाद : आपने उनके प्रश्न को नहीं समझा है, मैंने समझा है और उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने यह प्रश्न किया है कि क्या गुण्डागर्दी और जोरजबर्दस्ती से किये गये काम का आप समर्थन करेंगे ? मैं जवाब दे रहा हूं कि नहीं करेंगे। गुण्डागर्दी की जाएगी या जोर-जबर्दस्तीकरके किसी को भड़काया जाएगा तो उसका समर्थन सरकार नहीं करेगी।

दूसरे उन्होंने पूछा कि जो जो घोषणाएं हमने की हैं, क्या उन पर अमल होगा ? मैं कहता हूं उन पर अमल होगा।

आपको ये प्रश्न समझने में दिक्कत हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुझे आशा की किरण नजर आयी। मैं अपने माननीय मित्रों से अपील करता हूं कि वे अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ें और वर्कर्स को न भड़काएं। सरकार मजदूरों के लिए बराबर अच्छे उपाय कर रही है लेकिन इन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि जो कुछ हो वह इन्हीं के जरिये से हो। चाहे कितना भी अच्छा काम हो, वह इनके द्वारा हो। यह अच्छा नहीं है। अच्छा काम तो अच्छा होता है, चाहे मैं कहूं या आप कहें और बुरा काम बुरा होता है, चाहे मैं कहूं या आप। कमेटी बनी है, हमने कुछ निर्णय लिए हैं और जल्द से जल्द कार्यवाही होगी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहता हूं, और किसी से नहीं कहूंगा, कृपा करके आप इन लोगों से अलग हो जाएं जो लाल रंग वाले हैं।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मैंने तो अलग कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी भी आप डा० सुब्रमण्यम स्वामी के नाम की चर्चा करते हैं तो, वह फौरन खड़े हो जाते हैं और बोलने का मौका ढूंढ़ते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : लेकिन वे शलीनता से बोलते हैं, दूसरी तरह नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब आपके नजदीक आते जा रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं नहीं जानता; अगर वे अहिस्ता-अहिस्ता अपने विचारों को बदल कर समाजवादी बनते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे नजदीक आ जायेंगे।

इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं, इन्द्रजीत जी हैं और सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मजदूर काम पर जाएं, जिन बातों को वे कह रहे हैं, उनका निश्चित ही हल निकाला जाएगा, इस बात के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाम्बे में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को इतने दिनों तक स्ट्राइक पर रहना पड़ा है। इसके पीछे क्या बात है यह तो ट्रेड यूनीयन लीडर्स ही जानते होंगे और सरकार जानती होगी, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है और जो थोड़ा कामन सेंस हम लोगों में है, उससे यह लगता है कि टेक्सटाइल मिलों की जो हालत है, जो हालत पूरे देश में चल रही है, जिस स्थिति से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय गुजर रही है, उसमें यह एडवाइजेबल नहीं था कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हड़ताल पर जाते। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार ट्रेड यूनियन लीडर, चाहे वे गुप्ता जी हों, चाहे फर्नाण्डिस साहब हों या कोई भी हों, ऐसी स्थिति में कोई भी मिल मजदूरों को यह सलाह नहीं देता कि वे

हड़ताल पर जाएं और मैं समझता हूं कि उन्होंने सलाह नहीं दी। वहां एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है और ट्रेड यूनियनिज्म को गुण्डाइज्म ने अपने हाथों में ले लिया है और पूरे के पूरे वर्कर्स गुण्डाइज्म के बल पर काम पर जाने से रोक दिए गए हैं।

आज शास्त्री जी जैसे हमारे मित्र या दूसरे मित्र यह मजबूर होकर कह रहे हैं कि हड़ताल चलनी चाहिए, ताकि कहीं वे पीछे न छूट जाएं, इसलिए उनको मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, लेकिन अपने दिल के अन्दर वे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हड़ताल ठीक नहीं थी। हड़ताल को नहीं चलना चाहिए था।

हड़ताल के पीछे कौन से एलीमेंट्स हैं और किस तरह से यह हड़ताल चल रही है, इस बात को आपको सही रूप में बोलना चाहिए। अगर आप लोग सही बोलते, ट्रेड यूनियन लीडर्स सही बोलते तो यह हड़ताल इतने दिनों तक नहीं चलती। आप बताइए कि क्या आज टैक्सटाइल मिल्स की यह हालत है कि वहां पर हड़ताल चल सके ?

श्री रामावतार शास्त्री : हां है।

श्री जैनल बशर : शास्त्री जी यह बात कह सकते हैं, लेकिन गुप्ता जी नहीं कह सकते। हड़ताल का एक समय होता है कि कब हड़ताल होनी चाहिए और हड़ताल से ज्यादा मांगें कब मनवाई जा सकती हैं और कब नहीं।

बहरहाल उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय श्रम मंत्री जी ने कुछ घोषणा यहां की है और वह घोषणा इस हड़ताल को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगी। श्रम मंत्री जी ने केवल वर्कर्स की मांगों को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टोटेलिटी में लिया है। वर्कर्स की क्या मांग है, उनको क्या फायदा पहुंचाया जा सकता है, टेक्सटाइल इण्डस्ट्री किस स्थिति से गुजर रही है—इस सारी बातों के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। बम्बई की जो विशेष समस्या है उसको हल करने के लिए बहुत जल्दी समिति का गठन किया जाएगा और छः महीने का समय दिया है। इससे मैं समझता हूं कि हड़ताली मजदूरों को हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री जी ने टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कामर्स डिपार्टमेंट्स तथा दूसरे डिपार्टमेंस से भी सलाह मश्विरा कर लिया है और उसके बाद उन्होंने यह घोषणा की है कि उनको समझदारी से काम करना चाहिए और हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। आजाद जी जब से श्रम मंत्री बने हैं उनकी बराबर यह कोशिश रही है कि श्रमिक के हित के काम किए जाएं। आज इसके बारे में घोषणा करके उन्होंने दिखा दिया है कि वह मजदूरों के हितैषी हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी समस्यों को वह हल करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो घोषणा उन्होंने की है उसको करने से पहले क्या उन्होने श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों से, उनके रिप्रिजेंटेटिव्ज से बातचीत कर ली है और कर ली है तो किस किस से बात कर ली है और इस बातचीत का क्या असर हुआ है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। मैं पहले कह चुका हूं कि इस प्रकार की घोषणाओं के बावजूद अगर वर्कर काम पर आना चाहते भी हैं तो उनको गुन्डे तत्व रोकते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में भी व्यवस्था की है कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन से ठीक प्रकार से डील किया जाना चाहिए और ऐसा

माहौल बनाया जाना चाहिये जिससे श्रमिकों में डर और भय की भावना न रहे और वे अगर काम पर वापिस आना चाहते हैं तो आ जाएं ? वर्ना जैसा मैंने पहले कहा है लाख घोषणायें आप करें अगर गुन्डाइज्म से निपटने की आप में शक्ति नहीं है और आप उसको कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो वहां हड़ताल समाप्त नहीं हो सकती है। कितनी भी सुविधायें आप दे दें कुछ नहीं होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टेक्सटाइल मिलों की हड़ताल के कारण प्रोडकशन का कितना नुक्सान हुआ है, मिलों को कितना हुआ है और सरकारी खजाने को कितना हुआ है ?

श्री भागवत झा आजाद : जिस बात को मैं ठीक से नहीं कह पा रहा था उसको माननीय सदस्य ने अपने पहले भाग में कह दिया है। हमारे कुछ विरोधी दलों में मित्र बैठे हुए हैं। वे भी नहीं चाहते थे कि यह हड़ताल हो। लेकिन लाचारी में उनको भी अब उनके साथ चलना पड़ रहा है। एक पाइप पाइपर आदमी आया उसने कहा पीछे पीछे चलो और सब के सब पीछे चल पड़ते हैं। "कभी ऐसा भी होता है जमाने की रवानी में कि राहजनों को अमीरे कारवां कहना पड़ता है।" माननीय सदस्य ने श्रम मन्त्री द्वारा बात करने की बात कही है। अगर मैंने अब तक सब से बात नहीं भी की है तो भी काम अच्छा किया है या बुरा किया है, यह आपको देखना चाहिये। अच्छा काम मैंने किया है, बुरा तो नहीं किया है। श्रमिकों के काम पर आने के लिए अगर मैंने अखिल भारतीय स्तर पर कमेटी बनाई जिसमें सैंट्रल ट्रेड यूनियंज के लोग भी रहेंगे और वह छः महीने में या दो महीने में रिपोर्ट दे देती है और अगर हमने यह काम उनकी भलाई के लिए किया है और अगर नहीं पूछा है तो यह कोई गुस्ताखी तो नहीं की है। काम तो गलत नहीं किया है।

आपने पूछा है कि कितना घाटा हुआ है। एक मित्र ने कहा छः करोड़ होगा या साढ़े छः हजार करोड़ होगा। अब आप दिमाग की उड़ान को देखिये। किसी ने कहा ढाई सौ करोड़ होगा। कितने करोड़ का हुआ है यह तो वास्तव में कामर्स मिनिस्टरी ही बता सकती है। किसी वक्त पूछेंगे और बता देंगे। घाटा हुआ है इसको ब्यान में भी मैंने स्वीकार किया है। अपनी तरफ से एक अच्छा उपाय निकालने की मैंने कोशिश की है ताकि श्रमिक बन्धुओं को काम पर आने की सुविधा हो और वे आ जाएं।

कमेटी का जहां तक सवाल है उसको हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। जल्दी का जो अर्थ है उसी अर्थ में इसको जल्दी बनाएंगे। उससे भी अधिक अर्थों में हम इस समस्या का निपटारा करने की भी कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आन्नद पाठक। आपका काम अब आसान हो गया है, क्योंकि पहले के सारे सदस्य बोल चुके हैं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं उन कपड़ा मजदूरों को जो पिछले छः माह से हड़ताल कर रहे हैं, बधाई देता हूं, मेरे से पहले एक सदस्य ने मजदूरों में गुण्डागीरी का उल्लेख किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर कभी भी गुण्डागीरी में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह राष्ट्रीय मजदूर संघ ही है जो मजदूरों को प्रलोभन देकर, काम पर लौट जाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि वह कैसे कह सकते हैं कि मजदूर गुण्डागीरी में लगे हुये हैं। मुझे मंत्री महोदय द्वारा परिचलित वक्तव्य को पढ़ कर दुखः हुआ है, जिसमें उन्होंने मजदूर विरोधी

नीति का समर्थन किया है। वे मजदूरों को कुछ राशि देकर, काम पर जाने के लिए बरगला रहे हैं।

सरकार उन मालिकों का समर्थन करने के बजाय जो कि थोड़ा सी राशि देकर मजदूरों को काम पर लौट जाने का प्रलोभन दे रहे हैं, सीधे ही सभी मजदूर नेताओं से गोल-मेज वार्त्ता कर इस समस्या को बातचीत द्वारा हल करने के लिये आगे क्यों नहीं आती ? ऐसा करने की बजाय, वह मालिकों का पक्ष ले रही है। इसके अलावा, मजदूरों ने यह हड़ताल कुछ मूलभूत मामले को लेकर की है। मजदूर अपने सामूहिक-सौदेबाजी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनका हड़ताल करने का अधिकार है। फिर वेतन संशोधन, बोनस और उनकी कार्य-शर्तों में सुधार की मांग है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं।

महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि वह कामगारों की मांग के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यदि ऐसी बात है तो आप कामगारों के सभी प्रतिनिधियों को गोल-मेज कान्फ्रेन्स के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं ? इसके बजाय, उन्होंने कामगारों से ही केवल अपने काम पर वापिस जाने के लिए कहा है। आप केवल तभी एक समिति बनायेंगे जबकि वे अपने कार्य पर वापिस चले जायेंगे। यह सब तभी किया जा सकता है जब कि स्थिति सामान्य हो जाए। कम से कम आप हड़ताली कामगारों के सभी नेताओं को बुलाकर उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श तो करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न रखिये।

श्री आनन्द पाठक : मेरा यह कहना है कि वे केवल कामगारों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें अपने काम पर वापिस जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कामगार भविष्य निधि के अग्रिम की मांग कर रहे हैं जो कि भविष्य निधि योजना के अधीन दिया जाता है। उन मिलों और उपक्रमों के सभी कामगार इस प्रकार के अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि साठ दिन से अधिक समय तक बन्द रहती हैं। वे यह अग्रिम ले सकते हैं। वे कामगारों को इस अग्रिम के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं।

मंत्री महोदय पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि समझौता 31 दिसम्बर, 1984 तक वैध है। परन्तु महोदय, इसी दौरान स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ है। जीवनयापन मूल्य में वृद्धि हुई है और कीमतों में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। कामगारों को समझौते के पुनरीक्षण के लिए मांग करने का पूरा अधिकार है। मंत्री महोदय का कहना है कि पहले का जो समझौता है वह 31 दिसम्बर, 1984 तक वैध है। महोदय, सरकार ने यह भी बताया है कि वे इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं। मुझे वक्तव्य में उसकी कोई उल्लेख नहीं मिला है और मंत्री महोदय ने भी सदन में दिए गए अपने भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। और फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेगी। यदि यही बात है तो फिर वे हड़ताली कामगारों के नेताओं को बुलाकर आमने-सामने बैठकर विवाद को हल क्यों नहीं कर लेते हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को पहल करके आर० एम० एम० एस० को छोड़कर जो कि हड़ताल का विरोध कर रहा है सभी मजदूर-संघों को बुलाना चाहिये और एक अनुकूल वातावरण में मामले पर विचार करना चाहिये। उसके बाद सरकार त्रि-दलीय बैठक बुलाए और सभी समस्याओं पर विचार करके उनकी सभी उचित मांगों को स्वीकार कर ले। उसके बाद उस

समिति का गठन किया जाए,—जिसके बारे में सरकार सोच रही है—जो इस पर विस्तार से विचार कर सके इस प्रकार समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सभी सुझावों के अनुकूल कार्य करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं उनके पूरे भाषणों के दौरान तीन रुख देखने में आए हैं। उन्होंने जिस एक शब्द का चुनाव किया है वह यह कि हमारी सरकार मजदूर विरोधी है, हम श्रमिकों को फूट पैदा करना चाहते हैं, उनका दमन करना और उनको तंग करना चाहते हैं आदि। ये सब चुने हुए शब्द हैं। इन सभी चुने हुए शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि जनवरी, 1982 से सरकार के विरुद्ध बोलने की एक संगठित नीति सी बन गई। महोदय, जब हम उत्पादकता परिषद् की बैठक बुलाते हैं तो वे उसमें आते नहीं हैं, जबकि उनका कहना है कि वे उत्पादन में सहायता करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि उन्होंने केवल एक मांग की है, अर्थात आप सभी श्रमिक संघों को बुलाइये और उसके बाद फैसला कीजिए।

महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कामगारों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो उनके सामूहिक सौदे में और नहीं उनके प्रतिनिधि चुनने के मामले में। कुछ सदस्यों ने कहा है कि आर० एम० एम० एस० का कोई प्रतिनिधिक स्वरूप नहीं है। ठीक है। ऐसा कहने के लिए उन सभी का स्वागत है। और फिर बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन इस बात का पर्याप्त प्रावधान है कि जिसको कामगार चाहें अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं। वे पहले अपने प्रतिनिधि चुन लें तो मैं चुने हुए प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाऊंगा। मुझे उनसे बातचीत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। परन्तु अनेकानेक तथाकथित श्रमिक संघों के संगुटीकरण को मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं है अथवा दत्ता सामन्त को मानते हैं तो महोदय, मैं उन्हें बुलाने की स्थिति में नहीं हूं। उनकी एकमात्र मांग यह है कि मुझे उन्हें बुलाना चाहिये और उनसे बात करनी चाहिए फिर जो कुछ मैंने कहा है वही सही मान लिया जायेगा।

महोदय, मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि मैं कामगारों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुन लेने दीजिए और फिर मैं उनसे बात करूंगा। महोदय, श्रीमान पाठक जी मुझसे ठोस कदमों के बारे में जानना चाहते थे। महोदय इस वक्तव्य में एक के बाद एक ठोस कदमों को गिनाया गया है। सबसे बड़ा ठोस कदम यह है कि कामगारों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और सरकार की एक त्रिदलीय अखिल भारतीय समिति बनाई जाए जो कि देश भर में सूती वस्त्र से सम्बन्धित मामलों को सुलझाएं और विशेषकर बम्बई के मामलों को। क्या यह ठोस कदम नहीं है? ठीक है महोदय, मैं तथ्य और आंकड़े दे सकता हूं। मैं समझ बूझ तो दे नहीं सकता हूं। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ श्रमिक संघ अभी भी अपना पुराना ही राग अलाप रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं। मुझे आशा है कि वे अभी भी मेरे वक्तव्य को ध्यान से देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। मुझे आशा है कि वे कामगारों को अपने काम पर लौटने की सलाह देंगे। मैं कामगारों से अपील करता हूं कि वे अपने काम पर लौट आएं और इस समिति को अपना काम करने दें। मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिसे भी वे चुने और जो कुछ भी वे कहना चाहें इस समिति में कहें। उन्हें अपनी स्वयं की मांगें इस

समिति के समक्ष रखनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं के हित में, उद्योग के हित में, देश के हित में वे काम पर वापिस आयेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए ? उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह स्पष्टीकरण आपसे चाहिए। पिछले 45 मिनट से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप तो एक पुराने श्रमिक संघी नेता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर वह मुझ से अधिक जानते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। क्योंकि, निस्सन्देह हर कोई समझौता चाहता है, उन्होंने इस समिति का प्रस्ताव रखा है और उनका कहना है कि दो मास के भीतर-भीतर वह बम्बई के मामले पर विचार करेंगी और अपना फैसला देगी। परन्तु यह तो एक त्रिपक्षीय समिति है जिसमें मिल-मालिक और संघ भी सम्मिलित होंगे। सरकार भी होगी। इतना तो आप जानते हैं। इस प्रकार की समिति में यदि स्वीकृत, सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचना सम्भव नहीं है, जिसकी कि पूर्ण सम्भावना है तो फिर क्या होगा ? उन्होंने किसी प्रकार सुझाव नहीं दिया है। इस प्रकार के मामले में क्या होगा ? मान लो वे एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब विधान सम्बन्धी कार्य होगा। श्री सिंह देव। मैंने उन्हें श्री आर० वेंकटरामन की ओर से अनुमति दी है।

छावनी (संशोधन) विधेयक

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं श्री आर० वेंकटरामन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मेरे विचार में वाणिज्य मंत्री वक्तव्य देना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। सभा 2.25 बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 25 मिनट म० प०

तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 28 मिनट पर पुन समवेत हुई
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

सभा का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह एक वक्तव्य देंगे।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 12 जुलाई, 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित पर विचार तथा उन्हें पारित करना :

(क) लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982

(ख) लोह अयस्क तथा मैंगनीज अस्यक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(ग) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982

(घ) संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1981, मंगलवार, 13 जुलाई, 1982 को।

(ङ) संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1982

(च) चायरमुख-शिलघाट रेल लाइन और काटाखल-लाल बाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1981

(छ) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1981

(ज) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(झ) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक, 1982

(ञ) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 9-7-82 की पुनरीक्षित कार्य सूची के मद संख्या 6 में निम्नलिखित विषयों को 12 जुलाई 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में विचारार्थ जोड़ने का अनुरोध करता हूं :

(1) मानसून के आने में विलम्ब के कारण देश के बड़े भाग में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार, यू० पी०, राजस्थान एवं अन्य कई राज्यों में तो अकाल के बादल मंडराने लगे हैं।

धान का बिचड़ा खेतों में वर्षा के अभाव में जल गया है तथा मकई के पौधे भी सूख गये हैं।

किसानों के पास जो अनाज एवं पूंजी थी उसे उन्होंने बिचड़ा एवं मकई बोने के समय लगा दिया है। अब दोनों फसलों के मारे जाने की संभावना ने किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा कर दी है।

अकाल की स्थिति ने देश के करोड़ों खेत मजदूरों के सामने मौत का दृश्य खड़ा कर दिया है।

सुखाड़ के कारण उत्पन्न अकाल की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए बड़े पैमाने पर चौतरफा राहत कार्य की योजना अविलम्ब बनाने तथा इसे कार्यान्वित करने का समय आ गया है।

अतः इस विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ रखा जाए।

(2) पूरे देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति घोर उपेक्षा एवं उदासीनता बरती जा रही है।

विकास कार्य ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार एवं भूमि सुधार आदि कार्य ठप्प पड़े हैं। बिहार राज्य में तो यह कार्यक्रम केवल कागज पर है।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो कोष का आवंटन किया गया है उसके बड़े भाग का गलत इस्तेमाल हो रहा है तथा कुल निहित स्वार्थ के लोग इस कोष को हड़प रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए जो समितियां गठित की गई हैं उसमें ऐसे लोगों को रखा गया है जिनको इस कार्यक्रम से कोई दिलचस्पी नहीं है तथा जो जमीदारों एवं निहित स्वार्थों तथा शासक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विरोधी पार्टियों को कार्यान्वयन समिति से अलग रखा गया है तथा जनता का सहयोग लेने की कोई रुचि भी प्रदर्शित नहीं की जा रही है।

अतः 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के उपायों पर विचार करने तथा इसे सफल बनाने के विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में विचारार्थ रखा जाय।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, मैं चाहती हूं कि निम्नलिखित दो मदों को चर्चा हेतु अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

एक है, दहेज सम्बन्धी हत्याएं। राजधानी में दहेज सम्बन्धी हत्याओं और आत्महत्याओं में भयानक वृद्धि ने देश को हिला दिया है। देश के अन्य भागों में जहां यह पहले नहीं थी। वहां भी बीमारी की तरह यह फैल रही है। गृह मंत्रालय द्वारा गृहणियों की हुई संदेहास्पद मौतों की जांच करने और खोई हुई महिलाओं को ढूंढ़ निकालने के बारे में जारी किए गए निर्देशों के पालन करने में राज्य और केन्द्रीय सरकारों की असफलता एक गम्भीर मामला है। इन महिलाओं को जीवित जलाए जाने से बचाने के लिए या आत्महत्या करने से रोकने हेतु सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है।

दूसरी यह है, चीनी का जमाव। चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। परन्तु फिर भी उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि खुले बाजार में इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। यदि गन्ने का किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है तो गन्ने की खेती कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का उत्पादन घट जाएगा और चीनी उद्योग में संकट छा जाएगा। इस संकट को टालने के लिए कौन-कौन से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आज के मद संख्या (6) के अन्तर्गत मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय पर चर्चा चाहता हूं :

(1) सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद भी पिछड़ों, हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। एक ओर जहां बिहार में हरिजनों को नक्सलाइट के नाम पर गोली से उड़ाया जा रहा है वहीं उत्तर प्रदेश में इन समुदायों के लोगों को झूठे मुठभेड़ के नाम पर उड़ाया जा रहा है। साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई है। ताजा बिहार में फुलवारी शरीफ और मुंगेर इसका उदाहरण है। आज भारतवर्ष में अल्पसंख्यक भय की जिन्दगी जी रहे हैं और त्रस्त हैं। सरकार द्वारा हरिजनों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कई आयोग गठित किए जाते रहे हैं और उन आयोगों द्वारा रिपोर्ट भी सरकार को पेश की जाती रही है लेकिन उस पर सदन में बहस नहीं हो पाती है। अतः अगले सप्ताह मण्डल आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट तथा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पर बहस कराई जाए।

(2) दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लाचार होकर इस्तीफा देना पड़ा। मैं बिहार से आता हूं और छोटा नागपुर, खासकर रांची में आदिवासियों के शोषण से परिचित हूं। यदि आदिवासियों के पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी दुर्दशा में सुधार होगा।

इसलिए चुस्त एवं प्रभावकारी प्रशासन तथा जनसाधारण के विकास के दृष्टिकोण से मेरी मांग है कि बड़े राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अगले सप्ताह सदन में चर्चा हो।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि 12 जुलाई, 1982 को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए विवरण में निम्नलिखित विषय को अनुपूरक के रूप में रखने की अनुमति दें।

(1) पिछले लगातार तीन वर्षों से पश्चिमी बंगाल राज्य में कम वर्षा होने के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तथा वे गरीब लोगों की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। चूंकि खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई सुरक्षित भण्डार नहीं है इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस वर्ष व्यापक सूखा की स्थिति का सामना करने के लिए पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों की भारी मात्रा जारी की जानी चाहिए।

(2) पश्चिमी बंगाल में सीमेंट की भारी कमी होने के कारण विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। केन्द्र को पश्चिमी बंगाल को अधिक सीमेन्ट उपलब्ध कराना चाहिए।

श्री अशोक गहतोल (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह संसद में आने वाली कार्य सूची में निम्न दो विषय सम्मिलित करवाने का निवेदन करता हूं।

(1) कोटा स्थिति राजस्थान अणु बिजलीघर की दोनों इकाइयों के करीब एक वर्ष से बंद पड़े रहने व पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण राणा प्रताप सागर, गांधी सागर व जवाहर सागर में पानी की कमी हो जाने से राजस्थान प्रदेश में बिजली उत्पादन का कार्य सम्पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। मध्यम उद्योगों, व कृषि उद्योगों आटे पीसने की चक्कियों इत्यादि पर भयंकर प्रभाव पड़ने से बेरोजगारी फैल रही है एवं इस कारण राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में राजस्थान अणु बिजलीघर के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुए विद्युत संकट पर चर्चा की जानी चाहिए।

(2) देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में करीब 80 न्यायाधीशों व अतिरिक्त न्यायाधीशों की जगह खाली है एवं उच्चतम न्यायालय में करीब दो न्यायाधीशों की नियुक्ति होना विचाराधीन है। इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय में भी स्थायी न्यायाधीशों व चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की जगह खाली पड़ी हैं जबकि दूसरी तरफ देश के विभिन्न हाई कोर्टस में कुल 7,79,192 मुकदमें बकाया (पैंडिंग) हैं एवं इसमें से एक वर्ष से अधिक अवधि वाले 5,19,935 मुकदमें बकाया हैं। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट के 32,203 मुकदमें व इसी हाई कोर्ट में एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाया 19,888 केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े भी चौकाने वाले हैं। वहां 31 दिसम्बर, 1981 तक रेगुलर सुने जाने वाले बकाया केस की संख्या 22,664 है जिसमें से एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया पड़े मुकदमों की संख्या 16,789 सम्मिलित है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगे एडमिशन व (मिसलेनियस) मुकदमों की संख्या मिला दें तो दिसम्बर, 1981 तक 60,260 हो जाएगी। जब तक विभिन्न कोर्टों में जजों की संख्या बढ़ाकर एवं मुकदमों को

निपटाने हेतु नयी प्रणाली बनाने की कार्यवाही नहीं होगी तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास शनैः शनैः समाप्त हो जाएगा।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस विषय को भी अगले सप्ताह संसद में चर्चा हेतु रखें।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने हेतु प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

(1) कन्ट्रोलर डिफेंस एकाउन्ट्स कार्यालय, पटना

सी० डी० ए० पटना अंग्रेजी राज के समय से ही भारतीय सेना के जवानों की सेवा करता आ रहा है। इसके पटना कार्यालय में करीब डेढ़ हजार कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसका कार्य बराबर सुचारू रूप से चलता आ रहा है। परन्तु दुख है कि यह कार्यालय इस विभाग के कुछ उच्चाधिकारों की आंख का किरकिरी बना हुआ है।

पटना स्थित इस कार्यालय को वहां से हटाकर गोहाटी ले जाने का षड्यंत्र बहुत पहले से किया जा रहा है। सन् 1967-68 में तो लगता था कि इसे समाप्त कर दिया जाएगा। परन्तु वहां के कर्मचारियों के एकताबद्ध आन्दोलन, सांसद के प्रयास तथा आम लोगों के विरोध के फलस्वरूप पटना कार्यालय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सका और सरकार को इसे गोहाटी ले जाने में सफलता नहीं मिल सकी।

इधर पिछले कुछ महीनों से सरकार की ओर से पुनः प्रयास चल रहा है कि सी० डी० ए० कार्यालय पटना को गोहाटी ले जाया जाये। सरकार के जन-विरोधी इस निर्णय के विरूद्ध वहां के कर्मचारी चट्टानी एकता बनाकर पिछले दो महीनों से शांतिपूर्ण आन्दोलन चला रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि पटना कार्यालय को किसी प्रकार से समाप्त नहीं किया जाए और सरकार इसे गोहाटी ले जाने के अपने निर्णय को रद्द कर दे। उनका यह भी कहना है कि पटना कार्यालय को डिस्टर्ब किए बिना अगर सरकार गोहाटी में भी इस प्रकार का कोई कार्यालय खोलना चाहे तो जरूर खोले, कर्मचारी उसका विरोध नहीं समर्थन करेंगे।

पटना स्थित कन्ट्रोलर डिफेंस एकाउन्ट्स कार्यालय के कर्मचारियों की उक्त मांगों को सर्वथा उचित बतलाते हुए पन्द्रह विभिन्न दलों के संसद् सदस्यों तथा 30 बिहार विधान सभा के सदस्यों ने वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री को संयुक्त पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि सरकार पटना कार्यालय को गोहाटी ले जाने के निर्णय को बराबर के लिए रद्द कर दे ताकि कर्मचारियों एवं आम जनता का रोष और असंतोष समाप्त हो सके। बिहार के समाचार पत्रों ने भी सरकार से ऐसी ही मांग की है।

आशा है, वित्त मंत्री कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों समाचार पत्रों और आम जनता की भावनाओं को देखते हुए सी० डी० ए० के पटना कार्यालय को गोहाटी ले जाने का निर्णय रद्द करने सम्बन्धी एक वक्तव्य सदन के सम्मुख उपस्थित करेंगे।

(2) बिहार में विश्वविद्यालयों एवं कालेज शिक्षकों की हड़ताल

बिहार में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के 16 हजार शिक्षक पिछले करीब तीन महीनों से अपनी 31 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल 12 अप्रैल को शुरू हुई थी जिसके कारण शिक्षण संस्थाओं का सारा कार्य ठप्प है और छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

करीब 16 सौ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जेलों में बन्द किए गए, उन पर बर्बरता के साथ लाठियां, बरसायी गई, उन्हें जेलों में यातनायें दी गई। फिर भी उनका आन्दोलन जारी है। परन्तु दुख है कि उनकी संघर्ष समिति के सारे प्रयासों के बावजूद समझौता नहीं हो सका है।

शिक्षा कंकरेंट सूची में है। अतः भारत सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षकों की मांगो पर विचार कर समझौते का रास्ता निकालें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी शिक्षकों के वेतनमान तथा दूसरे प्रश्नों से सम्बन्ध है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में शीघ्र हस्तक्षेप कर विवाद को समाप्त करवाना चाहिएं। प्रधान मंत्री को भी इधर ध्यान देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय जो कुछ लिखा है उसको पढ़ने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कभी-कभी सम्पादन का कार्य आवश्यक हो जाता है लेकिन सम्पादन करने से पूर्व सदस्य से सलाह भी लेनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम्पादन करने के पश्चात् कोई चीज उनको दे दी जाये। उस पर आपत्ति के रूप में उसके उच्चारण मैं यह पढ़ रहा हूं तथा मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह के कार्य में इन दो मदों को भी लिया जाये:—

(1) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन छः राष्ट्रीयकृत जूट मिलों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध कार्य करता है। कारपोरेशन (एन० जे० एम० सी०) की कामगारों तथा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये ही नहीं बल्कि जूट तथा जूट की वस्तुओं का उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि समग्र जूट उद्योग के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके, जो कि इस समय जूट के मालिकों के एकाधिकार में है, लेकिन एन० जे० एम० सी० के प्रबन्धक न केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्र के मिलों में प्रचलित विभिन्न श्रमिक-विरोधी कार्यों में ही संलग्न हैं बल्कि कर्मचारियों को सायंकाल को चार घण्टे तक काम न देकर जूट मालिकों के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं और इस प्रकार निजी क्षेत्र के मिलों की भांती कामगारों को पूरे वेतन से वंचित करते हैं जो एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिये उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद एककों के कार्य-निष्पादन के स्तर में समुचित व्यवस्था के अभाव में पर्याप्त गिरावट आयी है। कर्मचारियों द्वारा किये गये सहयोग के सभी प्रयासों की उपेक्षा की गई है, तथा दूसरी ओर उनके अधिकारों को छीन लिया गया है। यह आवश्यक है कि एन० जे० एम० सी० के कार्य के बारे में सदन में यथाशीघ्र चर्चा की जाये।

(2) कलकत्ता में आर्डनेन्स डिपो अठारहवीं शताब्दी से कार्य कर रहा है। इसने प्रारम्भ से ही बड़ी सेवायें प्रदान की हैं। कर्मचारियों तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के विरोध करने के बावजूद सरकार इसको बन्द करने की धमकी दे रही है। यदि यह बन्द किया जाता है तो इससे न केवल रक्षा सेवाओं के हित को ही हानि पहुंचेगी बल्कि इससे बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी। सरकार को कलकत्ता में डिपो को जारी रखने के निर्णय की तुरन्त ही घोषणा करनी चाहिये तथा इस विषय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही में इन दो सवालों को जोड़ा जाए, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करने खड़ा हुआ हूं।

पहला तो यह है कि साम्प्रदायिक दंगे जो राष्ट्र में हुए हैं, उन्होंने राष्ट्र को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अब तो दंगे मां-बेटी, बहन-भाई और पति-पत्नी के बीच में आ गये हैं जैसे कि पंजाब में। पंजाब और हरियाणा भी इसकी लपेट में आ रहे हैं, जिससे देश की अखंडता और स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया है। इसकी चर्चा सदन में अगले सप्ताह में होना जरूरी है, जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके। मैं यह चाहूंगा कि इसको बहुत इम्पोर्टेन्ट और बहुत जरूरी समझ कर अगले सप्ताह लिया जाये।

दूसरा मंडल कमीशन के बारे में है, जिसके लिए मुझे धरना भी देना पड़ा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो सदन में रखी गई है, उस पर तुरन्त चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्र की 60 से 80 फीसदी जनता की आंखें इधर लगी हुई हैं और अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर अच्छी तरह से बहस करके इसको लागू किया जाए, तो बहुत सी समस्याएं राष्ट्र की हल हो जाएंगी।

ये दो बातें हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में लिया जाए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों के लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसको मैं कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : यह तो तुम्हारा वादा था, भीष्म नारायण सिंह जी।

नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री बी० शंकरानन्द द्वारा 8 जुलाई, 1982 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे अर्थात् :—

> "कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० सरदीश राय जी, आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें। मैं यह चाहता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेने से पूर्व विधेयक को पास किया जाये। अतः मैं माननीय सदस्यों से संक्षिप्त में भाषण देने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि यह एक बहुत ही गैर-विवादास्पद विधेयक है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमैंट होना है, वह कब होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसको पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्रधिकार) विधेयक विवादास्पद विधेयक नहीं है। इसका विस्तार केवल संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली तक ही समिति है जहां कि लोगों को कम लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त है। उनको जो भी लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त थे, उनको पिछले दो वर्षों में छीन लिया गया हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि लोकतान्त्रिक अधिकारों को शीघ्र ही बहाल किया जाए। यह विधेयक बम्बई कोरनियल ग्राफ्टिंग एक्ट का स्थान लेगा जो इस अधिनियम के द्वारा 1964 से संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में लागू है। इस अधिनियम—बम्बई कारनियल ग्राफ्टिंग एक्ट के लागू होने के बारे में मंत्री जी के वक्तव्य में कुछ भी नहीं बताया गया है, जो कि पिछले 18 वर्षों से दिल्ली में लागू है।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में दान करने वालों की संख्या अथवा प्राप्त की गई तथा आरोपित की गई आंखों के बारे में, तथा इस प्रकार आरोपित की गई आंखों से निम्न आयु वर्ग के लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में नहीं बताया गया है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा इसके बारे में सदन को बताया जाये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन आंखों को किस प्रकार उपयोग में लाया गया है?

यह विधेयक सराहनीय है। इस विधेयक में कार्नियल ग्राफ्टिंग की व्यवस्था है लेकिन दान किए गए नेत्रों के अनुरक्षण तथा उनके उचित उपयोग के लिए कोई उपाबन्ध नहीं किया गया है। दान किए गए नेत्रों के दुर्पयोग को रोकने के उपायों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह एक प्रशंसनीय विधेयक है। दान किए गए नेत्रों के परिक्षण के लिए उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध होने चाहिए ताकि उनका उचित उपयोग किया जा सके। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में यह नहीं बताया गया है कि इन नेत्रों के प्राप्तकर्ताओं का किस ढंग से चयन किया जायेगा।

हमारे देश में विशेष रूप से निम्न वर्ग के लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने नेत्रों की रोशनी खो देते हैं। यदि कोर्निया को प्रतिरोपित करके उपयोग में लाया जा सकता है तो इन लोगों को लाभ पहुंचेगा। देश के पश्चिमी भागों में बहुत से लोगों ने अपने नेत्र खो दिए हैं। इस विधेयक से उनको लाभ होगा।

इस अधिनियम को केवल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही लागू होता है। यद्यपि कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे अधिनियम हैं। तथापि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि अधिनियमों के उपाबन्धों को सबसे गरीब वर्गों के लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि वे ही लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। कुपोषण तथा दवाइयों की कमी तथा अच्छे ढंग से इलाज न हो पाने के कारण उन्होंने अपने नेत्रों की रोशनी खो दी है। इस अधिनियम के द्वारा उनको लाभ पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे कृपया यह बतायें कि पिछले 18 वर्षों के दौरान बम्बई कार्नियल ग्राफ्टिंग एक्ट से दिल्ली के लोगों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात अच्छी की है कि अन्धे आदमियों को रोशनी देने के लिए मृत व्यक्तियों की आंखें काम देंगी। हिन्दुस्तान में 94 लाख

अन्धे आदमी हैं। वे आज भी मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कुपोषण के कारण अन्धे हो जाते हैं। आपने इस बिल को लाकर ठीक काम किया है और इसको पास करा कर आप नेत्र-हीनों के लिए काम करेंगे।

लेकिन मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि इसे आपने यूनियन टेरीटरी पर ही क्यों लागू किया है? अगर यह चीज सारे भारत में लागू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने कहा है कि आईज बेंक्स कहां-कहां पर बन सकते हैं, कहां-कहां पर आईज डोनेट हो सकती हैं। दूसरे आपने कहा कि जेल के अन्दर या अस्पताल के अन्दर अगर वहां पर अफसर नहीं हो तो वह किसी को अथोराइज कर सकता है और जिसको वह अथोराइज करेगा, उसके द्वारा आंख का उपयोग किया जा सकता है।

मैं यह सोचता हूं आपने यह बिल 1980 में पेश किया और आज 1982 में इसे पारित कराने के लिए आ रहे हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि आज तक कितने लोगों ने अपने नेत्रदान किए और कितने लोगों के लिए उनका प्रयोग किया गया? आंखें लेने के बाद, उनको आइज-बैंक में रखने के बाद किस तरह से उनका उपयोग करेंगे, इसको कहीं डिफाइंड नहीं किया गया है, कहीं भी इसकी डेफीनेशन नहीं दी गई है।

इस तरह से यह जो बिल आपने पेश किया है, इसकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह बिल सारे देश में लागू होना चाहिए और इस बिल में जो कमियां बताई गई हैं, जैसा कि बताया गया है कि बांबे के अन्दर यह कमियां थीं, इसलिए अमेंडमेंट लाया गया है, अभी भी मैं समझ रहा हूं कि यह बिल पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसलिये जो सुझाव और अमेंडमेंट्स मैंने दिए हैं, उन पर गौर करें। जो मैंने संशोधन दिए हैं, जिन पर मैं संशोधनों के समय बोलूंगा, उनकी तरफ ध्यान देंगे तो उससे आपको लाभ होगा और बिल अच्छा बन सकता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज हमारे सामने विचाराधीन है, इस बिल का मानवीय दृष्टिकोण तो बड़ा उत्तम है और हम लोग इसकी सराहना करते हैं। लेकिन इस बिल को पेश करने में कुछ जल्दी कर दी गई है—ऐसा लगता है या इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है। मानवीय पक्ष अच्छा होते हुए भी भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कोई अंग निकाल देना या अंगभग कर देना बहुत ही बुरा माना जाता है। यदि किसी को चेचक भी निकलती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता, संस्कार में जलाना आवश्यक है। इसलिए मान्यवर मैं समझता हूं कि बिल स्वीकृत करने के पूर्व और बाद में एक सामाजिक वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। इस तरह का इस बिल में उपबन्ध होना चाहिए।

सामाजिक जागृति लाने के बाद हमको यह देखना होगा कि ये जो आंख निकालने वाले डॉक्टर होंगे, ये किस परिस्थिति में आंखें निकालेंगे। कहां ऐसा तो नहीं होगा जैसा कि बिहार की जेलों में हुआ, कहीं उत्पीड़न आदि में आंखें निकाल ली जाती हैं—ऐसा तो नहीं होगा। इन डाक्टरों की योग्यता क्या होगी? इनको कहां तक प्रशिक्षित किया जाएगा और जिस व्यक्ति की आंखें निकाली जाएंगी, उसके स्वास्थ्य की जांच कैसे होगी—क्या क्राइटेरिया होगा, इस पर विचार कराना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से जैसा कि डागा साहब ने कहा है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इसको केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो तो यह बड़ी अच्छी बात होगी, किन्तु इसके लिए पहले हमें बहुत तैयारी करनी होगी।

इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो दुर्घटनाओं में मृतक आते हैं, क्या वहां के डाक्टरों को भी आंखें निकालने की इजाजत दी जाएगी। जिलों में जो शव गृह हैं, वहां भी देखना होगा कि डाक्टरों की योग्यता क्या होनी चाहिए।

आइज-बैंकों में जो आंखें रखी जाएंगी, इसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था है या नहीं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्लड-बैंकों में ब्लड दिया जाता है और उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता है, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसको मान भी लिया जाए कि जो आंखें निकाली जाएंगी उनको ठीक ढंग से रखा जाएगा और उपयुक्त डाक्टर भी निकालने के लिए होंगे तो भी सवाल पैदा होता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों पर इनको लगाया जाएगा? उन पर लगाया जाएगा जिनके पास करोड़ दो करोड़ या दस करोड़ होंगे, जो पैसा खर्च करने के लिए सक्षम होंगे या गरीबों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा जिनके आंखें नहीं है और अन्धेपन के कारण उनको भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है? अच्छे व्यक्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए देश और जनहित में इनका उपयोग होना चाहिए। यह बिल बहुत अच्छा है। इस वास्ते इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय द्वारा नेत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में इस विधेयक का तथा प्रस्तावित संशोधनों का मैं स्वागत करता हूं। 20 मार्च, 1981 को प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तावित एक गैर-सरकारी विधेयक पर बोलते समय मैंने अपने देश में पूर्ण अन्धेपन के सम्बन्ध में कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया था। यह बताया जाता है कि भारत में 90 लाख से 1 करोड़ से अधिक लोग अन्धे हैं, जिनमें से 50 लाख लोग मोतियाबिन्द के कारण अन्धे है। 12 वर्ष की आयु से कम के 12,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष अन्धे हो जाते हैं तथा 21 वर्ष से कम आयु के 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे पौष्टिक भोजन के अभाव में अन्धे हो जाते हैं। आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि मैं इन सब आंकड़ों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उद्देश्यों तथा कारणों के वक्तव्य के पहले वाक्य में यह बताया गया है :—

> "आधुनिक विज्ञान ने यह सम्भव कर दिया है कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग अन्धे व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।"

आधुनिक विज्ञान ने अन्धेपन को विशेषकर बच्चों में रोकने की संभावना का भी पता लगाया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है। विधेयक के खण्ड से यह बताया गया है कि इसका विस्तार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक होगा। यह बात सच है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में यह एक राज्य का विषय है जो इस प्रकार है "सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल तथा औषधालय"। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कुछ अधिक नहीं कर पायेगी। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इसको एक आदर्श विधान बनाया

जाना चाहिए। तथा देश के अन्धे लोगों के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। अकेले दिल्ली में स्कूल जाने वाले लगभग 4,500 बच्चे अन्धे हैं। दिल्ली में 6 लाख से अधिक लोग अन्धे हैं। यह समस्या बहुत ही व्यापक है। अतः केन्द्रीय सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है। इसका विस्तार अन्य संघ राज्य क्षेत्रों तक भी किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इसका अन्य संघ राज्य क्षेत्रों तक भी विस्तार करने में केन्द्रीय सरकार को क्या रुकावट है ?

इसके अलावा "चिकित्सीय उद्देश्य" का क्या तात्पर्य है ? शब्दकोष के अनुसार इसका अर्थ रोगनाशक है। लेकिन क्या इसको केवल रोगनाशक पहलु तक ही सीमित रखा जायेगा ? जैसा कि श्री डागा साहब ने कहा है इसे परिभाषा के खण्ड में स्पष्ट किया जाना चाहिए। हम यह जानना चाहते है कि चिकित्सीय उद्देश्यों को जैसा कि मंत्री महोदय के प्रारम्भिक भाषण में बताया गया है, कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा।

इसके पश्चात् मैं खण्ड 6 को लेता हूं। जिसके द्वारा दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के शरीर से आंखें निकालने का सरकार को अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष 1980 में हमारे देश में हुई दुर्घटनाओं की संख्या का मैंने अध्ययन किया है और मुझे यह मालूम हुआ कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 1,35,900 थी, जिनमें से 20, 230 मारे गये थे। अतः आप इस विधान की उपयोगिता की कल्पना कर सकते हैं।

खण्ड 7 मृतक व्यक्तियों के शरीर से निकाले गये नेत्रों के अनुरक्षण से सम्बन्धित है। क्या आपने कहीं यह बताया है कि एकत्रित किए गए नेत्रों को किस प्रकार वितरित किया जायेगा ? मुझे यह पता है कि नियम बनाने वाले खण्ड में भी इसका जिक्र नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि नेत्रों के न्यायसंगत वितरण के लिए खण्ड 7 का संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाए।

वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया है :

> "अन्धेपन के निवारण के लिए सामान्य बजट अनुदान अतिरिक्त साधनों से पूरा किया जायेगा।"

यह एक चलाकीपूर्ण वाक्य है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर हमने अब तक कितना पैसा खर्च किया है, आवंटित राशि कितनी थी, कितना हमने खर्च किया है और इस अन्धेपन से कितने लोगों को ठीक किया गया है।

श्रीमन् कुल मिलाकर यह एक आदर्श विधान है और सरकार को चाहिए कि वह अन्य राज्यों को भी ऐसे विधान बनाने के लिए कहे। इस तरह, हमारे देश में, कुछ हद तक अन्धेपन को कम किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ······

एक माननीय सदस्य : संशोधन के साथ।

श्री जेवियर अराकल : जी हां, संशोधन के साथ। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल द्रु० मु० क० की ओर से, मैं नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग प्राधिकार) विधेयक, 1980, जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री शंकरानन्द ने पेश किया है, के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

चूंकि बम्बई कारनियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1957 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को विस्तारित रूप मे, कतिपय मामलों में अपर्याप्त पाया गया था, इसलिए यह विधेयक केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दोषपूर्ण और अपर्याप्त बम्बई अधिनियम के सम्बन्ध में कम से कम 18 वर्ष तक काम करने के बाद सरकार ने यह विधायी प्रयत्न किया है। अगर यह बम्बई का अधिनियम दिल्ली के लिए अपर्याप्त था तो निश्चय ही यह महाराष्ट्र के लिए उतना ही अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण है। मुझे हैरानी है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान जब यह अधिनियम बम्बई में लागू था तो कितने अनर्थ हुए होंगे। आखिर दिल्ली और महाराष्ट्र के लोग, इसी राष्ट्र के नागरिक हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे महाराष्ट्र सरकार को आदेश दें कि दिल्ली विधेयक की ही तरह वहां भी इस अधिनियम में संशोधन करें। मैं तो यहां तक कहना चाहूँगा कि इस नये दिल्ली विधेयक को ही महाराष्ट्र अधिनियम के स्थान में लागू किया जाये, क्योंकि उसमें कमियां और वह अपूर्ण है।

यह एक आम बात हो गई है कि एक एम० बी० बी० एस० डाक्टर भी आंखों का आप्रेशन कर लेता है। मोतियाबिन्द के आप्रेशन अनुभवहीन और नवशिक्षित डाक्टरों द्वारा किये जा रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आंखें मानव शरीर का एक नाजुक अंग है और आंखों के इलाज में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा अन्धे व्यक्ति भारत में हैं। कई राज्यों ने अन्धों को ज्योति प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया है। जब तमिलनाडु में द्रा० मु० क० सत्ता में था तो हमारी सरकार ने विश्व विख्यात नेत्र-चिकित्सक डा० वेंकेटासामी की देख-रेख में कई नेत्र-कैम्प लगाए थे। दुर्भाग्यवश आजकल अनुभवहीन डाक्टरों की देख-रेख में नेत्र-कैम्प लगाए जा रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे कड़े निर्देश जारी करें कि नेत्र-कैम्प सिर्फ अनुभवी डाक्टरों की देख-रेख में ही लगाए जाएं।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधेयक में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात् अपनी आंख दान में देना चाहता है तो उसे दो या अधिक साक्षियों के समक्ष—इस विधेयक की धारा 3—यह अधिकार देना होगा और इन साक्षियों में से एक नजदीकी रिश्तेदार जैसे दम्पत्ति, मां-बाप, बेटा, बेटी, भाई या बहन होना चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस समय उसका कोई रिश्तेदार उसके निकट नहीं है तो क्या इसका अर्थ यह है कि बिना इस प्रकार के

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्राधिकार के वह अपनी आंखें दान नहीं कर सकता ? मैं मांग करता हूँ कि खण्ड तीन में ऐसा समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। जिससे कोई व्यक्ति मृत्यु पश्चात् अपनी आंख दान करना चाहे तो उसके लिए वह मौखिक या लिखित घोषणा कर सके।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह एक बहुत अच्छा विधेयक है, जिससे सरकार को नेत्र बैंक खोलने में सहायता मिलेगी, और देश के अन्धे लोगों को लाभ होगा। इस विधेयक को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित न करके इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पास किया जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया के मुल्कों के मुकाबले सबसे ज्यादा अन्धे लोग हैं। लोग अन्धे किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी दी है कि कुपोषण की वजह से,......

अध्यक्ष महोदय : आप जरा रुकिये, प्रधान मंत्री स्टेटमेंट करेंगी।

लेबनान की स्थिति के बारे में वक्तव्य

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आप बाद में स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देंगे ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं नहीं समझती की किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा भी करने जा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर वक्तव्य देने जा रही हूं, जिसको कि संसार के काफी देशों, जिसमें अमेरिका के लोगों और जैसा कि हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, स्वयं इजराइल को भी हिला दिया है। पिछले सप्ताह हमारे लिए तीव्र व्यथा के रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि, हमने अपनी ओर से हर सम्भव प्रयत्न किए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई राज्यों के प्रमुखों को इस बारे में लिखा है, जिनमें राष्ट्रपति रीगन, राष्ट्रपति ब्रेजनेव, राष्ट्रपति मितरां आदि शामिल हैं। राजनयिक माध्यमों और यहां पर आने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से हम इस मामले को उठाते रहे हैं। यह सदन जानता है कि यह एक दुखद स्थिति है और हमारे लिए तथा हमारे मित्रों के लिए खतरनाक है। जिन आदर्शों के लिए हम लड़ते रहे, वही खतरे में हैं।

अब मैं वक्तव्य पढ़ती हूं।

लेबनान पर इजराइल के बिना वजह आक्रमण और हजारों की तादाद में लेबनानी तथा फिलिस्तीनी नागरिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या से समूचे विश्व समुदाय को गहरा दुःख हुआ है और उत्तेजना फैल गई है। इजराइल की यह कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय विधि और व्यवहार के सभी सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन है। यह उस घमण्ड का सूचक है जिसने दूसरे राष्ट्रों और लोगों के अधिकारों के प्रति घोर असम्मान दिखाया है।

6 जून के आक्रमण के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आक्रमण के परिणामस्वरूप अधिकृत प्रदेश को खाली करवाने के लिए जो भी प्रयत्न किए हैं, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इजराइल संयम से काम लेने के सभी परामर्शों की निरन्तर अवहेलना कर रहा है। उसने सुरक्षा परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में पारित संकल्पों की घोर अवहेलना की है।

पश्चिमी बेरूत पर इजराइल की नाकेबन्दी और मजबूत की जा रही है। वहां के लाखों लोगों को पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सुविधा जैसी अनिवार्य जरूरतों से वंचित रखा जा रहा है। समूची नागरिक आबादी भूख से मर रही है। इस वक्त जैसा कि युद्ध विराम है, वह बहुत ही अस्थिर और अनिश्चित है। समूचे बेरूत को भी नष्ट किया जा सकता है और वहां की समूची आबादी को समाप्त किया जा सकता है। शक्ति का ऐसा अनियंत्रिक प्रयोग पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के नियमों और सिद्धान्तों के विपरीत है। इजराइल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मत की इस तरह तिरस्कारपूर्ण अवहेलना, उसका निरन्तर आक्रमण करते रहना और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैनिक साधनों का उपयोग करना भविष्य के लिए एक बहुत बुरी मिसाल बन जाएगी।

एक ऐसे समय में जबकि फिलिस्तीनी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ प्रगति की आशा नजर आ रही थी, इजराइल ने इस समस्या की ओर भड़काना श्रेयस्कर समझा है और इस तरह उसने संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई क्षेत्र के दीर्घकालिक स्थायित्व की सम्भावनाओं को कुंठित कर दिया है। फिलिस्तीनी आन्दोलन को पूरी तरह खत्म कर देने की इजराइल की कोशिशें अन्ततः सफल नहीं हो सकती। फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं पर आधारित एक लोकप्रिय आन्दोलन को हथियारों का प्रयोग करके समाप्त नहीं किया जा सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी लोकप्रिय आन्दोलनों को फौजी ताकत से खत्म करने की कोशिश की गई है, नाकामयाबी ही मिली है। इजराइल के लिए यही एक नेक सलाह होगी कि वह संसार के सभी देश निरन्तर जो अधिकाधिक चिन्ता अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे जिसमें उसके अपने भी हजारों लोग शामिल हैं और जिन्होंने लेबनान पर आक्रमण के विरुद्ध प्रदर्शन किया है।

अपनी सरकार की ओर से मैं ऐसे सभी राष्ट्रों से, जो इजराइल पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं, अनुरोध करेंगी कि पश्चिमी बेरूत की घेराबंदी को खत्म कराने के लिए और उसकी फौजों को अपने प्रदेश में वापस जाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इस तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के बाद एक ऐसे न्यायोचित, व्यापक और अस्थायी समाधान की दिशा में बातचीत अवश्य

शुरू की जाए जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो। ऐसा जो भी समाधान हो, उसमें लेबनान की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और उसकी प्रादेशिक अखण्डता का और फिलिस्तीनी लोगों के अविच्छेद्य अधिकारों का सुनिश्चय अवश्य रहना चाहिए जिसमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य की स्थापना का उनका अधिकार भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति अवश्य दें······

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं होगा। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने मांग की थी कि बम्बई में स्थित वाणिज्य दूतावास के कार्यालय को बन्द किया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इजराइली वाणिज्य दूतावास के कार्यालय को बन्द किया जाना चाहिए······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम वक्तव्य चाहते हैं कि भारत भूमि को·········के खिलाफ जहरीले प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाएगा······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। अब श्री व्यास।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। बिना मेरी आज्ञा के कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

मैंने श्री व्यास को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही यह निश्चित कर चुके हैं कि विदेश मंत्रालय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम इस चर्चा को जारी करने जा रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। सिर्फ श्री गिरधारी लाल व्यास ही अपना भाषण देंगे।

(व्यवधान)**

नेत्र (चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा था और यह निवेदन कर रहा था कि यह बिल हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस देश में जितने अन्धे हैं उतने शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हैं। उन अन्धों को आंख देने का जो यह काम हमारी सरकार ने किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। यह सरकार एक ऐसा बिल लायी है जिसके जरिए से हम जितने अन्धे लोग हैं उनको आंख दिला सकते हैं।...(व्यवधान)

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह जो कानून आप यहां के लिए लाए हैं ऐसा कानून सारे देश में लागू होना चाहिए। इसकी आवश्यकता इस बजह से है कि हमारे राजस्थान में अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले कुछ ऐसे अनाड़ी लोगों ने इस प्रकार के कैम्प लगा दिए जिससे आंख वाले लोगों को भी अन्धा कर दिया। ऐसे गलत आपरेशन कर दिए जिससे सैकड़ों आदमी अन्धे हो गये। ऐसे लोगों के लिए कोई कानून तो आपने बनाया नहीं जिसके जरिए उनको पकड़ा जा सके। उनको अब तक पकड़ा नहीं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उनके लिए जो जेल में जगह होनी चाहिए थी उसके बजाय आज भी वह खुले फिर रहे हैं और आपरेशन कर रहे है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो ऐसे गलत लोग हैं जो जानते नहीं, जिन्होंने कोई विद्या पढ़ी नहीं, कोई डाक्टरी पास नहीं की और आपरेशन कर दिया उनके लिए ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए जिससे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके।

इसमें आपने ऐसा प्रावधान किया है कि किसी इंस्टीच्यूशन से सर्टिफिकेट लेकर ही वह आंख निकाल सकेंगे। तो आंखों का आपरेशन करने वाले लोग भी ऐसे ही होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के द्वारा या जो एजूकेटेड हों, ट्रेन्ड हों, वही लोग जा कर आंख का आपरेशन कर सकते हैं।

जितने अन्धे इस देश के अन्दर हैं जिनकी व्यवस्था आप करना चाहते हैं, जिन को नेत्र देना चाहते हैं उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके उसके लिए इस प्रकार का प्रावधान बहुत आवश्यक है। आपने देखा कि चार-चार पांच-पांच जगह हमारे राजस्थान में इस प्रकार के कैम्प लगे और आपके सरकारी अस्पतालों में कैम्प लगे, उसको आप नहीं रोक पाए। ऐसे अनाड़ी आदमियों ने सैकड़ों आदमियों को अन्धा कर दिया और इस प्रकार के लोग आज भी खुले फिर

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं। एक सवाल हमने कल यहां पर पूछा था कि नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? आज जो लोग गलत दवाई देकर लोगों की जान ले लेते हैं उनको मृत्यु दण्ड मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो आदमी आंख फोड़ डाले उसको क्या सजा मिलनी चाहिए ? ऐसे लोगों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसमें वह लोग फिर कभी इस प्रकार का काम न कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था की आज नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए आप को कोई न कोई कानून अवश्य लाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : और जो अकल के अन्धे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उनके लिए आप स्कूल खोलिए और उनको पढ़ाइए।

अध्यक्ष महोदय : डागा जी का कोई बन्दोबस्त करवा रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : डागा जी तो स्कूल खोल रहे हैं ऐसे अकल के अन्धों के लिए।

दूसरी बात यह है कि आप जो आंख निकालेंगे उसको निकाल कर बैंक में रखेंगे, तो वह आंख किस को देंगे ? कैसे आदमियों को वह आंख लगायी जाएगी इसका इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है जिससे पता लगे कि यह आंख किन को लगायी जाएगी। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं और आपका जो मैडिकल इंस्टीच्यूट है उसमें तो बड़े-बड़े लोगों का ही इलाज होता है। गरीबों को तो उसमें ऐडमीशन ही नहीं मिलता। अगर इन इंस्टीच्यूशन्स में इन आंखों का बैंक होगा तो निश्चित रूप से बड़े लोग ही उसका लाभ उठाएंगे और जिन गरीब लोगों के अन्दर अन्धापन है कुपोषण की वजह से उनको तो कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आंखें उन्हीं लोगों को मिलें जो कि निर्धन हैं, जो कि उसके लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे निर्धन लोगों के अन्धेपन को निवारण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह से बसर कर सकें।

यहां पर राजधानी में साढ़े चार हजार लड़के ऐसे हैं जोकि अन्धे हैं। जो बच्चे बचपन से ही अन्धे हैं उनको आंखें प्रदान की जा सकती हैं। प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लड़कों को आंखें प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुविधा पूर्वक बसर कर सकें। सबसे पहले छोटे-छोटे बच्चों तथा स्टूडेन्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आंखें निकालने का अधिकार किसको होना चाहिए। किसी भी हालत में यह अधिकार ऐसे व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए जोकि आंखें बेचने में लग जायें। आज भी कुछ लोए पांच हजार रुपए में एक आपरेशन करने का धन्धा कर रहे हैं। यदि उनको आप यह हक दे देंगे तो गरीब लोग जिनको आंखों की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे इस लाभ से वंचित रह जायेंगे। मेरा सुझाव है सरकारी अस्पतालों में आंखों के बैंक की स्थापना होनी चाहिए। कुछ ऐसी संस्थाओं को भी आप यह कार्य दे सकते हैं जिनपर कि आपको विश्वास हो

और जोकि लोक कल्याण के लिए काम कर रही हों। वहां पर भी ऐसे बैंक स्थापित करके गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

इस बिल के उद्देश्यों में आपने शब्द "व्यवसायी" भी लिख रखा है। लेकिन "व्यवसायी" से मतलब तो धन्धा करने वाले से होता है। अगर इस कार्य में व्यवसायी भी शामिल हो जायेंगे तो हमारा जो मकसद है, जिन लोगों को हम नेत्र देना चाहते हैं, जिनको दृष्टि देना चाहते हैं; उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें से शब्द "व्यवसायी" को निकाल कर शब्द "संस्था" रखा जाना चाहिए। ऐसी संस्था चाहे कोई हास्पिटल हो या कोई धर्मार्थ संस्था हो।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : तो आपने अब अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर अब समाप्त कर दीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे कुछ और भी मुद्दे उठाने हैं। मैं बाद में अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों को लिया जायेगा। श्री बनातवाला।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 75 का संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 338, आदि के स्थान पर नये अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माटाडोर......

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री चित्त बसु : और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : **

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : कृपया शिकायत पर गौर करना स्वीकार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर गौर किया जायेगा। परन्तु उन्हें यह लिखित में देना चाहिए था। हर कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए इस प्रकार की समस्याएं पैदा करता है तो वह अच्छी बात नहीं है। उन्हें कार्यालय को पत्र भेजना चाहिये था।

श्री मनीराम बागड़ी : यहां न रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जायेगा। श्री चित्त बसु।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण (दिल्ली संशोधन) विधेयक

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित, का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित, का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

————

दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

(धारा 14 आदि का संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

————

मृत्यु दण्ड (तोड़-फोड़ और विमान अपहरण के लिए) विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक सेवाओं में तोड़-फोड़ और विमानों के अपहरण के लिए मृत्यु दण्ड का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवाओं में तोड़फोड़ और विमानों के अपहरण के लिए मृत्यु दण्ड का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (अन्तर्जातीय अथवा अन्तधर्मीय विवाहित व्यक्तियों की सन्तानों के लिए) विधेयक

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि अन्तर्जातीय अथवा अन्तधर्मीय विवाहित व्यक्तियों की सन्तानों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्जातीय अथवा अन्तधर्मीय विवाहित व्यक्तियों की सन्तानों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 10क का अन्त:स्थापन)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आनन्द पाठक : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

लोकपाल विधेयक

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जातिरहित तथा धर्मरहित समाज का निर्माण विधेयक

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत में जातिरहित तथा धर्मरहित समाज का निर्माण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में जातिरहित तथा धर्मरहित समाज का निर्माण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 378 का संशोधन)

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामनाथ दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

(धारा 26 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 30 अप्रैल, 1982 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाये, अर्थात् :—

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वाजपेयी जी बोल रहे थे और उन्हें 120 सैकेंड हो गए हैं।

श्री वाजपेयी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कुछ काले कानूनों को हम अभी भी अपनी व्यवस्था का अंग बनाये हुए हैं। अंग्रेजों ने 1898 में "इण्डियन पोस्ट आफिस ऐक्ट" इस देश के ऊपर थोपा था। उनका उद्देश्य था व्यक्तियों और संगठनों की चिट्ठी-पत्रियों पर नजर रखना, उसे रोकना और उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का अधिकार ले लेना। यह काम अंग्रेज अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिए करना चाहते थे। पहले देशभक्तों की चिट्ठियां सेंसर की जाती थीं, संगठनों के बीच में जो पत्र-व्यवहार होते थे उन्हें रोक लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज तो लोकतन्त्र से बंधे हुए नहीं थे, उनकी आंखों में व्यक्तिगत आजादी का कोई मूल्य नहीं था। 1947 में देश आजाद हो गया, 1950 में हमने भारत को गणतन्त्र घोषित किया, संविधान में हमने मूलभूत अधिकारों का प्रावधान किया, उन मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत व्यक्ति को चिट्ठी-पत्री करने का अधिकार है, संगठनों को पत्र-व्यवहार करने की छूट है, लेकिन आश्चर्य है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून अभी तक चल रहा है। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस काले कानून का उपयोग किया जा रहा है......

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक की सरकार ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि हम कुछ व्यक्तियों के पत्र-व्यवहार को सेंसर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा 300 लोगों की एक सूची बनाई गई है और उन व्यक्तियों की डाक सेन्सर की जा रही है। यह सिलसिला नवम्बर, 1980 से प्रारम्भ हुआ। इसके प्रारम्भ करने वाले लैफ्टिनैन्ट गवर्नर जगमोहन थे। उन्होंने आपातस्थिति के दिनों बड़ी कीर्ति कमाई थी। हम समझते थे कि आपातस्थिति लगाने वालों ने उससे कोई शिक्षा ली होगी। प्रधान मंत्री ने चुनाव के दौरान कहा था कि एक हजार साल तक आपात-स्थिति नहीं लगाई जाएगी। अब आपात-स्थिति की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है मगर कुछ काम ऐसे किए जा रहे हैं जो आपात-स्थिति की याद दिलाते हैं।

नवम्बर, 1980 में एक सूची तैयार की गई थी और उसमें 172 लोगों के नाम थे। इसमें 12 पार्लियामेंट के मैम्बर थे। लैफ्टीनैन्ट गवर्नर गोवा चले गये। आपात-स्थिति के दिनों के गृह सचिव श्री खुराना लैफ्टीनैन्ट गवर्नर के सिंहासन पर विराजमान हो गये। उन्होंने उस सूची को बढ़ाने का फैसला कर लिया। 172 लोगों की सूची अब 300 लोगों की सूची है। इसमें पार्लियामेंट के 26 मेम्बर शामिल हैं, विरोधी दलों के मेम्बर हैं और सत्तारूढ़ दल के भी मेम्बर हैं। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती, सबको समान दृष्टि से देखती है।

किस आधार पर इन लोगों की चिट्ठियों को सेंसर किया जा रहा है? अंग्रेजों ने कहा था कि अगर पब्लिक सेफ्टी खतरे में पड़ जाये या पब्लिक ट्रांकुयेलिटी का तकाजा हो, तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके द्वारा अधिकार दिया गया कोई भी अफसर चिट्ठियों को रोक सकता है, जांच-पड़ताल कर सकता है, रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है, आग लगा सकता है। यह पब्लिक सेफ्टी क्या है, पब्लिक ट्रांकुयेलिटी क्या है? यह साम्राज्यवादियों की भाषा स्वतन्त्र भारत में शोभा नहीं देती। राष्ट्र की सुरक्षा की बात कही जाए, तो मैं मान सकता हूं, देश की आजादी खतरे में पड़ जाए, सीमाओं पर आंच आ जाए, देश किसी अयाचित युद्ध में फंस जाए, तो व्यक्ति की स्वाधीनता को मर्यादित किया जा सकता है। हम इस स्थिति पर विचार करने के लिए तैयार हैं, मगर पब्लिक सेफ्टी क्या है? किस की सेफ्टी? अंग्रेजों के लिए पब्लिक सेफ्टी का मतलब था उनके राज्य की सेफ्टी। क्या आज भी वही अर्थ है। पब्लिक ट्रांकुयेलिटी का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति अगर शान्ति भंग करेगा, तो कानून हैं। उनके अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है मगर आज अंग्रेजों के कानून का उपयोग किया जा रहा है।

अब तो स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि दिल्ली के अफसर यह नहीं कहते कि हम पब्लिक सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांकुयेलिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के श्री वाही द्वारा फाइल नं० एफ-514181, होम जनरल, पर जो नोट लगाया गया है, उस नोट का विवरण है। वह मेरे पास मौजूद है और मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं:

> "डी० सी० पी० (एस० बी०) ने परिशिष्ट क से च में उन संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम बताये हैं जिनकी गतिविधियां, जहां तक इन संस्थानों और व्यक्ति-विशेष की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सरकार विरोधी या आन्दोलनकारी दृष्टिकोण आपत्तिजनक समझी गयी हैं।"

क्या मतलब है इसका ? सरकार का विरोध करना जुर्म है, तुम्हारी चिट्ठी-पत्री पहुंचने नहीं दी जाएगी, समस्याओं को हल करने के लिए तुम्हारा रवैया आन्दोलनात्मक है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी ।

मैं चुनौती देना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं । समाचारपत्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया जा रहा है, इसका भंडाफोड़ किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या जांच की गई ? क्या मिस्टर वाही के फ़ाइल पर इस नोट की सत्यता को चुनौती दी जा सकती है ?

मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशन यहां बैठे हैं । इन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इनके विभाग में क्या हो रहा है, इन्हें इसका पता ही नहीं है । कल इन्होंने बयान दे दिया कि खन्ना साहब का टेलीफोन टेप नहीं किया जा रहा है । अगर आपने उस बयान को ध्यान से पढ़ा होगा तो पाया होगा कि इन्होंने कहा है कि टेप करने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिये गये हैं । क्या टेप करने के लिए लिखित आदेश देना जरूरी है ? गृह मंत्रालय टेलीफोन की टेपिंग कर रहा है । मैं साबित करने के लिए तैयार हूं । अगर आप पार्लिमेंट की कमेटी बनाएं और उन कर्मचारियों को जो गवाही देने के लिए, बयान देने के लिए आएं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दें तो मैं यह साबित कर सकता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो मैं लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और अगर में साबित कर दूं······(व्यवधान)

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : तरीका बिल्कुल आसान है । किसी संसदीय समिति की आवश्यकता ही नहीं है ।

न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है । वे अभिलेख की मांग करेंगे । प्रमाण वही पर दिया जा सकता है । मैं उन्हें ऐसा करने की चुनौती देता हूँ ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप चुनौती स्वीकार कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने उनको एक चुनौती दी थी । उन्होंने उल्टा मुझे ही एक चुनौती दे दी है । मैं चाहता हूं कि एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं चाहता हूं कि न्यायालय का सहारा लिया जाय ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा, जो न्यायालय के सम्मुख बुलाये जायेंगे ? उन सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जिनकी नौकरी और रोजीरोटी को खतरा पैदा हो जायेगा । इसलिए, संसदीय समिति गठित करने में क्या गलत है ? (व्यवधान) श्रीमन्, वे बहुमत में है; इसलिए समिति में कांग्रेस का बहुमत रहेगा । लेकिन फिर भी हैरानी की बात है, वे संसदीय जांच के लिए तैयार नहीं हैं । (व्यवधान) हां, हम न्यायालय में जायेंगे—

श्री गिरधारी लाल व्यास : न्यायालय में जाइये, यही एक मात्र हल है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर राष्ट्रपति के चुनाव में शासनतन्त्र का दुरुपयोग हो, तो कोर्ट में जाओ अगर पार्लियामेंट के मेम्बरों की डाक सेंसर की जा रही हो तो अदालत में जाओ

अगर अदालतें कल को कुछ फैसला दे देंगी तो उनका गला घोंटा जाएगा कि अदालत का दरवाजा एमर्जेंसी के बाद खटखटाओ ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या मैं एक बात कहना चाहता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं झुक नहीं रहा हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं तो उन्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि शीशे के घरों में रहने वाले, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते । वे यह आरोप लगा रहे हैं । मुझे मजबूर होकर सदन को उन लोगों की सूची बताना पड़ेगा कि जब वे सत्ता में थे तो किन-किन लोगों के टेलीफोन के टैप करने और डाक सेंसर करने के आदेश इन्होंने जारी किये थे । मैं इस जानकारी को सभा पटल पर रखूंगा । आइये सामना हो जाये । शीशे के घरों रहने वाले दूसरों पर आरोप नहीं लगाते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप यह स्वीकार कर लिया है कि कई पत्रों को सेंसर किया जा रहा है । आप कहते हैं कि एक लिस्ट है । श्रीमान्, वे खुद उस समय विपक्ष में थे । यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, वे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, वे इसमें परिवर्तन के लिए कह सकते थे ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं । अब भी बंगाल में यही हो रहा है । आज भी बंगाल में डाक की छंटनी की जाती है । वे भी वही चीज कर रहे हैं; डाक को देखा जाता है, मेरे पास ऐसे पत्र मौजूद हैं, मैं इनको, आपको दिखाने के लिए तैयार हूं । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको जवाब देने का अधिकार है । मैं नहीं समझता वे धैर्य क्यों खो रहे हैं……

एक माननीय सदस्य : क्रोध कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक वर्तमान मंत्री हैं । आप एक भूतपूर्व मंत्री है । इसलिए, हमारे लिए, इस मामले में आगे बढ़ना कठिन है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विदेश मंत्री था; वे संचार मंत्री हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, आप भी मंत्रिमण्डल में थे,

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वहां संचार मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के बीच क्या बात हो रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह उन्हें सूची दिखा रहे हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह हमारे बीच की बात है (व्यवधान) यह उन सम्बन्धों से अलग है जो आपने उनके साथ बनाये हैं । सर्वसम्मति के समय उनके साथ अर्थात श्री जेठ मलानी के साथ आपकी मित्रता कहां रहती है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब मुझे यह उत्तेजक प्रतीत होता है।

पेट्रोलियम, रासायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : उसमें कोई कठिनाई नहीं। आप इस तरफ आ जाइए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस नोक-झोंक में एक बात तो साफ हो गई है कि डाक का सेंसर हो रहा है, टेलीफोन का टेपिंग हो रहा है और इस सरकार के पास इसके अलावा और कोई बचाव नहीं है कि जब जनता सरकार थी, तब भी ऐसा होता था। मगर मैं जानना चाहता चाहता हूं कि जब जनता सरकार थी तब आप यहां बैठ कर क्या कर रहे थे? हम तो आवाज उठा रहे हैं और हमें पता नहीं था।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम आपको सत्ता से हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। और हमने वह कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल यह दिखाने के लिए इधर उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं कि उनका विभाग काम कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अधिकांश समय टेलीफोन खराब रहते हैं। टेलिफोन भाड़े को मृत भाड़ा नाम दिया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनता सरकार कोई गलती करती है तो उसको आधार बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यह कोई आधार नहीं है एक गलत प्रक्रिया को जारी रखने का। मुझे नहीं मालूम। लेकिन जनता सरकार के दौरान जब यह चीज हमारे नोटिस में लाई गई तो कैबिनेट में हमने प्रधानमंत्री से कहा कि ये जो खबरें छप रही हैं सच हैं तो इनको रोकना चाहिए। मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हूं। लेकिन अगर जनता सरकार कुछ कर रही थी तो लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि आप जनता सरकार से कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। मगर ये क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के सदस्य श्री लाल कृष्ण अडवाणी हैं। उनको एक पत्र मिला। पत्र के ऊपर लिखा हुआ था—"ट्रिब्यून"। एनवलप "ट्रिब्यून" का था। "ट्रिब्यून" चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है। उन्होंने समझा कि ट्रिब्यून से कोई पत्र आया है, लेकिन लिफाफा खोला तो पत्र था लाला हंसराज गुप्ता के नाम और आया था वर्धा से। वर्धा से पत्र जो लाला हंसराज गुप्ता के नाम आया था वह ट्रिब्यून के लिफाफे में बन्द होकर लाल कृष्ण अडवाणी के पास कैसे पहुंच गया? ये सेंसर तो कर रहे हैं मगर सेंसर भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। इस सरकार का निकम्मापन सेंसर में भी साबित हो रहा है। चिट्ठियां सेंसर की जा रही हैं अडवाणी की और हंसराज गुप्ता की, लेकिन जब चिट्ठियां खोली गई तो वहां नाम किसी का, लिफाफा किसी का और पत्र किसी का। क्या इस मामले की आपने जांच की? श्री अडवाणी ने यह मामला राज्यसभा में उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उन लोगों में से हूं जिनकी सन् 1972 से डाक सेंसर हो रही है—जनता सरकार को छोड़कर। अगर आपको डाक सेंसर करनी है तो उसके लिए कोई प्रक्रिया

होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की डाक सेंसर की जा रही है, उसको बताइए। डाक सेंसर करने के बाद मोहर लगाकर उस व्यक्ति को पत्र दीजिए। किसी भी अधिकार से आप पत्र-व्यवहार को, चिट्ठी-पत्री को नष्ट करने का हक नहीं रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन विधेयक पेश किया है। मेरा कहना है कि अगर इमरजेंसी देश में घोषित हो जाए, तब इस असाधारण कानून पर व्यवहार किया जा सकता है। कोई हाई-कोर्ट का जज होना चाहिए, जिसके सामने मामला रखा जाए कि यह व्यक्ति या संगठन ऐसी कार्यवाहियों में संलग्न है, जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, पब्लिक सेफ्टी का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक सेक्यूरिटी क्या चीज है? चांदनी चौक में थोड़ी सी अशांति हो जाती है तो क्या कमिश्नर को अधिकार मिल जाता है कि व्यक्तियों या संगठनों की आजादी को अमर्यादित ढंग से अंकुश में बांध दे? इमरजेंसी की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय आस्ट्रेलिया की असेंबली के उस रूल की बड़ी चर्चा हो रही है। मगर आस्ट्रेलिया में जो सेंसरशिप का कानून बनाया गया था वह केवल युद्ध के काल के लिए था, शांति के काल के लिए नहीं था। यहां शान्ति है......

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : घर में गड़बड़ है। सास बहू का झगड़ा है। उस वजह से भी हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : घर में गड़बड़ है इसलिए कांग्रेस के पार्लिमेंट के मेम्बर भी जोड़े गये हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे विधेयक में जो संशोधन हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाए। एक संशोधन यह है कि इमरजेंसी के दौरान ही सरकार को इस अधिकार का उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। पब्लिक सेफ्टी और ट्रैंक्विलिटी की जगह सिनयोरिटी आफ इण्डिया शब्दों का रखा जाना जरूरी है।

दूसरा संशोधन यह है कि जिस व्यक्ति की भी डाक सेंसर की जाए उसको लिख कर सूचना दी जानी चाहिए, उन संगठनों को जिन की डाक सेंसर की जाए, सूचित किया जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि उनकी डाक क्यों सेंसर की जा रही है।

एक पैनल बनाया जाए रिटायर्ड हाई कोर्ट जजिज का जिसका अध्यक्ष कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज हो। सरकार उनके पास जाकर पहले उनको विश्वास में ले, उन्हें यह समझाए कि किसी संगठन की या किसी व्यक्ति की डाक को सेंसर करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। आजकल छोटे बड़े अफसर जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसमें छोटे बड़े का फर्क करने की जरूरत नहीं है। यह काम नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।

इस विधेयक पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी मैं नहीं जानता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तेजी से देश की स्थिति बिगड़ रही है, अंग्रेजों के काले कानून लोगों के बढ़ते हुए असंतोष के ज्वार को नहीं रोक सकते हैं। जो देश का विघटन करने वाले हैं, जो विदेशों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं उन्हें पंजाब में खुली छूट है। दिल्ली में डाक सेंसर की जा रही है विरोधी दलों के मैम्बरों की। जो सूची है उसमें से कुछ नाम पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। चौधरी चरण

सिंह। श्री जार्ज फर्नान्डीस। श्री लाल कृष्ण अडवाणी। श्री मधु लिमय। श्री महेश बुच, फोर्मर वाइस चेयरमैन, डी० डी० ए०। श्री अरुण शोरी। श्री राम नाथ गोयनका। गांधी पीस फाउंडेशन पूरा संगठन। श्री एस० बी० कुमार, फोर्मर हाई कोर्ट जज। श्री इंद्रजीत, एडीटर इण्डिया न्यूज एण्ड फीचर एलायेंस। श्री कुलदीप नायर। सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियज आफिस। श्री देवी लाल। श्री सतीश अग्रवाल। श्री बी० जी० वर्गीस। श्री निहाल सिंह। श्री ज्योतिमय बसु जिनकी मृत्यु हो गई है।

सभापति महोदय : लिस्ट बहुत पुरानी मालूम पड़ती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नई लिस्ट ये बतायें। लेटेस्ट मेरे पास नहीं है। श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा। श्री समर मुखर्जी आदि।

एक माननीय सदस्य : आपका तो इसमें नाम ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा नाम पहला है। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता था। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है आपकी।

सभापति महोदय : टेलीफोन भी टेप किया जाता है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां।

सभापति महोदय : इसका मतलब है कि आप लोगों का टेलीफोन काम करता रहता है। खराब नहीं होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बिल्कुल सही बात है। खराब होता है तो एक दम फोन करते हैं, टैपिंग रुक गया है, जल्दी ठीक करो और सरकारी अफसर ठीक कर देते हैं।

दो मंत्री बैठे हुए है। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी विदेश मंत्रालय में था। मैं भी यह समझता था कि अगर प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि किसी का टेप नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा होगा। फिर मैंने गहराई से पता लगाया तो पता लगा कि मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशन को पता नहीं था। यह काम होम मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। उसके अधिकारी अलग से तैनात किए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि संचार मंत्री को पता हो। वैसे संचार मंत्री यह मानेंगे नहीं कि उन्हें यह बात पता नहीं है उन्हें सारे देश और दुनिया का पता है लेकिन अगर पता नहीं है तो अपने विभाग का पता नहीं है—चिराग तले अन्धेरा। गृह मंत्रालय से लोग तैनात किए जाते हैं जो चिट्ठियां इकट्ठी करते हैं, टेलीफोन टेप करते हैं। हम इसकी जांच कर चुके हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। परमात्मा के लिए इससे इनकार न कीजिए। और अगर ऊपर से इनकार कीजिए भी तो आप अन्दर से समझ लीजिए हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। यह काला कानून संशोधित होना चाहिए। अदालत ने अगर इसको अस्वीकार दिया तो? तब आप मानेंगे? पुराने विधि मंत्री बैठे हुए हैं, पब्लिक सेफ्टी का क्या मतलब है? पब्लिक ट्रांक्वेलिटी। आप डाक नष्ट कर सकते हैं? और दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली के एक अफसर द्वारा फाइल पर लिखा हुआ नोट पढ़कर मैने बताया है कि आपके जो निर्देश हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार अगर निरंकुशता की ओर सरकार आगे बढ़ेगी तो फिर उसके पांव को थामना बहुत मुश्किल होगा। इस देश में लोकतन्त्र

है, लोकतंत्र अक्षुण रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्वाधीनता पर आंच नहीं आनी चाहिए। संगठनों को अपना काम करने की छूट होना चाहिए। लेकिन डाक को सेंसर करके और टेलीफोन को टेप करके आप इस स्वाधीनता पर अंकुश लगा रहे हैं ऐसा अंकुश जिसका शांतिकाल में औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन विधेयक पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसे दोनों पक्षों के उन सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा जिनकी आत्मा जागरूक है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैंने भाषण तो अच्छा सुना क्योंकि माननीय वाजपेयी जी का तरीका और लहजा बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आप जो बात कह रहे थे उसके पीछे वजन क्या था इस पर आप खुद ही विचार कर सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि इनको अधिकार रहना चाहिए, अधिकार तो आप मानते हैं जिसको आप काला कानून कहते हैं। जनता पार्टी को अवसर मिला और यह काला कानून उस समय मौजूद था लेकिन आपने मेहरबानी करके उसको हटाया नहीं। इसके लिए तो आप भी दोषी हैं। देश की रक्षा और जनहित के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। आज देश में अगर सामप्रदायिक दंगे होते हैं, जगह-जगह पर हम सुनते हैं खालिस्तान की आवाज आती है, हमें देश में सुरक्षा कायम करनी है। आप कहिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सारे सेक्सन खत्म कर देने चाहिए। कानून अपना रास्ता ले लेगा। 107 की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कौन कह रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कह रहे हैं कि जो प्रीवेंटिव मेजर्स हैं वह नहीं लेने चाहिए। सरकार अगर आवश्यक समझती है कि ऐसे पत्र जिनसे सामप्रायिक दंगों को प्रोत्साहन मिल सकता है, या संस्थायें ऐसा काम कर सकती हैं, खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया जा सकता है तो उनको जरूर इंटरसेप्ट करना चाहिए। एक लेटर आया जिसमें लिखा था 3,000 कछावा भेज दीजिए। पुलिस वाले समझ गये कि वहां के लोग क्या मांग रहे हैं। अगर इस प्रकार के लेटर्स और तारो को इंटरसेप्ट सरकार करती है, तो क्या हर्ज है। आपने आज कहा कि 128 के अन्दर बड़ा बवंडर हो गया। क्या बवंडर हो गया, मुझे मालूम नहीं हुआ। श्री अटल बिहारी जी ने कहा कि अपने नाम की चर्चा मैं नहीं करता और उनसे कह दिया कि मेरे नाम पर यह होता है। मुझे यह बताइये कि आपका कौन-सा पत्र था जिसको गवर्नमेंट ने देख लिया और आपको मालूम हो गया? यह कोई संचार विभाग नहीं करता है। पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्ट के अन्तर्गत अगर कोई आफिसर यह जानता है कि देश में ऐसी ताकतें काम कर रही है जिनकी बातें देश की सुरक्षा के लिए जाननी हैं, मान लीजिए फारेन गुड्ज आ रही हैं, स्मगलर्स माल भेज रहे हैं तो यह कौन चैक करेगा? आप कहेंगे कि आपने एमर्जेन्सी की बात करनी शुरू कर दी। यह ज्यादा खतरा नहीं है, अगर ऐसे पत्र और तार आते हों जिनके कारण देश कीसुरक्षा को खतरा हो तो इसमें क्या बात है। साम्प्रदायिक तत्व खड़े हो जाते हैं, जगह-जगह शांति भंग हो जाती है। जब पीस डिस्टर्ब हो जाती है तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर उस समय गवर्नमेंट जागरूक होकर के काम करती है तो आप कहते हैं कि इससे हमारी आजादी खतरे में हो गई है। मैं आपकी इस आजादी का मतलब नहीं समझा।

आजादी का मतलब यह नहीं है कि देश की शांति को भंग किया जाए। आप इस आजादी का मतलब यह न ले लें एक ग्रुप के लिए। आज देश में ऐसी साम्प्रदायिक संस्थाएं हैं जिनको आप सब जानते हैं। रिपोर्ट आती हैं कि इन संस्थाओं ने यह काम किया है जिनसे साम्प्रदायिक दंगे भड़कते हैं। इनको आप भी जानते हैं, आप अपना नाम ले लिजिए। जब उन संस्थाओं के नाम पर लैटर आते हों और उन लैटरों को सरकार इन्टरसेप्ट करती हो तो इसमें संचार विभाग का एक कानून बनाया गया है। उस कानून के सैक्शन 26 को लेकर आपने अमेंटमैंट कर दिया कि धारा 352 के अन्तर्गत घोषित एमर्जेन्सी के समय इस कानून को लागू किया जाए। इस बात का कहां सवाल है ? सवाल यह है कि सरकार को हर समय शांति बनाये रखना जरूरी है। जब देश में शांति होगी तो देश आगे बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि देश में इस प्रकार के तत्व पैदा हो जायें, उनको अवसर दे दें कि वह चाहे जैसा काम करें, दंगे फैला दे ? एक तरफ हाईजैकिंग हो रही है हवाई जहाज की, मालूम नहीं पड़ता कैसे हो रही है ? झगड़े हो रहे हैं, लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप क्या यह समझते हैं कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही होती हैं तो उसमें सरकार की यह नीति हो कि उनकी आजादी पर हस्तक्षेप न किया जाए।

बड़े जोरों से आपने एक बात कह दी, लिस्ट पढ़ दी। 68 करोड़ की आजादी में से कुछ नाम आ गये तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि यह संख्या कितनी परसेंटेज हो गई ? अपनी बात बताने के लिए कभी-कभी आप बड़ी अच्छी बातें कह देते हैं कि लीजिए साहब हमारे बड़े इम्पार्टेन्ट आदमी का लैटर इंटरसैप्ट करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किस व्यक्ति को सरकार में इस तरह के कामों की फुरसत है ? सरकार वहां हस्तक्षेप करती है जहां जानती है कि यहां से साम्प्रदायिक दंगों की संभावना हो सकती है, देश की शांति खतरे में पड़ सकती है। शांति भंग नहीं होने दी जा सकती, समग्लर्स की तस्करी रोकने के लिए सरकार को हक है इस तरह के अधिकार उसके पास होने चाहिए।

अगर सरकार प्रीवैंटिव मेजर्स लेती है तो आपने आर्टिकल 352 में उठाकर यह रख दिया कि एमर्जेन्सी के टाइम में ही यह हो सकता है। यह आपको किसने सलाह दी है? मेरे ख्याल से यह तो आपको किसी और ने सलाह दी होगी कि जब एमर्जेन्सी लागू हो तभी पत्र को देखें। एमर्जेंसी की स्थिति पैदा ही क्यों की जाये, उसके पहले ही कदम उठा लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : एमर्जेन्सी ही रखिए।

श्री मूलचन्द डागा : एमर्जेन्सी मत रखिए, लेकिन गवर्नमेंट को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए ऐसे तत्वों से जो यह पैदा हो गये हैं।

(व्यवधान)

मेरा नाम उसमें नहीं है। जो शक्तियां अमरीका से दोस्ती रखती हैं, उनके नाम उसमें होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा नाम भी उसमें नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जो तत्व हिन्दुस्तान में अशान्ति फैलाना चाहते हैं, उनके पत्रों को रोकने और उनकी जांच करने का अधिकार सरकार को होगा। क्या माननीय सदस्य को कोर्ट के न्याय में विश्वास नहीं रहा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोर्ट में तो जाएंगे ही।

श्री मूलचन्द डागा : जाने का हक दिया है, इसलिए जाएंगे।

यह एक छोटी सी बात है, लेकिन माननीय सदस्य ने बात का बतंगड़ बना दिया है। उन्होंने दीया तले अंधेरा की बात कही है। अंधेरा तो दूसरी जगह है, जिसको हम रोकना चाहते हैं। आज देश में ऐसी ताकतें हैं, जो देश को खण्डित करना चाहती हैं, देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहती हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी संस्थाओं की कार्यवाहियों की सतर्कता से जांच करे और इसके लिए उनके लैटर्स को इन्टरसेप्ट करे। कुछ लोग देश को विभाजित करने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग सिक्खिस्तान का नारा लगाते हैं। कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि उनका कौन सा लैटर इन्टरसेप्ट किया गया है। उन्होंने इसे एक काला कानून कह दिया है। क्या यह पुराना कानून होने से ही काला बन गया है? रेलवे ऐक्ट और कई दूसरे कानून बहुत पुराने हैं। आर्टिकल 352 के अन्तर्गत इमरजेन्सी कब लागू होगी। हम इमरजेन्सी लागू नहीं करना चाहते हैं। जनता चाहती है कि देश में कानून और व्यवस्था कायम रहे और लोगों को सुरक्षा मिले। सरकार केवल उन तत्वों को रोकना चाहती है, जो देश को विघटित करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह बात का बतंगड़ न न बनाएं और इस संशोधन पर जोर न दें।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 26 ब्रिटिश शासन में नागरिक स्वतन्त्रताओं को दबाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के विशेष उद्देश्य से लागू की गई थी। स्वतन्त्रता के बाद यह आशा की गई थी कि सरकार इस धारा का निरसन कर देगी जिसमें कि स्वतन्त्र भारत के व्यक्तिगत पत्रों और संघों के पत्रों को बीच में रोकने जैसे घृणित कार्य की अनुमति दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत सरकार ने उसको रद्द नहीं किया और न ही इसने उन प्रावधानों में किंचित मात्र भी संशोधन किया जिनका कि सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग किए जाने की पूरी सम्भावना रहती है।

ब्रिटिश राज के दौरान पत्रों का बीच में रोकने का कार्य कम से कम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता था। लेकिन पत्रों में बीच में गड़बड़ी करने का मौजूदा तरीका केवल अशिष्ट ही नहीं अपमानजनक भी है।

पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में, युद्ध आदि जैसी गम्भीर स्थिति के अलावा कभी भी पत्रों को बीच में नहीं रोका जाता। लेकिन भारत में पत्रों का बीच में अवरोध करना या गड़बड़ी करना आम बात हो गई है। मैं यहां दो दशक पूर्व के अपने निजी अनुभव का उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने बर्दवान से अपने दिवंगत नेता कामरेड भूपेश गुप्ता को जो उस समय में दिल्ली के अनुभवी सांसद थे, एक रजिस्टर्ड पत्र लिखा। वह रजिस्टर्ड ए० डी० पत्र था। मुझे अगले ही दिन पावती सूचना (एकनालेजमेंट कार्ड) प्राप्त हो गया जिस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उस पर बर्दवान डाक घर की सील लगी थी। बाद में, जांच करने पर मुझे पता चला कि पत्र उन तक नहीं पहुंचा था।

जो व्यक्ति इसके शिकार होते हैं वे स्वभावतः राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी, पत्रकार तथा संसद् सदस्य ही हैं। यह तरीका अक्सर इसलिए नहीं अपनाया जाता कि देश की सुरक्षा खतरे में है बल्कि एकमात्र दलगत हितों को पूरा करने के लिए यह कार्य किया जाता है। रोके गए पत्रों से एकत्र की गई सूचना उद्योगों के मालिकों तथा जमींदारों को भी दे दी जाती है कि वे जनआंदोलन को दबाएं। ऐसी स्थिति में, स्वतन्त्र नागरिक की स्वतन्त्रता एक उपहास बन कर रह जाती है। यदि किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिक की प्रतिष्ठा को बनाये रखता है तथा उसे इस घृणित व्यवहार से बचाना है तो अब सरकार उन प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो काफी पहले कर दिए जाने चाहिए थे। जो कुछ कहा है और जो मैं महसूस करता हूं, उसे ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : जब भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम सदन के समक्ष था, उस समय, इस सदन को सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने का अवसर मिला था कि नागरिक की नागरिक स्वतन्त्रता कहां समाप्त होती है तथा कहां पर राज्य के अधिकार और कर्त्तव्य आरम्भ होते हैं। हमें यह कहने का भी अवसर मिला था कि देश के उचित और दक्ष प्रशासन के लिए कुछ नियंत्रण अनिवार्य है।

इस विधेयक के विषय में माननीय सदस्य श्री झा द्वारा पेश किए गए पहले विधेयक से भिन्न नहीं हैं।

माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी की बात सुनते हुए मैं सोच रहा कि हमारे देश में यह सब क्या हो रहा है।

उन्होंने अपने 'उद्देश्य तथा कारणों के कथन' में कुछ कारण बताये हैं। लेकिन वे कारण तनिक भी संतोषप्रद नहीं हैं। उसमें जो कारण बताये गये हैं उनके आधार पर हम बिल का समर्थन नहीं कर सकते।

लोकतंत्रीय प्रणाली में, हमें पर्याप्त व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त है, लेकिन वह स्वतन्त्रता देश की सुरक्षा और शान्ति की कीमत पर नहीं है। माननीय सदस्य शान्ति तथा सामाजिक सुरक्षा का अर्थ पूछ रहे थे। लेकिन ये शब्द उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भली-भांति परिभाषित किए जा चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका अर्थ क्या है?

श्री जेवियर अराकल : आप मेरे कक्ष में आइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक सदस्य को अपने कक्ष में बुलाने की बहुत खराब प्रथा बना दी है। अध्यक्ष से लेकर श्री अराकल तक, हर बात की चर्चा कक्ष में की जाती है। आप हमें यहां क्यों नहीं बता सकते? सम्भवतः, उन्हें राजमहल से अनुमति नहीं मिली है।

सभापति महोदय : आपने उन्हें अपने कक्ष में निमंत्रित किया है। मेरे ख्याल से आपको उनके कक्ष में जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री जेवियर अराकल : वे समझने में असमर्थ हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। यह असम्भव है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं।

मैं समझता हूं कि उनके मन में यह डर है कि आपातकाल में इस प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उनके मन में आपातकाल घोषित किए जाने की सम्भावना है और इसीलिए वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बचाना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या इस सिद्धान्त को पूरे राज्य की सुरक्षा तथा शान्ति के लिए लागू नहीं किया जा सकता ? क्या हम सरकार और उस सामाजिक ढांचे को जिसमें हम रहते हैं, विशेषकर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, सम्पूर्ण रूप में लेते हुए विचार नहीं कर सकते ? इसी मुद्दे पर हमारे विचार उनसे भिन्न हैं।

यह कहा गया है कि भारत विश्व के लोकतंत्र में सबसे बड़ा और महान लोकतांत्रिक देश है।

सभापति महोदय : इसमें कोई शक नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : हो सकता है कि आपको उस बारे में कोई संदेह नहीं हो, मुझे कोई सन्देह नहीं है, इस देश के लोगों को कोई सन्देह नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में सन्देह है। यह पुराना अधिनियम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सामान्यतः आपका कार्य अच्छा होता है। लेकिन आपकी यह बात अच्छी नहीं है। श्री स्टीफन केरल से हैं यद्यपि अब वह गुलवर्ग से हैं। सम्भवतः उन्होंने ही आपको खराब कर दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब वह कहां जा रहे हैं ? सम्भवतः प्रदूषण से।

श्री जेवियर अराकल : कुछ ऐसे मानदण्ड हैं, जिनके अनुसार यह धारा काम कर रही है। इसी अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो किसी न किसी तरह से नागरिकों की स्वतन्त्रता को कम करते हैं। यदि आप खण्ड 23 को देखें तो पायेंगे कि उसमें डाक भेजने पर प्रतिबंध है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि यह बहुत उपयुक्त समय है कि हमने भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 के कार्यकरण पर पुनः विचार करें। इतने सालों के इसके कार्यकरण सम्बन्धी हमारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक उपयुक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए हमें इसे और निकट से देखना चाहिए ताकि इस देश में डाक व्यवस्था के कार्यों में कोई कमी न रहे। विधेयक की उपधारा 1(घ) में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि :—

> "परन्तु उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम को जिसकी डाक वस्तुओं को रोक लिया जायेगा या निरुद्ध किया जाएगा, लिखित रूप में पहले इसकी सूचना दी जायेगी, जिसमें ऐसा करने के कारण भी बताये जायेंगे।"

यह अव्यवहारिक प्रस्ताव है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति विध्वंसात्मक, राष्ट्र-विरोधी अथवा समाज-विरोधी कार्यों में लगा हुआ है, उसे पकड़ कर सजा दी जानी चाहिए। यदि उसकी डाक

बीच में रोकी जाती है तो क्या उसे पहले से इस बारे में सूचित करना आवश्यक है ? मैं इसके पीछे के कारणों को समझने में असमर्थ हूं। सम्भवतः माननीय सदस्य ने अधिनियम में ऐसे प्रावधान जोड़ने के जटिल परिणामों के बारे में विचार नहीं किया है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आदर करने की हमारी परम्परा अति प्राचीन है। हमारे देश में ऐसी सरकार है जहां व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की जाती है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हमारे निजी तथा सामूहिक अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन, हमें यह बात समझनी होगी कि ऐसे ही अधिकारों पर कुछ उचित प्रतिबंध भी इसी संविधान द्वारा लगाए गए हैं।

अतः मैं यह बात कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया संशोधन का सुझाव अनुचित है तथा उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ ही, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, जिन्हें इस अधिनियम के कार्यकरण का अनुभव है, कि वह व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें जिसमें हमारे देश की डाक व्यवस्था के कार्यों के सभी पहलुओं का समावेश हो। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री एस० मुरूगैयन (तिरुप्तूर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, आपने यह नोट किया होगा कि मूल अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 84 वर्ष पूर्व अधिनियमित किया गया था। इन साढ़े आठ दशकों के समय में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। मानव चन्द्रमा तक पहुंच चुका है और वहां से पत्थर और मिट्टी लाया है। इस अवधि में असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन यह विधेयक उस समय से बिना किसी परिवर्तन के चला आ रहा है।

हम पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजा करते थे। उसके बाद हमने हरकारों के द्वारा संदेश भेजना शुरू किया। अब हमारे पास दूर-दूर तक संदेश भेजने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र हैं। अब हम वायुयान से अपने संदेश भेज रहे हैं। संदेश भेजने और पत्र व्यवहार करने के मामले में पूरे विश्व में बहुत विकास हुआ है। लेकिन, इस युग में भी, वास्तव में यह बहुत गलत बात है कि सत्तारूढ़ सरकार द्वारा पत्र बीच में रोके जा रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों को उनके विचारों का विरोध करने, उन्हें लिखने तथा प्रसार करने का अधिकार है। हमारा संविधान हमारे नागरिकों को इन मूल अधिकारों की गारण्टी देता है। यदि सरकार उनके पत्रों को किसी कारण से बीच में रोकती है तो स्वाभाविक रूप से यह हमारे लोगों मूल अधिकारों का हनन ही होगा।

मंत्री महोदय के इस विधेयक को केवल इसी कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसे श्री वाजपेयी लाये हैं। यदि विधेयक को स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल ही होगा, अन्यथा वह इस संशोधन का समावेश करते हुए स्वयं अपना एक विधेयक ला सकते हैं।

---

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यहां मुझे कुछ बातें याद आयी हैं। हमारे पुराणों के व्याख्याता कहते थे कि यदि कोई इन्द्र के सिंहासन पर बैठना चाहता है, जिसके इन्द्रलोक में वह जीवन की सभी वस्तुओं का आनन्द ले सकता है, तो उसे तप तथा यज्ञ करने पड़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि इन्द्र बदल सकता है। जो व्यक्ति कठोर तपस्या कर सकता है और यज्ञ कर सकता है, वह इन्द्र बन सकता है। लेकिन इन्द्राणी, उसकी रानी वही बनी रहती है। उसी प्रकार, यह अधिनियम भी हर समय वैसा ही बना रहा है। चाहे उन्होंने तपस्या अथवा यज्ञ किए हों, अनेक मंत्री, आये और चले गये और उन्होंने इस पुराने अधिनियम पर नजर डालने की कोशिश ही नहीं की।

तमिलनाडु में विधेयकों तथा संसद सदस्यों के पत्र बीच में रोके जाते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुझे वहां एक हाई स्कूल की आवश्यकता के बारे में लिखा। इस याचिका पर तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। मुझे इस याचिका के मिलने से पहले इन लोगों को तमिलनाडु से सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी द्रमुक दल के संसद सदस्य को भेजी जाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए चेतावनी दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे बीच में रोक कर पढ़ा गया था। तमिलनाडु के कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य भी पत्रों के पकड़े जाने तथा टेलीफोन वार्ता के टैप किए जाने से नहीं बच पाये हैं। तमिलनाडु जाने वाले केन्द्रीय मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा जाता। यदि वे अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक सरकार को हटाने के लिए तमिलनाडु आयें तो उनके टेलीफोन भी टैप किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय मंत्रियों को अपने स्रोतों द्वारा इस बात का पता लग गया होगा।

मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है कि ऐसी बातें प्रजातन्त्र के हित में नहीं हैं। इससे संविधान में उल्लिखित हमारे प्रजातंत्रीय आदर्श खतरे में पड़ जायेंगे। मंत्री महोदय को इस पृष्ठभूमि में इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यदि वह चर्चा अधीन इस विधेयक को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें अपनी इच्छा से स्वयं अपनी ओर से एक संशोधनकारी विधेयक लाना चाहिए जिसका समूची सभा सर्वसम्पति से समर्थन करेगी।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अमेण्डिंग बिल को यहां पेश किया और इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि शासक पार्टी के लोग कह सकते हैं और कहा भी है कि 34-35 सालों की आजादी के बीच में दो-ढाई साल के लिए विरोध पक्ष में बैठे हुए लोगों की सरकार यहां बनी थी, उस समय इस बिल में अमेण्डमेंट क्यों नहीं किया गया। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पं० जवाहर लाल नेहरू ने 1939 में कहा था—"अंग्रेज संचार और दमन के द्वारा ही इस देश के लोगों की छाती पर अपने साम्राज्य का पंजा गड़ाए हुए हैं।" शायद उस वक्त पं० जवाहर लाल नेहरू को यह मालूम नहीं था कि एक दिन उनकी अपनी बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी भी उसी रास्ते पर जायेगी, जिस रास्ते पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद चल रहा था। 1975 की एमर्जेंसी इस देश के लोग भुगत चुके हैं और आज भी बगैर घोषित हुए आपातकालीन जैसी स्थिति देश पर थोप दी गई है। हमारे देश के संविधान के निर्माता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जनतन्त्र और आजादी के क्या मायने हैं। जनतन्त्र और आजादी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस देश में आजादी नहीं है—किसी के साथ पत्र-व्यवहार करने की, खुल कर टेलीफोन पर बात करने की, अखबार वालों को यह आजादी नहीं है कि सरकार के खिलाफ जनता तक अपनी बात पहुंचा

सकें—तो वह क्या जनतन्त्र है, ऐसी स्थिति में तो इस देश का जनतन्त्र भी खतरे में पड़ जाएगा और हमारी सरकार आज उस तरफ बढ़ रही है।

इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं—चाहे रूलिंग पार्टी के सदस्य हों या विरोध पक्ष के सदस्य हों—एक जुट हो कर इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। आप को श्री वाजपेयी जी के इस बिल का समर्थन करना चाहिए तथा एक साथ यह घोषणा करनी चाहिये कि 1975 जैसी स्थिति इस देश में पैदा नहीं होने देंगे, चाहे इस देश के लोगों ने आजादी से पहले जो लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह की लड़ाई हम को अब भी क्यों न लड़नी पड़े। पं० जवाहर लाल नेहरू ने उस वक्त जो कुछ कहा था, आज उनकी बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी उस का उल्टा कर रही हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लिस्ट दी है और जो "इंडिया टूडे" में छपी है, उस पर नहीं जाना चाहता। वाजपेयी जी ने तफसील से उस पर अपने विचार रखे हैं लेकिन अभी परसों जो ब्यान मेनका गांधी ने दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि मेरी डाक सेंसर की जा रही है और उनका टेलीफोन भी सेंसर किया जा रहा है। आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रधान मंत्री को अपनी बहू पर भी विश्वास नहीं रहा है; तो फिर हम लोगों पर, अपोजीशन के लोगों पर और देश के दूसरे लोगों पर कैसे विश्वास हो सकता है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : क्या बात कर रहे हो ?

श्री जगपाल सिंह : यह ब्यान आया है। माननीय वाजपेयी जी ने इस कानून में संशोधन करने लिए तफसील से अपने विचार रखे हैं, इसलिए मैं इनकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि देश की आजादी के लिए, जनतन्त्र के लिए इस तरह का जो कानून बना हुआ है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए यह काला कानून बनाया था लेकिन आज जब देश के लोग आजाद हैं तो उस आजादी के रहते हुए लोग पत्र-व्यवहार खुल कर न कर सकें, तो यह सही नहीं होगा। आज उनको खुल कर पत्र-व्यवहार का अधिकार नहीं है और यह सरकार भी वही काम कर रही है जो अंग्रेज करते थे, तो मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह अपने परिवार का साम्राज्यवाद इस देश के लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह साजिश है और वे उस तरफ बढ़ रही हैं। अभी हमारे ज्ञानी जैल सिंह का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए····

एक माननीय सदस्य : अभी राष्ट्रपति का चुनाव कहां हुआ है ?

श्री जगपाल सिंह : पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए कैंडीडेट चुना है, मेरे कहने का मतलब यह है और पार्टी के लोगों ने भी कहां किया है, वह सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है और कांग्रेस पार्टी के लोग हम अपोजीशन के लोगों से यह बात कहते हैं कि यह सलेक्शन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है।······(व्यवधान)······वाजपेयी जी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। जनता पार्टी के राज्य के अन्दर अगर यह काम हुआ है, तो मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करूंगा। जनता पार्टी ने अगर यह काम किया था, तो वह भी सही नहीं थी और माननीय वाजपेयी जी जब उस समय सत्तारूढ़ पार्टी में थे, तो इस कुकर्म का उनको विरोध करना चाहिए था। मुझे मालूम

हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस जब जनता पार्टी में थे, तो उनका टेलीफोन टेप होता था और उनकी डाक सेंसर हुआ करती थी। वह गलत काम था। ऐसा काम चाहे जनता पार्टी ने किया हो या कांग्रेस पार्टी कर रही है, दोनों ही गलत हैं और मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी इससे लैसन लेगी और इस कानून में जो संशोधन वाजपेयी जी ने दिए हैं, उनको सरकार स्वीकार करेगी।

जो सुझाव माननीय वाजपेयी जी ने दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, जनाब वाजपेयी साहब ने जो एमेंडमेंट इंडियन पोस्ट आफिसेज बिल के लिए लाए हैं, उस पर मैं अपने ख्यालात आप के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक सेंसरशिप का ताल्लुक है, माननीय वाजपेयी जी ने उसकी मुखालफत नहीं की है और मेरा भी यही विचार है कि सेंसरशिप होनी चाहिए और वह भी उस सूरत में जहां हमारे मुल्क की सेक्यूरिटी पर वह असर करती हो लेकिन मेरी तजवीज यह है कि मौजूदा एक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंसरशिप के लिए अख्तियारात दिये गये हैं वे नहीं होने चाहिएं। सारे मुल्क में एक सेंसरशिप एजेंसी हो जो इसको देखे। (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : आपने जो बिल पेश किया है, उसी पर बोलिये।

श्री पी० नामग्याल : मैं उसी पर बोल रहा हूं।

जनाब मैं यह कह रहा हूं कि मैं भी ऐसी ही सेंसरशिप का शिकार हुआ हूं। हाल ही में मैंने चार लेटर पोस्ट किये थे। एक लेटर डिफेंस मिनिस्टर के नाम, दूसरा लेटर श्री राजीव गांधी के नाम, तीसरा लेटर श्री गुलाम नबी आजाद के नाम और चौथा लेटर अपनी स्टेट के प्रदेश कांग्रेस प्रेजीडेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम। डिफेंस मिनिस्टर साहब को तो मेरा लेटर पहुंच गया है। लेकिन बाकी के जो तीन लेटर मैंने भेजे थे वे आज तक नहीं पहुंचे हैं।

मैंने उसमें यही लिखा था और डिफेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि हमारे यहां 30 जून और 1 जुलाई को एक मेला लगता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां 27-28 जून को आने वाले थे, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि वे 30 जून और 1 जुलाई को वहां आएं। इसी तरह से मैंने अपनी पार्टी के लोगों का भी प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज तक वे तीन लेटर मेरी पार्टी के लोगों को नहीं मिले हैं

मैं यह मानता हूं कि सेंसरशिप तो जरूरी है और नेशनल इंट्रेस्ट में है, अपने मुल्क के इंट्रेस्ट में है। मणिपुर में पी० एल० ए० है, कश्मीर में प्लेबिसाईट फ्रन्ट के लोग अभी तक बहुत सारी तरह-तरह की साजिशें चला रहे हैं, उसी तरह से पंजाब में खालिस्तान की बात चल रही है। इस मकसद के लिए सेंसरशिप की जरूरत है। लेकिन यह स्टेट के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इसलिए

आपका जो डाक तार का पुराना बिल है, उसमें आपको तरमीम लानी चाहिए। इसी के साथ मैं वाजपेयी जी से गुजारिश करूंगा कि वे अपना तरमीमी बिल वापस ले लें।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई-उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सिद्धांत तथा सरकार का समर्थन करता हूं। जहां तक विधेयक के पाठ का सम्बन्ध है, सिद्धांत और सरकार की दृष्टि से यह स्वीकार्य है, फिर भी विधेयक को कुछ बेहतर बनाया जा सकता था। यह काफी अच्छा है। लेकिन इसके पाठ में सुधार किया जा सकता है।

सत्तारूढ़ दल की ओर से जो तीन भाषण दिए गए हैं, मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना है। इन तीन भाषणों से मुझे संयुक्त राज्य अमरीका के वाटरगेट काण्ड की याद आयी है। राष्ट्रपति निकसन पर डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्यालय में उस सूचना को प्राप्त करने हेतु, जो उनके विचार में राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए मूल्यवान थी, अन्दर जाने के लिए महा अभियोग चलाया गया था, और आखिर में उन्हें शर्मिन्दा होना पड़ा। उन्हें यह पता था कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के विरुद्ध काम किया है, कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के विरुद्ध अपराध किया है और इस प्रकार उन्होंने स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के धर्म के विरुद्ध अपराध किया है। अतः उन्होंने उन सब बातों से इनकार किया और उन कामों से सम्बद्ध होने के सम्बन्धों का खंडन किया। लेकिन जब श्री निकसन अपनी करतूतों के लिये शर्मिन्दा थे और उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय थाइलेंड के एक समाचार पत्र में एक लेखा छपा जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका में श्री निकसन द्वारा किए जा रहे कार्य को उचित ठहराया गया, वे संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे और बैंकाक के समाचार पत्र ने भी ठीक नहीं कुछ कहा जो इन तीन प्रख्यात कांग्रेसजनों ने आज इस सभा के सामने कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका उत्तर यह है। किसी देश का राष्ट्रपति उस समय तक शासन और राष्ट्रपति का काम कैसे कर सकता है जब तक कि उसे यह पता न चले कि उसके राजनैतिक विरोधी क्या कर रहे हैं और जो कुछ राष्ट्रपति निकसन ने किया, वह बिलकुल ठीक है। राष्ट्रपति निकसन तथा थाईलेंड के इस समाचार पत्र के सम्पादक के बीच अन्तर इतना ही था कि श्री निकसन ने प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया था और वह इसे जानते थे जब कि थाईलेंड में ऐसे लोग थे जो यह भी नहीं जानते थे कि प्रजातन्त्र की आवश्यकतायें क्या हैं। उस पक्ष के मेरे मित्रों की कठिनाई यही है।

मुझे अपने नेता को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इस विधेयक द्वारा उन्होंने उपनिवेशवादी युग के अवशेषों को हटाने की चेष्टा की है जिसे मैं निरंकुशता तथा तानाशाही का शस्त्र समझता हूं, जिसे मैं नागरिक के अधिकारों का हनन तथा जिसे मैं 1982 के वर्ष में संवैधानिक असंगति मानता हूं, जो एक ऐसी असंगति है जिसे तीन दशकों तक सत्ता में रहने वाली सरकार को, यदि उसे संविधान के उद्देश्य तथा भावनाओं से कोई लगाव था तो हटा देना चाहिए था।

सबसे पहले हम यह समझें कि भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 का अर्थ क्या है। डाकघर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था नहीं है; डाकघर एक सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक जनोपयोगी उपक्रम है और डाकघर अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य नागरिकों से लेता है। जब कोई वस्तु दूसरी जगह दिए जाने के लिए एक जगह पर डाकखाने में

डाली जाती है तो डाकघर मुआवजे के लिए माल भेजने वाले का तथा किसी मामले में माल प्राप्त करने वाले का वस्तु के देने तथा उसका परिवहन करने के लिये, एजेन्ट बनने को सहमत हो जाता है : डाकघर उस वस्तु का ट्रस्टी तथा एजेन्ट बना रहता है । और वह सरकार, जो डाकघर को चला रही है, किसी वस्तु को, जो ट्रस्टी के नाते उसके पास है, छिपाने की शक्ति ग्रहण करती है, एक ट्रस्ट जो नि:शुल्क नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा ट्रस्ट जो बदले में कुछ लेने के लिए बनाया गया हो, वित्तीय मुआवजे के लिए बनाया गया हो---जिसे नागरिक अदा करता है । धारा 26 द्वारा सरकार को चोरी करने की ही शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि इसके अधीन सरकार कुछ ऐसे काम भी करती है जिन पर हर किसी को शर्म आनी चाहिए, कम से कम एक साधारण नागरिक को तो शर्म आनी चाहिए—अधिकारी न केवल चोरी करता है बल्कि चोरी की गई वस्तु को स्थायी तौर पर अपने ही पास रख लेता है क्योंकि वह इसे छिपाकर रख सकता है वह इसे रफा दफा कर सकता है, वह इसे अजायबघर में रख सकता है अथवा कोई अधिकारी इसे अपनी जेब में भी डाल सकता है और कह सकता है कि यह वस्तु इसे जनहित में मिली है, आदि आदि ।

इससे भी बुरी बात तो यह है कि यदि आप डाकघर के संरक्षणाधीन किसी वस्तु को लेते हैं—जो पत्र या कोई कीमती वस्तु हो सकती है—तो आप ऐसी वस्तु को लेते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की है और उसे आप भारतीय संविधान के अनुसार असली, पर्याप्त अथवा प्रतिमासिक मुआवजा देने का दायित्व पूरा किए बिना ही ले रहे हैं ।

अतः इस धारा से नागरिकों के अधिकारों का अधिक उल्लंघन होता है और यदि इससे नागरिकों के अधिकारों का अधिक उल्लंघन होता है तो किसी भी सरकार को जो नागरिकों के अधिकारों का सम्पन्न करती हो, स्वयं आगे आकर यह कहना चाहिए था कि वे इस असंगति को दूर करेंगे क्योंकि यह संविधि पुस्तिका का अपमान है और यह अपमान की स्थिति और अधिक जारी नहीं रहनी चाहिए । लेकिन सत्ता का प्रभाव ऐसा होता है जिसे भी सत्ता प्राप्त होती है वह भ्रष्ट हो जाता है । अंग्रेजों ने इस शक्ति का उपयोग काफी समय तक किया था और जब कांग्रेसजनों को पता चला कि उनके पास अपने राजनैतिक विरोधियों पर निगरानी रखने के लिए यह शक्ति है, तो उनके दिल में भी इस शक्ति को अपने हाथ में लेने का लालच आ गया और सत्ता से वे भी भ्रष्ट हो गये हैं । श्री अटल बिहारी ने केवल आपको चेतावनी दी है । कृपया इस लक्षण को दूर करें, यह अतीत का लक्षण है और इससे संविधि पुस्तिका को कोई श्रेय नहीं मिलता ।

श्री डागा ने सोचा है, और गलत सोचा है—मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता—कि यह धारा राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले गम्भीर अपराधों की जांच के लिए जरूरी है । उन्होंने कहा कि यह धारा बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार को जानना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, वे देश की प्रभुसत्ता नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । ये भावात्मक तर्क हैं जिसका कोई न्यायसंगत उद्देश्य नहीं है । यदि कुछ व्यक्तियों का गिरोह कोई षड्यन्त्र रचे अथवा देश की अखण्डता को नष्ट करने अथवा इसकी आजादी को प्रभावित करने अथवा व्यापक अव्यवस्था पैदा करने अथवा विद्रोह की भावना पैदा करने अथवा शान्ति भंग करने का षड्यन्त्र करे तो निश्चय ही इन लोगों ने इकट्ठे होकर साथ होकर एक अपराधिक षड्यन्त्र रचा है अथवा भविष्य में संज्ञेय अपराध करने का इरादा बनाया है । पक्के अपराधों को रोकने तथा भविष्य में

किए जाने वाले अपराधों के इरादों को समाप्त करने के लिए दण्ड संहिता प्रक्रिया में उल्लिखित जांच की साधारण शक्तियां ही पर्याप्त हैं। यदि कोई वस्तु, चाहे पत्र हो, चाहे चैक हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, जो भी डाकघर के संरक्षण में है, अपराध की जांच के लिए जरूरी है और यदि वह ऐसे अपराध की जांच के लिए जरूरी है, जिससे समाज की सुरक्षा तथा शान्ति भंग होती हो, तो उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दण्ड संहिता प्रक्रिया की धारा 93 के अन्तर्गत वारंट जारी करने सम्बन्धी शक्तियां पर्याप्त हैं। लेकिन देश के साधारण कानून तथा डाकघर अधिनियम की धारा 26 के बीच की कठिनाई तथा अन्तर और अन्तर से कठिनाई पैदा होती है—यह है कि यदि दण्ड संहिता प्रक्रिया के अन्तर्गत आप किसी वस्तु को जब्त करते हैं तो आपके कृत्य का रिकार्ड रहेगा कि आपने ऐसा किया लेकिन इस डाकघर अधिनियम के अन्तर्गत आप नागरिक के अधिकारों के विरुद्ध अपने अपराध के सभी वक्तव्यों को समाप्त कर देते हैं। यह एक गुप्त रूप से किया जाने वाला कार्य है जो उचित जांच और न्याय के सभी नियमों के विरुद्ध है। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है, चाहे वह कितनी कठोर तथा घृणास्पष्ट क्यों न हो। जिसका उपयोग किसी स्थिति में किसी अच्छे उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकता। हर बुरी शक्ति का उपयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, इससे हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इस शक्ति का बहुत दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इस शक्ति का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग स्पष्ट है, जो श्री स्टीफन की स्वीकारोक्ति से एकदम स्पष्ट हो जाता है। श्री स्टीफन ने कहा है कि जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया था। यदि जनता पार्टी के लोगों ने वैसा किया तो वे भी उतने ही दोषी थे और उन्होंने कुछ इस तरह का कार्य किया तो वे भी निंदा के पात्र हैं। लेकिन दो गलतियां करके किसी एक कार्य को ठीक नहीं किया जा सकता। श्री स्टीफन हम से कहते हैं कि चूंकि जनता पार्टी ने ऐसा किया इसलिए वे जनता पार्टी के काम से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

आज जब शान्ति को कोई खतरा नहीं है, जब देश में कोई गम्भीर आपात स्थिति नहीं है, जब हम शान्ति से हैं, जब हमारी स्थिति सामान्य है, सिवाए उस असामान्य स्थिति के जो सरकार ने स्वयं अपने भ्रष्ट कार्यों और अकुशलता से पैदा कर ली है, तब अगर सरकार इस स्थिति में डाकघर अधिनियम के अन्तर्गत उन शक्तियों का प्रयोग जारी रखना चाहती है तो यह स्वयं में शक्तियों के दुरुपयोग की बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति होगी जिसके लिए यह धारा 26 को लागू किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संशोधन में कहा है कि आपको अवश्य ही ऐसी अभिव्यक्तियां रखनी चाहिए जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। दूसरी ओर बैठे मेरे मित्रों और संभवत स्वयं श्री स्टीफन को यह ज्ञात नहीं है कि एक तरफ अफसरशाही और सरकार के बीच दूसरी ओर तर्कशील व्यक्तियों और सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के बीच तथा तीसरी ओर न्यायपालिका के बीच निरन्तर यह विवाद चला आ रहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। सार्वजनिक शान्ति का क्या अर्थ है, सार्वजनिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इन अस्पष्ट अभिव्यक्तियों जैसे कि सार्वजनिक आपात स्थिति, राष्ट्र की सुरक्षा, आदि-आदि, का क्या अर्थ है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें अफसरशाही के दिमाग और मंत्री महोदय के दिमाग में एक सामान्य नागरिक के सामान्य विवेकशील दिमाग के बीच बहुत अन्तर हो सकता है। मान

लीजिए एक मंत्री महोदय एक महिला को मिलने गए और उस महिला के क्रुद्ध सम्बन्धियों ने उन्हें पीट दिया और एक सार्वजनिक उत्तेजना पैदा कर दी तो मंत्री महोदय यह सोच सकते हैं कि शान्ति भंग की गई है और 'अब मैं पत्रों और तारों को बीच में रोकना आरम्भ कर सकता हूं।' ये कोई काल्पनिक स्थितयां नहीं हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा होता है। मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। लोगों को ऐसी स्थिति में पीटा गया है जिसका मैंने उल्लेख किया है। वे किसी-न-किसी बहाने अस्पताल गए हैं। जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं।

अत. एक विवेकशील पुरुष का अफसरशाही अथवा मंत्री महोदय के इस अभिव्यक्ति के अर्थ से मतभेद हो सकता है। महोदय, यदि आप विधि प्रतिवेदनों को देखें तो आप यह पावेंगे कि उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के प्रत्येक खण्ड में उन नजरबन्दों को छोड़ने की बात कही गई है जिनको इस आधार पर नजरबन्द किया गया था कि उनकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है कि आप लोगों को संभवतः सार्वजनिक व्यवस्था के अर्थ का पता नहीं है। परिभाषा का लचीलापन सदैव तानाशाही का कारण बनता है। आप गलत गतिविधियों का इतने लोचपूर्ण शब्दों में, इतने अस्पष्ट शब्दों में वर्णन कर सकते हैं कि उसके अन्तर्गत लगभग सभी लोचपूर्ण अभिव्यक्तियां आ जाए। धारा 26 का अत्यन्त अस्पष्ट उपबन्ध धारा 26(1) में नहीं अपितु धारा 26(2) में है।

धारा 26 (1) में कम से कम एक उचित सीमा तो रखी गई है कि जब सार्वजनिक आपात स्थिति हो, जब शान्ति को खतरा हो और जब सुरक्षा को खतरा हो तब आप इसे लागू कर सकते हैं। परन्तु महोदय, उपधारा (2) में सभी कुछ उड़ा दिया गया है। इसमें लिखा है;

> 'शान्ति, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे की स्थिति तथा आपात स्थिति उस समय पैदा हुई समझी जाएगी जब सरकार ऐसा सोचेगी।'

दूसरे शब्दों में आप एक ऐसा कानून बनाते हैं जो देखने में बहुत ही उचित प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो यह कहे कि अपराधियों को अवश्य ही दण्ड मिलना चाहिए परन्तु दूसरी धारा में आप यह कह दें कि वह व्यक्ति अपराधी होगा जिसे श्री जैल सिंह अथवा श्री स्टीफन अपराधी समझें, वही अन्तिम निश्चय होगा। यह एकतन्त्र का लक्षण है, यह तानाशाही का लक्षण है। आप पहले ऐसा कानून बना दें जो भारी-भरकम शब्दों में बहुत ही उचित लगे, फिर बायें हाथ से आप वह वापस ले लें जो दायें हाथ ने दिया है, तो यह उचित नहीं है। संशोधन द्वारा इस लोचपूर्ण सूत्र जिसका दुरुपयोग हो सकता है, के स्थान पर एक निश्चित सूत्र, जिसे हर कोई समझता है, रखा जाना है।

इस संशोधन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा है कि आपातकाल का अर्थ अवश्य ही उस आपातकाल से होना चाहिए जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। यदि मुझे इसका मसौदा तैयार करना पड़े तो संभवत मैं यही कहूंगा कि उस अवधि के दौरान जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा लागू हो। इससे कानून उचित बन जाता है, क्योंकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारियों को राष्ट्र की आकस्मिक स्थिति के समक्ष छोड़ना पड़ता है और तब यह तर्क देना संभव है कि आखिर हमारे यहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो

गयी है जिसमें मौलिक अधिकारों को पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता । अतः हमें सम्पत्ति आदि छीनने का अधिकार अवश्य ही अपने हाथ में लेना चाहिए । अतः महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और मेरे विचार में यह उचित समय है जब सरकार को वर्तमान संशोधनकारी विधेयक में रखे गये प्रभावी संशोधन से भी अधिक प्रभावपूर्ण संशोधन लाना चाहिए । आप संभवतः इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के प्रति कुछ हद तक वचनबद्ध हैं । आप संभवतः बाद में यह दावा कर सकते हैं कि आप हमारे संविधान की यथार्थता का सम्मान करते हैं ।

धन्यवाद, महोदय ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश कुमार गंगवार ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, आज जो भाषण माननीय अटल जी के ऊपर माननीय डागा जी, माननीय अराकल जैसे विद्वान व्यक्तियों ने दिए उनसे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो विरोधी दल कहते हैं कि इनकी जनतन्त्र में आस्था नहीं है, वह बिल्कुल सिद्ध हो रहा है । हमारे जो डाक तार मंत्री हैं इनसे तो कुछ आशा ही नहीं । नम्बर एक, इनको कुछ मालूम नहीं है, सारा काम नम्बर 1 सफदरगंज से चलता है । नम्बर दो, यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं । जो मंत्री यह कहता है कि अगर तुम्हारा टेलीफोन ठीक काम नहीं कर रहा है तो इसे कटवा लो, और देश के अन्दर कितने अनआथोराइज्ड ट्रांसमिटर्स लगे हुए हैं उनका पता नहीं लगा सकता, और पता लगा ले तो कुछ कर नहीं सकता'''स्मगलर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम पर कोई असर, प्रभाव नहीं डाल सकते, तो उस मिनिस्टर से हम क्या उमीद करें कि वह इस बारे में कुछ कर सकेंगे ? वह अगर चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से हुक्म है कि ऐसा किया जाए । जैसा ऊपर से हुक्म होगा, वैसा ही मंत्री जी करेंगे ।

संविधान में भाषण, अभिव्यक्ति और विचार को स्वतन्त्रता दी गई है । जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्यों ने कहा कि चिट्ठी-पत्री का पढ़ा जाना या टेलीफोन का टेप किया जाना यह भी संविधान के विपरीत है, यह उस प्रावीजन के खिलाफ जाता है । इसको समाप्त करना चाहिए ।

मैं इस सम्बन्ध में दूसरी राय भी देता हूँ । आप टेलीफोन का टेप करना या चिट्ठी-पत्री का खोलना पढ़ना इसलिए करते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई षडयन्त्र तो नहीं रचा जा रहा है । पहली बात तो यह है कि कोई संगठन हो या व्यक्ति हो क्या वह ऐसी बातें पत्र में लिखेगा या आपको कहेगा ? आपके अफसर कितने पत्र पढ़ते हैं, क्या आज तक एक भी मुकदमा उन पत्रों के आधार पर या टेलीफोन के आधार पर किसी पर कहीं भी चलाया गया है जिससे यह साबित हो जाये कि हां, अमुक व्यक्ति इस प्रकार से हिन्दुस्तान की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा था ?

क्या आपने एक भी मुकदमा चलाया जहां इसका उपयोग किसी खास काम के लिए कर रहा हो ? अगर कोई पार्टी या संगठन ने कोई बात कही कि अमुक तारीख को मीटिंग होगी, आपने 10 दिन तक उस पत्र को रोक लिया, वह उसके पास पहुंचा नहीं, मीटिंग खत्म हो गई

और वह जा नहीं पाया । वही आपका तरीका टेलीफोन के टेप करने का है । मैं समझता हूं कि कहीं आपकी यह राय तो नहीं है कि अपनी पार्टी के अन्दर जो असंतोष है, उसको मालूम करने के लिए आप इस तरह के उपाय अपनाते हैं ? इसके कई उदाहरण है, जो मिनिस्टर के पद से हटते हैं, उनके टेलीफोन आप टेप करने लगते हैं, उनकी डाक सैंसर होने लगती है । जब बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर के पद से हटे तो उनका टेलीफोन टेप होने लगा, डाक सैंसर होने लगी । तो हम ऐसी बात कोई कर नहीं रहे और न हो रही है न चिट्ठी से न टेलीफोन से । अगर कोई कुछ कर भी रहा हो तो क्या चिट्ठी के जरिये से बता देगा ? हम तो वैसे ही जनतन्त्र में विश्वास करते हैं । ऐसे काम करते नहीं हैं, लेकिन आप इस तरीके से जरूर यह काम करते हैं कि 10, 10 दिन तक पत्र नहीं मिल पाते हैं ।

आप कहते हैं कि टैंपरिंग विद किया जाता, डाक खोली नहीं जाती । मेरी चिट्ठी 10, 10 दिन नहीं पहुंचती है । मैंने चुपके से डाकिए से पूछा कि क्यों देर होती है तो पता लगा कि इंटैलीजैंस वाले ले गये थे, देरी से देते हैं तो क्या करें । आप यहां कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, डाक को सैंसर नहीं करते हैं, टेलीफोन को टेप नहीं करते हैं ।

हमारे एक माननीय सदस्य जो लेह से आते हैं, लद्दाख के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात आपके सामने बता दी । वह सीधे-साधे आदमी हैं, पर्वत का आदमी सीधा-सधा होता है और ऊंचे पर्वत का बहुत सीधा सादा होता है ।

श्री पी० नामग्याल : वह स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह काम करे और स्टेट गवर्नमेंट न करे । यह बात नहीं चलेगी । फर्क सिर्फ इतना है कि जब वे शासन की पार्टी में होते हैं, तो कहते हैं कि जितनी दंड व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वे लागू की जाएं और जब शासन से हट जाते हैं, तो कहते हैं कि दण्ड-व्यवस्था बुरी है । उन्हें ऐसे नार्म्ज और परम्पराओं की स्थापना करनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि जनतन्त्र में उनकी आस्था है और वे जनतन्त्र का सम्मान करते हैं ।

लेकिन वे जनतन्त्र का क्या सम्मान करेंगे ? उनकी प्रधान मंत्री तो संविधान में ऐसा संशोधन करा लेती हैं कि उनके खिलाफ कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर नहीं हो सकता, उनके खिलाफ इलेक्शन पेटीशन हाई कोर्ट का जज नहीं सुन सकता और लोक सभा की अवधि भी बढ़ जाती है । यह इनकी पार्टी और इनके नेता का हाल है, जो अपने मतलब के लिए हाई कोर्ट के जज के फैसले को भी बदलवा देती हैं । सब एम पीज की इलेक्शन पेटीशन्ज को तय करेगा हाई कोर्ट का जज, लेकिन अगर प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई पेटीशन होगी, तो उसे हाउस की कमेटी तय करेगी ! जनतन्त्र में इनकी आस्था यह है ! हम इनसे क्या कहें ?—कुछ नहीं कह सकते ।

एक माननीय सदस्य : यह रेलिवेंट नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अगर यह रेलिवेंट नहीं है, तो क्या है ? बहुत जल्दी वह समय आने वाला है, जब आप इसकी रेलिवेंसी को समझ जाएंगे, जब आप उधर से इधर बैठेंगे और हम लोग इधर से उधर बैठे होंगे ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : यह तो सुनहरा सपना है। देखते रहे। मगर अभी तो दिन है !

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि आप जनतन्त्र में आस्था रखते हैं और अच्छी परम्पराएं डालना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजों के जमाने के बने हुए इस कानून को बदल डालें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और बदल होना चाहिए, तो आप एक नया संशोधित बिल लाएं। हमने पहले भी आपके कई बिलों का स्वागत किया है, हम इस बिल का भी स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार लोगों की डाक को सेन्सर करके या उनके टेलीफोन को टेप करके उन्हें परेशान न करे। यह प्रजातन्त्र के नियमों के विरुद्ध तो है ही, मगर साथ ही यह कोई अच्छी आदत भी नहीं है कि किसी की चिट्ठी-पत्री को खोल कर पढ़ा जाए। हमारे घर में जब किसी की चिट्ठी आती है, तो उसे लिफाफा वैसे ही दे दिया जाता है। अगर कोई उसे खोल ले, तो उसे बुरा माना जाता है कि चिट्ठी कैसे पढ़ ली। मगर यहां गवर्नमेंट दूसरों की चिट्ठियां पढ़ रही है। शायद ये जानना चाहते हैं कि किसका किससे प्रेम है और उससे अपना प्रेम लड़ाना चाहते हैं। पता नहीं, इनका क्या इरादा है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में 6 या 7 वक्ता भाग लेना चाहते हैं। परन्तु हमें इसे 5-30 बजे तक समाप्त करना है और मंत्री महोदय भी बोलेंगे और श्री वाजपेयी को भी बोलना है।

श्री राम सिंह यादव : महोदय, आप समय बढ़ा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) **:** यदि वक्ता अधिक हैं तो आप समय बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : 5-30 बजे के बाद हम एक घण्टा और बढ़ायेंगे परन्तु 6-00 बजे सभा स्थगित हो जाएगी। इस विधेयक पर चर्चा करने का समय एक घण्टा बढ़ाया गया है। इसका अर्थ है चर्चा आज समाप्त नहीं होगी। परन्तु अगली बार जब निजी सदस्यों के विधेयकों को लिया जायेगा इसे जारी रखा जायेगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव : महोदय, मैं केवल तभी बोल सकता हूं जब सभा में व्यवस्था हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवधान नहीं है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव : यह विरोध मैं रीति, नीति, सिद्धान्तों और कानून के प्रावधानों के अनुकूल करता हूं।...(**व्यवधान**)...

मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता आज और खास तौर से कुछ दिनों से इस राजनैतिक जीवन में एक भिन्न प्रकार से कुछ आशाएं और आकांक्षाएं लेकर चलना चाहते हैं। उन आशाओं और आकांक्षाओं की वजह से वह हमारा जो दल है और हमारी जो सरकार है, उसकी जो कार्यविधि है उसको देखते हैं कि सुचारू रूप से चल रही है और सरकार की अच्छी उपलब्धियां हैं, तो उसमें कुछ न कुछ अभाव दिखाने का प्रयत्न करते हैं। माननीय वाजपेयी जी ने यह कहा कि सरकार को इस तरह की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह किसी भी डाक को या डाक के आर्टिकल को किसी भी स्टेज पर देख सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके या किसी तरह की कोई जानकारी उसके बारे में करना चाहे तो कर सके।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा।

श्री राम सिंह यादव : यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने सुना है वह कह रहा हूं। (व्यवधान)

मेरे विचार से मैं आपसे बेहतर जानता हूं। मुझे आपसे अधिक ज्ञान है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : आपको सारा ज्ञान रखने का एकाधिकार प्राप्त है।

श्री राम सिंह यादव : परन्तु हम अपनी शेखी नहीं मारते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी, मैं श्री सूरज भान के बारे में कुछ और अधिक जानता हूं। इन्होंने डाक विभाग में कार्य किया है।

श्री राम सिंह यादव : यह हमारी आदत है कि जो कांग्रेस दल के लोग हैं वह कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं। यह आप लोगों में एक अभाव है। आप लोग इस बात को सीखिए और आप भी सीखिए।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस सम्बन्ध में जो इंग्लैंड के, यू० एस० ए० के, फ्रांस के या और दूसरे देशों के इस तरह के कानून देखे हैं क्या उनमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है ? इस तरह से डाक को इन्टरसेप्ट करने की राष्ट्रीय स्तर पर······ (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री राम सिंह यादव : मैं आपको चेलेंज कर सकता हूं कि कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र के अन्दर जो भी डाक चाहे विदेश से आती हो चाहे इगलैंड जो लैटर आते हों उनको चैक करने की पावर सरकार को न हो। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। चाहे वह सोशलिस्ट कंट्री हो चाहे कैपिटलिस्ट कंट्री हो सबके अन्दर यह व्यवस्था है और उसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का हित जो आपका भी उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और मजबूत तरीके से राष्ट्र की इन्टीग्रिटी को कायम रखने के लिए कोई ऐसा कार्य अगर सरकार करती है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत है। जितने भी माननीय सदस्य विरोध पक्ष की ओर से बोले हैं, किसी ने भी यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने मैलाफाइडी तरीके से किसी भी डाक को रोका हो या डेस्ट्राय किया हो या टैलीफोन टेप किया

हो। कोई एक भी एग्जाम्पल आज तक ऐसी नहीं आई है जिसमें डाक तार विभाग के किसी अधिकारी की तरफ से कोई मैलाफाइडी ऐक्ट किसी भी स्टेज पर किया गया हो। आप जानते हैं कि पोस्ट आफिसेज ऐक्ट में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वह इस दृष्टि से की गई हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा को कोई हानि न पहुंच सके तथा राष्ट्र तथा समाज का जो कार्य संचालन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मैं जानना चाहता हूं क्या इस देश में ऐसे पत्र नहीं भेजे गए जिनमें बम रखे गए हों ? क्या यहां पत्रों के अन्दर जीवित सांप रखकर नहीं भेजे गए ? यह एक हकीकत है, इस देश में ऐसा हुआ है। इसके बावजूद यदि आप इस विभाग को कोई अधिकार नहीं देना चाहते तो आप इस देश में अराजकता ही चाहते हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने डाक को एक ट्रस्ट बना दिया। जेठमलानी जी ने बहुत कानून पढ़ा है लेकिन मैं भी इस क्षेत्र में थोड़ा सा दखल रखता हूं। उनके हिसाब से कोई भी कन्ट्राबैण्ड गुड डाक से भेज दिया जाए तो उसको चैक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके मुताबिक तो सी कस्टम्स ऐक्ट के अन्तर्गत भी सेन्ट्रल एक्साइज को चैक करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके मुताबिक पोस्ट आफिस के जरिए से अवैध हथियार भेजने का अधिकार हो जायेगा और गवर्नमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट उसमें इंस्ट्रूमेण्टल हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था कोई कानून की व्यवस्था नहीं होगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है।

मैं जानना चाहता हूं क्या जेठमलानी जी और वाजपेयी जी सन् 1977 से 1980 तक श्रीमती इन्दिरा गांधी के टेलीफोन टेप नहीं करते थे ? क्या उस समय उनकी डाक को सेन्सर नहीं किया गया ? इसी सदन में आपसे यह बात कही जाती थी लेकिन आपने उसका जवाब तक नहीं दिया। आपने उस समय जैसा आचरण किया वह इस बात का संकेत करता है कि आप यहां पर जो बिल लाए हैं वह बोनाफाइडी नहीं है बल्कि आप सरकार को मैलाइन करना चाहते हैं, कमजोर करना हैं। 1977 से 1980 तक आप तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारी डाक को भी सेन्सर करते थे। आप कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं की डाक सेन्सर करते थे। आप कांग्रेस (आई) के एम पीज और स्वयं स्टीफन साहब की डाक को सेन्सर करते थे और फोन को टेप करते थे। इसलिए पहले आप अपनी तरफ ध्यान दें कि आपने किस तरह का कार्य किया था।

यह जो 1898 का ऐक्ट है इसको अपने टाइम में आपने देखा भी होगा। यह जरूर है कि अंग्रेजों के टाइम का यह ऐक्ट है लेकिन आप तो अंग्रेजों के वफादार रहे हैं ... (व्यवधान) सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वाले भी अंग्रेजों के सहयोगी रहे हैं और आर० एस० एस० वाले तो अंग्रेजों का स्तुति-गान करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को आपने उस समय भी पढ़ा होगा, जब आप विदेश मंत्री थे और आप एक सशक्त मंत्री थे, उस समय भी आपने इस कमी को अनुभव नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय आपका निशाना श्रीमती इन्दिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय आपका निशाना कांग्रेस (आई) पार्टी थी। उस समय आपका निशाना था कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति न रहे। इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मुकदमें चलाए गए। मैं माननीय जेठमलानी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को नहीं जानते कि मनीपुर में श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मुर्गी के चार चूजें और छोटी-छोटी चीजों को लेकर शाह कमीशन बैठाया गया और झूठे मुकदमें चलाए

गए। आप यह बात नहीं जानते हैं कि आपने उस समय इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग अधिकारियों को किस तरह से दबाकर के स्व० श्री संजय गांधी और शुक्ला जी के खिलाफ ब्यान दिए, किस तरह श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन में पैरवी की गई। आज आप डैमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर चलना चाहते हैं। आज आप जनतन्त्र के रक्षक हैं। आप यह नहीं जानते हैं कि इस जनतन्त्र की रक्षा करने वाली पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी है। यह वह पार्टी है, जिस पार्टी का कल्चर सैक्युलरिज्म, सोशियलिज्म और डैमोक्रेसी है। इस कल्चर को मजबूत करने के लिए हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी आज भी प्रयत्न कर रही है। आप लोगों को केवल एक दुःख है, वह दुःख यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी आज भी और अधिक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबों की मसीहा हैं। इस देश के अन्दर विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय जेठमलानी जी जैसे व्यक्ति जो कि कानून को जानने वाले हैं, वे भी इस तरह की बातें करते हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय वाजपेयी जी ने सैक्शन-26 के बारे में कहा है कि इसको दुरुस्त किया जाए, संशोधन किया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सैक्शन 18 से लेकर सैक्शन-25 तक इनको कायम रखना चाहते हैं और सैक्शन-26-ए को हटाना चाहते हैं। सैक्शन-18 से लेकर सैक्शन-25 तक सारी वही व्यवस्थाएं हैं, जैसे डाक को समाप्त करना और डाक को चैक करना तथा दूसरे प्रावधान भी हैं। 26-ए एक इनेब्लिंग सैक्शन है और सैक्शन-18 से सैक्शन-25 तक आप कायम रखना चाहते हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस ऐक्ट को पढ़ा नहीं है। श्री जेठमलानी जी ने इस बात को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कि यह संशोधन इनकम्पलीट है। इस संशोधन से और विसंगतियां पैदा होंगी। आप इस तरह की विसंगतियां पैदा करना चाहते हैं और उस सही ऐक्ट में कन्ट्राडिक्शन पैदा करना चाहते हैं, अपने ही अमेंडमेंट के जरिए से। मेरे विचार से यदि आपने इस अमेंडमेंट को और इस सारे ऐक्ट को दोबारा पढ़ा होता तो आप इस नतीजे पर अवश्य पहुंचते कि आपका अमेंडमेंट एक कन्ट्राडिक्टरी प्रोवीजन इन्टरोड्यूस करना चाहता है और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो प्रावधान इस ऐक्ट में है, वह सही तरीके से है। हालांकि विरोधी पक्ष ने गत दो वर्षों से काफी उकसाने की कोशिश की है और मिनिस्टर साहब को बार-बार कहते हैं कि टेप करते हैं, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट ने बड़ी बोनाफाइड तरीके से, उसमें न किसी तरह की विरोधी दल के नेताओं को न टेप करने की बात है, न उनकी डाक को गलत तरीके से नष्ट करने की बात है, मेरी दृष्टि में सही तरीके से काम हो रहा है। उसके लिए मैं पोस्ट आफिस और पोस्ट आफिस के अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि आप एक समझदार सांसद हैं, इसलिए इस विधेयक को वापस ले लें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो यह संशोधन माननीय वाजपेयी जी द्वारा पेश किया गया है, उसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, माननीय सदस्य सरकार की कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। कार्यकुशलता का तरीका यही है कि लोकतन्त्र की हत्या की जाए। यह अच्छा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाजपेयी जी के इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही सामयिक और बहुत ही उचित विधेयक है। यदि सरकार इसे, जिस प्रकार इस में कहा गया है, उसी नीयत के साथ मान लेती है तो शायद हमारे देश के लोकतन्त्र में काफी निखार आएगा और उससे मजबूती और स्थायित्व प्रदान होगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मैं इस सरकार को समझ पाया हूं और इस देश के लोग समझ पाये हैं, यह सरकार लोकतन्त्र में आस्था नहीं रखती, इसके आज तक के तमाम आचरण इस बात के प्रतीक रहे हैं और यही कारण है कि आज यह सरकार तमाम विरोधी दलों के नेताओं के टेलीफोन टेप कराती है, उनकी डाक को सेन्सर किया जाता है तथा तरह-तरह से उत्पीड़ित करने का प्रयास किया जाता है।

अभी श्री रामसिंह यादव ने कहा कि हर-एक देश में ऐसी व्यवस्था है। थोड़ी देर के लिये अगर यह बात मान भी ली जाय तो आप यह देखिये कि इस विधेयक में क्या कहा गया है? वही बात कही गई है जो आप ने कही है। एक तरह से श्री रामसिंह यादव ने श्री वाजपेयी जी के विधेयक का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह कहा जा सकता है। लेकिन इस विधेयक में क्या लिखा है?

> "(क) "कोई सार्वजनिक आयात होने पर" शब्दों के स्थान पर "गम्भीर आयात होने पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अधीन उद्घोषित किया गया हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

दूसरे यह कहा गया है--

> "(ख) सार्वजनिक क्षेभ और अक्षोभ" शब्दों के स्थान पर "भारत की सुरक्षा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

इसमें सिक्योरिटी आफ इण्डिया की बात कही गई है, जिससे हमारे माननीय सदस्य श्री रामसिंह यादव भी सहमत हैं। इसका मतलब है कि वह वही बात कह रहे हैं जो श्री वाजपेयी जी ने कही है, लेकिन कहने के लिए विधेयक का विरोध करते हैं। मेरी दृष्टि में इन्होंने विधेयक का पूरा समर्थन किया है, लेकिन विरोध शब्द का प्रयोग करके शायद वह अपनी नेता को प्रसन्न करना चाहते होंगे, परन्तु इसमें उनको सफलता नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन कर दिया है......

उपाध्यक्ष महोदय : तब उन्होंने अन्ततः श्री वाजपेयी को विधेयक वापस लेने के लिए क्यों कहा?

श्री हरिकेश बहादुर : यही बात वह समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी नेता समझ जायेंगी कि वह क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ विधेयक का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ वापस लेने की बात करते हैं।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जैसा इन्होंने कहा है, इसको किया जा सकता है, लेकिन इनकी नेता और इनकी पार्टी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए यह काम करती है

और जब कभी भी ऐसे मौके आए हैं, मौजूदा सरकार के नेताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए ही यह काम किया है। इसमें कहा गया है—

पब्लिक एमर्जेन्सी की जगह पर—

"(क) कोई सार्वजनिक आपात होने पर" शब्दों के स्थान पर "गम्भीर आपात होने पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अधीन उद्घोषित किया गया हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ?"

यह जो पब्लिक एमर्जेन्सी की बात कही गई है—यह नहीं हटाई जाती है तो इसका भाषान्तर सरकार कुछ भी कर सकती है।

श्री रामसिंह यादव : यह कानून की बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : ग्रेव-एमर्जेन्सी का अर्थ आप नहीं समझेंगे, अगर इन्जीनियरिंग की बात होती तो शायद ज्यादा आसानी से समझ जाते 26 जून, 1975 को जो एमर्जेन्सी लागू की गई थी, वह कैसी एमर्जेन्सी थी ? आप की अपनी सुरक्षा के लिए लागू की गई थी, देश की सुरक्षा के लिए लागू की गई थी। जिस सुरक्षा की बात इस में कही गई है और जिसका उल्लेख यादव जी ने किया है......

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर जी, यह बेहतर होगा कि आप आपातकाल से सम्बन्धित विषयों की बात न करें।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यह शब्द इस विधेयक में ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए मैं इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मैंने कहा है कि ये लोग जब कभी भी इस प्रकार की चीज का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा इनकी दृष्टि में गौण है, इनकी अपनी सुरक्षा प्रधान है, इस लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।

अभी-अभी श्री रामसिंह यादव जी ने कहा कि कभी-कभी डाक में सांप रखे जाते हैं, बम रखे जाते हैं। कौन रखता है ? क्या वाजपेयी जी रखते हैं, एडवानी जी रखते हैं, बहुगुणा जी रखते हैं, इन्द्रजीत गुप्ता जी या दण्डवते जी या चन्द्रशेखर जी रखते हैं ? सांप या बम कौन रखता है ? सांप और बम जो लोग रखते हैं, उनकी डाक सेन्सर नहीं की जाती बल्कि ऐसे लोगों की डाक सेन्सर की जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, मानव जीवन की सुरक्षा प्रदान करने की लड़ाई लड़ते हैं, सारे देश के विकास की बात करते हैं और जो राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोगों की डाक को सेन्सर किया जाता है न कि उन लोगों की डाक को जो सांप रख कर भेजते हैं। सांप कौन रखता है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रावधान सुझाये गये हैं, वे राष्ट्र हित में हैं और लोकतन्त्र के अनुरूप हैं और सरकार को इनको मान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अगर वास्तव में देश में लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करनी है और

लोकतन्त्र में आस्था है वैसे लोकतन्त्र में इनकी आस्था नहीं है, यह इनके कार्यों से स्पष्ट हो चुका है। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, लोकतन्त्र में इनकी कितनी आस्था है, यह उससे साफ जाहिर हो गया है और देश के दूसरे भागों में जो इन्होंने कार्य किए हैं, उनसे साफ जाहिर हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी लोकतन्त्र में जो मानवीय आजादी दी गई है, जो लिबर्टी की बात कही गई है, जो फंडामेन्टल राइट्स की बात कही गई है, ये सभी संशोधन जो माननीय वाजपेयी जी ने सुझाए हैं, वे सभी उसके अनुरूप हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि वह इन सुझावों को मानकर, इनके अनुरूप एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाए, जिसमें यह हो कि विरोधी दलों के नेताओं की डाक को सेन्सर न किया जाए। सरकार के कुछ नेता उनकी डाक से अपने लिए कुछ खतरा महसूस करते हैं, इसलिए वे इस बात को नही मानते हैं।

इन शब्दों के साथ में वाजपेयी जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेगी।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य से ले कर के विरोधी पक्ष और उस तरफ के अपने सभी मित्रों की बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उनकी बातों से एक आम बात जो निकल रही थी वह यह थी कि मानों किसी साजिश के अन्तर्गत वे एक एक्ट के साधारण प्रावधानों को लेकर इस प्रकार का वातावरण इस सदन में या इस सदन के माध्यम से बाहर बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को यह प्रतीत हो कि ऐसे छोटे छोटे साधारण एक्टों के द्वारा भी मनुष्य के जो मूल संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उनका हनन किया जा रहा है और लोगों की मौलिक स्वतन्त्रा का हनन किया जा रहा है और यह सरकार कोर्ट इमर्जेन्सी लगाना चाहती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साजिश इन लोगों की यह है कि लोगों के मनों में इस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर दो जिससे प्रजातन्त्र जो एक सही रास्ते पर मजबूती के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वह कमजोर हो जाए। ये उसको कमजोर करना चाहते हैं। इस एक्ट में जो प्रावधान हैं, उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, जिन पर एतराज किया जा सके। हमारी डैमोक्रैसी एक ओपन डैमोक्रैसी है लेकिन इस डैमोक्रैसी में मूल अधिकारों के नाम पर, संविधान प्रदत्त अधिकारों के नाम पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं जैसे धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे देश के अन्दर कई ऐसे संगठन हैं, जो मूल अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और धर्म के नाम पर घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुरादाबाद की घटना में किन लोगों का हाथ था, ये अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार-शरीफ की घटना में किस का हाथ था, अलीगढ़ की घटना में किसका हाथ था, यह अच्छी तरह जानते हैं। आज जहां पर ऐसे संगठन हों, जो असम में विघटनकारी कार्य कर रहे हैं, जो देश-विभाजन को समर्थन दे रहे हैं, जो पूर्वोत्तर अन्चलों में उग्रवादी तत्वों को समर्थन दे रहे है पंजाब के अन्दर खालिस्तान के आन्दोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो इस तरह का प्रावधान होना जरूरी है। जब इस प्रकार के संगठन हमारे देश के अन्दर मौजूद हैं, जो धार्मिक जामा पहन कर, सामाजिक संगठनों का जामा पहन कर इस तरह का कार्य करते हैं, जो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इस देश में चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इस तरह का अधिकार होना चाहिए जिससे वह ऐसे संगठनों पर नजर रख सके और

उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सके। मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे 1977 से पहले की सरकार रही हो या 1977 से 1980 की सरकार रही हो, उसने इस अधिकार का उपयोग किया है। माननीय प्रतिपक्ष के मित्र जिन्होंने कि एक साधारण सी बात को लेकर इतना हाय-तौबा मचाया है, वे मुझसे इस बात को बेहतर जानते हैं। अपने शासन काल में हमारे नेताओं पर किस तरह से नजर रखी जाती थी, हमारी महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की मेल को किस तरह से सेंसर किया जाता था, उनके टेलीफोनों को किस तरह से टेप किया जाता और उन्हें किस तरह से तरह तरह से परेशान किया जाता था।

आज मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे यहां जो अच्छे खासे पदों पर थे और 1977 से पहले हमारी पार्टी में थे और हमारी पार्टी में रह कर जो बड़े बड़े पदों पर आये और 1980 में भी यहां चुन कर आने के लिए उन्हें और कोई सहारा नहीं मिला तो वे हमारी पार्टी का दामन पकड़ कर, हमारी पार्टी का निशान लेकर यहां जीत कर आये आज वे लोग भी हम पर आक्षेप कर रहे हैं। क्या उस समय उन्हें डेमोक्रेसी पर आघात नहीं दिखायी देता था, क्या उस समय उन्हें तानाशाहियत नहीं दिखायी नहीं देती थीं। .980 में उन्हें हमारी पार्टी का दामन पकड़ कर इस सदन में आना पड़ा और आज वे भी इसका विरोध कर रहे है जो कि समय की आवश्यकता है।

लेकिन जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहां इतना जरूर कहूंगा कि इसका उपयोग सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। हमको यह सब देखना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग कई राज्य सरकारें भी कर रही है जैसे कि पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, जनता पार्टी के लोग हों, वे सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार उनकी डाक को सेंसर कर रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम नहीं कर सकते। यह केन्द्रीय विषय है।

श्री राम जेठमलानी : मेरे पत्रों में सरकारी दुरुपयोग की बात कही गई है। इन पत्रों को सरकार तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि सेंसर होना चाहिए। सेंसरशिप के जारी रहने में मेरी व्यक्तिगत रूचि है।

श्री हरीश रावत : आपका इन्ट्रेस्ट तो बहुत व्यापक है। आपका इन्ट्रेस्ट तो इजरायल में भी है। आपकी पार्टी का भी इन्ट्रेस्ट है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। चूंकि मेरे मित्र ने पश्चिम बंगाल सरकार का उल्लेख किया है, मैं खुले और साफ-साफ शब्दों में कहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार सेंसरशिप में विश्वास नहीं रखती। न ही इसको अधिकार प्राप्त है और न ही यह औरों के टेलीफोनों को बीच में सुन रही है। हमारे पास टेलीफोनों को बीच में सुनने का अधिकार भी तो नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वे ऐसा कर रहे हैं।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : यह पार्टियों की सूची है। यह उन लोगों की सूची है जिनके पत्रों को पश्चिम बंगाल सरकार ने सेंसर किया है। यह रही।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह क्या है ? यह सूची क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : आपको यह चाहिए ? क्या आपको वास्तव में यह चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सूची क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : एक मिनट ठहरिए ? मुझे स्पष्ट करने दीजिए। अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन कोई व्यक्ति या राज्य सरकार एक लिखित आदेश द्वारा डाक प्राधिकारियों को किसी व्यक्ति अथवा संस्था को आने वाली अथवा उनसे जाने वाली डाक सामग्री को सेंसर करने का आदेश दे सकती है। मैंने जांच की। मैंने सूची मांगी कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की सूची है जिनके पत्र सेंसर किए जाने हों। मेरे पास वह आदेश यहां है। चाहे मैं इसे सभा पटल पर रखूं या नहीं, यह एक भिन्न बात है। उन्होंने 98 व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची दी है जिनकी डाक सामग्री सेंसर की जानी है। हम उस सामग्री को इकट्ठा करते हैं और सम्बन्धित लोगों को दे देते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किस तारीख का आदेश है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मौजूदा। यह अब भी लागू है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए है। प्रोफेसर महोदय, यह राज्य सरकार के लिए है।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : आप इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव जी, शीशे के घरों में रहने वालों को औरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वाद विवाद को जारी रखा जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने खुले आम स्वीकार कर लिया है और यह कार्यवाही वृतान्त में आ गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं यह नहीं चाहता। बहस पूरी होनी चाहिए चाहे आप पश्चिम बंगाल को परिपत्र भेजें या नहीं······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रत्येक चीज स्पष्ट है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री चक्रवर्ती पर इस सभा की यह जिम्मेवारी है कि श्री स्टीफन ने सभा में जो कुछ है उसका खण्डन वे मुख्य मंत्री से कराएं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : आप यह उन पर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं··· (व्यवधान) हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की सेंसर सम्बन्धी आवश्यकतायें पूर्णतया उचित हों। हम इस पर आपत्ति नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नहीं कही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसी कारण यह अपील आवश्यक है कि अधिनियम में संशोधन किया जाये।

श्री हरिकेश बहादुर : हम यह कदापि नहीं चाहते कि इस प्रकार के कानून बने रहें। परन्तु जब तक वे हैं, हम उनका प्रयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आपका काम विरोध करना है, वह चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो अथवा केन्द्र सरकार।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, एक स्पष्टीकरण। संख्या के बारे में मेरी बात एक दम पूर्णतः सही नहीं है। आदेश मौजूद है। संख्या मैं गिन रहा हूं। अतः मैं इस सम्बन्ध में अपनी गलती मानता हूं।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री के कथन के बाद जो स्थिति उभर कर आई है, उसको देखते हुए मुझे प्रोफेसर चक्रवर्ती साहब पर वास्तव में दया आती है और वे वास्तव में नहीं जानते हैं कि उनकी पश्चिमी बंगाल की सरकार क्या-क्या कर रही है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति है और कई प्रकार से प्रजातन्त्र और इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और उनके बहकावे में आकर कई राजनीतिक दल भी उनको शह देते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ऐसे अधिकारों का होना बहुत जरूरी है साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकार ऐसे अधिकारों का जहां पर

आवश्यकता होती है, उपयोग करें। इस बात को हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को समझना चाहिए और केवल आलोचना करने के लिए, अपने मन की भड़ास और निराशा को प्रकट करने के लिए ऐसी अनर्गल और असत्य बातों को सदन के सामने नहीं कहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इसको वापिस ले लें।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, वाजपेयी जी जो बिल लाए है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन समर्थन करने का मतलब यह नहीं समझा जाए कि वाजपेयी जी की पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से हमारी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का कोई मेल है, लेकिन अगर वाजयेयी जी पूरब को पूरब कहें और हम पूरब को पश्चिम कहें तो यह भी हमारे लिये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार कानून लाई और जब राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो जो कानून उनको सूट करते थे, उनको रहने दिया गया। जो कानून ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए थे, एक नहीं अनेक, लेकिन सरकार को सूट करते थे इसलिए ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भी उनको बदलने की कोशिश नहीं की गई। वाजपेयी जी ने सही कहा है कि ये साम्राज्यवाद के अवशेष हैं। अंग्रेजों ने अपने इन्टरेस्ट में, अपने निहित स्वार्थों को कायम रखने के लिए इस तरह के कानून बनाएं। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने भीइसको नहीं बदला। वाजपेयी जी की सरकार ने भी इस को नहीं बदला। मैं समझता हूं कि आज भी अगर आप इस कानून को लागू रखते हैं तो इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान के नागरिकों की आजादी पर आप अंकुश लगाते हैं। यह जो अंकुश है इसको तोड़ने की दिशा में वाजपेयी जी का यह जो कानून है इसको सरकार को मान लेना चाहिए।

यह कहा गया है कि हमारे देश को साठ या सत्तर करोड़ आबादी है और उसमें कितने प्रतिशत आबादी पर यह लागू होता है। मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह के कानून को लागू क्यों किया जाता है? क्या आधार हैं इसको कायम रखने के? वाजपेयी जी ने बताया है कि आपकी सरकार के लोगों के ऊपर भी यह सेंसरशिप लागू होता है, उनके भी फोन टेप किए जाते हैं। जो नाम उन्होंने बताए हैं, उतने ही नाम नहीं है। और भी बहुत से नाम हैं। एक मित्र ने मुझे कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं उनमें से भी कुछ के फोन टेप होते हैं। जो लिस्ट वाजपेयी जी ने बताई है नाम उससे कहीं अधिक हैं। यह कामन फिनोमिनन हो गया है। अगर आप इस कानून को बदलते नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जनता पर विश्वास नहीं है। आपका मंशा यह है कि अधिक से अधिक लोगों के टेलीफोन टेप हो, अधिक से अधिक उनके पत्र सेंसर हो। यह नागरिक आजादी पर हमला है।

देश में साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं, आनन्द मार्ग जैसी शक्तियां सिर उठा रही है, देश का विभाजन करने वाली शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश को विघटित करने वाली शक्तियां सिर उठा रही है, देश के वास्ते खतरा पैदा करने वाले तत्व सिर उठा रहे हैं। ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए सरकार को कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन यह जो स्थिति है यह वैसी नहीं है जिस प्रकार की तब थी जब यहां पर इस कानून को बनाया गया है। ब्रिटिश सरकार

का जनतन्त्र में विश्वास नहीं था। तब संविधान नहीं था। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए थे। अब यह सब कुछ हो गया है। अब ये सब परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का तकाजा है कि देश के नागरिकों को आजादी को बरकरार रखने के लिए कदम उठाए जाएं और अधिक नागरिक आजादी देने की व्यवस्था की जाए। यह नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो कानून है इसमें संशोधन करना जरूरी है।

संविधान में लिखा हुआ है कि जनता सावरेन है, सर्व सत्ता सम्पन्न है। इस तरह के कानून आप लागू करते हैं तो उसकी सर्वसत्ता सम्पन्नता को आघात पहुंचता है, बाधा पैदा होती है, उस पर आंच आती है। इस वास्ते अवश्य ही इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि एक कम्प्रिहैंसिव कानून इसके बारे में लाया जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने अपने ढंग से कानून का मसौदा आपके सामने पेश किया है। परिवर्तन अनिवार्य शर्त है। देश में जनतन्त्र को कायम रखने के लिए, राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के लिए, राजनीतिक बदला लेने की भावना को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि इस कानून का संशोधन किया जाए। इसके लिए जरूरी हो तो कम्प्रिहैंसिव बिए लाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, सिद्धान्त रूप में इस बात को मान लें कि संशोधन होना चाहिए और दूसरा बिल जो कम्प्रिहैंसिव ही लाएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सिद्धान्त रूप में सरकार इसको मान ले कि संशोधन होना चाहिए। जनतंत्र का यह तकाजा है कि ब्रिटिश राज में लगाए गए अंकुशों को समाप्त किया जाए। जनता की आजादी को बहाल रखा जाएं। इसलिए इस बिल को पास किया जाए और अगर आप जरूरी समझते हैं तो एक विस्तृत बिल भी आप लाएं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं, और इसलिए कि जब माननीय वाजपेयी जी का राज्य आया तो इन्हें फुर्सत ही नहीं थी, यह तो रात और दिन विदेशों में घूमते थे, एक दिन भी हिन्दुस्तान में नहीं रहे। इनको मालूम नहीं था कि देश में क्या हो रहा है। तो उस वक्त ख्याल नहीं आया कानून में परिवर्तन करने का। अब इनको फुर्सत मिली है क्योंकि कोई और दूसरा काम नहीं है।......

उपाध्यक्ष महोदय : वह विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे न कि आन्तरिक मामलों के।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए कह रहा हूं कि बाहर हो रहे और इसलिए ख्याल नहीं आया कि देश में किस प्रकार के कायदे कानून रहने चाहिए जिससे पब्लिक सेफटी और पब्लिक ट्रांक्वैलिटी बनी रहे। और माननीय जेटमलानी जी को शाह कमीशन से फुर्सत नहीं मिली, यह इसी में लगे रहे,इस लिये इनकी भी ख्याल नहीं आया। नहीं तो यह भी संशोधन पेश कर देते कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। यह हालत हैं विरोधी दलों के नेताओं की। जब अपना राज्य आता है तो ख्याल नहीं आता कि कौन सा कानून ठीक है और कौन सा गलत गलत है। लेकिन जब राज्य चला गया तो ख्याल आया इसलिए संशोधन लाये हैं।

इन्होंने कहा कि यह कानून ब्रिटिश सरकार के समय का है। तो उस समय के कितने ही कानून हैं, जैसे आई० पी० सी०, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सी० पी० सी०, ऐवीडेंस ऐक्ट, जिनके जरिए से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। यह सारे कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं और उनमें बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। जो कानून पोस्ट आफिसेज के सम्बन्ध में बना है यह स्वागत योग्य है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, वेस्ट बंगाल के एक भाई पैरवी कर रहे थे कि हमारी स्टेट इस प्रकार के काम नहीं करती है, तो मंत्री जी ने बताया कि आपकी सरकार भी वही कर रही है जो दूसरी सरकारें कर रही हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर, तमिलनडु की विरोधी दल की सरकारें भी यही कर रही हैं। इसलिए जब सब सरकारें इस कानून के जरिए से व्यवस्था चला रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह खराब कानून है, और कैसे आप कह सकते हैं कि जनता के मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। ऐसी बात आप नहीं कह सकते। इसलिए यह कानून ठीक है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

माननीय जेठमलानी ने बड़ी पैरवी की डेमोक्रेसी की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्सान पार्लियामेंट में जनता द्वारा चुन कर आया उसको आपने क्यों सदन से बाहर निकाल फेंका? क्या ऐसा प्रजातन्त्र आप चाहते हैं? इस प्रकार की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करने वाले लोग हैं और आज प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। आप तो कतई डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं। आप तो औटोक्रेटिक हैं। हमारी पार्टी प्रजातन्त्र में विश्वास करती है, और इस व्यवस्था को बराबर जमाने का हमने प्रयास किया है। हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते और बाद में इन्होंने दल बदल कर लिया, और आज वही कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। जनता पार्टी की सरकार के समय में आप घमन्ड से कहते थे दलबदल को रोकने के लिए कानून लायेंगे। उसके बाद कोई कानून लाए नहीं। कोरी बातें करने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। यह केवल बातें करना चाहते हैं, काम करने का कोई ताल्लुक नहीं है ना इन्होंने कोई काम किया है।

जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार भयंकर दुरुपयोग प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का किया गया था, उतना गड़बड़ काम किसी राज्य में और किसी पार्टी के समय में नहीं हुआ था। जिस तरह की हालत जनता पार्टी के शासन में इस देश में हुई है, हमने वापिस आकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वापस जमाया है और जनता में विश्वास पैदा किया है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है, गरीबों और डाउनट्रोडन को ऊपर उठाती है, उनके प्रति उसके मन में हमदर्दी है। सब विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी ने ही किए है, यह केवल शोषण करने वाले लोग हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है।

कम्युनिस्ट पार्टी के भाइयों की बात मैं कहता हूं, हम वेस्ट बंगाल के चुनाव में वहां गए थे। यहां ये लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बहुत दुहाई देते हैं लेकिन वहां इन्होंने क्या किया? सारे वोट बन्दूक की नोक पर इन्होंने वहां डलवाये, रिगिंग किया और इस तरह से वहां इन्होंने प्रजातन्त्र की हत्या की।

हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जबर्दस्ती जाकर खड़े हो गए यह इसलिए कि वहां पर कांग्रेस के लोग न जीतें जिससे कांग्रेस की सरकार न बन सके। इनका इस प्रकार का दृष्टिकोण है, यह कोई प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने वाले लोग नहीं हैं। अगर यह प्रजातन्त्र

को मजबूत बनाने वाले होते तो निश्चित रूप से हम कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल नाम की पार्टी है, इसके पीछे केवल आर० एस० एस० का दल है, जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पार्टी है । इसके अलावा कोई दम, जूहरा इनका नहीं है । इसके पास से अगर यह मोहरा अलग हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का खाका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा । इसके बाद कुछ इनके पास नहीं रह जाता है ।

यह ऐसी पार्टी है जो कमुनल भावनाओं में विश्वास रखती है और साम्प्रदायिक दंगे फैलाती है जिसकी नजीर हमारे भाई ने भी दी है । इन्होंने 3, 4 जगहों पर दंगे करवाये । इनके खिलाफ कमीशन भी बैठा और उस कमीशन ने भी कहा कि इन्होंने जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे फैलाये थे और उसके लिए एक जगह एक एम० एल० ए० को भी जिम्मेदार ठहराया गया था लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इनकी पार्टी यही चाहती है । अगर यह चाहते तो उस एम० एल० ए० को अपनी पार्टी से बाहर निकालते, लेकिन इनका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है, यह केवल ढकोसले की बात है, कुछ तन्त इनमें नजर नहीं आता है ।

मैं माननीय स्टीफन साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसी कौमुनल पार्टी, जो इस देश में अशान्ति फैलाना चाहती है, ऐसी राजनीतिक पार्टी जो इस देश को विघटित करना चाहती है, उसके खिलाफ और सख्ती से कार्यवाही करें ताकि ऐसी गड़बड़ इस देश में न हो जिसकी वजह से देश खण्डित हो । आप इस बात से घबड़ाइये मत, हमारी सरकार मजबूत सरकार है, इसे मजबूती से देश को खण्डित होने से बचाना है, देश को मजबूत बनाना है, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिन स्मगलर्स को पकड़ा था, उनकी जेठमलानी जी ने पैरवी की और सारे स्मगलर्स को इन्होंने जनता पार्टी के शासन में छोड़ दिया । ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स को इन्होंने छोड़ दिया । कौन-सा आदमी ऐसा बचा जो जनता पार्टी के शासन में छोड़ न दिया गया हो । उस समय जो आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई । इसलिए इस तरह का कानून नितान्त आवश्यक है, इस देश में स्थिरता रखने के लिए, कौमुनल टैंशन को समाप्त करने के लिए और इस देश को विघटित होने से बचाने के लिए । इस तरह की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं गड़बड़ पैदा करती हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे प्रावधानों की नितान्त आवश्यकता है । इसलिए मैं इस अमेंडमेंट बिल का घोर विरोध करता हूं और माननीय वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापिस लें ।

कार्य मंत्रणा समिति

31वां प्रतिवेदन

12 जुलाई, 1982 को सभा की बैठक रद्द करने तथा 7 अगस्त, 1982 को सभा की बैठक रखने के बारे में

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके अतिरिक्त, महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि सभा 12 जुलाई, 1982 को, उस दिन राष्ट्रपति का चुनाव होने के कारण, न बैठे। समिति ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि समय की पूर्ति हेतु सभा शनिवार, 7 अगस्त, 1982 को बैठ सकती है।

मुझे आशा है, सभा इससे सहमत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इसका अनुमोदन करती है? ठीक है, मैं देख रहा हूं कि सभा सहमत है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 जुलाई, 1982/22 आषाढ़, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———